उ०प्र० राज्य कर्मचारियों/शिक्षकों एवं
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु

# सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नति वेतनमान एवं समयमान वेतनमान तथा ए०सी०पी० की व्यवस्थाः स्पष्टीकरण

परामर्शदाता
**प्रेम शंकर खरे**
(पूर्व प्रधानाचार्य)

संकलनकर्ता
**अहमद तलहा** — पूर्व प्रधानाचार्य
**शीतला प्रसाद पाण्डेय** — अवकाश प्राप्त शिक्षक

**हाशमी लॉ पब्लिकेशन्स**
इलाहाबाद
Mob. : 9839096109, 9307649358

*Hashmi's*

Name ______________________

Address ______________________

______________________ Pin ______________________

District ______________________ State ______________________

Mobile ______________________

# सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नति वेतनमान एवं समयमान वेतनमान तथा ए०सी०पी० व्यवस्था : स्पष्टीकरण

## ए.सी.पी. की नई व्यवस्था : उदाहरण सहित

हाशमी लॉ पब्लिकेशन्स

कार्यालय : चकिया नई आबादी, इलाहाबाद-211016

**Mobile : 9839096109, 9307649358**

# पुस्तक के विषय में

आर्डर भेजने व पत्र व्यावहार का पता

**हाशमी लॉ पब्लिकेशन्स**
95D/10A, चकिया नई आबादी
इलाहाबाद-211016
Ph. : 9839096109
Mobile : 9307649358

यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं :-

**एलिया लॉ एजेन्सी**
G-1, शुक्ला पैलेस (जवाहर भवन के निकट) सप्रू मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ
(फोन : 2622151, 3919341)

**संस्करण : 2015**

**मूल्य : ₹ 200-00**



कम्पोसिंग एण्ड सेटिंग :-
**रूमी कम्प्यूटर**
करैली-इलाहाबाद-211016

**-: विशेष टिप्पणी :-**

 इस पुस्तक को यथा सम्भव त्रुटि रहित व अद्यतन प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया गया है, फिर भी यदि अज्ञानतावश इसमें कोई त्रुटि या कमी रह गई हो तो पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित है। उसके कारण क्षति या संताप हेतु प्रकाशक, मुद्रक अथवा लेखक का कोई दायित्व न होगा, इन्हीं शर्तों पर यह पुस्तक विक्रय हेतु प्रस्तुत है।

- प्रकाशक

# विषय सूची

## पृष्ठ भूमि

ऐसी श्रेणी के शिक्षकों/कर्मचारियों के लिये जिन्हें एक निश्चित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनके लिए सेलेक्शन ग्रेड, प्रोन्नति वेतनमान एवं समयमान वेतनमान आदि की समय समय पर व्यवस्था की जाती रही हैं उद्देश्य यह है कि सेवाकाल में शिक्षकों/कर्मचारियों की उपलब्धियों में ठहराव न हो और वे आर्थिक दृष्टि से स्फूर्ति व प्रोत्साहन प्राप्त करते रहे। अतः उन्हें इस सम्बन्ध में न केवल समुचित ज्ञान होना चाहिए। अपितु उन्हें अपने अधिकारों का दावा करने में विधिक दृष्टि से समक्ष होना चाहिए।

इसलिए कार्यालय के संस्तुतकर्ता अधिकारी तथा उच्च अधिकारियों के लिये भी आवश्यक है कि वे इस व्यवस्था से पूर्णरूपेण अवगत रहें। साथ ही प्रस्तुत संकलन में सन्दर्भित शासनादेशों/विभागीय आदेशों को भी समवेशित किया गया है। आशा है कि हमारा प्रयास सभी राज्य कर्मचारियों तथा शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु उपयोगी तथा सार्थक सिद्ध होगा। आपके सुझावों का हार्दिक स्वागत है।

अन्त में हम वयोवृद्ध शिक्षाविद **श्री प्रेम शंकर खरे** के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस पुस्तक की रचना में अपने परामर्श से हमे लाभान्वित किया। हमे आशा है कि वे हमारा मार्गदर्शन इसी प्रकार भविष्य में भी करते रहेगे।

**अहमद तलहा**

**शीतला प्रसाद पाण्डेय**

# सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नति वेतनमान एवं समयमान वेतनमान तथा ए०सी०पी० व्यवस्था : स्पष्टीकरण

सर्व प्रथम माध्यमिक शिक्षकों के लिए उ०प्र० वेतन आयोग (1971–73) द्वारा संस्तुत वेतनमानों मे प्राप्त विसंगतियों के निवारण हेतु मंत्री परिषद के प्रस्ताओं के आधार पर वित्त वेतन (आयोग) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं० वे०आ० 395/दस–89 एम/74 दिनांक 18 मार्च, 1976 के क्रम में राज्य निधि से सहायता प्राप्त उ०मा० विद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ता, एल०टी० ग्रेड के सहायक अध्यापक एवं सी०टी०ग्रेड के अध्यापकों निम्न शासनादेशों द्वारा सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य किया गया।

**प्रवक्ता**–शासनादेश सं० 8484/पन्द्रह–8–3016/76 दिनांक 3 नवम्बर, 1978

**ए०टी० ग्रेड अध्यापक**–शासनादेश सं० 8485/पन्द्रह–8–3016/76 दिनांक 3 नवम्बर, 1978

**सी०टी० ग्रेड अध्यापक**–शासनादेश सं० 8486/पन्द्रह–8–3016/76 दिनांक 3 नवम्बर, 1978

उक्त शासनादेशों में सभी वर्गों के लिए सेलेकशन ग्रेड 01 अक्टूबर, 1975 को स्वीकृत कुल पदों की संख्या के दस प्रतिशत पदों के लिए उसी तिथि (1-10-1975) से अनुमन्य किया गया। इसके लिए प्रत्येक संवर्ग में सेलेक्शन ग्रेड का अलग से वेतनमान स्वीकृत किया गया।

- उ०प्र० वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतियों पर शासनादेश सं० 6695/15–(8)–1981 –3014/1981 दिनांक 29 दिसम्बर, 1981 द्वारा सहा०प्रा० मा० विद्यालयों में कार्यरत नियमित उन प्रधानाचार्यों/शिक्षकों को चयन वेतनमान अनुमन्य किया गया जो अपने साधारण वेतनमान में लगातार 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेंगे बशर्ते उनकी पदोन्नति इसके पूर्व उच्च पद पर न हुई हो। अनुमन्यता के दिनांक संशोधित करते हुए शासनदेश सं० 3631/15–8–3062/82 दिनांक 4 जुलाई, 1984 द्वारा निर्देशित किया गया कि साधारण वेतनमान में 16 वर्ष की संतोषजनक नियमित सेवा पूरी करने के उपरान्त उनको पहली जुलाई को ही चयनवेतनमान अनुमन्य मानकर तदनुसार वेतन निर्धारण किया जायेगा। इस प्रकार वेतन निर्धारण में आई विसंगति को दूर करने के लिए शासनादेश सं० 1030/15–85–3062/1982 दिनांक 07 नवम्बर, 1985 जारी हुई जिसमें चयन वेतनमान में वेतन के पुर्ननिर्धारण की व्यवस्था की गई।
- वेतन पुनरीक्षण समिति की संस्तुतियों पर आधारित शासनादेश सं0 4749/ 15–8–1989/ 3087 दिनांक 4 अक्टूबर, 1989 में चयन वेतनमान के लिए 16 वर्ष की नियमित सेवा को घटाकर 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर ही चयन वेतनमान मान्य कर दिय गया। चयन वेतनमान में अधिकतम पर वेतन आहरित करने के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान का प्राविधान किया गया परन्तु प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान में अधिकतम पर वेतन आहरित करने पर अधिकतम तीन वृद्धि रोध वेतन वृद्धियाँ अनुमन्य करने की व्यवस्था की गई। चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतन की यह व्यवस्था 1–1–86 से लागू हुई।
- पंचम वेतन आयोग को केन्द्रीय संस्तुतियों को समानता देने के लिए जारी शासनादेश सं० 4307/15–8–3038/99, दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 के अनुसार मा० विद्यालय में केवल कार्यरत शिक्षकों को साधारण वेतनमान में नियमित संतोषजनक 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चयन वेतनमान तथा चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने की व्यवस्था की गई। परन्तु, एल०टी० ग्रेड के शिक्षकों के लिए प्रोन्नत वेतनमान उन्हीं शिक्षकों के लिए स्वीकृत करने की बात कहीं गई जिनके पास

स्नातकोत्तर उपाधि हो। हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों के लिए भी 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद चयन वेतनमान दिया गया परन्तु इण्टरमीडिएट के प्रधानाचार्यों के लिए चयन वेतनमान की व्यवस्था समाप्त कर दी गई।

- वर्तमान में छठें वेतन आयोग (1-1-2006 से लागू) की संस्तुतियों लागू होने के लिए शिक्षकों को चयन वेतन 10 वर्ष की सेवा पर एवं उनके उपरान्त प्रोन्नत वेतन मान 12 वर्ष की सेवा पर पूर्व की व्यवस्था के अनुसार ही देय है।

❑❑❑

## राज्य कर्मचारियों एवं अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए सेलेक्शन ग्रेड (समयमान वेतनमान) एवं सुनिश्चित कैरियर उन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था

(1) राज्य कर्मचारियों एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए उच्च पदों पर पदोन्नति के अवसर न मिल पाने क कारण शासन द्वाराएक निश्चित समयावधि बीत जाने के पश्चात सेलेक्शन ग्रेड (चयन वेतन) देने की सामान्य व्यवस्था 01 जुलाई, 1982 से कुछ पदों पर लागू की गई। इस सम्बन्धमें

(क) शासनादेश संख्या वे०आ० 2–210/दस–83–सं०–व्य०(सा०)–82 दिनांक 04 फरवरी, 1983 को जारी इस शासनादेश में सेलेक्शन ग्रेड की अनुमन्यता के लिए अलग–अलग पदों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि अलग–अलग निर्धारित की गई।

(ख) शासनादेश संख्या वे०आ०–2–626/दस–84–सं०–व्य०(सा०)–82 दिनांक 09 मई, 1984 द्वारा सभी पदों के लिए 01 जुलाई, 1982 से एक समान 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर सेलेक्शन ग्रेड देने की व्यवस्था की गई।

(ग) शासनादेश संख्या वे०आ०–2–1360/दस–85–सं०व्य०(सा०)–82 दिनांक 17 अक्टूबर, 1985 द्वारा 01 जुलाई 1982 से 10 वर्ष की सेवापर अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड के पश्चात 6 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात पर प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया गया।

(घ) शासनादेश संख्या वे०आ०–1–1763/दस–30(एम)/89 दिनांक 03 जून, 1989 द्वारा 01 जनवरी, 1986 से लागू वेतनमान में जिन कर्मचारियों के वेतनमान का अधिकतम रु० 3500/– तक था उनको 10 वर्ष की सेवा पर पूर्व में लागू सेलेक्शन ग्रेड वेतन के स्थान पर इसी वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिए जाने की व्यवसथा लागू की गई।

(ङ) शासनादेश सं० वे०आ०–1–166/दस–12(एम)–95 दिनांक 08 मार्च 1995 में लागू समयमान वेतनमान की नई व्यवस्था 01 मार्च, 1995 से लागू की गई। जिसके अनुसार

(A) 08 वर्ष की सेवा पर उसी वेतनमान में प्रथम अतिरिक्त वेतन वृद्धि 14 वर्ष (8+6) वर्ष की सेवा पर प्रथम वैयक्तिक पदोन्नति 20 वर्ष अर्थात (8+6+6) की सेवा पर द्वितीय अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा 26 वर्ष (8+6+6+6) वर्ष की सेवा पर द्वितीय वैयक्तिक पदोन्नति के रूप में अगला वेतनमान अनुमन्य किया गया।

(B) ऐसे कर्मचारी जिन्हें दिनांक 01 मार्च, 1995 के पूर्व 10 वर्ष की सेवा पर एक अतिरिक्त वेतनम वृद्धि अनुमन्य हो चकी थी उनके वेतन संरचना में 28 वर्ष की सेवा पर मान्य है।

(C) ऐसे कर्मचारी जिन्हें 01 मार्च, 1995 के पूर्व समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत

10+6 वर्ष का लाभ मिल चुका था उनके लिए द्वितीय वैयक्तिक पदोन्नति/अगला वेतनमान (10+6+6+6) वर्ष की सेवा पर लागू इस प्रकार का मूल स्वरूप समय–समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा संशोधित होकर दिनांक 01 मार्च, 1995 के बाद दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक निम्न स्वरूप में लागू रहा।

(i) शासनादेश सं०वे०आ०–1–84/दस–12(एम)–95 दिनांक 05 फरवरी, 1997 में 8+6+5+5 = 24 वर्ष

(ii) शासनादेश संख्या वे०आ०–2–560/दस–45 (एम)–99 दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 (दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान संरचना में अधिकतम वेतनमान रु0 10500 तक के लिए) समयावधि 10+4+5+5 = 24 वर्ष

(iii) शासनादेश संख्या वे०आ०–2–1658/दस–2001–45 (एम) 99 दिनांक 03 सितम्बर, 2001 की व्यवस्था में 10+6+3+5 = 24 वर्ष उपरोक्त व्यवस्था एक ही पद पर लगातार सेवा पूर्ण करने पर ही देय थी।

(1) यदि किसी कर्मचारी की बीच में पदोन्नति हो जाती थी तो उसकी पदोन्नति पद के सापेक्ष पुनः पूर्व की भांति समयमान वेतनमान की गणना की जाती थी।

(2) दिनांक 01–01–2006 से लागू छठवां वेतनमान में 01–01–2006 से 30 नवम्बर, 2008 के मध्य 8 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि के रूप में 3 प्रतिशत (वेतन बैण्ड +ग्रेड पे के योग का) की वेतन वृद्धि व्यक्तिगत दी जायेगी। परन्तु वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि 01 जुलाई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

(3) दिनांक 01–01–2006 से 30 नवम्बर, 2008 के मध्य जिन कर्मचारियों को 14/24 वर्ष की सेवा पूरी होने पर प्रथम/द्वितीय वैयक्तिगत प्रोन्नत के रूप में अगला वेतनमानदेय था उनको अनुमन्यता की तिथि को देय प्रोन्नति। अगले वेतनमान का ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुए वेतन निर्धारित कर दिया जायेगा तथा वेतन बैण्ड अपरिवर्तित रहेगा। यदि किसी कर्मचारी को अनुमन्य ग्रेड वेतन के सादृश्य प्राप्त बैण्ड वेतन उसी ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन से कम होता है तब सम्बन्धित पद धारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) 14 व 24 वर्षीय लाभ प्राप्त करने वाले को उनकी वेतन वृद्धि वैयक्तिक रूप से अनुमन्य ग्रेड वेतन में न्यूनतम 6 माह की अवधि के उपरान्त आने वाली पहली जुलाई को ही देय होगी।

❑❑❑

## कार्मिकों के लिए ए०सी०पी० की व्यवस्था

शासनादेश वे०आ०–2–561/दस–62(एम)/2008 दिनांक 4 मई, 2010 द्वारा दिनांक 01–12–2008 से समस्त कार्मिकों के लिए सुनिश्चित कैरियर उन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था लागू की गई हैं जिसके अनुसार सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष 18 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन (ए०सी०पी०) अनुमन्य होगा। परन्तु दिनांक 01–01–2006 से लागू वेतन संरचना में 30 नवम्बर, 2008 तक प्रोन्नत वेतनमान की पुरानी व्यवस्था प्रभावी रहेगी। इस सम्बन्ध में भी उल्लेखनीय है कि यदि 14 वर्षीय या 24 वर्षीय पुराने प्रोन्नत वेतनमान के लाभ 01–01–2006 तथा 30–11–2008 के मध्य देय होते हैं तो नई वेतन संरचना में केवल ग्रेड पे बढ़ा दिया जायेगा अर्थात अगली ग्रेड पे दे दिया जायेगी किन्तु 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभदेय नहीं होगा।

ए०सी०पी० को स्पष्ट रूप से समझने के लिए समस्त कार्मिकों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।

(1) पहली श्रेणी में ऐसे कार्मिक आते हैं जिनकी नियुक्ति 01–12–2008 को या उसके बाद में हुई है उनको सीधी भर्ती के सापेक्ष कम से कम तीन वित्तीय स्तरोन्नयन (10+8+8) का लाभ राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इन कार्मिको के लिए प्रथम ए०सी०पी० का लाभ 10 वर्ष की सेवा के पश्चात अनुमन्य है। ए०सी०पी० के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 8वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूरी करने पर ए०सी०पी० दूसरा स्तरोन्नपन्न का लाभ देय है।

इसी प्रकार द्वितीय ए०सी०पी० के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 8वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूरी करन लेने पर (तृतीय ए०सी०पी०) लाभ अनुमन्य होगा।

यदि कार्मिक की प्रोन्नति प्रथम ए०सी०पी० के पूर्व या पश्चात हो जाती है। तो प्रोन्नति की तिथि से 8वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर ही प्रोन्नति अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीयक ए०पी०सी० के रूप में अनुमन्य होगा।

(2) द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत के ऐसे सभी कार्मिक आते हैं जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व सेवा मे हैं इन सभी कार्मिकों को ए०सी०पी० का लाभ अनुमन्य किए जाने के लिए सेवा–अवधि की गणना दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 की उनकी पद स्थिति के आधार पर की जायेगी।

इस प्रकार के सभी कार्मिकों की पद स्थिति 01 दिसम्बर, 2008 को दो प्रकार की होगी।

**(क) धारित पद के साधारण वेतनमान में कार्यरत कर्मिक**

(क) ऐसे कार्मिक जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को अपने धारित पद के साधारण वेतनमान में हैं उनके से कई सीधी भर्ती के पदधारक कई पदोन्नति प्राप्त पदधाक व कई एक से अधिक पदोन्नति प्राप्त पद धारक भी हो सकते हैं। उक्त सभी कार्मिक के लिए 01 दिसम्बर, 2008 का धारित पद ए०सी०पी० गणना हेतु सीधी भर्ती का पद माना जायेगा। इस प्रकारके सभी कार्मिकों को धारित पद पर 10 वर्ष की सेवा या दिनांक 01–12–2008 जो भी बाद में होगा प्रथम ए०सी०पी० का लाभ अनुमन्य होगा।

**उदाहरण :** मान लिया जाय दिनांक 01–12–2008 को धारित पद कार्मिक (अ) की नियुक्ति 1997 में और कार्मिक (ब) की नियुक्ति 2004 में हुई है दोनों अपने धारित पद पर कार्यरत है। कार्मिक (अ) की धारित पद पर 10 वर्ष की सेवा यद्यपि 2007 में पूरी हो जाती है। लेकिन उन्हें प्रथम ए०सी०पल० 1–12–2008 ही अनुमन्य होगी। अर्थात ए०सी०पी० लागू होने की तिथि को।

(ब) कार्मिक ''ब'' को 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम ए०सी०पी० 2014 में अनुमन्य होगा, यदि उक्त तिथि तक उसके पद के परिस्थिति में कोई परिवर्तन नही होता है।

**(ख) धारित पद के समय वेतनमान में कार्यरत कार्मिक**

(ख) धारित पद के समयमान वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों क लिए ए0सी0पी0 की अनुमन्यता: ऐसे कार्मिम जो 01–12–2008 को अपने पद के समयमान वेतनमान (14/24 वर्षीय प्रथम/द्वितीय वैयक्ति प्रोन्नति/अगले वेतनमान में है उनकी ए०सी०पी० हेतु सेववधि की गणना जिस पद के सापेक्ष समयमान वेतनमान पारहे है उसकी पद के सापेक्ष ए०सी०पी० की अनुमन्यता की जायेगी।

**उदाहरण** :(अ) ऐसे कार्मिक जो दिनांक 01–12–2008 को अपने पद के 14 वर्षीय प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नति या अगले वेतनमान में कार्यरत है ऐसे कार्मिकों को 14 वर्षीय लाभ को प्रथम ए0सी0पी0 मानते हुए प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नति या अगले वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि से 4 वर्ष बाद अर्थात (14+4) 18वर्ष की सेवा या दिनांक 01–12–2008 जो भी बाद में हो द्वितीय ए0सी0पी0 अनुमन्य होगी।

**उदाहरण** : (ब) ऐसे कार्मिक जो 01–12–2008 को जिस पद के सापेक्ष 24 वर्षीय द्वितीय प्रोन्नति। अगले वेतनमान में कार्यरत हैं उनकी द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नति/अगले वेतनमान की द्वितीय ए0सी0पी0 मानते हुए उसी पद के सापेक्ष द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नति/ अगले वेतनमान की तिथि से दो वर्ष बाद अर्थात 26 (24+2) वर्ष की सेवा पर या दिनांक 01–12–2008 जो भी बाद में हो तृतीय ए0सी0पी0 अनुमन्य होगी। स्पष्ट है कि तृतीय ए0सी0पी0 की अनुमन्यता के प्रकरण में दो श्रेणी के कार्मिक हो सकते हैं।

(i) प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत ऐसे कार्मिक हो सकते हैं। जो 01–12–2008 को अपने धारित पद के सापेक्ष ही 24 वर्षीय वैयक्तिक प्रोन्नति/अगले वेतनमान में कार्यरत हो सकते है।

(ii) दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत कुछ ऐसे कार्मिक भी हो सकते है जो दिनांक 01–12–2008 को जिस पद के सापेक्ष 24 वर्षीय लाभ प्राप्त वेतनमान में हैं, उस पद पर कार्यरत न होकर उस पर के पदोन्नति पद पर कार्यरत अर्थात 24 वर्षीय लाभ प्राप्त होने के पूर्व या पश्चात उनकी पदोन्नति हो चुकी हैं ऐसे पदोन्नति प्राप्त कार्मिकों को भी वेजिस पद के सापेक्ष दिनांक 01–12–2008 को 24 वर्षीय वैयक्तिक प्रोन्नति। अगले वेतनमान में है उसी पद के सापेक्ष (न कि पदोन्नति के पद के सापेक्ष) 26 वर्ष की सेवा पर या दिनांक 01–12–2008 जो भी बाद में हो तृतीय ए०सी०पी० अनुमन्य कर दी जायगी।

> उपरोक्त ए०सी०पी० व्यवस्था में शासनादेश–वे०आ०–2-2105/दस–62(एम) 2008 टी०सी० दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 एवं शासनादेश सं०–वे०आ०–2-2118/दस–62(एम)/2008 दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 द्वारा संशोधन एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया गया है। अवलोकनार्थ शासनादेश संलग्नक है।

❑❑❑

# सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नति वेतनमान एवं समयमान वेतनमान तथा ए०सी०पी० –शासनादेश

## प्रवक्ता सेलेक्शन ग्रेड 10 प्रतिशत

संख्या–8484/पन्द्रह–8–3016–73

प्रेषक,
श्री लक्ष्मी कान्त गुप्त
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

शिक्षा (8) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 3 नवम्बर, 1978

**विषय :** राज्य निधि से सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ताओं को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल महोदय उक्त श्रेणी के विद्यालयों के रुपये 400–750 के वेतन क्रम के प्रवक्ताओं के स्थायी तथा दिनांक 1–4–75 को 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि से चले आ रहे अस्थायी पदों की सम्मिलित संख्या के 10 प्रतिशत पदों के लिए दिनांक 4–3–1978 से रुपये 450–25–575–द० रो०–25–700–द०रो०–30–850 के वेतन क्रम में सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि इस सलेक्शन ग्रेड के दिये जाने के फलस्वरूप प्रवक्ताओं के कुल पदों की संख्या में कोई वृद्धि न होगी।

**2**– उपर्युक्त सेलेक्शन ग्रेड में सम्बन्धित प्रवक्ताओं का प्रारम्भिक वेतन, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 भाग–2–4 के मूल नियम 22 के नीचे अंकित सम्परीक्षा अनुदेशों के पैरा 4 के साथ पठित मूल नियम 22(ए) (ii) के सादृश्य पर निर्धारित किया जायेगा। इस सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्तियाँ अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर की जायेंगी।

**3**– सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही नियम निम्नवत् हैं, होंगे:–

(1) सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने हेतु केवल उन्हीं पदों की संख्या आगणन हेतु मान्य होगी जिसे संदर्भ में सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य किया है।

(2) किसी संस्था में सेलेक्शन ग्रेड तभी अनुमन्य होगा जब अर्ह प्रवक्ता की संख्या उक्त संवर्ग में कम से कम 6 होगी। इस आधार पर 6 से 15 तक अर्ह प्रवक्ता की संख्या पर केवल एक पद सेलेक्शन ग्रेड में अनुमन्य होगा। इसी प्रकार 16 से 25 तक दो, 26 से 35 तक तीन सेलेक्शन ग्रेड के पद अनुमन्य होंगे।

(3) सेलेक्शन ग्रेड सम्बन्धित शिक्षा संस्था के ज्येष्ठतम् अर्ह प्रवक्ता को अनुमन्य किया जायेगा। ज्येष्ठता का आधार उक्त पद स्थायी नियुक्ति की तिथि माना जायेगा। किसी विद्यालय में एक ही तिथि में नियुक्ति तथा स्थायी किये गये अध्यापकों में आयु में ज्येष्ठ प्रवक्ता को ज्येष्ठतर माना जायेगा।

(4) सेलेक्शन ग्रेड में वेतन निर्धारण का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक को होगा।

**4**– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या वे०आ० 1360/दस–78 दिनांक 30–9–1978 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
**लक्ष्मी कान्त गुप्त**
उप सचिव

## एल०टी० वेतनक्रम : सेलेक्शन ग्रेड 10 प्रतिशत

संख्या–8485/पन्द्रह–8–3016/76

प्रेषक,

श्री लक्ष्मी कान्त गुप्त
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

शिक्षा (8) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 3 नवम्बर, 1978

**विषय :** उत्तर प्रदेंश वेतन आयोग (1971–73) द्वारा संस्तुत वेतनमानों में बतायी गयी असंगतियों एवम् उनके निवारण के उपयोग तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर मंत्रिपरिषद् की उप समिति के निर्णयों एवम् प्रस्तावों का लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या वे०आ०–395/दस–89, (एम)/74, दिनांक 18 मार्च 1976 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने राज्य निधि से सहायता प्राप्त प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के एल०टी० ग्रेड के सहायक अध्यापकों/अध्यापिकाओं को दिनांक 1 अक्टूबर, 1975 को स्थायी तथा दिनांक 1 अक्टूबर, 75 को 3 वर्ष या इससे अधिक अवधि से चले आ रहे अस्थायी पदों की सम्मिलित संख्या के 10 प्रतिशत पदों के लिए दिनांक 1 अक्टूबर, 1975 से निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सलेक्शन ग्रेड के वेतनमान को स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि इस सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति के फलस्वरूप सम्बन्धित संवर्ग अथवा सम्बन्धित विद्यालय में ऐसे पदों की कुल संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी।

| क्रम संख्या | पद/सेवा का नाम | वेतनक्रम | सेलेक्शन ग्रेड का वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1– | सहायक अध्यापक/ अध्यापिकाओं प्रशिक्षित स्नातक (एल०टी०ग्रेड) | रु० 300–550 | रु०-350-15–500–द०–रो० 20-600–द०–रो०–25-700 |

2–उपर्युक्त सेलेक्शन ग्रेड में सम्बन्धित अध्यापकों का प्रारम्भिक वेतन, वित्तीय नियम खण्ड 2, भाग 2–4 के मूल नियम 22 के नीचे अंकित संपरीक्षा अनुदेशों के पैरा 4 के साथ पठित मूल नियम 22 (ए) (ii) के सादृश्य पर निर्धारित किया जायेगा तथा इस सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्तियाँ अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

3–उपर्युक्त सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यकारी नियम निम्नवत होंगे–

(1) सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने हेतु केवल उन्हीं पदों की संख्या आगणन हेतु मान्य होगी जिसे संवर्ग में सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य किया है।

(2) किसी संस्था में यह सेलेक्शन ग्रेड तभी अनुमन्य होगा जब अर्ह अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदों की संख्या उक्त संवर्ग में कम से कम 6 होगी इस आधार पर 6 से 15 तक अर्ह अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या पर केवल एक पद सेलेक्शन ग्रेड में अनुमन्य होगा। इसी प्रकार 16 से 25 तक दो, 26 से 35 तक तीन सेलेक्शन ग्रेड के पद अनुमन्य होंगे।

(3) सेलेक्शन ग्रेड सम्बन्धित शिक्षा संस्था के ज्येष्ठतम अर्ह अध्यापक/अध्यापिकाओं को अनुमन्य किया जायेगा ज्येष्ठता का आधार उक्त पद पर स्थायी नियुक्ति की तिथि मानी जायेगी। किसी विद्यालय में एक ही तिथि में नियुक्त तथा स्थायी किये गये अध्यापकों में से आयु में ज्येष्ठ अध्यापक ज्येष्ठतर माना जायेगा।

(4) सेलेक्शन ग्रेड में वेतन निर्धारण का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक को होगा।

**4**–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–वे०आ०–1360/दस दिनांक 30–9–78 में प्राप्त उनकी सहमति से किये जा रहे हैं।

भवदीय,
**लक्ष्मी कान्त गुप्ता**
उपसचिव

❑❑❑

## सी०टी० वेतनक्रम : सेलेक्शन ग्रेड (10 प्रतिशत)

संख्या–8486/पन्द्रह 8–3016–76

प्रेषक,
श्री लक्ष्मी कान्त गुप्त
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 3 नवम्बर, 1978

**विषय :** उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971–73) द्वारा संस्तुत वेतनमानों में बतायी गयी असंगतियों एवम् उनके निवारण के उपायों तथा सम्बन्धित मामलों पर मंत्रि–परिषद् की उप समिति के निर्णयों एवम् प्रस्तावों का लागू किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या वे०आ०–365/दस–89(एम), 74 दिनांक 18 मार्च, 1976 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने राज्य निधि से सहायता प्राप्त प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सी०टी० ग्रेड के अध्यापकगणों को दिनांक 1–10–75 को स्थायी पदों के 10 प्रतिशत पदों के लिए दिनांक 1–10–75 से निम्न तालिका में उल्लिखित सेलेक्शन ग्रेड के वेतनमान को स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि इस सेलेक्शन ग्रेड के स्वीकृति के फलस्वरूप सम्बन्धित संवर्ग के कुल पदों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी।

| क्रम संख्या | पद/सेवा का नाम | वेतनक्रम | सेलेक्शन ग्रेड का वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1–सहायक अध्यापक | रु० 250–425 | रु०–280-8-296-9-350-द०रो०–10-400-द०रो०–12–460 |

**2**– उपर्युक्त सेलेक्शन ग्रेड में सम्बन्धित अध्यापकों का प्रारम्भिक वेतन, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2, भाग 2-4 के मूल नियम 22 के नीचे अंकित संपरीक्षा अनुदेशों के पैरा 4 के साथ पठित मूल नियम

22(ए) (ii) के सादृश्य पर निर्धारित किया जायेगा तथा इसे सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्तियाँ अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

**3**—यह सेलेक्शन ग्रेड निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन देय होगा—

(क) सेलेक्शन ग्रेड केवल स्थाई अध्यापक/अध्यापिकाओं को अनुमन्य होगा।

(ख) इस संवर्ग में जो अध्यापक/अध्यापिका स्नातक हों और सी०टी० या टी०सी० (बेसिक) पास हों, उन्हें यह सेलेक्शन ग्रेड 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त दिया जा सकता है, तथा

(ग) जो अध्यापक/अध्यापिका इन्टर सी०टी० या इन्टर टी०सी० (बेसिक) पास हों उन्हें 15 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद ही यह सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होगा।

**4**—सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यकारी नियम निम्नवत होंगे—

(1) सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने हेतु केवल उन्हीं पदों की संख्या आगणन हेतु मान्य होगी, जिसे संवर्ग में सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य किया है।

(2) किसी संस्था में यह सेलेक्शन ग्रेड तभी अनुमन्य होगा जब अर्ह अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या उक्त संवर्ग में कम से कम 10 होगी इस आधार पर 10 से 15 तक अर्ह अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या पर केवल एक पद सेलेक्शन ग्रेड में अनुमन्य होगा। इसी प्रकार 16 से 25 तक दो, 26 से 35 तक तीन सेलेक्शन ग्रेड के पद अनुमन्य होंगे।

(3) सेलेक्शन ग्रेड सम्बन्धित शिक्षा संस्था के ज्येष्ठतम अर्ह अध्यापक/अध्यापिकाओं को अनुमन्य किया जायेगा। ज्येष्ठतम का आधार उक्त पद पर स्थाई नियुक्ति की तिथि माना जायेगा। किसी विद्यालय में एक ही तिथि में नियुक्त तथा स्थायी किये गये अध्यापकों में से आयु में ज्येष्ठ अध्यापक ज्येष्ठतर माना जायेगा।

(4) सेलेक्शन ग्रेड में वेतन निर्धारण का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक को होगा।

**5**—यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या वे०आ०—136०/दस, दिनांक 3०—9—78 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
**लक्ष्मी कान्त गुप्ता**
उपसचिव

❑❑❑

## चयन वेतनमान—निर्धारण : स्पष्टीकरण

उत्तर प्रदेश शासन
संख्या जी—2—2267/दस—307/78

वित्त (सामान्य) अनुभाग—2

लखनऊ : दिनांक : 24—11—1978

**कार्यालय-ज्ञाप**

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि शासन को इस आशय के प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्त होने पर कतिपय कर्मचारियों को आर्थिक हानि होती है, अर्थात् यदि उक्त कर्मचारी अपने पद के साधारण ग्रेड में ही कार्यरत होते, तो उन्हें वेतन के रूप में समय—समय पर उस वेतन से अधिक धनराशि प्राप्त होती जो वे सामान्य नियमानुसार सेलेक्शन ग्रेड में पाने के पात्र है इस पृष्ठ भूमि में शासन से माँग की गई है कि सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्त कर्मचारियों को वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 22 (B) के अन्तर्गत निर्धारित किया जाय। चूँकि सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति के फलस्वरूप साधारण ग्रेड के पद की तुलना में किसी कर्मचारी के कर्तव्यों

और उत्तरदायित्वों में कोई वृद्धि नहीं होती, अतः शासन द्वारा उक्त माँग को स्वीकार करना सम्भव नहीं है। तथापि प्रश्नगत मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय ने इस ज्ञापन के प्रसारण के दिनांक से यह आदेश प्रदान किये हैं कि सेलेक्शन ग्रेड में सामान्य नियमानुसार (अर्थात् वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 22A (ii) सपठित मूल नियम 22 के नीचे सम्परीक्षा अनुदेश के प्रस्तर 4 के अनुसार) वेतन निर्धारण के फलस्वरूप यदि किसी कर्मचारी का वेतन साधारण ग्रेड में प्राप्त वेतन की तुलना में समय-समय पर कम होता जाता है तो उसे समय-समय पर अन्तर के बराबर धनराशि मूल नियम 19 के साथ पठित मूल नियम 9 (23) (B) के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतन के रूप में उस समय तक स्वीकृत की जायेगी जब तक कि सेलेक्शन ग्रेड में प्राप्त होने वाला वेतन साधारण ग्रेड में प्राप्य उसके वेतन से अधिक न हो जाय। आपं से अनुरोध है कि कृपया तदानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**सुधीर कुमार विश्वास**
विशेष सचिव।

❑❑❑

## सेलेक्शन ग्रेड : प्रवक्ता राजकीय

प्रेषक,
शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
(नियुक्ति प्रवक्ता) अनुभाग
इलाहाबाद।

सेवा में,
जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-नियुक्ति (प्रवक्ता)/4047-4547-33-3(16)/7980 दिनांक 7-7-79

**विषय**-राजकीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवक्ता वेतनक्रम रु० 400-750 में कार्यरत अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड रु० 450-850 में वेतन निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपका ध्यान निदेशालय के पृष्ठकन संख्या नियुक्ति (प्रवक्ता) 1627-2127/23-(16)/79/80 दिनांक 18 मई 79 तथा पृ०सं० नियुक्ति(प्रवक्ता)/2128-2228/दिनांक 19 मई 79 की ओर आकर्षित किया जाता है जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमानों में बताई गई असंगतियों एवं उनके निराकरण के उपायों तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर मंत्रिपरिषद की उपसमिति के निर्णयों एवं प्रस्तावों के लागू किये जाने सम्बन्धी राजाज्ञा संख्या 7741/15(1)77/50/76 दिनांक 26/27 अप्रैल 1978 के अन्तर्गत सृजित पदों के प्रति प्रवक्ताओं को सेलेक्शन ग्रेड रु० 450 में नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। सेलेक्शन ग्रेड में वेतन निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना होगा।

(1) सेलेक्शन ग्रेड में अध्यापकों का 1-10-1975 को प्रारम्भिक वेतन वित्तीय नियम संग्रह खंड 2 भाग 2 से 4 तक के मूल नियम 22 के नीचे अंकित सम्परीक्षा अनुदेश के पैरा 4 के साथ पठित मूल नियम 22 A (ii) के अन्तर्गत निर्धारित करते समय पुराने वेतनमान में जो वेतन 1.10.1975 को उनको मिल रहा था। उसी के बराबर स्तर पर सेलेक्शन ग्रेड में उसका वेतन निर्धारित किया जाएगा। यदि सेलेक्शन ग्रेड उसके समान स्तर पर नहीं है तो उसके ठीक नीचे के स्तर पर वेतन निर्धारित करके दोनों के अन्तर के बराबर व्यक्तिगत वेतन दिया जाएगा। जो अगली वेतन वृद्धि में संविलीन कर दिया जाएगा। इस प्रकार पुराने वतनमान में 1-10-1975 को जो वेतन पा रहे थे उससे अधिक वेतन किसी

भी दशा में उन्हें 1–10–75 को प्रारम्भिक वेतन निर्धारित करते समय सेलेक्शन ग्रेड में नहीं दिया जाएगा।

(2) दिनाँक 1–10–75 को सेलेक्शन ग्रेड में उसका प्रारम्भिक वेतन निर्धारित हो जाने के पश्चात् सेलेक्शन ग्रेड में अगली वेतन वृद्धि के लिए पुराने वेतनमान में उसी स्तर या उससे अधिक स्तर पर की गई सेवा सम्मिलित कर ली जाएगी अर्थात् वेतन वृद्धि की तिथि पूर्ववत् रह जायेगी बशर्ते की वेतनवृद्धि हेतु मान्य एक तर्ष की सेवा में कोई व्यवधान न हुआ हो।

(3) राजाज्ञा संख्या वे०आ०–311/दस–52(एम०) 76 दिनांक 10–1–77 के अनुसार यदि कोई अध्यापक 1–10–75 को एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से लगातार पुराने प्रवक्ता वेतनमान में अधिकतम रुपये 750 पा रहा था तथा उसका प्रारम्भिक सेलेक्शन ग्रेड रुपये 450–850 के वेतनमान में 760 रुपये पर निर्धारित किया जाएगा और 1.10.1975 से एक वर्ष की ड्यूटी काल की सेवा पूरी करने पर उसकी अगली वेतन वृद्धि देय होगी।

कृपया उपर्युक्त बातों को दृष्टिगत रखते हुए सहायक अध्यापक (प्रवक्ता) का वेतन निर्धारित करने का कष्ट करें।

भवदीय

**रविन्द्र नाथ सक्सेना**

सहायक उपशिक्षा निदेशक (सेवायें)

❑❑❑

## सेलेक्शन–ग्रेड : असंगतियों को निराकरण

संख्या–5482/पन्द्रह–8–30/6/76

प्रेषक,

डा० गुरुमौज प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 29 अक्टूबर, 1979

**विषय**–उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971–7?) द्वारा संस्तुत वेतनमानों में बताई गई असंगतियों एवं उनके निराकरण के उपायों तथा सम्बन्धित मामलों पर मंत्रि परिषद की उपसमिति के निर्णयों एवं प्रस्तावों को लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या–8485/15–8–3016/76, दिनांक 3 नवम्बर, 1978 के सन्दर्भ में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उक्त शासनादेशों के प्रस्तर–3 में उल्लेखनीय सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य कराये जाने हेतु ज्येष्ठता निर्धारण सम्बन्धित कार्यकारी नियमों में कपितय विषमताओं को शासन की जानकारी में लाया गया जिस पर भलीभाँति विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय ने उपर्युक्त कार्यकारी नियमों में निम्नलिखित सीमा तक संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकार प्रदान कर दी है।

(1) कार्यकारी नियम (3) के पश्चात निम्नलिखित नियम (3–क) बढा दिया जाय–

''**(3-क)** जहाँ किसी श्रेणी में कार्य करने वाले दों या अधिक अध्यापक एक ही दिनांक को अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नत किये जाये तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उनकी सेवा की

अवधि के आधार पर अवधारित की जायेगी, जिसकी गणना उस श्रेणी में जिसमें उनकी पदोन्नति की जाय, उनके मौलिक नियुक्ति के दिनाँक से की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी सेवा की अवधि समान हो तो ज्येष्ठता आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी।

**2**–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या वे०आ० 1232(1)/दस–78, दिनांक 17–10–78 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
**(गुरुमौज प्रकाश)**
संयुक्त सचिव।

❑❑❑

## सेलेक्शन ग्रेड : जिज्ञासाओं के निराकरण सम्बन्धी

प्रेषक,
शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश
शिक्षा अर्थ(1) अनुभाग
इलाहाबाद।

सेवा में
जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्राँक : अर्थ(1)24991–26009/दो–क(23)/80–81 दिनांक 23/3/1981

**विषय :** अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड देने के सम्बन्ध में की गई जिज्ञासाओं के निवारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि कपितय जनपदों से अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड देने के सम्बन्ध में जो जिज्ञासायें की गई हैं उन पर विचारोपरान्त जिज्ञासाओं के सम्मुख निवारण अंकित किया जा रहा है इसकी सहमति शासन को प्राप्त हो चुकी है।

| जिज्ञासा | निर्देश |
|---|---|
| 1–इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अध्याय 2 के विनियम 7 के अन्तर्गत सी०टी० ग्रेड में पदोन्नति तथा विभिन्न राजाज्ञाओं के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य सी०टी० ग्रेड के अध्यापक/अध्यापिकाओं को भी चयन वेतनक्रम अनुमन्य होगा अथवा सी०टी०/टी०सी० (बेसिक) ट्रेनिंग अध्यापकों/अध्यापिकाओं को ही चयन वेतनमान देय होगा? | सी०टी० ग्रेड (250–425) में कार्यरत समस्त अध्यापकों को चयन वेतनमान अनुमन्य करने के लिये सी०टी०/बी०टी०सी० (बेसिक) पास के समकक्ष माना जायेगा। |
| 2–क्या जे०टी०सी०, बी०टी०सी० वेतन क्रम में की गई सेवा को सी०टी० के चयन वेतनमान हेतु अनुभव की गणना में जोड़ा जायेगा? | नहीं |
| 3–क्या टी०सी० (बेसिक) को जे०टी०सी०/बी०टी०सी०(प्रशिक्षण) के समकक्ष समझा जायगा। | नहीं |

| | |
|---|---|
| 4–अध्याय 2 के विनियम 3 में ज्येष्ठता निर्धारण के सिद्धान्त दिये हैं। इसके खण्ड 6 में यह प्राविधान है कि एक ही तिथि में पदोन्नत अध्यापकों को पारस्परिक ज्येष्ठता का आधार निम्न वेतन क्रम का सेवा काल होगा और वह भी समान होने की दशा में आयु को आधार माना जायेगा। इसके विपरीत सी०टी०/एल०टी०/प्रवक्ता के चयन वेतनमान की राजाज्ञाओं में निम्न वेतनक्रम की सेवाकाल वाले आधार का उल्लेख नहीं है चयन वेतनमान किस आधार पर निर्णित ज्येष्ठता पर दिया जाय? | अध्याय 2 के विनियम 3 के अन्तर्गत निर्धारित ज्येष्ठता ही सेलेक्शन ग्रेड के लिए मान्य होगा। |
| 5–राजाज्ञा संख्या 8485/पन्द्रह–8–3016/1976 दिनांक 3/11/78 एवं राजाज्ञा संख्या 8486/पन्द्रह–8– 3016/76 दिनांक 3/11/78 के अनुसार 1/10/75 के स्थायी पदों के 10 प्रतिशत के बराबर ही अध्यापकों को चयन वेतनमान दिया जायेगा या उसके बाद समय–समय पर स्थायी किये गये अध्यापकों की संख्या में वृद्धि होने पर और अध्यापकों को भी चयन वेतनमान दिया जायेगा? | 1/10/75 के बाद समय पर स्थायी किये गये अध्यापकों की संख्या में वृद्धि होने पर उनकी कुल स्थायी पदों की संख्या में 10 प्रतिशत तक वेतनमान अनुमन्य होगा। |
| 6–राज्य निधि से सहायता प्राप्त उ०मा०वि० के शिक्षकों को राजकीय उ०मा० विद्यालयों के समकक्षीय वेतनमान प्रायः 1/11/73 से अनुमन्य किया गया है और सेलेक्शन ग्रेड 1/10/75 से स्वीकृत किया गया है इसमें कतिपय अध्यापकों को अपने वर्तमान वेतन मान को वेतन वृद्धि का लाभ 1/10/75 से सेलेक्शन ग्रेड देने पर नहीं हो रहा है जिससे अध्यापकों को अगली वेतन वृद्धि की तिथि से सेलेक्शन ग्रेड चुनने का अवसर दिया जाय। | अध्यापकों को 1/10/75 या उसके बाद उसकी अगली वेतन वृद्धि की तिथि को चयन वेतनमान अनुमन्य किया जा सकता है जिससे उन्हें आर्थिक क्षति न उठानी पड़े। |

अतः आप से अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रकरणों पर दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखकर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जाय तथा अपने अधीनस्थ असहायिक उ०मा०वि० के प्रबन्धकों को भी अवगत करा दें।

**के० सी० पन्त**
सहायक उप–शिक्षा निदेशक (अर्थ–1)
कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

□□□

## द्वितीय-वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतयों पर चयन वेतनमान की स्वीकृति

### राजाज्ञा

संख्या–6695/15–(8)–1981–3०14/1981

प्रेषक,

श्री गोविन्दनारायण मिश्र,
उपसिचव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद/लखनऊ।

शिक्षा (8) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 29 दिसम्बर, 1981

**विषय** : सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों को द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1970–80) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चयन वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

शासकीय संकल्प–संख्या–वे०आ०–1590/1599/दस–42(एम)/1980 दिनांक 29 सितम्बर, 1981 व तत्पश्चात शासन द्वारा लिये गये निर्णयों के आधार पर राज्यपाल महोदय ने आपके अधीन नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ–1 में उल्लिखित संवर्गों पदों पर, जिनका साधारण वेतनमान व वर्तमान चयन वेतनमान स्तम्भ–3 में उल्लिखित है, स्तम्भ–4 में उल्लिखित चयन वेतनमान अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है।

| क्रमांक | पद अथवा सेवा का नाम | साधारण वेतनमान रुपया | चयन वेतनमान रुपया |
|---|---|---|---|
| 1– | प्रधानाचार्य (इण्टर कालेज) | 850–1720 | 1300–60–1420–द०रो०–60–1900 |
| 2– | प्रवक्ता | 650–1280 तथा वर्तमान चयन वेतनमान 450-850 | 960–40–1080–50–1230–द०रो०–5–1480 |
| 3– | सहायक अध्यापक, (प्रशिक्षित स्नातक) | 540–910 तथा वर्तमान चयन वेतनमान 350–700 | 740–20–760–30–910–द०रो०–30–1090 |
| 4– | सहायक अध्यापक | 450–720 तथा वर्तमान चयन वेतनमान 280–460 | 620–16–700–20–720–द०रो०–20–820 |

(1) ऊपर लिखित तालिका के स्तम्भ–1 में उल्लिखित श्रेणी के प्रत्येक शिक्षण कर्मचारी, स्तम्भ–3 में उल्लिखित अपने साधारण वेतनमांन में लगातार 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने के उपरान्त स्तम्भ–4 में उल्लिखित चयन वेतनमान प्राप्त करने का पात्र हो जायेगा बशर्ते कि उसकी पदोन्नति इसके पूर्व उच्च पद पर न हुई हो।

(2) चयन वेतनमान में उन्हीं नियमित शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति किया जायेगा जिनका कार्य तथा आचरण ऐसा संतोषजनक रहा हो, कि जिसके आधार पर वे प्रोन्नति किये जाने के लिए उपयुक्त हों परन्तु प्रोन्नति के लिए पद उपलब्ध न हो।

**2**–मुझे यह भी कहने का निर्देश है कि दिनांक 1 जुलाई, 1979 को अथवा दिनांक 1 जुलाई, 1979 एवं 29 सितम्बर, 1981 के मध्य जो शिक्षक कर्मचारी वर्तमान आदेशों के अधीन चयन वेतनमान में कार्य कर रहे हों, उन्हें अनुमन्य नये चयन वेतनमान में शासनादेश संख्या–वे०आ०–2191/दस–

9(एम)/1981, दिनांक 20 नवम्बर, 1981 में प्रसारित आदेशानुसार वेतन निर्धारण का लाभ दिया जाय, परन्तु यदि उनकी सेवा अवधि उस अवधि से कम है जो चयन वेतनमान की अनुमन्यता के लिए अब निर्धारित की गई है तो उन्हें नये चयन वेतनमान में अगली वेतनमान वृद्धि निर्धारित अवधि पूरी करने के लिए वर्ष के बाद स्वीकृति की जाय। दिनांक 29 सितम्बर 1981 के पश्चात किसी कर्मचारी की उन वेतनमान में नियुक्ति कार्यालय ज्ञाप संख्या–वे०आ०–1842/दस–48(एम)/1981 दिनांक 25 नवम्बर, 1981 में उल्लिखित मापदण्डों की पूर्ति के उपरान्त ही की जायेगी।

**3**–नये वेतनमानों में प्रारम्भिक वेतन निर्धारण के पश्चात जब कोई कर्मचारी चयन वेतनमान में नियुक्ति किया जायेगा तो चयन वेतनमान में उसका वेतन वित्त सामान्य अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–जी०–2–1456/दस–302/1981 दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 के अनुसार उस पद के साधारण वेतनमान में प्राप्त आहरित वेतन के ऊपर वाले उच्चतर प्रक्रम पर निश्चित किया जायेगा।

**4**–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे०आ०–975(1)/दस–1981 दिनांक 29 दिसम्बर, 1981 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

**(गोविन्द नारायण मिश्र)**

उप सचिव।

❑❑❑

## चयन वेतनमान : राजकीय विद्यालय

संख्या–3377(1)/पन्द्रह–2–82–27(11)/82

प्रेषक,

श्री विनय कृष्ण
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद/लखनऊ।

शिक्षा(2) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 1981

**विषय**–राजकीय विद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों को द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग(1979–80) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के अनुसार चयन वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

शासकीय संकल्प संख्या वे०आ०–1590/1599/दस–42 (एम)/1980, दिनांक 29 सितम्बर, 1981 के पश्चात् लिये गये निर्णय के अनुसार राज्यपाल महोदय ने आपके अधीन नीचे दी गयी तालिका के स्तम्भ–1 में उल्लिखित संवर्गों/पदों पर, जिनका साधारण वेतनमान तथा वर्तमान चयन वेतनमान स्तम्भ–3 में उल्लिखित है, स्तम्भ–4 में उल्लिखित चयन वेतनमान अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है–

| क्रमांक | पद अथवा सेवा का नाम | साधारण वेतनमान (रुपया) | चयन वेतनमान (रुपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1– | प्रवक्ता | (1) 650–1280 (साधारण वेतनमान (2) 450–850 (चयन वेतनमान) | 960–450–1080–50 –द०रो०–50–1480 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2– | सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक) | (1) 590–940 साधारण वेतनमान (2) 350–700 (चयन वेतनमान) | 740–20–760–30–910–द०रो०–30–1090 |
| 3– | सहायक अध्यापक (प्रशिक्षण इण्टर | (1) 450–720 (साधारण वेतनमान (2) 280–460 (चयन वेतनमान) | 620–16–700–20–720–द०रो०–20–820 |

(1) उपर्युल्लिखित तालिका के स्तम्भ–1 में उल्लिखित श्रेणी के शिक्षण कर्मचारी उसी पद पर लगातार 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण लेने के उपरान्त स्तम्भ–4 में उल्लिखित चयन वेतनमान प्राप्त करने का पात्र हो जायगा, बशर्ते कि कर्मचारी इससे पूर्व उच्चतर पद पर पदोन्नत न हुआ हो।

(2) चयन वेतनमान में उन्हीं नियमित शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त किया जायगा जिनका कार्य तथा आचरण ऐसा संतोषजनक रहा हो कि जिस आधार पर वे प्रोन्नत किये जाने के लिये उपयुक्त हों परन्तु प्रोन्नति के लिये पद उपलब्ध न हो।

**2**–मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 9 जुलाई, 1979 एवं 29 सितम्बर, 1981 के मध्य जो शिक्षण कर्मचारी वेतनमान आदेशों के अधीन चयन वेतनमान में कार्य कर रहे हों, अनुमन्य नये चयन वेतनमान में शासनादेश संख्या वे०आ०2191/दस–39(एम)/1981 दिनांक 20 नवम्बर–1981 में प्रसारित आदेशानुसार वेतन निर्धारण लाभ दिया जाय, परन्तु यदि उनकी सेवा अवधि उस अवधि से कम है जो चयन वेतनमान की अनुमन्यता के लिये अब निर्धारित की गयी है तो उन्हें नये चयन वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि निर्धारित अवधि पूरी करने के एक वर्ष के उपरान्त स्वीकृति की जायेगी। दिनांक 29 सितम्बर, 1981 के पश्चात् किसी कर्मचारी की चयन वेतनमान में नियुक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या वे०आ०–1842/दस–48 (एम) 1981 दिनांक 25 नवम्बर, 1981 में उल्लिखित मानदण्डों की पूर्ति के उपरान्त ही की जायेगी।

**3**–नये वेतनमानों में प्रारम्भिक वेतन निर्धारण के पश्चात् जब वह कर्मचारी चयन वेतनमान में नियुक्त किया जायेगा तो चयन वेतनमान में उसे वेतन वित्त सामान्य अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–जी०–2–1–56/दस–30–1981, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 के अनुसार उस पद के साधारण वेतनमान प्राप्त/आहरित वेतन के ऊपर उच्चतर प्रक्रम पर निश्चित किया जायेगा।

**4**–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या वे०आ०–979/दस–1982, दिनांक 29 दिसम्बर, 1981 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये रहे हैं।

भवदीय,
**विनय कृष्ण,**
उप सचिव

□□□

## बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड

संख्या–3702/15–(5)–930/81

प्रेषक,

श्री बसन्त बल्लभ पाण्डे
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक
उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग–(5) लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 1981

**विषय**–द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979–80) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासकीय संख्या–वे०आ०–1590/दस–42(एम)/1980, दिनांक 29 सितम्बर, 1981 के पश्चात् लिये गये निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अध्यापकों के विभिन्न श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने नीचे दी गयी तालिका के स्तम्भ–1 में उल्लिखित पदों पर, जिनका साधारण वेतनमान स्तम्भ–3 में उल्लिखित है, स्तम्भ–4 में उल्लिखित चयन वेतनमान (सेलेक्शन ग्रेड) अनुमन्य किये जाने की नीचे वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति दिनांक 1–7–79 से प्रदान कर दी है।

| क्र०सं० | पद अथवा सेवा का नाम | साधारण वेतनमान | चयन वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1– | प्रधान अध्यापक/अध्यापिका जूनियर बेसिक (प्राइमरी) स्कूल | रु० 400 से 620 | रु० 490–10–500–15–590–द०रो०–15–620 |
| 2– | सहायक अध्यापक/अध्यापिका सीनियर ब्रेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) | रु० 450 से 720 | रु० 620–16–700–20–720–द०रो०–20–820 |

(1) उपर्युल्लिखित तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित श्रेणी के प्रत्येक शिक्षण कर्मचारी उसी पद पर बशर्ते कि कर्मचारी इससे पूर्व उच्चतर पद पर पदोन्नत न हुआ हो लगातार 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने के उपरान्त स्तम्भ–4 में उल्लिखित चयन वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(2) चयन वेतनमान में उन्हीं नियमित शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त किया जायेगा जिनका कार्य तथा आचरण ऐसा संतोषजनक रहा हो जिसके आधार पर वे प्रोन्नत किये जाने के लिये उपयुक्त हों, परन्तु प्रोन्नति के लिये पद उपलब्ध न हों।

नये वेतनमानों में प्रारम्भिक वेतन निर्धारण के पश्चात् अन्य कोई कर्मचारी चयन वेतनमान में नियुक्त किया जायेगा तो चयन वेतनमान में उसका वेतन वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–जी–2/1546/दस–302/1981, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 के अनुसार उस पद के साधारण वेतनमान में प्राप्त/आहरित वेतन के ऊपर वाले उच्चतर प्रक्रम पर निश्चित किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासकीय संख्या–वे०आ०–8180( )/दस–1982 दिनांक 29 दिसम्बर, 1981 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
**(बसन्त बल्लभ पाण्डे)**
संयुक्त सचिव।

❑❑❑

## सी०टी० चयन वेतनक्रम ज्येष्ठतम निर्धारण एवं चयन वेतन देने के सम्बन्ध में

प्रेषक,
शिक्षा निदेशक उ०प्र०,
शिक्षा सामान्य (1) अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,
मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक,
मेरठ।

पत्रांक/सामान्य/प्रथम/7466/85–86 दिनांक 31–3–86

**विषय** : सी०टी० वेतनक्रम की ज्येष्ठता निर्धारण एवं चयन वेतन देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अ०शा०प०/सं०/मा०/1557/85–86 दिनांक, 20–8–85 के साथ प्राप्त अ०शा०प०/मा०/150/85–86 दिनांक 12–4–85 के सन्दर्भ में निवेदन है कि राजाज्ञा संख्या 5689/15–8–83–3062/82 दिनांक 22–12–83 स्वतः स्पष्ट है कि जिसका स्पष्टीकरण निम्नवत् है–

जे०टी०सी०/बी०टी० सी० वेतनमान की केवल उतनी सेवा अवधि प्रशिक्षित इन्टर वेतनक्रम (620–820) देने हेतु आवश्यक 16 वर्ष की सेवा के आगणन में जोड़ी जा सकती है जो अध्यापक द्वारा कम से कम इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त कक्षा 6,7,8 पढ़ाने हेतु की गई हो।

राजाज्ञा में दिये गये उक्त स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि किसी कर्मचारी को चयन वेतनमान दिये जाने के फलस्वरूप पूर्व से विनियम के अनुसार निर्धारित ज्येष्ठता प्रभावित नहीं होनी चाहिए क्योंकि निम्न श्रेणी की सेवायें उच्च श्रेणी की सेवाओं के समान नहीं होंगी और ज्येष्ठता विनियमों के अनुसार श्रेणीवार निर्धारित करने का प्राविधान है।

अतः सी०टी० ग्रेड की ज्येष्ठता निर्धारण करते समय जि०वि० नि०,मु० नगर द्वारा दिया गया अभिमत गलत है।

भवदीय
**(एम० ए० मानी)**
उप शिक्षा निदेशक (मा०)
कृते शिक्षा निदेशक,उ०प्र०।

❑❑❑

## चयन वेतनमान की अर्हता हेतु परिवीक्षा अवधि को अगणित किया जाना

संख्या–1460/15–11–88–(8)(275)/87

प्रेषक,
डा० बी० एम० एल० तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद।

शिक्षा(11) अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 19 मई, 1988

**विषय** : चयन वेतनमान की अर्हता हेतु परिवीक्षा अवधि को आगणित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के अर्द्ध शासकीय पत्रांक : डिग्री अर्थ/1952 दिनांक 29 अक्टूबर, 1987 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या 33/15–84(11)–14(7)/80 दिनांक 16 अक्टूबर, 1984 के स्पष्टीकरण में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर, 1984 द्वारा स्वीकृत चयन वेतनमान की अनुमन्यता हेतु परिवीक्षा अवधि को स्थायी सेवा के रूप में आगणित किया जाय बशर्ते कि सम्बन्धित शिक्षक परिवीक्षा अवधि के उपरान्त अपने पद पर स्थायी कर दिया गया हो।

**2.** उक्त स्थिति में कृपया सभी सम्बन्धित को अपने स्तर से अवगत करा दें तथा अपने स्तर पर लम्बित ऐसे प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण सुनिश्चित करें।

भवदीय,
**(बी० एम० एल० तिवारी)**
संयुक्त सचिव

❑❑❑

## चयन वेतनमान के सम्बन्ध में : स्पष्टीकरण

प्रेषक,
शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
शिक्षा अर्थ (1) अनुभाग, इलाहाबाद।

सेवा में,
जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्राँक अर्थ (1)/22038–208/दो–म(1)/87–88 दिनांक 8–2–88

**विषय** : सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों को अनुमन्य चयन वेतनमान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

निवेदन है कि कतिपय जनपदों से अध्यापकों को चयन वेतनमान देने के सम्बन्ध में जो जिज्ञासायें की जा रही हैं उन पर विचारोपरान्त उनकी सुविधा हेतु यह पत्र निर्गत किया जा रहा है। किसी भी कर्मचारी को चयन वेतनमान अनुमन्य करते समय निम्नांकित बातों का अवश्य ध्यान दिया जाय–

1. जे०टी०सी०/बी०टी०सी०/एच०टी०सी० वेतनमान की केवल उतनी सेवावधि प्रशिक्षित इण्टर वेतनमान में चयन वेतनमान रुपया 620–820 देते हुए आवश्यक 16 वर्ष की सेवा के आगणन में जोड़ी जा सकती है जो अध्यापक द्वारा कम से कम इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त कक्षा 6, 7, 8 को पढ़ाने हेतु की गई है। इस सम्बन्ध में राजाज्ञा संख्या 5689/15–8–83–3062/82 दिनांक 22–12–83 का अवलोकन करें।

**2.** चयन वेतनमान की अनुमन्यता के लिए "नियमित सेवा" से तात्पर्य ऐसी सेवा से है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा नियमों/शर्तों के अनुसार किये गये चयन के फलस्वरूप नियुक्त किसी कर्मचारी द्वारा की गयी हो। अल्प अवधि के लिए, अवकाश अवधि के लिए अथवा तदर्थ रूप से नियुक्ति पर किसी कर्मचारी द्वारा की सेवा को "नियमित सेवा" नहीं माना जायेगा। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या वे०आ०–343/दस–48(एम)–1981 दिनांक 14–2–83 का अवलोकन करें।

**3.** चयन वेतनमान की अनुमन्यता के लिए कर्मचारियों का चयन संवर्ग में ज्येष्ठता सूची के क्रम में किया जाये अर्थात कनिष्ठ कर्मचारी को चाहे उनकी सेवा अवधि अधिक भी हो तब सेलेंक्शन ग्रेड स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक उससे ज्येष्ठ कर्मचारी सेलेक्शन ग्रेड के लिए निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण नहीं नहीं कर लेता। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–वे०आ०–343/दस–48 (एम)–1981 दिनांक 14–2–83 का अवलोकन करें।

भवदीय
**(एस० आर० कपूर)**
सहायक उप शिक्षा निदेशक(अर्थ–1)
कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

❑❑❑

## प्रवक्ताओं को चयन वेतन में वेतन निर्धारण की विसंगति दूर करना

संख्या : 4311/15–8–87–2004(47)/85

प्रेषक,
श्री शरदिन्दु,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
शिक्षा निदेशक,
शिक्षा (अर्थ–1) अनुभाग
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 28 नवम्बर, 1987

**विषय** : सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ताओं को अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड में वेतन निर्धारण की विसंगति को दूर करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्राँक अर्थ (1)/12871/दो–अर्थ()/86–87, दिनांक 31–10–86 तथा पत्राँक अर्थ (1)/14035/दो–अर्थ()/86–87, दिनांक 6–12–86 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ताओं, जिन्हें दिनांक 1–7–1979 से सेलेक्शन ग्रेड में प्रतिशत का प्रतिबन्ध हटाते हुए सेवा के आधार पर दिया गया है, के अनेक मामले ऐसे आये हैं जिनमें सम्बन्धित प्रवक्ता का साधारण ग्रेड में वेतन स्तर समान ही रहा है। ऐसे मामलों में सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि उक्त सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्त होने पर यदि किसी प्रवक्ता का वेतन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या जी–2/1456/ दस–302–81, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 अथवा चयन वेतनमान के अन्तर्गत जारी शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित किये जाने के उपरान्त उनका वेतन बराबर या कम हो जाय, जो उस प्रवक्ता पद के साधारण वेतनमान में वेतन वृद्धि की तिथि को अनुमन्य हो, तो सम्बन्धित प्रवक्ता का सेलेक्शन ग्रेड में वेतन उसके साधारण ग्रेड के वेतन के अगले उ़च्चतम प्रकरण पर पुनः निर्धारण कर दिया जाय।

**2.** यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या वे०आ०(2)/774/दस–1987, दिनांक 1–1–87 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
**(शरदिन्दु)**
उपसचिव।

❑❑❑

## सम्बद्ध प्राइमरी के अध्यापकों को चयन वेतनमान दिया जाना

संख्या–5600/15–8–87–3054/86

प्रेषक,
शरदिन्दु,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद/लखनऊ।

शिक्षा (8) अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 25 जनवरी, 1988

**विषय**–प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को चयन वेतनमान दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी सेक्शनो में कार्यरत अध्यापकों जिनके वेतनमान का पुनरीक्षण शासनादेश संख्या–6695/15–(8)–1981–3014–1981, दिनांक 29–12–81 तथा शासनादेश संख्या 9695/15–8–2014–1981, दिनांक 10–8–82 के अनुसार हुआ है, के लिए नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित पद पर जिनका साधारण वेतनमान स्तम्भ–3 में उल्लिखित है, स्तम्भ–4 में उल्लिखित चयन वेतनमान 16 वर्ष की नियमित सेवा के उपरान्त दिनांक 1–8–87 से अनुमन्य किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

| क्र०सं० | पद अथवा सेवा का नाम | साधारण वेतनमान | चयन वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1– | सहायक अध्यापक हाई स्कूल प्रशिक्षित | रु० 365–555, | रु० 465–10–495–द०रो०12–555–द०रो०–15–600. |
| 2– | सहायक अध्यापक जूनियर हाई प्रशिक्षित | रु० 350–500, | रु० 404–8–460–द०रो०–10–540. |

(1) उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित सहायक अध्यापक अपने पद के साधारण वेतनमान में लगातार 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त जिसका आगणन प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने की तिथि (1 जुलाई) को किया जायेगा, स्तम्भ–4 में उल्लिखित चयन वेतनमान प्राप्त करने हेतु पात्र हो जायेंगे, बशर्ते कि इनकी पदोन्नति इससे पूर्व उच्च पद पर न हुई हो। किन्तु प्रश्नगत पद पर कार्यरत ऐसे धारक जिन्होंने पद के साधारण वेतनमान में 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा दिनांक 1–8–87 को पूर्ण कर ली है, उन्हें चयन वेतनमान दिनांक 1–8–87 से ही देय होगा।

(2) चयन वेतनमान में उन्हीं नियमित शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त किया जायेगा जिनका कार्य तथा आचरण ऐसा संतोषजनक रहा हो जिसके आधार पर वे प्रोन्नत किये जाने के लिए उपयुक्त हों, परन्तु प्रोन्नत के लिए पद उपलब्ध न हों।

(3) नियमित सेवा से तात्पर्य ऐसी सेवा से है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा नियमों/शर्तों के अनुसार किए गए चयन के फलस्वरूप नियुक्त किसी सहायक अध्यापक द्वारा की गई हो। अल्प अवधि के लिए, अवकाश अवधि के लिए अथवा तदर्थ रूप से नियुक्ति पर किसी सहायक अध्यापक द्वारा की गई सेवा को नियमित सेवा नहीं माना जायेगा और नियमित सेवा की अवधि का आगणन उस तिथि/वर्ष से किया जायेगा जिसके आधार पर सहायक अध्यापक की अपने संवर्ग में ज्येष्ठता निर्धारित की गई हो।

**2.** नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण के पश्चात जब कोई कर्मचारी चयन वेतनमान में नियुक्त किया जायेगा तो चयन वेतनमान में उसका वेतन वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या जी–2/1546/दस–3०2/1981, दिनांक 3० अक्टूबर, 1981 के अनुसार उस पद के साधारण वेतनमान में प्राप्त/आहरित वेतन के ऊपर वाले उच्चतर प्रकरण पर निश्चित किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे०आ०(2)734/दस–1987, दिनांक 2० अक्टूबर, 1987 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय
**(शरदिन्दु)**
उप सचिव

❑❑❑

## सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न पदों हेतु चयन वेतनमान समाप्ति राजाज्ञा

संख्याः यू०ओ०–137/15–8–88/3003/20/88,

प्रेषक,
श्री शरहिन्दु,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
शिक्षा निदेशक,
शिक्षा (अर्थ–1) अनुभाग
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 26 सितम्बर, 1988

**विषय**–द्वितीय वेतन आयोग (1979–80) की संस्तुतियों के अनुसार सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हाईस्कूल तथा इण्टर कालिजों) में विभिन्न पदों हेतु नये वेतनमान में वेतन निर्धारण सम्बन्धी जिज्ञासायें।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ बेंच द्वारा रिट पिटीशन संख्याः 4943 आफ 1984–जगदीश चन्द्र अवस्थी बनाम–राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 22–5–87 को पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय ने उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा संख्या : 5689/15–8–83–3062/82 दिनांक 22–12–83 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है।

2. इसके फलस्वरूप सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सी०टी० ग्रेड के ऐसे अध्यापक जो जे०टी०सी०/बी०टी० वेतनमान से प्रोन्नत हुए हैं, को सी०टी० ग्रेड का चयन वेतनमान रु० 620–820 अनुमन्य कराये जाने हेतु 16 वर्ष की निर्धारित सेवा अवधि के आगणन हेतु जे०टी०सी०/बी०टी०सी० वेतनमान की सेवाओं को अब नहीं जोड़ा जायेगा बल्कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के समान सी०टी० ग्रेड के पद पर की गई सेवाओं को ही जोड़ा जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : वे०आ०(2)/549/दस–1988, दिनांक 20–7–1988 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
**(शरदिन्दु)**
उप सचिद।

❑❑❑

## सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से सम्बन्धित वेतन पुनरीक्षण समिति के प्रासंगिक अंश

### सी०टी० (डांइग कैडर) के ऐसे अध्यापक जो प्रशिक्षित स्नातक नहीं है, सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति

"**3.7** उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध सेवा संघों ने यह कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में सामान्य विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों के अध्यापक, जैसे गृह विज्ञान संगीत, शिल्प, व्यायाम तथा स्टेनो–टाइपिंग/टंकण आदि के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को उनकी योग्यता तथा शिक्षण स्तर के आधार पर सामान्य संवर्ग के अध्यापकों के समान वेतनमान दिये जायें। इन व्यावसायिक विषयों के अध्यापक जो इस समय सी०टी० ग्रेड में कार्यरत हैं उसे समाप्त किया जाय और उनका संवर्ग भी एल०टी० संवर्ग में संविलीन किया जाय। उदाहरणस्वरूप संघों ने बताया कि व्यायाम शिक्षक जो इण्टरमीडिएट कक्षाओं को पढ़ाते हों, उन्हें एल०टी० ग्रेड दिया जा रहा है तथा जो हाईस्कूल कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं, उन्हें सी०टी० ग्रेड दिया जा रहा है। इसी प्रकार भाषा अध्यापकों की भी स्थिति है जो कि यद्यपि शास्त्री या आचार्य की अर्हता रखते हैं और उच्च कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं, उन्हें सी०टी० ग्रेड दिया जा रहा है। यह भी बताया गया कि ऐसे अध्यापकों की संख्या बहुत कम है। यह भी मांग की गई कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में राजकीय विद्यालयों के संस्कृत सहायक प्रधानाध्यापक तथा उप–प्रधानाचार्य के पद होने चाहिए। उनकी राय के अनुसार ऐसे विद्यालय जहाँ पर छात्रों की संख्या 1000 से अधिक हो, उप–प्रधानाचार्य का पद सृजित किया जा सकता है। साथ ही यह भी उनकी माँग थी कि ऐसे विद्यालय जहाँ दो पाली चलती हैं, वहाँ भी उप–प्रधानाचार्य का पद रखा जाये। ऐसे अध्यापक जो इस समय सी०टी० ग्रेड में कार्यरत है, उन्हें एल०टी० ग्रेड में संविलीन करने हेतु संघों के सुझाव अलग–अलग थे, जिसके अनुसार किसी के द्वारा यह माँग की गई कि प्रशिक्षित स्नातक को 10 र्ष की सेवा पर एल०टी० ग्रेड देने का प्रतिबन्ध समाप्त किया जाय और इस ग्रेड के सभी शिक्षकों को जो 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों, उन्हें एल०टी० ग्रेड दे दिया जाय। कुछ का यह कहना था कि ऐसे सी०टी० ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक जो 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों उन्हें एल०टी० ग्रेड दे दिया जाय क्योंकि प्रोन्नति के लिये वर्तमान में यही शर्त रखी गयी है। कुछ का यह कहना था कि ऐसे सी०टी० ग्रेड के अध्यापक जो प्रशिक्षित स्नातक हैं उन्हें बिना किसी सेवा प्रतिबन्ध के एल०टी० ग्रेड दे दिया जाय। संघ का यह भी कहना था कि सामान्यतया क्राफ्ट तथा व्यायाम के शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक नहीं होते हैं, परन्तु उनकी अर्हता बोर्ड द्वारा निर्धारित है तथा वे कक्षा 9–10 को पढ़ाते भी हैं। अतः प्रशिक्षित स्नातक न होने के बावजूद भी उन्हें एल०टी० ग्रेड दे दिया जाय। संघ द्वारा समिति का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया कि सहायता प्राप्त हाईस्कूल से सम्बद्ध प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों जिनकी शत–प्रतिशत जिम्मेदारी शासन की है, उनके लिए अभी तक प्रोन्नति का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। उनका कहना था कि ऐसे प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को भी प्रोन्नति प्रदान की जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि माध्यमिक स्तर की संस्थाओं में वर्तमान 40 प्रतिशत प्रोन्नति के प्राविधान को बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

**3.8.** संघों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर विभागाध्यक्षों से भी विचार विमर्श किया गया। इस सम्बन्ध में समिति के विचार निम्नवत् हैं:–

(1) समिति माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक का एक संवर्ग रखे जाने की संस्तुति करती है। इसे कार्यान्वित करने के लिए यह संस्तुति भी की जाती है कि इस समय कक्षा 6 से 8 के लिए

विद्यमान सी०टी० ग्रेड के संवर्ग को "डाइंग कैडर" घोषित कर दिया जाय और सी०टी० ग्रेड के ऐसे अध्यापक जो प्रशिक्षित स्नातक हों तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों, उन्हें एल०टी० ग्रेड में संविलीन कर दिया जाय और यही प्रथा भविष्य के लिए भी अपनायी जाती रहे। सी०टी० ग्रेड (डाइंग कैडर) के ऐसे अध्यापक जो प्रशिक्षित स्नातक नहीं हैं उनके लिए समिति निम्नलिखित वेतनमान संस्तुत कर रही है–

| साधारण वेतनमान (रु०) | सेलेक्शन ग्रेड (रु०) |
|---|---|
| 1350–30–1770 द०रो०–35–1840 | 1450–30–1750–द०रो०–40–1990 |

(2) समिति को यह पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं हो पायी कि इस समय विभिन्न व्यावसायिक विषयों तथा व्यायाम शिक्षकों के अलग–अलग कितने पद हैं और उनकी निर्धारित अर्हतायें क्या हैं। साथ ही ऐसे कितने अध्यापक हैं जो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ाते हैं, किन्तु उन्हें एल०टी० ग्रेड दिया जा रहा है और कितने अध्यापक ऐसे हैं जो कक्षा 9–10 को पढ़ाते हैं किन्तु उन्हें सी०टी० ग्रेड देय है। विचार–विमर्श के समय यह बात भी सामने आई कि ऐसी श्रेणी के अध्यापक कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाने के लिये रखे जाते हैं किन्तु उनकी शैक्षिक अर्हता, सामान्य वर्ग के शिक्षक जो कक्षा 11–12 पढ़ाने के लिये प्रवक्ता के पद पर नियुक्त होते हैं, से कम है। इसी प्रकार की स्थिति कक्षा 9 से 10 पढ़ाने वाले इन अध्यापकों की भी है। अतः मुख्य रूप से इसमें दो श्रेणी के शिक्षकों की समस्या है–प्रथम ऐसे जो कक्षा 9–10 को पढ़ाते हैं किन्तु उन्हें सी०टी० ग्रेड मिलता है। और दूसरे ऐसे जो कक्षा 11–12 को भी पढ़ाते हैं,, किन्तु उन्हें एल०टी० ग्रेड मिलता है। यह बात भी जानकारी में आयी है कि ऐसे अध्यापक जो कक्षा 9–12 तक पढ़ाने के लिये रखे जाते हैं उसका मूल कारण यह है कि इसका पाठ्यक्रम इतना अधिक नहीं है कि कक्षा 9 से 10 तथा कक्षा 11 से 12 तक पढ़ाने के लिये अलग–अलग शिक्षक रखे जायें। यह भी वास्तविक समस्या है। जैसा ऊपर अंकित है, इन अध्यापकों की निर्धारित अर्हता भी सामान्य श्रेणी के अध्यापकों से कम है। अतः कम अर्हता वाले अध्यापकों को उच्च वेतनमान देना भी एक विसंगति का प्रश्न है। लेकिन अध्यापकों की यह मांग भी औचित्यपूर्ण लगती है कि उच्च कक्षा के अध्यापन हेतु उसके अनुरूप वेतनमान मिलना चाहिये। चूंकि पूर्ण स्थिति समिति को स्पष्ट नहीं की गयी है, अतः शासन इसका परीक्षण कर निर्णय लें। समिति के विचार से यदि कोई कठिनाई न हो तो शासन द्वारा इस विकल्प पर विचार किया जा सकता है कि इन विषयों के ऐसे अध्यापक जो इस समय पर शासन द्वारा निर्धारित अर्हता के अधीन कक्षा 9 तथा 10 पढ़ाने के लिये नियुक्त किये जा चुके हैं, उन्हें सी०टी० ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात कक्षा 9–10 पढ़ाते हुये जब 10 वर्ष पूरे हो जायें तो एल०टी० ग्रेड का वेतनमान दे दिया जाय। भविष्य के लिये सम्बन्धित व्यवसाय की अर्हता के साथ स्नातक होने की अर्हता इनके लिये भी निर्धारित कर दी जाय। अन्ततः इन विशिष्ट विषयों के अध्यापकों का भी सी०टी० ग्रेड समाप्त हो जायेगा। जहाँ तक ऐसे अध्यापकों का प्रश्न है जो कक्षा 9 से 12 तक पढ़ा रहे हैं, किन्तु पाठ्यक्रम कम होने के कारण विद्यालयों में एक ही अध्यापक कार्यरत है, समिति के विचार से विद्यालयों में कक्षा 9–10 तथा कक्षा 11–12 के लिये अलग–अलग अध्यापक रखने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु इन अध्यापकों के सम्बन्ध में शासन द्वारा इस बात पर विचार किया जा सकता है कि ऐसे अध्यापक जो एल०टी० ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात 10 वर्ष की सेवा कक्षा 11–12 को पढ़ाने में पूरी कर चुके हों, उन्हें प्रवक्ता का वेतनमान दे दिया जाय। भविष्य में इन अध्यापकों के लिये सम्बन्धित व्यवसाय की अर्हता के साथ स्नातकोत्तर की अर्ह रखी जाय।

(3) समिति इस बात से सहमत नहीं है कि सी०टी० ग्रेड के सभी प्रशिक्षित स्नातकों को अथवा 5 वर्ष की सेवा वालों को एल०टी० ग्रेड दे दिया जाय। इस सम्बन्ध में निर्णय शासन और शिक्षकों के बीच हुये समझौते के आधार पर लिया जा चुका है कि ऐसे प्रशिक्षित स्नातकों को ही एल०टी० ग्रेड दिया जायेगा जो सी०टी० ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों। अतः इसमें कोई संशोधन समिति संस्तुत नहीं कर रही है। भविष्य के लिये भी यही व्यवस्था रखी जाये कि जब प्रशिक्षित स्नातकों की 10 वर्ष की सेवा पूरी हो, उन्हें एल०टी० ग्रेड का वेतनमान दे दिया जाय। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि वर्तमान में सेवा शर्तो के अन्तर्गत विनियमों के आलोक में 5 वर्षो की सेवा के आधार पर प्रशिक्षित स्नातकों की प्रोन्नति सी०टी० ग्रेड से एल०टी० ग्रेड में नहीं की जायेगी।

(4) सहायता प्राप्त हाई स्कूल से सम्बद्ध प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को प्रोन्नति उपलब्ध कराने का मामला समिति के विचार से उचित प्रतीत होता है। किन्तु इसे नियमों के प्राविधान के आधार पर देखना होगा। समिति की संस्तुति है कि शासन इस पर विचार करें।

(5) जहाँ तक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों (सी०टी० ग्रेड को छोड़कर) के प्रोन्नति हेतु वर्तमान 40 प्रतिशत के प्राविधान को बढ़ाने का प्रश्न है, समिति इस सम्बन्ध में कोई अपनी स्पष्ट संस्तुति देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इसमें शिक्षा स्तर तथा प्रशासनिक कठिनाई आदि सभी को ध्यान में रखना होगा। किन्तु यदि इसमें कोई कठिनाई न हो तो समिति की यह संस्तुति है कि शासन इस बात पर विचार कर सकती है कि 40 प्रतिशत के वर्तमान कोर्ट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाय क्योंकि सामान्यतया प्रोन्नति का कोटा 50 प्रतिशत तक रखा जा सकता है।

❑❑❑

## वेतन समिति (1989) की संस्तुतियों के अनुसार सेलेक्शन ग्रेड एवं प्रोन्नति वेतनमान

संख्या–4749/15–8–89/3087/89

प्रेषक,

श्री बी० एस० त्रिवेदी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 4 अक्टूबर, 1989

**विषय** : वेतन पुनरीक्षण समिति, उत्तर प्रदेश, 1989 की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, इण्टर कालिजों में शैक्षिक पदों पर पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासकीय संकल्प संख्या–वे०आ०–2–1235/दस–1989–7जी/89, दिनांक 19 मई, 1989 तथा तत्पश्चात शासन द्वारा लिएं गए निर्णयों के आधार पर राज्यपाल महोदय ने अशासकीय सहायता प्राप्त उन्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा इण्टर कालेजों में दिनांक 1 जनवरी, 1986 से या पदों के सृजन की तिथि से, जो भी बाद में हो, इस शासनादेश के संलग्नक के स्तम्भ–2 में उल्लिखित विभिन्न पदों के लिए स्तम्भ–3 में उल्लिखित वेतनमानों के स्थान पर स्तम्भ–8 से 10 में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति स्तम्भ–11 में अंकित शर्त के अधीन प्रदान कर दी है।

**2**–मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि प्रत्येक पूर्णाकालिक शिक्षा का पुनरीक्षित वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन शासनादेश संख्या–व०आ०–1–1763/दस–39(एम)/89, दिनांक 3 जून, 1989 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर निर्धारित किया

जाएगा। इस सन्दर्भ में मुझे यह भी स्पष्ट करना है कि–

(1) ऐसे शिक्षक (सी०टी० ग्रेड के ड्राइड कैडर को छोड़कर) जिन्हें सेलेक्शन ग्रेड मिल रहा है उनका वेतन पुनरीक्षित सेलेक्शन ग्रेड में उक्त शासनादेश दिनांक 3–6–89 में मानी गई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा।

(2) ऐसे शिक्षक जो सेवा अवधि के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित होने के बाद सेलेक्शन ग्रेड में आते है उनका वेतन निर्धारण उनके द्वारा आहरित वेतन के अगले स्तर पर किया जाएगा।

(3) प्रोन्नत वेतनमान किसी भी शिक्षक को उनके सेलेक्शन ग्रेड के अधिकतम पर वेतन आहरित करने के पश्चात देय होगा। प्रोन्नत वेतनमान में वेतन निर्धारण भी आहरित वेतन के अगले स्तर पर किया जायेगा।

(4) यदि किसी शिक्षक की पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के दिनांक को पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त परिलब्धियाँ (वेतन + मंहगाई भत्ता) पुराने वेतनमान की परिलब्धियों की तुलना में (वेतन + मंहगाई भत्ता + वेतन निर्धारण की तिथि को देय अन्तरिम सहायता) यदि रु० 100/– से कम होती है तो जितनी धनराशि उससे कम होगी वह सम्बन्धित शिक्षक को वैयक्तिक वेतन के रूप में दी जाएगी, जिसकी संविलियन अगली वेतन वृद्धियों में नहीं किया जाएगा।

**3**–मुझे यह भी सूचित करने का निर्देश हुआ है कि जिन पदों का उल्लेख इस शासनादेश के संलग्नक में नहीं है, उनके बारे में पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के आदेश अलग से प्रसारित किए जाएंगें।

**4**–ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–वे०आ०(2)–518/दस–89, दिनांक 28–9–89 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

**वी० एस० त्रिवेदी**

विशेष सचिव।

**शा०सं०-4749/15-8-89/3087/89,** **दिनांक 4 अक्टूबर, 1989 संलग्नक**

| क्र० सं० | पद अथवा सेवा का नाम | वर्तमान वर्तमान/ चयन वेतनमान | पदों की संख्या 1-1-86 को | | 31-3-89 को | | पुनरीक्षित वेतनमान (रु०) | चयन वेतनमान (रु०) | प्रोन्नति वेतनमान (रु०) | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्थाई | अस्थाई | स्थाई | अस्थाई | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1– | प्राधाना–चार्य, इण्टर–कालेज | रु० 850–1720 रु० 1300 –1900 | 2770 | – | 2770 | – | रु० 2200 75–2800-द०रो०–100–4000 | रु०– | रु० – | पुनरीक्षित वेतनमान पर के अधिकतम वेतन आहरित करने के पश्चात् अधिकतम तीन वृद्धि रोध वेतन वृद्धियाँ अनुमन्य होगी। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2– | प्रधाना–ध्यापक हाईस्कूल | रु० 770–1600 रु० 850–1720 | 1563 | – | 1563 | – | रु० 2000 60-2300 द०रो०–75–3200–100-3500 | – | – | पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम पर वेतन आहरित करने के पश्चात अधिकतम तीन वार्षिक वृद्धि रोध वेतन वृद्धि देय होगी। |
| 3– | प्रवक्ता | रु० 650–1280 रु० 960–1480 | 20067 | – | 20227 | – | रु० 1600–50–2300–द०रो०–60–2660 | रु० 2000 60–2300 द०रो०–75-3200 | रु० 3300 -100 3700 | स्तम्भ–9 में अंकित रु० 2000–3200 का चयन वेतनमान ऐसे नियमित पद धारकों को अनुमन्य होगा, जिनकी 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो गई हो। स्तम्भ 10 में अंकित रु० 3300–3700 का प्रोन्नत वेतन मान सम्बन्धित पदधारकों द्वारा चयन वेतनमान के अधिकतम पर वेतन आहरित करने के पश्चात देय होगा। |
| 4– | सहायक–अध्यापक (एल०टी० प्रशिक्षित स्नातक | रु० 540–910 रु० 740–1090 | 31735 | – | 31800 | 400–40–1800-द०रो० –50–2300 | 1640–60–2540–द०रो०–75–2765 | 2840 75–3065–100-3165 | | स्तम्भ–9 में अंकित 1640–2765 का चयन वेतनमान ऐसे नियमित पद धारकों को |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | अनुमन्य होगा जिनकी 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो गई हो। स्तम्भ–10 में अंकित रु० 2840–3165 का प्रोन्नत वेतनमान सम्बन्धित पद धारकों द्वारा चयन वेतनमान के अधिकतम पर वेतन आहरित करने के पश्चात देय होगा। |
| 5– | संहायक-अध्यापक (सी०टी० वेतनक्रम) | रु० 450–720 620–820 | 40331 | – | 40583 | रु० – – | रु० 1200 30– 1560- द०रो०– 40– 2040 (प्रारम्भिक वेतन रु० 1350/-) | – – | – – | सम्बन्धित पद धारकों का जो वर्तमान साधारण वेतनमान अथवा चयन वेतनमान में कार्यरत हैं, वेतन निर्धारण पुनरीक्षित वेतन मान में ही होगा। |

प्रमाणित किया जाता है कि संलग्नक में उल्लिखित पद की संख्या, पद का स्वरूप और उनके वर्तमान वेतनमान में वर्तमान आंदेशों से सत्यापित कर लिये गये हैं और सही हैं।

भवदीय

**वी० एस० त्रिवेदी,** (विशेष सचिव)

❑❑❑

## प्रधानाचार्य (इण्टर) को वार्षिक वेतनवृद्धि

संख्या–6386/15–8–89/3०87/89

प्रेषक,

श्री बी० एस० त्रिवेदी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 13 फरवरी, 1990

**विषय** : वेतन पुनरीक्षण समिति, उत्तर प्रदेश, 1989 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा इण्टर कालेजों में शैक्षिक पदों पर पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने यह आदेश प्रदान किये हैं कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4749/15–8–89/3087/89, दिनांक 4 अक्टूबर, 1989 के संलग्नक के क्रम संख्या–1 के सम्मुख अंकित प्रधानाचार्य इण्टर कालेज के सम्मुख स्तम्भ–11 में अंकित वर्तमान टिप्पणी के स्थान पर संशोधित टिप्पणी निम्नवत् पढ़ी जाये–

| वर्तमान टिप्पणी | संशोधन टिप्पणी |
|---|---|
| पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम पर वेतन आहरित करने के पश्चात अधिकतम तीन वृद्धि रोध वेतन वृद्धियाँ अनुमन्य होंगी। | पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम पर वेतन आहरित करने के पश्चात अधिकतम तीन वार्षिक वृद्धिरोध वेतन वृद्धियाँ देय होंगी। |

**2**-उपर्युक्त शासनादेश संख्या–4749/15–5–89/3087/89, दिनांक 4 अक्टूबर, 1989 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

**3**–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे०आ०(2)/6/दस–1990, दिनांक 9 फरवरी, 199० में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
**(वी० एस० त्रिवेदी)**
विशेष सचिव।

❑❑❑

## अध्यापकों को चयन-वेतनमानों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

संख्या : 1030/15–8–85–3062/1982

प्रेषक,
श्री गोविन्द बल्लभ पन्त
(उप सचिव)
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 7 नवम्बर, 1985

**विषय** : सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को चयन वेतनमानों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के चयन वेतनमान में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में राजाज्ञा सं०–3631/15–8–3062/82 दिनांक 4 जुलाई, 1984 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि अध्यापकों द्वारा साधारण वेतनमान में 16 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के उपरान्त उन को पहली जुलाई को ही चयन वेतनमान अनुमन्य होगा और तद्नुसार उनका वेतन चयन वेतनमान में निर्धारित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अग्रेतर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ऐसे अध्यापक जिनको साधारण वेतनमान

में वेतनवृद्धि का दिनांक माह नवम्बर में था और जिन्हें सेलेक्शन ग्रेड जुलाई में दिया गया है, उनके मामलों में सम्भव है कि जिस स्तर पर उनका वेतन जुलाई में निर्धारित हुआ हो वह स्तर नवम्बर में भी उनको साधारण वेतनमान में प्राप्त हो जाय। यदि ऐसा है और ऐसे अध्यापक अपने पद पर स्थाई हैं तो उनका वेतन नवम्बर की पहली तारीख से चयन वेतनमान में अगले स्तर पर पुर्ननिर्धारित किया जा सकता है और यदि सम्बन्धित अध्यापक स्थाई नहीं है तो उसके सम्बन्ध में यदि उसका वेतन स्तर साधारण वेतनमान में सेलेक्शन ग्रेड से अधिक हो रहा हो तो अन्तर की धनराशि उन्हें वैकल्पिक वेतन के रूप में नवम्बर में दिया जा सकता है तथा जो अगली वेतन वृद्धि में समायोजित हो जायेगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संस्था यू०ओ०ई०–11–3004/85 दिनांक 30–10–85 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

**ह० गोविन्द बल्लभ पन्त**

उप सचिव

□□□

## प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक चयन वेतन

संख्या–152(1)/15–8–91/3097/89–92

प्रेषक,

श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद/लखनऊ।

शिक्षा (8) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 5 मार्च, 1992

**विषय**—वेतन पुनरीक्षण समिति, उत्तर प्रदेश (1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार अशासकीय सहायता प्राप्त उ०मा० विद्यालयों तथा इण्टर कालिजों में शैक्षिक पदों पर पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–4749/15–8–89/3087/89, दिनांक 4 अक्टूबर, 1989 के आंशिक संशोधन में तथा शासनादेश संख्या–6386/15–8–89/3087/89, दिनांक 13 फरवरी, 1990 को निरस्त करते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि वेतन पुनरीक्षण समिति, उत्तर प्रदेश (1989) की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय उक्त शासनादेश दिनांक 4 अक्टूबर, 1989 के संलग्नक के क्रम संख्या–1 के सम्मुख स्तम्भ–2 में उल्लिखित पद नाम के सम्मुख स्तम्भ–11 में अंकित अभ्युक्ति के स्थान पर निम्नलिखित प्रवृष्टि प्रतिस्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**प्रधानाचार्य (इण्टर कालेज)**—नियमित पदधारकों को इस पद पर की गई 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात रु० 3000–100–35–125–4500 का वेतनमान वैयक्तिक से देय होगा।

**प्रधानाध्यापक (हाईस्कूल)**—नियमित पद धारकों को इस पद पर की गयी 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा, जिसमें 6 वर्ष की वृद्धिरोध वेतन वृद्धि की सेवा अनिवार्य है, को वैयक्तिक रूप से रु० 2200–75–2800–द०रो०–100–4000 का वेतनमान देय होगा।

**2**—मुझे इस सम्बन्ध में यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त उच्च वेतनमानों की सुविधा सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा इण्टर कालेज के ऐसे प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को

देय होगी, जो निम्न शर्ते पूरी करते हैं–

(1) जिनका विगत 3 वर्षो का परीक्षाफल 50 प्रतिशत से अधिक हो।

(2) उनका वित्तीय प्रबन्ध संतोषजनक रहा हो।

**3**–उक्त पैरा–2 में उल्लिखित शर्तो के अधीन चयन की कार्यवाही मंडलीय उप निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसके सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक तथा उनके कार्यालय के लेखाधिकारी सदस्य होंगे, द्वारा की जायेगी। इस समिति की संस्तुति के आधार पर उच्च वैयक्तिक वेतनमान दिये जाने के आदेश जारी किये जायेंगे।

**4**–उक्त शासनादेश दिनांक 4 अक्टूबर, 1989 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

**5**–ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे०आ०–2/35/दस–1992 दिनांक 26 फरवरी 1992 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**ह०/गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव**

अनुसचिव

❑❑❑

## सी०टी० चयन वेतन

संख्या–153/15–8–3087/89–92

प्रेषक,

श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद/लखनऊ।

शिक्षा (8) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 5 मार्च, 1992

**विषय**–वेतन पुनरीक्षण समिति, उत्तर प्रदेश (1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सहायता प्राप्त उ०मा० विद्यालयों एण्ड इण्टर कालेजों में शैक्षिक पदों पर पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–4749/15–8–89/3087/89, दिनांक 4 अक्टूबर, 1989 के क्रम में यह कहने का निर्देश हुआ है कि वेतन पुनरीक्षण समिति, उ०प्र० (1989) की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में लिए गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय उक्त शासनादेश के संलग्नक के क्रम संख्या–5 के सम्मुख स्तम्भ–2 में उल्लिखित पद नाम के सम्मुख स्तम्भ–8 में अंकित वेतनमान तथा स्तम्भ–11 में अंकित अभ्युक्ति के स्थान पर इस शासनादेश के साथ संलग्न तालिका के स्तम्भ–3 में अंकित वेतनमानों तथा स्तम्भ–4 में अंकित अभ्युक्तियों को प्रतिस्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 4 अक्टूबर, 1989 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

**2**–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे०आ०–(2)54/दस–92, दिनांक 26–2–92 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

**डा० गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव**

अनुसचिव

शासनादेश संख्या–153/15–8–3087/89–92, दिनांक 5 मार्च, 1992 का संलग्नक।

| क्र०सं० | पद अथवा सेवा का नाम | संशोधित वेतनमान रु० | अभ्युक्ति यदि कोई हो |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1– | सहायक अध्यापक (सी०टी० वेतनक्रम) | 1350–30–1500–द०रो० 40–1980–45–2070 1450–40–1890 द०रो०–50–2190 (सेलेक्शन ग्रेड) | रु० 1450–2190 का सेलेक्शन ग्रेड नियमित अध्यापकों को 10 वर्ष की इस पद पर की गयी संतोषजनक सेवा के बाद देय होगा। |

ह०/-**गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव,** अनु सचिव।

❑❑❑

## प्रधानाचार्य चयन वेतन

अ०शा०प०(अर्थ)1/शिविर/34773–348/1993–94

प्रेषक,
डा० वेदपति मिश्र
अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०।

सेवा में,
1. मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक
उ०प्र० (नाम से)
2. जिला विद्यालय निरीक्षक उ०प्र०।

दिनांक अगस्त 10, 1993

प्रिय महोदय,

वेतन पुनरीक्षण समिति उत्तर प्रदेश 1989 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा इण्टर कालेजों में राजाज्ञा संख्या–152/15–8–91/3097/89–92 दिनांक 5 मार्च, 1992 के अनुच्छेद–2(1) में उल्लेख है कि उच्च वेतनमान की सुविधा देय होगी जिनका विगत 3 वर्षो का परीक्षाफल 50 प्रतिशत से अधिक हो।

उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि 50 प्रतिशत परीक्षाफल उनके द्वारा पढ़ाये गये विषंय/विषयों को देखकर उच्च वेतनमान अनुमन्य होगा।

भवदीय,
**डा० वेदपति मिश्र**

❑❑❑

## शैक्षिक पदों पर चयन वेतनमान

संख्या–1315/15–8–93/3087/89–टी०सी०

प्रेषक,
श्री प्रद्युम्न सिंह,
अनुसचिव, उ०प्र० शासन।
शिक्षा (8) अनुभाग

सेवा में,
शिक्षा निदेशक, उ०प्र०
लखनऊ/इलाहाबाद।

लखनऊ : दिनांक 15 मई, 1993

**विषय**–वेतन पुनरीक्षण समिति, उत्तर प्रदेश 1989 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इन्टर कालेजों में शैक्षिक पदों पर चयन वेतनमान की अनुमन्यता हेतु शर्ते।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1315/15–8–93/3087/89, टी०सी०, दिनांक 3 मई, 1993 को स्थगित रखने का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। पूर्व आदेश संख्या–4149/15–8–89/3087/89, दिनांक 4–10–89 यथावत् लागू रहेगा।

भवदीय,
**प्रद्युम्न सिंह,** अनु सचिव

❑❑❑

## चयन वेतनमान में आरक्षण (पदोन्नति) समाप्ति—आदेश

संख्या—3200/चालीस—1—81—15(224)/75

प्रेषक,

श्री एन० पी० त्रिपाठी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2—समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।
3—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग—1 लखनऊ : दिनांक : 29 सितम्बर, 1981

**विषय**—प्रवक्ता श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) के पदों पर प्रोन्नति/नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था की समाप्ति।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या—25/224/75—रा० एकी०—583, दिनांक 8 अप्रैल, 1976, द्वारा प्रवरण श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) पर नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी।

**2**— हाल में कपितय सेवा संवर्गो में सृजित सेलेक्शन ग्रेड के स्थायी पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में शासन के समक्ष उठाए गए बिन्दुओं का व्यावहारिक, वित्तीय एवं विधिक दृष्टिकोण से पुनः परीक्षण करने के उपरान्त यह उभर कर आया है कि सेलेक्शन ग्रेड, मूल ग्रेड का ही एक अंग है और इसमें नियुक्ति प्रोन्नति नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसे पदों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व मूल पद के ही समकक्ष हैं। सेलेक्शन ग्रेड सेवा में ठहराव को ही दूर करने के लिए स्वीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण के नियम भी सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति की अवस्था में लागू नहीं होते क्योंकि सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति, प्रोन्नति की परिभाषा में नहीं आती हैं। अतः यह निर्णय लिया गया है कि प्रवरण श्रेणी के पदों को प्रोन्नति न मानते हुए, उसमें की गई आरक्षण व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से समाप्त की जाय।

**3**— अतएव शासनादेश संख्या—15/224/75—रा०एकी—2583, दिनांक 8 अप्रैल, 1976, को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

**4**— आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ सभी नियुक्ति अधिकारियों को कृपया अवगत करा दें।

भवदीय
**एन० पी० त्रिपाठी**
सचिव

□□□

## चयन वेतनमान निर्धारण

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग
संख्या—वे०आ०—1842/दस—48(एम)—1981
लखनऊ : दिनांक : 25 नवम्बर, 1981

**कार्यालय-ज्ञाप**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि विभिन्न सेवाओं की वर्तमान संवर्ग व्यवस्था तथा पदोन्नति के अवसरों का भली भाँति परीक्षण करने के उपरान्त द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग ने उनके लिए सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति देने में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने की संस्तुति की है। वेतन आयोग की संस्तुतियों को शासकीय संकल्प संख्या वे०आ०–1590/दस–42(एम)/1980 दिनांक 29 सितम्बर, 1981 द्वारा कतिपय संशोधनों के साथ स्वीकार किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप अब अधिकांश सेवाओं में सेलेक्शन ग्रेड उपलब्ध हो जायेंगे। ऐसी स्थिति, में एकरूपता बनाये रखने के लिये विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति हेतु निम्न मानदण्डों की पूर्ति आवश्यक होगी:–

(1) कर्मचारी नियमित रूप से नियुक्त किया गया हो। तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी ने अपने साधारण ग्रेड में कम से कम उतने वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो, जो वेतन आयोग/शासन ने इस हेतु निर्धारित की हों। यदि किसी सेवा में सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति हेतु कोई अवधि निर्धारित न की गई हो तो इस बारे में वित्त विभाग की सहमति से आवश्यक निर्णय लिया जाय।

(3) सेलेक्शन ग्रेड के पदों की गणना करने के प्रयोजनार्थ उन सभी स्थायी/अस्थायी पदों को आगणित किया जायगा जो तीन वर्ष या उससे अधिक समय से विद्यमान हों।

(4) विभिन्न सेवाओं/संवर्गों के लिये वेतन आयोग द्वारा संस्तुत सेलेक्शन ग्रेड, जैसी कि उक्त शासकीय संकल्प दिनांक 29.9.1981 द्वारा संशोधित किये गये हैं, दिनांक 1 जुलाई, 1979 से प्रभावी होंगे।

(5) दिनांक 1.7.79 को अथवा दिनांक 1.7.1979 एवं 29.9.1981 के मध्य जो कर्मचारी वर्तमान आदेशों के अधीन सेलेक्शन ग्रेड में कार्य कर रहे हों, उन्हें अनुमन्य नया सेलेक्शन ग्रेड दे दिया जाय, परन्तु यदि उनकी सेवा अवधि उस अवधि से कम है जो सेलेक्शन ग्रेड की अनुमन्यता के लिये अब निर्धारित की गई है तो उन्हें नये सेलेक्शन ग्रेड में अगली वेतन–वृद्धि निर्धारित अवधि पूरी करने के एक वर्ष बाद स्वीकृत की जायेगी।

(6) दिनांक 1.7.1979 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में, प्रारम्भिक वेतन निर्धारण के पश्चात् जब कोई कर्मचारी सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्त किया जाय तो सेलेक्शन ग्रेड में उसका वेतन वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–जी०–2–1456/दस–302–81, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 में प्रसारित आदेशानुसार उस पद के साधारण वेतनमान में प्राप्त/आहरित वेतन के ऊपर अगले उच्चतर प्रक्रम पर निश्चित किया जायगा।

(7) सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति देने के लिये ही वही मानक अपनाये जायेंगे जो पदोन्नति के लिये निर्धारित हैं।

(8) भविष्य में उपर्युक्त मानक–अपनाते हुये प्रत्येक विभाग में तीन वर्ष में एक बार सेलेक्शन ग्रेड के पदों की संख्या निश्चित की जायेगी।

(9) यदि कोई क्रर्मचारी अपने वर्तमान सेलेक्शन ग्रेड को ही बनाये रखने का विकल्प दे तो उस पर इस कार्यालय–ज्ञाप द्वारा निर्धारित मानदण्ड लागू नहीं होंगे।

भवदीय

**जे० एस० बजाज,** सचिव

❑❑❑

## चयन वेतन स्पष्टीकरण

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश

शिक्षा (अर्थ–1) अनुभाग, इलाहाबाद

सेवा में,

1–जिला विद्यालय निरीक्षक उ०प्र०

2–जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका उ०प्र०।

पत्रांक : अर्थ(1)/13234/दो–च(37)82/83 दिनांक 04.09.1982

**विषय**–सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों को द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1975–80) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के अनुसार स्वीकृत चयन वेतन वेतनमानों से सम्बन्धित जिज्ञासाओं का निराकरण।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा सं०–6696/15–(8)–1981–3014–1981 दिनांक 29.12.81 तथा निदेशालय के पत्र संख्या अर्थ (1)/3400–5002/(दो) /82–83 दिनांक 9.8.82 के सम्बन्ध में कतिपय जिज्ञासाओं पर स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जा रही है–

| जिज्ञासायें | उत्तर |
|---|---|
| 1–राजाज्ञा के अन्तर्गत वर्तमान साधारण वेतनमान में अथवा उसी पद पर 16 वर्ष की लगातार सेवा का आधार मानकर चयन वेतनमान देय होगा। यदि कोई अध्यापक पदोन्नत होकर उच्च वेतन क्रम में कार्यरत है और वर्तमान वेतनक्रम में कार्य करते हुए 16 वर्ष हो गये हैं तो चयन वेतनमान देय होगा। | एक ही पद (यथा एल० टी०) पर लगातार 16 वर्ष की सेवा को आधार माना जाय। उक्तवत देय होगा। |
| 2–चयन वेतनमान के लिये क्या अर्हता होगी। | राजाज्ञा के प्रस्तर (1) तथा (2) के अन्तर्गत चयन वेतनमान के लिए 16 वर्ष की संतोषजनक कार्य एवं आचरण वांछित है अतः प्रोन्नति की अतिरिक्त शैक्षिक अर्हतायें आवश्यक नहीं। |
| 3–ऐसे कर्मचारी जो साधारण वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् उच्च पद पर पदोन्नति पा चुके हैं तो क्या उनको पदोन्नति से पूर्व तथा साधारण वेतनमान में 1.7.79 के बाद 16 वर्ष पूर्ण करने के बाद की अवधि का चयन वेतनमान में भी लाभ दिया जायेगा। | चयन वेतनमान में लाभ देय होगा। |
| 4–ऐसे अध्यापक जिनका 16 वर्ष का सेवाकाल दिनांक 1.7.79 के पश्चात किसी अन्य तिथि में पूर्ण होता है का चयन वेतनमान में वेतन निर्धारण उसी तिथि को किया जायेगा अथवा वेतन वृद्धि तिथि आदि को दृष्टिगत रखते हुये उस | 16 वर्ष को सेवा पूर्ण की तिथि से तत्काल से राजाज्ञा के अन्तर्गत चयन वेतनमान देय होगा। |

| | |
|---|---|
| निश्चित तिथि के उपरांत अन्य किसी तिथि का विकल्प करने का अधिकार होगा। | |
| 5—दो विद्यालयों की सेवायें जोड़कर यदि 16 वर्ष हो तो चयन वेतनमान देय है अथवा नहीं। | एक ही वेतनमान में लगातार सेवा पर अनुमन्य होगा चाहे एक से अधिक विद्यालयों में हो। |

भवदीय

**(कुंवर मूलराज सिंह)**

उप शिक्षा निदेशक (अर्थ)

कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

❑❑❑

## चयन वेतनमान स्पष्टीकरण

संख्या–4074/15–8–3062/1982

प्रेषक,

श्री गोविन्द नारायण मिश्र,
उस सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा(8) अनुभाग

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

लखनऊ : दिनांक : 12 नवम्बर, 1982

**विषय**—सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों को अनुमन्य चयन वेतनमानों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या अर्थ (1)/4465/दो–च–(37)/82–83, दिनांक 15 सितम्बर, 1982 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजाज्ञा संख्या 6696/15–8–1981–3014–1981 दिनांक 25 दिसम्बर, 1980 में सहायता प्राप्त उ० माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों को स्वीकृत चयन वेतनमान के सम्बन्ध में मार्ग निर्देशन हेतु संलग्नक के अनुसार स्पष्टीकरण निर्गत किया जा रहा है। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय

**गोविन्द नारायण मिश्र**

उपसचिव।

### राजाज्ञा संख्या 4047/15-8-3062/1982 दिनांक 12 नवम्बर, 1982 का संलग्नक

| बिन्दु | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| 1. चयन वेतनमान की मान्यता | यदि कोई अध्यापक निम्न पद से उच्च पद पर प्रोन्नति होता है और उसने उस उच्च पद पर 16 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है तो उसे सेवा पूर्ण करने के पश्चात जुलाई में चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा। |

| | |
|---|---|
| 2. चयन वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रोन्नति सम्बन्धी प्रक्रिया अपनायी जाय। | प्रबन्धक द्वारा कार्य एवं आचरण की पुष्टि तथा चयन वेतनमान देने हेतु उसकी संस्तुति के आधार पर ही 16 वर्ष की सेवा के बाद चयन वेतनमान स्वीकृत करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आदेश प्रसारित किये जायेगें। |
| 3. सेवावधि का आगणन | वर्तमान पद पर, न कि वेतनमान में, मान्यपूर्ण सेवावधि का लाभ देय होगा। भले ही पूर्व में उक्त पद के विभिन्न वेतनमान रहे हों। |
| 4. दिनांक 1.7.1979 से पूर्व एक ही पद पर 6 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अध्यापकों का वेतन निर्धारण। | ऐसे अध्यापकों का वेतन निर्धारण पहले साधारण वेतनमान में निर्धारित होगा तत्पश्चात चयन वेतनमान की स्वीकृति के आदेश के आधार पर पुनरीक्षित चयन वेतनमान में दिनांक 1.7.1979 से वेतन निर्धारित किया जायेगा। |
| 5. चयन वेतनमान में निर्धारण | चयन वेतनमान में किसी अध्यापक का वेतन उसके साधारण वेतनमान में (एक समय बिन्दु पर) देय वेतन से कम नहीं हो सकता। अतः यदि ऐसी स्थिति किसी मामले में आती है तब उसके साधारण वेतनमान में (नेशनल पे) तथा चयन वेतनमान में देय वेतन का अन्तर उसे व्यक्तित्व वेतन के रूप में दिया जायेगा। |

**(गोविन्द नारायण मिश्र)**
उप सचिव

❑❑❑

## चयन वेतन निर्धारण : स्पष्टीकरण

प्रेषक,
शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश
शिक्षा (अर्थ) अनुभाग
इलाहाबाद।

सेवा में,
1–जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
2–जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : अर्थ (1)/5591/दस–च(37)/82–83 दिनांक 02.03.1983

**विषय**–सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों को द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979–80) की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयों के अनुसार स्वीकृत चयन वेतनमानों से सम्बन्धित जिज्ञासाओं का निवारण।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक अर्थ (1)/13234/दो–च–(37)/82-83 दिनांक 4.9.82 तथा राजाज्ञा संख्या–407/15–8–3062/1982 दिनांक 12.11.82 के तारतम्य में कतिपय

जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जा रही है—

| जिज्ञासायें | उत्तर |
| --- | --- |
| 1– जिन अध्यापकों को 1.7.79 से चयन वेतनमान देय है उनका वेतन निर्धारण द्वितीय प्रक्रिया से किया जा सकता है। | नहीं, द्वितीय प्रक्रिया की सुविधा साधारण वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु दी गयी है। |
| 2– जिन अध्यापकों को चयन वेतनमान मिल चुका है और वे अब 1.7.79 या अगली वेतन वृद्धि की तिथि को द्वितीय प्रक्रिया के अनुसार वेतन निर्धारण का विकल्प देते हैं तो इसके लिए किस सेवा अवधि की गणना की जायगी। चयन वेतनमान में आने की तिथि से ही उनकी सेवा अवधि आगणित की जाएगी अथवा उनके सामान्य वेतनमान में कार्य करने की अवधि को भी जोड़ा जायगा। | चयन वेतनमान में, केवल निर्धारण हेतु द्वितीय प्रक्रिया लागू करने का प्रश्न नहीं उठता। |
| **3**– जो अध्यापक जे०टी०सी०/बी०टी०सी० वेतनमान से पदोन्नति होकर सी०टी० वेतनक्रम पा रहे हैं उन्हें सी०टी० वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के लिए केवल सी०टी० वेतनक्रम को सेवा अवधि की गणना की जायगी अथवा उनके द्वारा जे०टी०सी०/बी०टी०सी० वेतनमान में की गई सेवा भी जोड़ी जायगी। | शासन को सन्दर्भित है। |
| **4**– जिन अध्यापकों को सेवा के प्रारम्भ में सी०टी० अथवा एल०टी० वेतनक्रम 2/3 मिल रहा था और बाद में प्रशिक्षित होने के उपरान्त सी०टी० अथवा एल०टी० वेतनमान में नियमित हो गये हैं क्या उन्हें 2/3 सी०टी०/एल०टी० के वेतनक्रम में कार्यरत रहने की अवधि का लाभ वेतन निर्धारण में मिलेगा? | जी नहीं। |
| **5**– जो शिक्षक चयन वेतनमान में कार्य कर रहे हैं उनके वेतनमान साधारण वेतनमान से चयन वेतनमान में पुनरीक्षित हुआ है अतः साधारण वेतनमान से चयन वेतनमान में वेतन निर्धारण होने पर शिक्षकों/कर्मचारियों द्वारा धारित पद/संवर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त पदों पर की गयी सम्पूर्ण सेवा (साधारण एवं चयन वेतनमान को सम्मिलित करके) अवधि का लाभ द्वितीय प्रक्रिया द्वारा वेतन निर्धारण में लाभ दिया जायेगा। | बिन्दु 1 की भाँति। |

**6**– प्रधानाचार्य को चयन वेतनमान देने के लिए प्रधानाध्यापक के सेवाकाल की गणना की अवधि जायगी नहीं?

जी नहीं। दोनों वेतनमान भिन्न हैं

**7**– यदि एक अध्यापक दूसरे विद्यालय से इस्तीफा देकर आता है तो पहले विद्यालय की सेवायें 16 वर्ष में गिनी जायेगी।

जी नहीं, मान्य सेवा में जिन्हें वेतन वृद्धि का लाभ सक्षम अधिकारी अथवा शासन द्वारा दिया गया है केवल उन्हीं की सेवायें गिनी जायेंगी।

**8**– अध्यादेश आने के पूर्व की सेवा अर्थात सहायता प्राप्त विद्यालयों की सेवायें भी सहायता प्राप्त के साथ जोड़ी जायेंगी।

जी हां, यदि पिछली मान्य सेवाओं का लाभ अतिरिक्त वेतन वृद्धियों के लिए अध्यादेश पर आने पर मिलता है।

**9**– जिन कर्मचारियों को साधारण वेतनमान में प्रथम प्रक्रिया के अनुसार वेतन निर्धारण किया जा चुका है उसके पश्चात् चयन वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई उनकी वेतन वृद्धि की तिथि क्या होगी।

चयन वेतनमान में वेतन वृद्धि की तिथि साधारण वेतनमान की वेतन वृद्धि की तिथि ही मानी जायगी।

**10**– क्या साधारण वेतनमान हेतु लिए गए विकल्प की तिथि चयन वेतनमान के लिए भी विकल्प की तिथि मानी जायेगी। राजाज्ञा सं० 4074/15–8–3062/1982 दिनांक 12–11–82 के अनुलग्नक के बिन्दु–1 में स्पष्ट किया गया है कि 16 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात जुलाई में चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायगा तो क्या चयन वेतनमान जुलाई में अनुमन्य किया जायगा अथवा 16 वर्ष की सेवा के तत्काल बाद।

चयन वेतनमान में विकल्प का प्रश्न नहीं उठता, सीधी भर्ती में 16 वर्ष की सेवा पूर्ण की तिथि से तत्काल बाद राजाज्ञा के अन्तर्गत चयन वेतनमान देय होगा। ऐसे अध्यापक/कर्मचारी जो निम्न पद से उच्च पद पर पदोन्नत होते हैं और उसे उच्च पद पर 16 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है तो उन्हें सेवा पूर्ण करने के पश्चात अगली जुलाई में चयन वेतनमान देय होगा अर्थात प्रत्येक वर्ष जुलाई 1 से जून 30 की अवधि में जिन अध्यापकों/कर्मचारियों की नियमित सेवायें 16 वर्ष पूरी हो जाती हैं उन्हें आगामी जुलाई से चयन वेतनमान देय होगा। (राजाज्ञा संख्या 4047/15–8--3062/1982 दिनांक 12–11–82 के अनुलग्नक के बिन्दु 1 के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत)

**11**– जिन संस्थाओं में प्रबन्धक का पद/प्रबन्ध समिति विवादास्पद है तथा विभाग द्वारा कोई प्रबन्धक/प्रबन्ध समिति मान्य नहीं है उन संस्थाओं के शिक्षकों को प्रधानाचार्य की संस्तुति के आधार पर ही चयन वेतनमान स्वीकृत किया जा सकता है या नहीं

शासन को सन्दर्भित है।

**12**–गृह विज्ञान, कला, संगीत, आशुलेखन टंकण, एवं व्यायाम आदि शिल्पों के वे अध्यापक जो सी०टी० अथवा स्नातक वेतनमानों में अध्यापन

स्नातक एवं प्रवक्ता वेतनमान पाने की तिथि से चयन वेतनमान हेतु सेवा अवधि की गणना की जायेगी।

| | |
|---|---|
| कर रहे थे तथा जिन्हें राजाज्ञा संख्या 5583/15–8–3100/1973 दिनांक 3–10–74 के अन्तर्गत क्रमशः स्नातक अथवा प्रवक्ता वेतनमान अनुमन्य किया गया था, क्या उन्हें सी०टी० तथा स्नातक वेतनमानों में की गयी सेवाओं का लाभ देते हुए स्नातक अथवा प्रवक्ता वेतनमानों के चयन वेतनमान का लाभ देय होगा। **13**– जो अध्यापक बी०टी०सी०/ जे०टी०सी० वेतनमान में पांच वर्ष की अविरल सेवा पूर्ण करने के उपरान्त स्वतः सी०टी० वेतनमान में पदोन्नति हो चुके हैं ऐसे अध्यापकों को बी०टी०सी०/ जे०टी०सी० वेतनमानों में की गयी सेवा का लाभ देते हुए 16 वर्ष की गणना कर चयन वेतनमान दिया जा सकता है या नहीं। | शासन के विचाराधीन है। |

**(युगल किशोर सिंह)**
उप शिक्षा निदेशक, (अर्थ)
कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

❑❑❑

## चयन वेतनमान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

संख्या–मा० 22/15–8–3058/83

प्रेषक,
श्री गोविन्द नारायण मिश्र
संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन।

सेवा में,
शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 10 नवम्बर, 1983

**विषय**–सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों को अनुमन्य चयन वेतनमानों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4047/15–8–3062/82 दिनांक 12 नवम्बर, 1982 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त शासनादेश के संलग्न के बिन्दु–2 में चयन वेतनमान की स्वीकृति हेतु प्रबन्धक द्वारा कार्य एवं आचरण की पुष्टि तथा चयन वेतनमान दिये जाने हेतु उसकी संस्तुति का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में अग्रेतर यह व्यवस्था की जा रही है कि यदि किसी अध्यापक के सम्बन्ध में प्रबन्धक द्वारा कार्य एवं आचरण की पुष्टि तथा चयन वेतनमान देने की संस्तुति नहीं की जाती है तो ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका प्रबन्धक के निर्णय के विरुद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे प्रकरणों में जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका का निर्णय अन्तिम होगा।

भवदीय
**(गोविन्द नारायण मिश्र)**

❑❑❑

## सी०टी० वेतनमान में चयन वेतन की जिज्ञासा एवं समाधान

संख्या–5869/15–8–83–3062/83

प्रेषक,

श्री गोविन्द नारायण मिश्र
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
शिक्षा (अर्थ–1) अनुभाग, इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 22 दिसम्बर, 1983

**विषय**–द्वितीय वेतन आयोग (1972–80) की संस्तुतियों के अनुसार सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हाई स्कूलों तथा इन्टर कालेजों) में विभिन्न पदों हेतु नये वेतनमान में वेतन निर्धारण सम्बन्धी जिज्ञासायें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा संख्या–1182/15–8–3062/82 दिनांक 20.7.83 के तारतम्य में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है उक्त राजाज्ञा के संलग्नक में अंकित बिन्दु–4 के सम्बन्ध में निम्नवत स्पष्टीकरण निर्गत किया जा रहा है। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

| बिन्दु | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| जो अध्यापक जे०टी०सी०/बी०टी०सी० वेतनमान में सू मोटो (Suo moto) प्रोन्नति पाकर सी०टी० वेतनमान में कार्य कर रहें हैं उन्हें प्रशिक्षित इण्टर वेतनक्रम का चयन वेतन देने के लिए जे०टी०सी०/बी०टी०सी० वेतनमान की सेवावधि 16 वर्ष पूरा करने के लिए जोड़ी जाय अथवा नहीं। | जे०टी०सी०/बी०टी०सी०/एच०टी०सी० वेतनमान की केवल उतनी सेवावधि प्रशिक्षित इण्टर वेतनक्रम में चयन वेतनमान (620–820) देने हेतु आवश्यक 16 वर्ष की सेवा के आगणन में जोड़ी जा सकती है जो अध्यापक द्वारा कम से कम इन्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के कक्षा 6–7–8 को पढ़ाने हेतु की गई हो। |

भवदीय

**(गोविन्द नारायण मिश्र)**
संयुक्त सचिव।

❑❑❑

## चयन वेतनमान-स्पष्टीकरण

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश
शिक्षा (अर्थ–1) अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

1–जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
2–जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उ०प्र०।

पत्रांक अर्थ (1)/7120/दो–घ/84–85 दिनांक 30–6–84

विषय–द्वितीय वेतन आयोग (1979–8०) की संस्तुतियों के अनुसार सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हाई स्कूल तथा इन्टर कालिजों) में विभिन्न पदों हेतु चयन वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक अर्थ (1)/5591/दो–च(37)/82–13 दिनांक 3–3–83 के स्पष्टीकरण बिन्दु–1० में यह स्पष्ट किया गया था कि सीधी भर्ती में 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि के तत्काल बाद चयन वेतनमान देय होगा। ऐसे अध्यापक/कर्मचारी जो निम्न पद से उच्च पर पदोन्नति होते हैं और उन्होंने उस उच्च पद 16 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें सेवा पूर्ण करने के पश्चात अगली सुनवाई से चयन वेतनमान देय होगा।

**2**– इस सम्बन्ध में आपका ध्यान राजाज्ञा संख्या–1182/पन्द्रह–8–3०62/82 दिनांक 20–7–83 के साथ संलग्न स्पष्टीकरण के बिन्दु 8 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसकी प्रति निदेशालय के पृष्ठांकन संख्या अर्थ (1)/22553/दो–ग(84)/83–84 दिनांक 20–9–83 द्वारा आपको प्रेषित है। राजाज्ञा में शासन द्वारा पूर्व प्रेषित निर्देश पर स्थिति स्पष्ट करते हुए यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक वर्ग जुलाई में ही चयन वेतनमान देय होगा।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजाज्ञा संख्या दिनांक 20–7–83 के अन्तर्गत चयन वेतनमान कर्मचारी द्वारा वर्तमान पद पर 16 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात पड़ने वाली अगली जुलाई से ही देय होगा। चाहे वह सीधी भर्ती वाले कर्मचारी का प्रकरण हो अथवा प्रोन्नति प्राप्त कर्मचारी का। यदि किसी अध्यापक/कर्मचारी को 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के तत्काल बाद चयन वेतनमान अनुमन्य किया गया हो तो उसे राजाज्ञा के अनुसार उक्त सीमा तक संशोधित कर निदेशालय को अवगत कराया जाय।

भवदीय

**(युगल किशोर सिंह)**

उप शिक्षा निदेशक (अर्थ)

कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

❑❑❑

## चयन वेतन-स्पष्टीकरण

संख्या–3661/15–8–3062/82

प्रेषक,

गोविन्द नारायण मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग दिनांक 3 जुलाई, 1984

**विषय**–सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों को अनुमन्य चयन वेतनमानों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अ०शा० पत्राँक अर्थ–1/34700/1983–84, दिनांक 18 जनवरी, 1984 में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 4074/15–8–3062/82 दिनांक 12–11–82 तथा राजाज्ञा संख्या 1182/15–8–3062/83, दिनांक 20–7–83 द्वारा पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि 16 वर्ष की सेवापूर्ण करने के उपरान्त प्रत्येक वर्ष जुलाई में ही चयन वेतनमान देय होगा। इस सम्बन्ध

में अग्रेतर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अध्यापक चाहे सीधी भर्ती से नियुक्त हुआ हो अथवा प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त हुआ हो दोनों मामलों में उसे चयन वेतनमान 16 वर्ष पूरा करने के उपरान्त आगामी 1 जुलाई से ही स्वीकृत किया जायेगा। निदेशालय द्वारा इस सम्बन्ध में जो पत्रांक अर्थ–1/55911/दो–च–37/82–83 दिनांक 2–3–83 निर्गत किया गया है वह उचित नहीं है क्योंकि सीधी भर्ती और प्रोन्नति के माध्यम से आने वाले अध्यापकों के बीच इस प्रकार के विभेद करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः कृपया शासन के उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार ही अध्यापकों का वेतन निर्धारण सुनिश्चित करायें।

निदेशालय के पत्र संख्या(1)/33669/दो–घ(1)/83–84 दिनांक 11–1–84 में की गई पृच्छा के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 जुलाई से जिन अध्यापकों को चयन वेतनमान दिया जाये उनकी अगली वेतनवृद्धि की तिथि आगामी 1 जुलाई ही होगी न कि बीच में पड़ने वाले उनके साधारण वेतनमान की वेतनवृद्धि की तिथि। उदाहरण के लिए 16 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरान्त यदि किसी अध्यापक को 1–7–83 पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में चयन वेतनमान में उसे 1–11–83 को वेतन वृद्धि नहीं देय होगी अपितु उसे 1 जुलाई 1984 को ही वेतन वृद्धि देय होगी प्रत्येक वर्ष जुलाई चयन वेतनमान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में एक पृच्छा यह भी की गई है कि यदि किसी अध्यापक की 16 वर्ष की नियमित सेवा 20 जुलाई 1982 को पूरी होती है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या उसी तिथि से चयन वेतनमान दे दिया जायेगा अथवा आगामी जुलाई से देय होगा।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अध्यापकों को चयन वेतनमान 1 जुलाई से ही देय होगा। प्रश्नगत उदाहरण में उक्त अध्यापक को 16 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के बाद आगामी 01 जुलाई, 1983 से चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त स्पष्टीकरणों के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदी

**(गोविन्द नारायण मि**

संयुक्त सचि

❑❑❑

## शिक्षण कर्मचारियों को अनुमन्य चयन वेतनमानों के सम्बन्ध में

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
शिक्षा (अर्थ–1) अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

1–जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2–जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उ०प्र
3–मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक, उ०प्र०।
4–मण्ड० बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उ०प्र

पत्रांक : अर्थ(1)/24849/दो–घ( )/84–85

दिनांक 13–12–19

**विषय**–सहायता प्राप्त उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों को अनुमन्य च वेतनमानों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा संख्या–3631/15–8–3062/82 दिनांक 4 जुलाई, 1984 त निदेशालय के पृष्ठांकन संख्या अर्थ (1)/11881/दो–ग( )/84–85 दिनांक 6–8–84 की

आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन है कि उक्त राजाज्ञा में स्पष्ट किया जाता है कि चयन वेतनमान प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई से ही देय होगा।

शासन द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित से विग ग्राम तथ राजाज्ञा संख्या–6598(1)/15–8–1982 दिनांक 12–10–84 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि जिन अध्यापकों को राजाज्ञा संख्या–6696/15–8–1981–3014–1981 दिनांक 29–12–81 के अन्तर्गत 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के तत्काल बाद चयन वेतनगान अनुमन्य किया गया उन्हें भुगतान की गयी अधिक धनराशि की वसूली अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी जाय।

कृपया उक्त शासनादेश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करें।

भवदीय

**(सन्तोषशरण कपूर)**

सहायक उपशिक्षा निदेशक (अर्थ–1)

कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

❑❑❑

## शिक्षणेत्तर कर्मचारी-पदोन्नति वेतनमान

संख्या–4969/15–8–91/3286/90

प्रेषक,

श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ एवं इलाहाबाद।

शिक्षा(8) अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 10 फरवरी, 1992

**विषय**–समता समिति, उ०प्र० (1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेज में शिक्षणेत्तर पदों पर प्रोन्नति अथवा अगले उच्च वेतनमानों की वैयक्तिक स्वीकृति।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान प्रदेश के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों में शिक्षणेत्तर पदों के लिये पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–4527/15–8–89/3087/89, दिनांक 4–10–1989 तथा पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या–वे०आ०–1–1763/दस–39/(एम)/89, दिनांक 3–6–1989 व शासनादेश संख्या–6714/15–8–89/3002/89, दिनांक 16–2–1990, जिसके द्वारा उक्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 3–6–1989 के प्रस्तर–3(8) व 3(9) में निहित व्यवस्था के अनुसार दिनांक 1–1–1986 या इसके बाद आगामी तिथि को दस वर्ष की संतोषजनक अनवरत सेवा पूर्ण करने पर नये वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान किया गया है, की ओर आकृष्ट करते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त विद्यालयों के ऐसे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को, जो अपने पद पर नियमित हों और जिनकी उसी पद पर 16 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा हो (जिसमें से 6 वर्ष की सेवा सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की हो) तथा जिनके वेतनमान का अधिकतम रु० 3500/– से अधिक न हो, का इस राजाज्ञा के अनुलग्नक के स्तम्भ–4 में अंकित प्रोन्नति का अथवा

अगला उच्च वेतनमान वैयक्तिक रूप से दिनांक 1–1–1992 या पश्चात्‌वर्ती दिनांक, जैसी स्थिति हो, से देय होगा।

**2.** प्रश्नगत धारकों का इस आदेश के संलग्नक के स्तम्भ–4 में स्वीकृत प्रोन्नति अथवा अगले उच्च वेतनमान में वेतन निर्धारण उनके द्वारा स्तम्भ–2 में प्रदर्शित पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर के अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

भवदीय

**(गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव)**

अनु सचिव

शासनादेश संख्या–4969/15–8–91/3286/90, दिनांक 10 फरवरी, 1992 का अनुलग्नक

| क्रम सं० | पदनाम | दिनांक 1-1-86 से पुनरीक्षित वेतनमान (रु०) | प्रोन्नति अथवा अगला उच्च वेतनमान (रु०) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1– | प्रधान कर्णिक | 1200–2040 | 1350–80–1440–40–1800–द०रो०–50–2200 | स्तम्भ–2 में उल्लिखित पद की 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा (जिसमें 6 वर्ष की सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की सेवा सम्मिलित होगी) पर स्तम्भ–4 में अंकित प्रोन्नति/अगला वेतनमान, नियमित धारक को वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा। |
| 2– | कर्णिक | 950–1500 | 1200–80–1560–द०रो०–40–2040 | तदैव |
| 3– | दफ्तरी | 775–1025 | 825–15–900–द०रो०–20–1200 | तदैव |
| 4– | चपरासी | 750–940 | 775–12–955–द०रो०–14–1025 | तदैव |

**(गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव)**

अनु सचिव

□□□

## सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृत

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
शिक्षा नियुक्ति (1) अनुभाग,
इलाहाबाद

सेवा में,

1. मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश
2. मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०

पत्रांक : नियुक्ति (1)/597–820/23–19/90–91 दिनांक 2–4–91

**विषय**–सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कतिपय अधिकारियों द्वारा राजाज्ञा संख्या वे०आ०–1–1763/दस–39(एम)/89, दिनांक 3–6–89 के प्रस्तर 3(8) व 3(9) को लेकर यह जिज्ञासा की जा रही है कि सेलेक्शन ग्रेड 10 वर्ष की नियमित सेवा पर अथवा केवल 10 वर्ष की संतोषजनक अनवरत सेवा पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

**2.** उक्त के प्रसंग में सूच्य है, कि राजाज्ञा संख्या वे०आ०–1–1763/दस–39(एम)/89 दिनांक 3 जून, 1989 के प्रस्तर 3(8) में शासन ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि जो व्यक्ति पूर्व से सेलेक्शन ग्रेड में उच्च वेतनमान पा रहे थे उनका समता समिति द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में किस प्रकार वेतन निर्धारण होगा। यह केवल वेतन निर्धारण की प्रक्रिया है।

**3.** इसी प्रकार प्रस्तर 3(9) में पुनरीक्षित वेतनमान में 1–1–86 के पश्चात यदि किसी को सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होता है तो उनका पुनरीक्षित वेतनमान में ही निर्धारण सम्बन्धी प्रक्रिया बतायी गयी है।

**4.** उक्त में प्रसंग में निवेदन है कि सेलेक्शड ग्रेड उसी प्रकार देय होगा जिस आधार पर शासन ने वेतन पुनरीक्षित राजाज्ञाओं में अनुमन्य किया है। शासन की राजाज्ञा संख्या 4772/11/15–2–89(59) 88, टी०सी० दिनांक 28 सितम्बर/18 अक्टूबर, 1989 के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड ऐसे नियमित पदधारकों की अनुमन्य होगा जिनकी 10 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो गयी है। 3–6–89 की राजाज्ञा केवल वेतन निर्धारण की प्रक्रिया से सम्बन्धित है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय
**परशुराम पंथ**
सहायक शिक्षा निदेशक (सेवा–3)
कृते शिक्षा निदेशक, (उत्तर प्रदेश)

❑❑❑

## कला, व्यायाम, भाषा, गृह विज्ञान संगीत आदि शिक्षकों का वेतन निर्धारण

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश,
शिक्षा आडिट(1)/अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक
मथुरा।

पत्रांक : आडिट(1)/138–/90–91 दिनांक 9–4–1991

**विषय**—अशासकीय उ०मा०वि० के कला, व्यायाम, भाषा, गृह विज्ञान, शिल्प, संगीत, त्रिभाषा, ें टिंग, टंकण, आशुलिपिक तथा क्राफ्ट, विषयों के अध्यापकों के वेतन निर्धारण एवं चयन वेतनमान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

आपका ध्यान उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक अधिलेखा/4404/4515/90–91 दिनांक 5–9–90 की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना है कि राजाज्ञा संख्या–1121/15–8–98/3087/89 दिनांक 20–2–90 द्वारा प्रदत्त आदेशों के विपरीत आपने अपने उपरोक्त पत्र द्वारा उक्त श्रेणी के अध्यापकों को चयन वेतनमान की सुविधा किन आदेशों के आधार पर निर्गत किया है। कृपया अधोहस्ताक्षरी को स्पष्ट करने का कष्ट करें।

**2.** शासन द्वारा निर्गत राजाज्ञा सं०–1121 दिनांक 28–2–90 का आशय उपरोक्त विषयों के ऐसे अध्यापकों को जो–

(1) सी०टी० वेतन क्रम की निर्धारित अर्हता के अधीन नियुक्त हैं एवं जिससे कक्षा 9–10 पढ़वाया जा रहा है जो एल०टी० वेतनक्रम देने के लिए एल०टी० की निर्धारित अर्हता से छूट प्रदान करने से हैं।

(2) इस छूट का लाभ केवल उन्हीं शिक्षकों को देय है जिनकी कक्षा 9–10 में पढ़ाते हुए 10 वर्ष की सेवापूर्ण हो गई है। 10 वर्ष की सेवा की गणना में सी०टी० वेतन क्रम में कार्य करते हुए कक्षा 6–8 पढ़ाने की, अवधि को सम्मिलित नहीं किया जाना है।

(3) इसी प्रकार एल०टी० वेतनक्रम में कार्यरत उक्त विषयों के ऐसे अध्यापक जिनकी नियुक्ति एल०टी० वेतनक्रम की निर्धारित अर्हता के अधीन हुई है किन्तु उनसे कक्षा 11–12 पढ़ावाया जा रहा है को प्रवक्ता वेतनक्रम की निर्धारित अर्हता से छूट प्रदान करने से है। बशर्ते ऐसे अध्यापकों की कक्षा 11–12 में पढ़ाते हुए 10 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई हैं इसमें भी 10 वर्ष की सेवा की गणना में एल०टी० वेतनक्रम में नियुक्ति अथवा कक्षा 9–10 मात्र के पढ़ाने की अवधि को सम्मिलित नहीं किया जाना है। क्योंकि राजाज्ञा में यह स्पष्ट लिखा गया है कि "जब कक्षा 9–10 में पढ़ाते हुए 10 वर्ष पूरे हो जाये" या कक्षा 11–12 में पढ़ाते हुए 10 वर्ष पूरे हो जायें।"

(3) यहाँ यह भी स्पष्ट करना समीचीन होगा कि राजाज्ञा सं० 5583/15–8–3100/73, दिनांक 3–10–74 व राजाज्ञा सं० 1959/15–8–3०31/73 दिनांक 5–4–75 द्वारा उपरोक्त प्रकार के अध्यापकों की शैक्षिक योग्यताओं का निर्धारण करते हुए उन्हें वेतनमान देने एवं भविष्य में उन्हीं योग्यताओं के आधार पर नियुक्तियाँ करने के आदेश शासन द्वारा दिये गये थे। चूंकि वर्तमान राजाज्ञा दिनांक 28–2–90 द्वारा उक्त राजाज्ञा को अतिक्रमित नहीं किया गया। अतः सी०टी०, एल०टी० एवं प्रवक्ता वेतनक्रम में नियुक्ति हेतु वही अर्हताएँ आज भी प्रभावी है। राजाज्ञा दिनांक 28–2–90 द्वारा उपरोक्त राजाज्ञाओं में निर्धारित अर्हता के अधीन नियुक्त ऐसे अध्यापक जो सी०टी० वेतनक्रम में नियुक्त हैं किन्तु किन्हीं कारणों से यथा उच्च श्रेणी के पद सृजित न होने के कारण उन्हें कक्षा 9–10 पढ़ाने के लिए नियमानुसार अधिकृत किया गया और वे लगातार 10 वर्ष तक कक्षा 9–10 को पढ़ाते रहे हैं तो ऐसे अध्यापकों को एल०टी० वेतनमान देने का आदेश दिया है। इसी प्रकार एल०टी० वेतनक्रम में नियुक्त अध्यापकों को उक्त के अनुसार ही प्रवक्ता वेतनक्रम दिया जाना है।

(4) जहाँ तक वेतन निर्धारण का प्रश्न है उसकी व्यवस्था राजाज्ञा संख्या–वे०आ०–1–1763/दस–39(एम)/89 दिनांक 3–6–1989 के प्राविधानों के अनुसार ही साधारण वेतनमान/च०वे०मा०/प्रोन्नति बे०मा० में वेतन निर्धारण किया जाना है। उपरोक्त प्रकार के अध्यापकों को चयन वेतनमान का लाभ देने का जहां तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इन अध्यापकों को चयन वेतनमान देने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई राजाज्ञा निर्गत नहीं है। चयन वेतनमान जिस श्रेणी के अध्यापकों के लिए निश्चित किया गया है उसमें यह स्पष्ट है कि 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त भी जिनको प्रोन्नति का अवसर नहीं मिला है केवल वे ही अध्यापक 10 वर्ष की सेवा के बाद चयन वेतनमान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। दिनांक 1–1–86 से पुनरीक्षित वेतनमान में कतिपय सेवाओं में निर्धारित अवधि के बाद उच्च वेतनमान की व्यवस्था की गई है और उसी व्यवस्था से उक्त प्रकार के अध्यापक आच्छादित होते हैं। निर्धारित अवधि के बाद उच्च वेतनमान का लाभ जिन कर्मचारियों/अध्यापकों को मिलना है उनके वेतन निर्धारण उनके सी०टी० अथवा एल०टी० वेतनमान की परिलब्धियों के आधार पर उन्हें देय एल०टी० या प्रवक्ता वेतनमान के स्तर पर सीधे वेतन निर्धारण की व्यवस्था की गई है। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त प्रकार के अध्यापकों का वेतन निर्धारण उनके विकल्प की तिथि को उनके द्वारा प्राप्त वेतन की परिलब्धि के आधार पर यथास्थिति एल०टी०/प्रवक्ता वेतन का स्तर देकर वर्तमान में निर्धारित किया जाना है। इन अध्यापकों के सम्बन्ध में शासन से भी कतिपय जिज्ञासायें की गई हैं। शासन के स्पष्टीकरण यथासमय आपको उपलब्ध कराये जायेंगे।

उपरोक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में उक्त विषयों के जनपद के सभी अध्यापकों के वेतन निर्धारण की तत्काल जांच कराकर वेतन निर्धारण शुद्ध कराया जाय। जांच आख्या की एक प्रति मुख्य लेखाधिकारी को भी पृष्ठांकित की जाय। साथ ही आप अपने कार्यालय द्वारा निर्गत उक्त परिपत्र तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही भी करें।

भवदीय,

**(दिनेश कुमार पाण्डेय)**

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

□□□

## वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में जिज्ञासायें

प्रेषक,

वित्त नियंत्रक व मुख्य लेखाधिकारी
शिक्षा निदेशालय,
उ०प्र० इलाहाबाद।

सेवा में,

1. जिला विद्यालय निरीक्षक
उत्तर प्रदेश।
2. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी
कार्यालय जि०वि० नि०, उ०प्र०।

दिनांक 14–10–92

पत्रांक : आडिट (1)/1300–1450/92–93

**विषय**–वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में की गई जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय की ओर आकृष्ट करते हुए निवेदन है कि वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कतिपय जनपदीय अधिकारियों द्वारा जिज्ञासायें प्राप्त हुई हैं। इस सम्बन्ध में निम्नवत् स्थिति स्पष्ट की जाती है—

| जिज्ञासा | उत्तर |
|---|---|
| 1—सी०टी० ग्रेड के ऐसे अध्यापक जिन्होंने 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है तथा बी०ए०, बी०टी०सी० अथवा बी०ए० जे०टी०सी० है उन्हें भी क्या 1—1—86 से वेतन निर्धारण में एल०टी० ग्रेड प्रदान किया जायेगा? | सी०टी० वेतनक्रम में 10 वर्ष की अविरल संतोषजनक सेवा के साथ प्रशिक्षित स्नातक होना आवश्यक है। वह प्रशिक्षण चाहे सी०टी० का हो अथवा जे०टी०सी०, बी०टी०सी० हो। |
| 2—क्या शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अध्याय 2 विनियम—20 अभ्यर्पित (मृत) माने जायेंगे अथवा नहीं। | माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अध्याय—2 विनियम—20 शिक्षण कर्मचारियों पर प्रभावी है। शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पद इससे प्रभावित नहीं है किन्तु शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर के पदों को भरने की या उस पर वित्तीय सहमति देने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि निर्धारित मानक के अन्तर्गत विद्यालय की वर्तमान स्थिति में पद भरने की आवश्यकता है और पद वर्तमान में भी मानक के अन्तर्गत ही है। यदि मानक से उक्त पद अधिक हो रहा है तो उसे समाप्त माना जायेगा और उसके प्रति वित्तीय सहमति नहीं दी जायेगी। |
| 3—जहाँ शिक्षा निदेशालय के पत्रांक सा०—1(प्रथम)/1790—1890/86—87 दिनांक 21—7—86 के सन्दर्भ में पदों को विज्ञान/गणित में परिवर्तित करने के आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया जाता है कि यह पद किस पूर्व सृजित पद को परिवर्तित किया गया है? पद मानक के अन्तर्गत है? अथवा उसके अतिरिक्त है इसका भी उल्लेख नहीं रहता उस पर वित्तीय सहमति दी जाय अथवा नहीं? | पूर्व स्वीकृत पद के परिवर्तन आदेशों में यह स्पष्ट इंगित होना चाहिए कि वे पद कब व किस वेतन क्रम/विषय के लिये स्वीकृत थे, किस कारण रिक्त हुए और उन्हें कब से विज्ञान/गणित में परिवर्तित किया जा रहा है। नियमानुसार पद सृजन अथवा पद परिवर्तन आदेशों में भी पूर्व सृजित पदों का विवरण टिप्पणी के कालम में देते हुए जनशक्ति का निर्धारण भी किये जाने के आदेश हैं जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस पद सृजन अथवा पद परिवर्तन से पूर्व व वर्तमान में पदों में कहीं कोई भिन्नता नहीं है। कोई भी पद सृजन मानक के अन्तर्गत ही होना चाहिए मानक के विपरीत सृजित पद बिना शासन के पूर्व स्पष्ट आदेश प्राप्त हुए मान्य नहीं है। |
| 4—राजाज्ञा सं०—वे०आ०—1—2186/दस—90—39(एम) 89 दिनांक, 31—5—90 के | इस सम्बन्ध में निम्न स्थितियाँ स्पष्ट की जाती हैं। वेतन निर्धारण की यह राजाज्ञा सामान्य |

सम्बन्ध में राजाज्ञा सं०–वे०आ०–1763/दस–39(एम)/89 दिनांक 3 जून 89 के प्रस्तर–3(10) के अनुसार समय वेतनमान का लाभ देने के लिए उसी वेतन क्रम में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ अथवा चयन वेतनमान का लाभ प्राप्त कर्मचारी चयन वेतनमान/समयमान वेतनमान का लाभ पाने की तिथि (1–7–82 से अथवा उसके बाद वास्तविक रूप से स्वीकृति की तिथि) से 6 वर्ष के उपरान्त प्रोन्नति का वेतनमान दिये जाने का उल्लेख है जबकि राजाज्ञा सं० 4772(11)/15–2–89– 27(59)/88 टी०सी० दि० 28 सितम्बर/ 18–10–89 से जो वेतनमान स्वीकृत है उसके टिप्पणी में यह अंकित है कि प्रोन्नति वेतनमान सम्बन्धित पद धारक द्वारा चयन वेतनमान आहरित करने के पश्चात देय होगा राजाज्ञा दि० 31–5–90 से स्पष्ट होता है कि दिनांक 1–1–86 से पूर्व चयन वेतनमान धारक को 6 वर्ष की चयन वेतनमान में सेवा के बाद पदोन्नत वेतनमान दिया जायेगा तथा 1–1–86 से अथवा उसके बाद में स्वीकृत चयन वेतनमान धारक को च०वे०मा० का अधिकतम प्राप्त करने के पश्चात ही अनुमन्य होगा।

5–कपितय प्रकरण ऐसे हैं जिनमें त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान हो गया है और उनसे प्रतिमाह की कटौती द्वारा जो वसूली की जा रही है इतनी कम है कि भुगतान की गई धनराशि का वार्षिक ब्याज एवं कटौती में प्राप्त धन का योग लगभग बराबर है। कृपया स्पष्ट करें कि कटौती कितनी किश्तों में की जानी चाहिए और कटौती की किश्त की न्यूनतम व अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए।

रूप से सभी राजकीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण पर लागू की गई किन्तु शिक्षण कर्मचारियों में कपितय पदों (यथा एल०टी० एवं प्रवक्ता वेतन क्रम) में चयन वेतनमान कां अलग से व्यवस्था की गई है। जहाँ तक शिक्षण कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों का सम्बन्ध है प्रोन्नति वेतनमान उनके द्वारा च०वे० मान की प्राप्ति की तिथि (जिसकी गणना राजकीय कर्मचारी के लिये 1–7–82 या उसके उपरान्त वास्तविक रूप से स्वीकृत तिथि से किन्तु सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए 1–1–86 या उसके बाद वास्तविक रूप से स्वीकृति की तिथि से की जायेगी) से 6 वर्ष की सेवा के उपरान्त वैयक्तिक रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होने पर प्रदान की जायेगी।

2–ऐसे शिक्षण कर्मचारी जिनके च०वे०मा० एवं प्रोन्नति वेतनमान की राजाज्ञाओं में च०वे०मा० के अधिकतम पर पहुँचने के उपरान्त प्रोन्नति वेतनमान देने की अभ्युक्ति है के सम्बन्ध में शासन से जिज्ञासा की गई है। शासन के स्पष्टीकरण से यथा समय अवगत कराया जायगा तब तक नवीन राजाज्ञा के परिप्रेक्ष्य में चयन वेतनमान के अधिकतम पर वेतन आहरित करने के उपरान्त आगामी वेतन वृद्धि तिथि से ही प्रोन्नति वेतनमान दिया जाय।

ऐसे प्रकरणों में कुल कितनी धनराशि की कटौती होनी है इसका आगणन करके वसूली की किश्तों का निर्धारण इस बात को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए कि कटौती की प्रत्येक किश्त उस कर्मचारी के वेतन के 1/3 भाग से अधिक न हो। यदि किसी कर्मचारी पर वसूली की धनराशि इतनी अधिक है कि उसके सेवानिवृत्त की तिथि तक उक्त 1/3 भाग की दर से वसूली करने पर पूर्ण न हो पायेगी तो इस सम्बन्ध में विभाग/शासन से अनुमति प्राप्त करके वसूली की किश्त की धनराशि बढ़ाई जा सकती है।

भवदीय,

**शैलेन्द्र श्रीवास्तव**

□□□

## वेतन-निर्धारण जिज्ञासा

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
शिक्षा (आडिट–1) अनुभाग,

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
फतेहपुरी/टिहरी।

पत्रांक : आडिट (1)/1321–1486 /93–94 दिनांक 22–10–1993

**विषय**–वेतन निर्धारण सम्बन्धी जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक लेखा संगठन/7101/93–94, दिनांक 5–1०–93 एवं अ०शा० पत्रांक/लेखा संगठन/195–97/93–94, दिनांक 1–10–93 के सम्बन्ध में आप द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जाती है–

| बिन्दु | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| (1) सी०टी० वेतनक्रम के ऐसे शिक्षकों जिनके द्वारा सी०टी० वेतनक्रम 10 में वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूरी करने पर राजाज्ञा दिनांक 19–8–89 के अनुसार मृत संवर्ग के अंतर्गत एल०टी० वेतनक्रम स्वीकृत किया गया। एल०टी० वेतनक्रम अनुमन्य करने के उपरान्त यदि अगली पुरानी वेतनवृद्धि की तिथि को सी०टी० वेतनक्रम का वेतन एल०टी० से अधिक हो जाता है तो वेतन का पुर्ननिर्धारण किया जायेगा अथवा नहीं? | सी०टी० मृत संवर्ग है, अतः जिस तिथि को कोई अध्यापक सी०टी० का पद त्यागकर एल०टी० में संविलीन या प्रोन्नत हो जायेगा सी०टी० का पद स्वयमेव एल०टी० का हो जायेगा। वेतन के पुनर्निर्धारण का प्रश्न केवल मूल/मौलिक वेतन से स्थानापन्न वेतन कम होने पर ही होता है। किन्तु सी०टी० मृत संवर्ग का अध्यापक एल०टी० में स्थानापन्न रूप से नहीं गया, बल्कि मौलिक रूप से समायोजित किया गया है। अतः सी०टी० से उसके वेतन की तुलना का प्रश्न ही नहीं उठता है। |
| (2) ऐसे शिक्षक जो कि सी०टी० में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने की तिथि को एल०टी० के लिए अर्ह नहीं थे (अर्थात् प्रशिक्षण स्नातक नहीं थे)। उन्हें राजाज्ञा दिनांक 5–3–92 के अनुसार सी०टी० का चयन वेतनमान स्वीकृत किया गया। इन शिक्षकों ने बाद में एल०टी० वेतनक्रम की अर्हता हासिल करने पर दिनांक 31–3–89 के उपरान्त मृत संवर्ग के अन्तर्गत एल०टी० वेतनक्रम स्वीकृत किया गया। यदि अगली पुरानी वेतन वृद्धि की तिथि को सी०टी० का चयन वेतनक्रम एल०टी० वेतनक्रम के बराबर या अधिक हो जाय तो वेतन का पुनर्निर्धारण किया जायेगा? अथवा नहीं? | नहीं। क्योंकि उक्त स्पष्टीकरण के अनुसार एल०टी० में यह मौलिक रूप से समायोजित हो जायेंगे। संविलियन के अनुसार उक्त सी०टी० वेतनमान से इनका कोई सम्बन्ध नहीं रह जायेगा। |
| (3) कला, व्यायाम भाषा एवं संगीत आदि के ऐसे अध्यापक जो सी०टी० वेतनक्रम में 10 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं, किन्तु कक्षा 9–10 को नहीं पढ़ा रहे हैं अथवा पढ़ाने का अवसर नहीं मिला। ऐसी स्थिति में राजाज्ञा सं०–1121/15–8–90, दिनांक 28–2–90, के अनुसार एल०टी० वेतन क्रम देय | इसके सम्बन्ध में दिनांक 25–5–93 को शासन से जिज्ञासा की गई है। शासन का मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदनुसार अवगत कराया जायेगा। सम्प्रति शासनादेश की प्रतीक्षा की जाय। |

| | |
|---|---|
| नहीं है। क्या ऐसे शिक्षकों को राजाज्ञा–153/15–8–3087, दिनांक 5–3–92 द्वारा सी०टी० का चयन वेतनमान देय है अथवा नहीं? | |
| (4) उक्त श्रेणी के एल०टी० ग्रेड के ऐसे शिक्षकों को जो एल०टी० में 10 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं किन्तु उनके द्वारा कक्षा 11–12 नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि विद्यालय हाईस्कूल स्तर का ही है। क्या ऐसे शिक्षकों को चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा। | उक्तवत्। |
| (5) इसी प्रकार इसी संवर्ग के ऐसे शिक्षक जो नियुक्ति तिथि/पदोन्नति तिथि से प्रवक्ता वेतन क्रम में 10 वर्ष की सेवा दिनांक 1–1–86 या उसके बाद पूरी करते हैं का वेतन निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान में किया जायेगा या चयन वेतनमान। | पुनरीक्षित वेतनमान में/चयन वेतनमान के सम्बन्ध में उक्तवत् शासनादेश की प्रतीक्षा की जाय। |

भवदीय

**(जगदेव प्रसाद)**

मुख्य लेखाधिकारी

शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, इलाहाबाद।

❑❑❑

## वेतन विसंगति सम्बन्धी

संख्या–360/15–8–95/3092/95

प्रेषक,

श्री जे०एस० सिरोही

विशेष सचिव, उ०प्र० शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,

उ०प्र०, लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 2 फरवरी, 1995

**विषय**–वेतन पुनरीक्षण समिति उ०प्र० 1989 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के इण्टर कालेजों में शैक्षिक पदों पर पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–4749/15–8–89/3087/89, दिनांक 4 अक्टूबर, 1989 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों हेतु समता समिति (1989) की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में लिये गये निर्णय के अनुसार राज्यपाल महोदय उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 4–10–1989 में उल्लिखित प्रवक्ता पद पर यदि एल०टी० ग्रेड अध्यापक सेलेक्शन ग्रेड रु० 1640–2765 प्राप्त करते हुए प्रवर . के पद पर प्रोन्नत पाते हैं, तो उन्हें रु० 1640–60–2540–द०रो०–75–2765 का वेतनमान वैयक्तिक रूप में दिये जाने एवं इसी वेतनमान में वेतन अगले स्तर पर निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**2.** उक्त शासनादेश दिनांक 4 अक्टूबर, 1989 इस सीमा तक संशोधित सभझा जाय।

**3.** यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे०आ०–2–43/95 दिनांक 27 जनवरी, 1995 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा हैं।

भवदीय,

**जे०एस० सिरोही,** विशेष सचिव।

❑❑❑

## प्रधानाध्यापक-चयन वेतनमान की स्वीकृति

संख्या–370/15–8–94/3079/89

प्रेषक,

श्री अशोक गाँगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग लखनऊ : दिनांक 2 फरवरी, 1995

**विषय** : वेतन पुनरीक्षण समिति, उत्तर प्रदेश (1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा इण्टर कालेजों में शैक्षिक पदों पर पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–152/15–8–91/3097/89, दिनांक 5 मार्च, 1992 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वेतन पुनरीक्षण समिति उत्तर प्रदेश (1989) की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समता समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में लिये गये निर्णयानुसार उक्त शासनादेश दिनांक 5 मार्च, 1992 के प्रस्तर–1 में प्रधानाध्यापक (हाईस्कूल) के सम्मुख अभ्युक्ति के स्थान पर दिनांक 25–11–1994 से निम्नवत् प्राविधान किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

**प्रधानाध्यापक (हाईस्कूल)**—नियमित पद धारकों को इस पद पर की गयी 16 वर्ष संतोषजनक सेवा पर वैयक्तिक रूप से रु० 2200–75–2800–द०रो० 100–4000 का वेतनमान देय होगा।

**2.** यह आदेश दिनांक 25–11–1994 से प्रभावी होंगे और इसके पूर्व के मामलों में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 5–3–1992 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

**3.** उक्त शासनादेश दिनांक 5 मार्च, 1992 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

**4.** यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे०आ०–2–44–दस दिनांक 28–1–1995 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
**अशोक गाँगुली**
उप सचिव

❑❑❑

## चयन वेतन राजाज्ञा

संख्या–यू०ओ०–140/15–8–95/3061/94

प्रेषक,

श्री अशोक गाँगुली,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा०)
उ०प्र० लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 8 मार्च, 1995

**विषय** : वेतन पुनरीक्षण समिति, उत्तर प्रदेश (1989) की संस्तुतियों पर लिये गये, निर्णयानुसार अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के इण्टर कालेजों में शैक्षिक पदों पर पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–4749/15–8–89/3087/81, दिनांक 04 अक्टूबर, 1989 और संख्या–153/15–8–3087/81, दिनांक 5 मार्च, 1992 में ऐसे नियमित पद धारकों को जिन्हें 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य कराया गया है, के सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि यदि ऐसे शिक्षक जो विनियमित हो जाते है और विनियमितीकरण की तिथि के पूर्व 10 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूरी हो जाती है, तो विनियमितीकरण की तिथि से ही सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कर दिया जाय।

**2**–उक्त शासनादेश दिनांक 4 अक्टूबर, 1989 तथा 5 मार्च, 1992 की अन्य शर्तों व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

**3**–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या वे०आ०–2–142/दस–95, दिनांक 8 मार्च, 1995 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
**(अशोक गाँगुली)**
उपसचिव।

❑❑❑

## प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक-चयन वेतनमान

संख्या–406/15–3–95/3097/89

प्रेषक,
श्री इन्दु प्रकाश ऐरन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
शिक्षा निदेशक उ०प्र०
इलाहाबाद/लखनऊ।

शिक्षा (8) अनुभाग
लखनऊ : दिनांक : 27 नवम्बर, 1995

**विषय** : वेतन पुनरीक्षण समिति, उ०प्र० (1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा इण्टर कालेजों में शैक्षिक पदों पर पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–4749/15–8–81/3087/87, दिनांक अक्टूबर 4, 1989 के क्रम में तथा शासनादेश संख्या–152/15–8–91/3097/81; दिनांक मार्च 5, 1992 के आंशिक संशोधन में तथा शासनादेश संख्या 360/15–8–95/3079/81, दिनांक 2.2.1994 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वेतन पुनरीक्षण समिति, उ०प्र० (1989) की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य म लिये गये नि र्यानुसार प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को सेवा अवधि के आधार पर नियमित पदधारकों को अनुमन्य किये वैयक्तिक वेतनमान हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 5 मार्च, 1992 के प्रस्तर 2 में निर्धारत शर्तो पर पुनः विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय शासनादेश दिनांक 5 मार्च, 1992 के प्रस्तर दो में उल्लिखित शर्तो को हटाये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

**2**– उक्त शासनादेश दिनांक 5 मार्च, 1992 इस सीमा तथा संशोधित समझा जाय।

**3–** यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या वे०आ०–2–789/दस–95, दिनांक 17–11–1995 में प्राप्त उन की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**इन्दु प्रकाश ऐरन**

प्रमुख सचिव।

❑❑❑

## कला, व्यायाम, संगीत अध्यापकों सम्बन्धी चयन वेतन-स्थायीकरण

प्रेषक,

श्री अशोक गाँगुली,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा०)
उ०प्र० लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 18 नवम्बर, 1996

**विषय :** अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कला, व्यायाम, भाषा आदि अध्यापकों के वेतन निर्धारण एवं ज्येष्ठता सम्बन्धी जिज्ञासाओं का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक–आडिट(1)/700/13–14, दिनांक 25 मई, 1993 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपके उक्त पत्र में उल्लिखित जिज्ञासाओं का स्पष्टीकरण निम्नवत अंकित कर भेजा जा रहा है–

| जिज्ञासा | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| (1) राजाज्ञा दिनांक 28–2–96 द्वारा पूर्व से कार्यरत अध्यापकों को उच्च वेतनमान उनके द्वारा उच्च कक्षाओं को पढ़ाने के आधार पर दिया गया है, जो सम्बन्धित अध्यापक को ही एक प्रकार से वैयक्तिक रूप से पदोन्नति का वेतनमान दिये जाने की श्रेणी में आता है। इस प्रकार यह जिज्ञासा की जा रही है कि ऐसा अध्यापक अवकाश ग्रहण कर लेगा या अन्यथा सेवा से अलग होगा तो वह पद किस श्रेणी में रिक्त माना जायेगा। | (1) राजाज्ञा दिनांक 20.2.90 द्वारा जिन अध्यापकों को 10 वर्ष तक उच्च कक्षाओं में पढ़ाने के आधार पर एल०टी०/प्रवक्ता का सामान्य वेतनमान दिया जायेगा, वह पद उच्चीकृत नहीं माना जायेगा और ऐसे पद मौलिक रूप से रिक्ति होने की स्थिति में उसी संवर्ग में माना जायेगा, जिस संवर्ग में वह मूल रूप से सृजित किया गया था। |
| (2) राजाज्ञा दिनांक 28–2–90 में यह कहा गया है कि भविष्य में उक्त विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को एल०टी० एवं प्रवक्ता वेतनमान में नियुक्ति के लिए सम्बन्धित व्यवसाय की अर्हता के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर अर्हता निर्धारित की जाती है। इसका क्या तात्पर्य है। | (2) सम्भवतः इसमें कोई भ्रम उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। दिनांक 28.2.90 के आदेश से यह बात स्पष्ट है कि प्रश्नगत विषयों के अध्यापकों को 10 वर्ष की सेवा के बाद इस शर्त के अधीन कि उन्होंने कक्षा–9–10 तथा कक्षा 11–12 का अध्यापन कार्य किया है उच्चीकृत वेतनमान दे दिया गया है और उसमें शैक्षिक अर्हता का प्रतिबन्ध नहीं है किन्तु भविष्य के लिए उक्त वेतनमान देने हेतु शैक्षिक अर्हता का प्रतिबन्ध है। |
| (3) ऐसे विषयों के जिन अध्यापकों को एक ही वेतनमान में सेवा अवधि एवं अन्य शर्तें पूर्ण होती है, वहां कहीं चयन वेतनमान दे दिया गया है | (3) राजाज्ञा दिनांक 28.2.90 में अंकित ऐसे विषयों के अध्यापकों को जो कक्षा–9–10 को पढ़ाते हुए 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं अथवा |

किन्तु अधिकांश जनपदों से यह जिज्ञासाएँ आ रही हैं कि इस प्रकार के अध्यापकों के लिए चयन वेतनमान की व्यवस्था शासन द्वारा नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट करे कि क्या कला, व्यायाम, भाषा आदि अध्यापकों को चयन वेतनमान देय है? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं किन सिद्धांतों पर? जिन विद्यालयों में उच्च कक्षाएं नहीं हैं अथवा उच्च कक्षाओं में विषय की मान्यता नहीं है वहाँ इस श्रेणी के अध्यापकों को उच्च वेतनमान का लाभ नहीं मिल सकता। अतः ऐसे अध्यापकों को निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने पर चयन वेतनमान दिया जाय। इस सम्बन्ध में मार्ग दर्शन करने की कृपा करें।

(4) राजाज्ञा सं०–6714/15–8–89/3002/81 दिनांक 16–2–90 के स्पष्टीकरण बिन्दु–1 के द्वारा सी०टी० से एल०टी० में संविलियन के सम्बन्ध में जो स्थिति स्पष्ट की है, उसमें कला व्यायाम, गृह विज्ञान आदि को छोड़कर शेष को लाभ देने का उल्लेख है। इसमें यह भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि कला, व्यायाम, भाषा आदि अध्यापकों को सामान्य संवर्ग से अलग माना जा रहा है और चूँकि इन कला, व्यायाम आदि अध्यापकों को चयन वेतनमान देने के सम्बन्ध में कोई आदेश एवं मानक शर्ते भी शासन द्वारा निर्गत नहीं किया गया। फलस्वरूप इन्हें चयन वेतनमान देने में भ्रम के कारण जिज्ञासाएं आ रही है।

कक्षा 11–12 को पढ़ाते हुए 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं उन्हें उसी पद पर उच्चीकृत वेतनमान क्रमशः रु० 1400–2300 तथा रु० 1600–2660 तो एल०टी० ग्रेड अध्यापक अथवा प्रवक्ता वेतनक्रम है, दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि इसमें सेवा अवधि के आधार पर उन्हें उच्चीकृत वेतनमान का लाभ दिया गया है। इसमें कोई पदनाम परिवर्तन नहीं है। अतः पुनः उच्चीकृत वेतनमान एल०टी० ग्रेड अथवा प्रवक्ता वेतनक्रम में चयन वेतनमान देय नहीं है। किन्तु जिन अध्यापकों को, विद्यालयों में उच्च कक्षाएं न होने अथवा उच्च कक्षाओं में विषय में मान्यता न होने के कारण उक्त लाभ नहीं दिया गया है और उन्होंने सी०टी० ग्रेड अथवा एल०टी० ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है, तो उन्हें उस ग्रेड में चयन वेतनमान देय होगा, बशर्ते कि ऐसे पद सी०टी० ग्रेड एवं एल०टी० संवर्ग के पद हों।

(4) कला, व्यायाम, शिल्प संगीत आदि के सी०टी० ग्रेड के ऐसे अध्यापक, जो सी०टी० ग्रेड संवर्ग में है, प्रशिक्षित स्नातक है और 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हैं, को ऐसे अन्य सहायक अध्यापकों की भाँति एल०टी० ग्रेड में संविलियन किया जाय। सी०टी० ग्रेड के ऐसे शिक्षक, जो प्रशिक्षित स्नातक नहीं है और उन्होंने सी०टी० ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है उन पर बिन्दु–3 का प्राविधान लागू होगा।

**2.** उपरोक्त स्पष्टीकरण वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय
**अशोक गाँगुली**
संयुक्त सचिव।

□□□

## प्रधानाध्यापक का वेतन निर्धारण

संख्या : 1415/15-8-97/3095/89

प्रेषक,

श्री अशोक गाँगुली,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा०)
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद/लखनऊ।

शिक्षा (8) अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 8 अगस्त, 1997

**विषय**—वेतन पुनरीक्षण समिति, उ०प्र० (1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा इण्टर कालेजों में शैक्षिक पदों पर पुनरीक्षण वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–152/15–8–91/3087/89, दिनांक 4 मार्च, 1992 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ऐसे नियमित प्रधानाध्यापक जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष होगी, उनके लिए इस पद पर की गई 14 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर वैयक्तिक रूप से रु० 2200–75–2800–द०रो०–100–4000 का वेतनमान दिये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऐसे नियमित प्रधानाध्यापक जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी, उनके लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 16 वर्ष की सेवा पर वैयक्तिक रूप से रु० 2200–65–2800–द०रो०–100–4000 का वेतनमान अनुमन्य होगा।

**2.** यह आदेश दिनांक 1–3–1995 से प्रभावी होगा।

**3.** उक्त शासनादेश दिनांक 2 फरवरी, 1995 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

**4.** यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे०आ०–2/456/दस–97, दिनांक 8 अगस्त, 1997 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
**अशोक गाँगुली**
संयुक्त सचिव।

□□□

## समयमान वेतनमान की स्वीकृति

संख्या वै० आ०–1–84/दस–12 (एम)–95

प्रेषक,

श्री विनोद कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन

सेवा मे

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष उ०प्र०

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 5 फरवरी 1997

**विषयः** समयमान वेतनमान की स्वीकृति

महोदय,

उपरोक्त विषयक, शासनादेश संख्या वे० आ०1-166/(दस)/12(एम)/95, दिनांक 8 मार्च, 1995 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उक्त शासनादेश दिनांक 8 मार्च 1995 के प्रस्तर 1 (2) तथा प्रस्तर–1(3) को निम्नवत प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

"1(2). ऐसे कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रू० 3500 तक हैं और जो सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हैं, उनकी जब 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि को सम्मिलित करते हुए कुल 14 वर्ष की पूर्ण हो जाती है, प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाय। वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान देने के लिए सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतन वृद्धि की 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा अनिवार्य है। किन्तु सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की सेवा गणना हेतु पूर्व मे इसके अन्तर्गत यदि 10 वर्ष की सेवा के आधार पर एक वेतन वृद्धि मिल चुकी है तो उस वास्तविक दिनांक से गिनी जायगी और उन पदधारकों हेतु सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की सेवा का प्रतिबन्ध 4 वर्ष रखा जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी पद धारक को 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा के आधार पर एक वेतन वृद्धि का लाभ 1 मार्च, 1991 तक मिल चुका था और उसकी सेवा इसके बाद संतोषजनक अनवरत रही है और वह दिनांक 1 मार्च 1995 को नियमित हो जाता है तो 1 मार्च 1995 को वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान मिलेगा। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए प्रोन्नति का कोई पद नहीं हैं, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान देय होगा। उदाहरण स्वरूप ऐसा पदधारक जो पुनरीक्षित वेतनमान रू० 1200–2040 में हैं, उसे रु० 1350–2200 का पुनरीक्षित वेतनमान वैयक्तिक वेतनमान के रूप में देय होगा।

"1(3). ऐसे कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रू० 3500 तक है जब वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रोन्नत/ अगले वेतनमान में 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 19 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं, को प्रोन्नत/अगले वेतनमान में वेतन उस तिथि को अगले प्रक्रम पर निर्धारित कर दिया जाय अर्थात उसे एक वेतन वृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में अनुमन्य होगा। किन्तु यदि किसी नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नत वेतनमान/ अगला वेतनमान पहले मिल चुका है तो उस हेतु भी 1 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा की गणना में पूर्व में जिस दिनांक से यह लाभ मिला है उसे संज्ञान में लिया जायगा। उदाहरणस्वरूप यदि पदधारक को वैयक्तिक प्रन्नोति वेतनमान/अगला वेतनमान दिनांक 1 फरवरी, 1991 को मिल चुका था तो 1 मार्च, 1995 को उक्त व्यवस्था के अधीन एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि अनुमन्य होगी।

**2.** उक्त शासनादेश दिनांक 8 मार्च, 1995 के प्रस्तर–1(4) में उल्लिखित सेव अविध को भी संशोधित कर **"6 वर्ष"** के स्थान पर **"5 वर्ष"** एवं **"26 वर्ष"** के स्थान पर **24 वर्ष** किया जाता है।

**3.** शासनादेश दिनांक 8 मार्च, 1995 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
**विनोद कुमार मित्तल,**
प्रमुख सचिव, (वित्त)।

□□□

## शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति

संख्या–वे०आ०–2-211/दस-2001-45(एम)/99

प्रेषक,
श्री वी०के०मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,
1- प्रमुख सचिव, शिक्षा/सचिव, उच्च शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा एवं कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
2- शिक्षा, निदेशक उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

3- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
4- वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 06 फरवरी, 2001

**विषय :-** वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–वे०आ०–2-181/दस-97-1-शिक्षा/97-1-शिक्षा/97, दिनांक 20 फरवरी, 1997 में राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये दिनांक 1-1-1986 से लागू वेतनमानों में समयमान वेतनमान की व्यवस्था, शासनादेश संख्या–वे०आ०–2-1007/दस-17जी-98, दिनांक 10-7-1998 के प्रस्तर–4 द्वारा, दिनांक 1-1-1996 के बाद स्थगित कर दी गयी थी। राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 10-7-1998 के प्रस्तर–4 को निरस्त करते हुए वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर प्रदेश की सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 20-2-1997 में जारी समयमान वेतनमान की व्यवस्था को दिनांक 1-1-1996 से प्रभावी वेतनमानों में भी यथावत बनाये रखने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**2. वेतन निर्धारण/पुनर्निर्धारण**–(1) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में वेतनवृद्धि स्वीकृति होने के फलस्वरूप सम्बन्धित कर्मचारी का वेतन अनुमन्यता की तिथि को उसी वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(2) उपर्युक्तानुसार प्रथम तथा द्वितीय वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की वेतनवृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात वेतनवृद्धि की तिथि वहीं रहेगी जो उपर्युक्त लाभ न पाने की दशा में होती।

(3) ऐसे मामलों में जहाँ समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि का लाभ संवर्ग में किसी वरिष्ठ कर्मचारी को दिनांक 1-1-1996 के पूर्व तथा कनिष्ठ कर्मचारी को दिनांक 1-1-1996 अथवा उसके बाद अनुमन्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी से कम हो जाय तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर निर्धारित कर दिया जाय।

(4) वैयक्तिक रूप से स्वीकृत प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(5) वैयक्तिक रूप से स्वीकृत द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर के अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(6) प्रथम अथवा द्वितीय वैयवितक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में यदि किसी समय बिन्दु पर किसी अधिकारी/कर्मचारी का वेतन उसे क्रमशः पद के साधारण वेतनमान अथवा प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अनुमन्य वेतन स्तर की तुलना में कम या बराबर हो जाय तो क्रमशः प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा दूसरे वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में उसका वेतन ऐसे वेतन स्तर के अगले प्रक्रम पर पुनर्निर्धारित कर दिया जाय। इस प्रकार वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप प्रथम तथा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि,

वेतन पुनर्निर्धारण की तिथि से 12 माह की अर्हकारी सेवा के उपरान्त देय होगी।

(7) यदि किसी पदधारक को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1-1-1996 अथवा अनुवर्ती विकल्प की तिथि तक अनुमन्य हो रहा हो, तो पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन, पद के साधारण पुनरीक्षित वेतनमान तथा पुनरीक्षित वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अलग–अलग, निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार वेतन निर्धारित करने पर यदि किसी पदधारक का वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में निर्धारित वेतन उसके पंद के साधारण वेतनमान में निर्धारित वेतन के बराबर अथवा उससे कम हो तो वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उसका वेतन अगले प्रक्रम पर पुनर्निर्धारण कर दिया जाय।

(8) यदि कोई पदधारक पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण की तिथि (दिनांक 1-1-1996 अथवा अनुवर्ती विकल्प की तिथि) से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ के लिये अर्ह होता है, तो उसे यह लाभ वर्तमान वेतनमान अथवा पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त करने का विकल्प रहेगा।

(9) ऐसे मामलों में जहां किसी कर्मचारी/अधिकारी की पदोन्नति उसी वेतनमान में होती है, जो उसे दिनांक 1-1-1996 तक या उसके बाद से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में मिला हो, तो ऐसे पद पर उसका वेतन शासन के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–22 ए(1) में निहित प्रक्रियानुसार अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित होगा और इसमें मूल नियम 22 बी के प्राविधान लागू नही होंगे। तद्नुसार शासनादेश संख्या–प०मा०नि०–357/दस–21(एम)/97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर–8(1) तथ प्रस्तर 8(2) निरस्त समझे जायें।

**3. वृद्धिरोध वेतनवृद्धि**–(1) ऐसे पदधारक जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रु० 10500 तक है, जब अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के फलस्वरूप वृद्धिरोध की स्थिति में आ जायें, तो उनके वेतनमान को उसमें अन्तिम वेतनवृद्धि के बराबर तीन वेतन वृद्धियाँ की धनराशि जोड़ कर बढा दिया जाये। यह वेतन वृद्धियाँ सम्बन्धित पदधारक को वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के पश्चात वार्षिक आधार पर देय होगी। वृद्धिरोध वेतनवृद्धि ऐसे पदधारकों को भी अनुमन्य होगी जिन्हें वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने तक सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में वेतनवृद्धि अनुमन्य हो चुकी हो किन्तु सम्बन्धित पदधारक के पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के उपरान्त, सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के रूप में देय वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

(2) ऐसे पदधारक जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रु० 10500 से अधिक है, उन्हें पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के उपरान्त वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक वेतनवृद्धि दी जाय। ऐसी वेतन वृद्धियों की अधिकतम संख्या 3 होगी।

(3) वृद्धिरोध का लाभ केवल पद के साधारण वेतनमान में अनुमन्य होगा। यह लाभ वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला उच्च वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान में अनुमन्य नहीं होगा।

(4) इस प्रकार अनुमन्य वृद्धिरोध वेतनवृद्धि को सम्बन्धित वेतनमान का भाग माना जायेगा तथा मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ उसे वेतन का अंग माना जायेगा।

**4. शर्ते एवं प्रतिबन्ध**–(1) उपर्युकत प्रस्तर-1 के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान की अनुमन्यता हेतु किसी पदधारक के लिये प्रोन्नति के पद का आशय उस पद से है जिस पर सेवा नियमावली अथवा कार्यकारी आदेशों के आधारों पर सम्बन्धित पदधारक द्वारा धारित पद से वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति का प्राविधान हो। यदि किसी पद हेत वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु दो या अधिक वेतनमानों में पद उपलब्ध हो तो समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय

वेतनमान के रूप में पदोन्नति हेतु उपलब्ध निम्नतम पद का वेतनमान ही अनुमन्य होगा। किसी अधिकारी/कर्मचारी को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में उसे, वह वेतनमान अनुमन्य होगा, जो शासनादेश संख्या–प०मा०नि०–357/दस–21(एम)/97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के संलग्नक ग पर उपलब्ध सूची के अनुसार अगला वेतनमान हो।

(2) किसी पदधारक के उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में निम्न पद पर सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि पदधारक द्वारा धारित उच्च पद का वेतनमान उसे निम्न पद पर वैयक्तिक रूप से सेवा अवधि के आधार पर देय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के समान या उससे उच्च है तो उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में उसे निंम्न पद पर समयावधि के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा और यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि को देय होगा।

(3) संतोषजनक सेवा के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा मार्ग–दर्शक व्यवस्था शासनादेश संख्या–761/कार्मिक–1/93, दिनांक 30 जून, 1993 में जारी की गयी है। अतः समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि/वैयक्तिक रूप से देय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान की अनुमन्यता हेतु संतोषजनक सेवा का निर्धारण उक्त शासनादेश के अनुसार किया जाय।

(4) किसी अधिकारी/कर्मचारी की वास्तविक प्रोन्नति होने की दशा में यदि वह प्रोन्नति के पद पर जाने से इंकार करता है तो उसे उस तिथि तथा उसके बाद देय सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान का लाभ अनुमन्य नही होगा। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान/अगला उच्च वेतनमान किसी पद/संवर्ग में प्रोन्नति के अवसर के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान किये गये है, अतः वास्तविक प्रोन्नति से इकार करने वाले कर्मचारियों के मामलों को सेवा में वृद्धिरोध नहीं माना जा सकता है।

(5) यदि किसी कर्मचारी ने दिनांक 1-1-1996 के बाद की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान चुना है, और उसे सेवा अवधि के आधार पर वेतनवृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1-1-1996 तथा उसके विकल्प के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में आने की तिथि के मध्य से देय हो, तो यह लाभ उसे वर्तमान वेतनमान में ही देय होगा।

(6) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत अनुमन्य उपर्युक्त चार लाभों में से यदि किसी पदधारक को कोई लाभ दिनांक 1-1-1996 से पूर्व मिल चुका है तो उसे दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वह लाभ पुनः नहीं मिलेगा। उसे तत्पश्चात देय लाभ, यदि कोई हो, ही अनुमन्य होगा।

(7) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का लाभ देने के लिये सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की संतोषजनक अनवरत सेवा की शर्त के परीक्षण हेतु उसकी चरित्र पंजिका देखना होगा। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी को यह लाभ अनुमन्य होने पर तत्सम्बन्धी आदेश जारी किये जाय। परन्तु जिनके सम्बन्ध में दिनांक 1-1-1996 के बाद आदेश जारी किये जा चुके है, उनके लिये पुनरीक्षित आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के नियुक्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी माने जायेंगे।

**5. रु० 8000-13500 या उससे उच्च वेतनमान के पदों पर समयमान वेतनमान की व्यवस्था**—ऐसे पदधारक जिनके पद का दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान रु० 8000-

13500 या उससे अधिक है के लिए समयमान वेतनमान की पूर्व वेतनमानों में लागू व्यवस्था (जिसे दिनांक 1-1-1996 से स्थगित कर दिया गया था) पुनरीक्षित वेतनमानों में दिनांक 31-12-2000 तक लागू रहेगी। दिनांक 1-1-2001 या उसके पश्चात् उपर्युक्त वेतनमान के पदों पर समयमान वेतनमान की व्यवस्था सम्बन्धी आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

**6. अवशेष के भुगतान की प्रक्रिया**—समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ स्वीकृत होने के फलस्वरूप अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 1-4-2000 से भुगतान नकद किया जायेगा। दिनांक 1-1-1996 दिनांक 31-3-2000 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, जो दिनांक 31-3-2002 तक निकाली नहीं जा सकेगी। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन०एस०सी०) के रूप में दी जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टीफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दे दी जायेगी।

(2) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व समाप्त हो गयी हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 जून, 2001 तक सेवा निवृत्त होने वाली हो, उनको देय धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान नकद किया जायेगा।

**7.** उक्त निर्णय के फलस्वरूप यदि कोई प्रभावित अधिकारी/कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान चुनने के लिये संशोधित विकल्प प्रस्तुत करने चाहे तो उसे इस शासनादेश के जारी होने अथवा सम्बन्धित पदधारक को उपर्युक्तानुसार लाभ स्वीकृत करने सम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी होने की तिथि, जो भी बाद में हो, के 90 दिन के अन्दर संशोधित विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

**8.** (1) इस शासनादेश द्वारा जारी व्यवस्था ऐसे शौक्षिक पदों पर भी लागू होगी जहां पूर्व में समयमान वेतनमान का लाभ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान अनुमन्य था।

(2) इस शासनादेश में जारी व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 1997/10 जुलाई, 1998 एवं उसके क्रम में जारी अन्य शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझें जायें।

भवदीय,
**वी० के० मित्तल,**
प्रमुख सचिव, वित्त।

❑❑❑

## उच्चतर पदों पर प्रोन्नति की दशा में वेतन निर्धारण

संख्या जी–1456/दस-301-81

प्रेषक,
जे० एल० बजाज
सचिव।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 30 अक्टूबर, 1981

**विषय** :- पद के वेतनमान में अधिकतम वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को उच्चतर पदों पर प्रोन्नति की दशा में वेतन निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग के प्रतिवेदन के खण्ड–1 के अध्याय 10 के प्रस्तर 10-9(2) में निहित संस्तुति को स्वीकार करते हुए राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि जब किसी पद के वेतनमान में अधिकतम वेतन प्राप्त करने वाले किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति/प्रोन्नति उच्चतर कर्तव्य अथवा उत्तरदायित्व के पद

पर की जाय और उसका वेतन वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम 22–बी के अन्तर्गत निर्धारित किया जाना अपेक्षित हो, तो उच्चतर पद के वेतनमान में उसका प्रारम्भिक वेतन निम्न पद के वेतनमान के अधिकतम पर उसी वेतनमान की अन्तिम वेतन वृद्धि के बराबर एक प्रकल्पित वेतन वृद्धि को जोड़ने के पश्चात् उच्चतर वेतनमान में उसके अगले उच्च प्रक्रम पर निश्चित किया जायेगा। यह आदेश दिनांक 1 जुलाई, 1979 से प्रभावी होंगे।

**2.** द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 1 जुलाई, 1979 से लागू वेतनमानों में मूल नियम 22 बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण उन मामलों में अनुमन्य न होगा, जहाँ कोई सरकारी सेवक मौलिक, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से धारित किसी ऐसे पद से, जिसके वेतनमान का अधिकतम दिनांक 1 जुलाई, 1979 से प्रवृत्त वेतनमानों में 1720 रुपये प्रतिमास से अधिक हो, उच्चतर कर्तव्यों अथवा उत्तरदायित्वों में किसी पद पर मौलिक, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से नियुक्त अथवा प्रोन्नत किया जाय।

**3.** वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियमों में आवश्यक संशोधन अलग से किये जायेंगें

भवदीय,
**जे०एल०बजाज,**
सचिव।

□□□

## पंचम वेतनमान : चयन वेतन/पदोन्नति वेतन

संख्या–4307/15–8–3038/99

प्रेषक,
श्रीमती नीरा यादव,
प्रमुख सचिव, शिक्षा
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1. शिक्षा निदेशक (मा०)
उ०प्र० लखनऊ
2. निदेशक (बेसिक शिक्षा)
उ०प्र० लखनऊ

शिक्षा अनुभाग–8

लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2001

**विषय :** प्रदेश के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जाना।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1262/दस–53/2001, दिनांक 20 जुलाई, 2001 सपठित शासनादेश संख्या वे०आ०–2/1432/दस– 2001-53/2001, दिनांक 08 अगस्त 2001 एवं शासनादेश संख्या–वे०आ०– 2/1650/दस–2001–53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर 2(2) के अनुक्रम में राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त बेसिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के ऐसे शिक्षक जो दिनांक 01 जुलाई, 2001 को सेवारत थे अथवा उसके उपरान्त नियुक्त हुये हों, को चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**(व) बेसिक शिक्षा**

(1) प्राथमिक शिक्षकों को साधारण वेतनमान में 10 की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान अनुमन्य कराया जायेगा।

(2) चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान, चयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की राशि तक देय होगा।

(3) प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जो शिक्षकों की उपयुक्ता पर विचार कर अपनी संस्तुति देगी जिसके आधार पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

(4) उपरोक्त प्रक्रिया बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के सम्बन्ध में भी अपनायी जायेगी।

(5) यदि किसी वर्ष में प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु पदों की संख्या कम होती है तथा अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो शिक्षकों को/प्रधानाध्यापकों को अपने पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार सूची बनाकर प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

**(ख) माध्यमिक शिक्षा**

(1) माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/प्रवक्ताओं को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा तथा चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

(2) अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में राजकीय विद्यालयों के एल०टी० शिक्षकों के लिए सम्बन्धित मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एतम् राजकीय विद्यालयों के प्रवक्ताओं के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा। जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर अपनी संस्तुति देगी। इस संस्तुति के आधार पर सम्बन्धति नियुक्ति अधिकारी द्वारा वेतनमान स्वीकृत करने के आदेश जारी किये जायेंगे।

(3) शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत एल० टी० शिक्षकों की प्रोन्नति वेतनमान उसी दशा में स्वीकृत किया जायेगा जब एल० टी० शिक्षकों द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली गयी है।

(4) हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

**2.** उपर्युक्तानुसार चयन/प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक का वेतन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जायेगाः—

(1) दिनांक 1–1–1996 को चयन/प्रोन्नति वेतनमान में कार्यरत शिक्षकों का वेतन, शासनादेश संख्या वे०आ०–2–1432/दस–2001–53/2001, दिनांक 8 अगस्त, 2001 एवं शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1650/दस–2001–53/2001, दिनांक 3 सितम्बर, 2001 में जारी व्यवस्था के अधीन, सीधे संशोधित चयन/प्रोन्नत वेतनमान में निर्धारित किया जायेगा।

(2) दिनांक 1–1–1996 के बाद की तिथि से चयन वेतनमान की अनुमन्यता के मामले में सम्बन्धित शिक्षक का वेतन, साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से, चयन वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(3) दिनांक 1–1–1996 के बाद की तिथि से वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता के मामले में सम्बन्धित शिक्षक का वेतन, चयन वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से प्रोन्नत वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(4) अवशेषों का भुगतान शासनादेश संख्या वे०आ०–2–1432/दस–53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 के प्रस्तर–2(2) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

**3.** उपर्युक्त शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1432/दस–2001–53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 के प्रस्तर–1(2) एवं शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1432/ दस–2001–53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर–2(2) को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

**4.** यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जो उनके अशासकीय पत्र संख्या–ई–11–2299/ दस–2001 दिनांक 20–12–2001 में प्राप्त हुई, जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया

**(नीरा यादव)**

प्रमुख सचिव

❑❑❑

## चयन वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान–स्पष्टीकरण

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (मा०)
उत्तर प्रदेश,
शिक्षा अर्थ (1) अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उ०प्र०
3– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।
4– समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी (मा० शि०)उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :– अर्थ (1)/2248–2408/2001–2002 दिनांक 26–12–2001

**विषय :** प्रदेश के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुति पर केन्द्र के समकक्ष स्तर के शिक्षकों के समान वेतनमान, चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1262/दस–2001– 53/2001, दिनांक 20 जुलाई, 2001, सपठित शासनादेश संख्या–वे०आ०–2– 1432/दस–2001–53/2001 दिनांक 8 अगस्त, 2001 एवं शासनादेश संख्या–वे०आ०–2/1650/दस–2001–53/2001 दिनांक 3 सितम्बर, 2001 तथा शासनादेश संख्या– 4307/15–8–3038/99 दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को साधारण वेतनमान/चयन वेतनमान एवं प्रोन्नति वेतनमान तथा संशोधित वेतनमान में देयता की स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की गयी है।

(1) शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1262/दस–2001–53/2001 दिनांक 20 जुलाई, 2001 के साथ संलग्न तालिका में दिये गये वेतनमानों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1432(1)/दस–2001–53–2001 दिनांक 8 अगस्त, 2001 के प्रस्तर 2(1) में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार वेतन निर्धारण किया जायेगा।

(3) शासनादेश दिनांक 8 अगस्त, 2001 के प्रस्तर 2(2) के अनुसार संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप 1 जुलाई, 2001 से 31–12–2001 तक बढ़ी हुई धनराशि (यदि कोई हो)

सम्बन्धित पदधारक के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी। यदि कोई पदधारक भविष्य निधि का सदस्य नहीं है, तो उसे उक्त धनराशि एन०एस०सी० के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का एन०एस०सी० उपलब्ध न हो तो वह उसे नगद ही जायेगी।

(4) शासनादेश दिनांक 8 अगस्त, 2001 के प्रस्तर 2(3) के अनुसार बढ़े हुए वेतन का नकद भुगतान माह जनवरी, 2002 के वेतन, (जो फरवरी, 2002 में देय होगा), के साथ किया जायेगा।

(5) शासनादेश दिनांक 3 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर 2(1) के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के ऐसे शिक्षकों जो दिनांक 1–7–2001 को सेवारत थे, का वेतन शासनादेश 20–7–2001 के संलग्नक के स्तम्भ–2 में उल्लिखित वेतनमानों से स्तम्भ–3 में उल्लिखित वेतनमानों में दिनांक 1–1–1996 अथवा उसके उपरान्त नियुक्ति की तिथि से प्रकल्पित आधार पर वेतन निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार प्रकल्पित आधार पर निर्धारित वेतनमान के अनुसार 1 जुलाई, 2001 से आगणित वेतन के आधार पर भुगतान शासनादेश 8 अगस्त, 2001 के प्रस्तर 2(2) एवं प्रस्तर 2(3) में दी गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा। इस प्रकार 1–1–96 से प्रकल्पित आधार पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप दिनांक 1–1–1996 से दिनांक 30 जून, 2001 की अवधि तक का कोई भुगतान देय नहीं होगा।

(6) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को चयन वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता के फलस्वरूप वेतन निर्धारण शासनादेश 20–12–2001 के प्रस्तर 1(ख) तथा प्रस्तर 2 में दी गई प्रक्रिया एवं निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

(7) समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त इंगित शासनादेश में विहित प्रक्रिया एवं निर्देशों के अनुसार विलम्बतम 10 जनवरी, 2002 तक वेतन निर्धारण करके नवीन वेतन निर्धारण के फलस्वरूप प्रतिमाह होने वाला व्यय तथा 1 जुलाई, 2001 से 31 दिसम्बर, 2001 तक जी०पी०एफ० में जाने वाली धनराशि की मांग का प्रस्ताव वित्त नियंत्रक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 15 जनवरी, 2002 तक अवश्य कर लें।

**(के०एन० अवस्थी)**<br>संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ)<br>कृते शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र०,<br>इलाहाबाद।

❑❑❑

## चयन वेतन/प्रोन्नति वेतनमान समिति का गठन

प्रेषक,<br>शिक्षा निदेशक (मा०),<br>उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,<br>1–अपर शिक्षा निदेशक (मा०)<br>शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद<br>2–समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ०प्र०<br>3–समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उ०प्र०<br>4–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०<br>5–वित्त एवं लेखा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र०

पत्रांकः शिविर/10265–10364/2001–2002 दिनांकः दिसम्बर 31, 2001

**विषय :** प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों को केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुति पर केन्द्र के समकक्ष स्तर के शिक्षकों के समान वेतनमान, चयन वेतनमान तथा प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या वे०आ०–2/1262/दस–2001–53/2001 दिनांक 20 जुलाई, 2001, शासनादेश संख्या वे0आ0–2/1432/दस–2001– 53/2001 दिनांक 8 अगस्त, 2001, शासनादेश वे०आ०–2/1650/दस–2001– 53/2001 दिनांक 3 सितम्बर, 2001 एंव शासनादेश संख्या 4307/15–8–3038/99 दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को साधारण वेतनमान, चयन वेतनमान एवं प्रोन्नति वेतनमान देने के सम्बन्ध में कतिपय निर्देश दिये गये हैं।

**2**. उक्त संदर्भित शासनादेशों के अनुक्रम में शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद के पत्रांक अर्थ (1) 2248–2408/2001–2002 दिनांक 26–12–2001 द्वारा शासनादेशों के अनुपालन में वेतन निर्धारण के निर्देश दिये गये हैं और यह उपेक्षा की गई है कि शासनादेशों में विहित प्रक्रिया एवं निर्देशों के अनुसार विलम्बतम् 10 जनवरी, 2002 तक वेतन निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।

**3.** शासनादेश संख्या 4307/15-8-3038/99 दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 द्वारा शिक्षकों की प्रोन्नति वेतनमान देने के सम्बन्ध में चयन समिति गठित कर उनके माध्यम से उपयुक्तता पर विचार कर संस्तुति प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है।

विभिन्न प्रकार के शिक्षकों के लिए उक्त संदर्भित शासनादेशों के अनुसार निम्नवत् समितियां गठित की जाती हैं:

(1) अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए

(क) जिला विद्यालय निरीक्षक — **अध्यक्ष**

(ख) सह जिला विद्यालय निरीक्षक — **सदस्य**

(जिन जनपदों में सह जिला विद्यालय निरीक्षक नहीं है, वही प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इण्टर कालेज)

(ग) प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज — **सदस्य**

(2) राजकीय विद्यालयों के स्नातक वेतनक्रम के शिक्षकों के लिए

(क) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक — **अध्यक्ष**

(ख) मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक — **सदस्य**

(ग) मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) — **सदस्य**

(3) राजकीय विद्यालयों के प्रवक्ता वेतनमान के शिक्षकों के लिए

(क) अपर शिक्षा निदेशक (मा०) — **अध्यक्ष**

(ख) संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ) — **सदस्य**

(ग) सहायक शिक्षा निदेशक (से०–1) — **सदस्य**

**4.** विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों को प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में उक्त समितियों द्वारा अध्यापकों की उपयुक्तता पर विचार कर संस्तुतियों दी जायगी। इन समितियों के आधार पर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारियों द्वारा प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने के आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय

**संजय मोहन,**

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश।

## वेतन निर्धारण स्पष्टीकरण—आदेश

प्रेषक,
शिक्षा निदेशक (मा०)
उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद।
शिक्षा अर्थ (1) अनुभाग

सेवा में,
(1) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।
(2) समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, उ०प्र०।
कार्या० जिला विद्यालय निरीक्षक उ०प्र०।

पत्रांक :— अर्थ (1)/2889—3169/2001—2002 दिनांक 14—2—2002

**विषय :** पंचम वेतनमान से सम्बन्धित वेतन निर्धारण में की गयी पृच्छाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या अर्थ (1)/2248—2408/ 2001—2002 दिनांक 26—12—2001 का संदर्भ ग्रहण करें। संदर्भित द्वारा पंचम वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु शासन के 4 शासनादेशों की प्रतियां संलग्न कर अपेक्षा की गयी थी कि वेतन निर्धारण की कार्यवाही सुनिश्चित कर वांछित धनराशि की मांग वित्त नियंत्रक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से दिनांक 15 जनवरी, 2002 तक कर ली जाय। कतिपय जनपदों द्वारा वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में कुछ जिज्ञासायें की गयी हैं जिनकी निराकरण निम्नवत् किया जाता है।

| जिज्ञासा | निराकरण |
|---|---|
| (1) 1—1—1996 से 31—12— 1996 के मध्य पड़ने वाली वेतन वृद्धि की तिथि को वेतन के पुर्नःनिर्धारण के सम्बन्ध में | (1) 1—1—1996 को वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देने पर 1—1—1996 से 31—12—1996 के मध्य पड़ने वाली वेतन वृद्धि की तिथि को अगले प्रक्रम पर पुनः वेतन निर्धारण की कार्यवाही तभी की जायेगी जब पुराने वेतनमान में वेतन वृद्धि का लाभ देने पर प्राप्त वेतन नये वेतनमान में निर्धारित वेतन से अधिक हो रहा हो। |
| (2) विकल्प की सुविधा उपलब्ध है या नहीं | (2) 1—1—1996 के पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को 1—1—1996 या उसके बाद पड़ने वाली वेतन वृद्धि की तिथि अनुवर्ती किसी वेतन वृद्धि की तिथि से विकल्प लेने की सुविधा विद्यमान है 1—1—1996 के बाद नियुक्त शिक्षकों के मामले में उनकी नियुक्ति की तिथि या उसके बाद पड़ने वाली किसी वेतन वृद्धि की तिथि से विकल्प की सुविधा विद्यमान है। |
| (3) सम्बद्ध प्राइमरी (बालक/ बालिका) में कार्यरत शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया जायेगा या नहीं। | (3) सम्बद्ध प्राइमरी (बालक/ बालिका) में कार्यरत शिक्षकों का वेतन निर्धारण पूर्व में विद्यमान वेतनभान के सापेक्ष संशोधित वेतनमान में किया जायेगा। |
| (4) वरिष्ठता का वेतन निर्धारण कैसे किया जायेगा? | (4) यदि वेतन निर्धारण हेतु दिये गये विकल्प की तिथि के पश्चात् वरिष्ठ शिक्षक जिसका |

| | |
|---|---|
| | वेतन पूर्व में कनिष्ठ से अधिक था का किसी तिथि को वेतन कम हो जाता है; तो वरिष्ठ का वेतन कनिष्ठ के बराबर उसी तिथि को कर दिया जायेगा तथा अगली वेतनवृद्धि एक वर्ष बाद देय होगी। |
| (5) चयन/प्रोन्नत वेतनमान के प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा? | (5) शासनादेश दिनांक 20–12–2001 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 1–1–1996 के पश्चात् प्राप्त होने वाले/प्रोन्नत वेतनमान में वेतन निर्धारण साधारण/चयन वेतनमान(जैसी स्थिति हो) में प्राप्त निर्देश के अगले प्रकम पर निर्धारित किया जायेगा। |
| (6) सी०टी० शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया जाना है या नहीं? | (6) शासनादेश में सी०टी० शिक्षकों का उल्लेख नहीं है फलस्वरूप प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया है। शासन से निर्देश प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण किया जायेगा। |
| (7) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का वेतन निर्धारण किया जायेगा या नहीं | (7) ऐसे प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापकों का संयुक्त संवर्ग होने के कारण वरिष्ठता के आधार पर शासन स्तर से निर्णय होने पर ही वेतन निर्धारण किया जाना चाहिये। |
| (8) उच्च वेतनमान से निम्न वेतनमान में पदोन्नति होने की दशा में वेतन निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा? | (8) यह प्रकरण भी शासन को संदर्भित कर दिया गया है। शासन से निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी। |

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार प्राप्त जिज्ञासाओं पर दिये गये निराकरण के अनुसार शीघ्र कार्यवाही कराते हुए पंचम वेतनमान के नियमित वेतन/अवशेष भुगतान की कार्यवाही विलम्बतम 7 मार्च 2002 तक अवश्य कर ली जाय। यदि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है तो पूर्ण औचित्य सहित वित्त नियंत्रक से अविलम्ब मांग की जाय। उपर्युक्त निर्देश वित्त नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय

**के०एन० अवस्थी**

संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ)

कृते शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र०

इलाहाबाद।

□□□

## राजकीय शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग का वेतनमान आदेश

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (मा०)
उत्तर प्रदेश,
शिक्षा नियुक्ति (1) अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

1- समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त जिला विद्यालय
निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मण्डलीय सहायक
शिक्षा निदेशक, उ०प्र०।
5- समस्त वित्त एवं
लेखाधिकारी, उ०प्र०।

पत्रांक : नियुक्ति (1) मा०/5694-5894/2001-02 दिनांक : 23 जून, 2002

**विषय :** प्रदेश की प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र के समकक्ष स्तर के शिक्षकों के समान वेतनमान दिए जाने के सम्बन्ध में राजाज्ञाओं का प्रसारण।

महोदय/महादेया,

प्रदेश के प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों को केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द के समकक्ष स्तर के शिक्षकों के समान वेतनमान, चयन वेतनमान व प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृति किऐ जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित शासनादेशों की प्रतियां इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासनादेशों में दिए गये निर्देशों का तुरन्त अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय, साथ ही यह भी निवेदन है कि समस्त शासनादेशों की प्रतियां अपने मंडल के समस्त जिला स्तरीय कार्यालयों/संस्थाओं को तदनुसार कार्यवाही करने हेतु अवश्य भिजवाना सुनिश्चित करायें एवं शासनादेशों में विहित प्रक्रिया एवं निर्देशों के अनुसार विलम्बतम 10 फरवरी, 2002 तक वेतन निर्धारण कराने का कष्ट करें।

राजकीय हाईस्कूल/इण्टर कालेजों के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में आदेश शासन के निर्देश के फलस्वरूप दिये जायेंगे।

| राजाज्ञा सं० एवं दिनांक | विषय |
|---|---|
| (1) सं०वे०आ०–2-1262/ दस–2001-53/2001 दिनांक : 20 जुलाई, 2001 | प्रदेश की प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों की पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र में समकक्ष स्तर के शिक्षकों के समान वेतनमान दिया जाना। |
| (2) सं०वे०आ०–2-1432/ दस–2001-53/2001 दिनांक : 8 अगस्त, 2001 | प्रदेश की प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के लिए दिनांक : 1 जुलाई, 2001 से स्वीकृति संशोधित वेतनमान वेतन में निर्धारण की प्रक्रिया। |
| (3) सं०वे०आ०–2-1650/ दस–2001-53/2001 दिनांक : 3 सितम्बर, 2001 | प्रदेश की प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र में समकक्ष स्तर के शिक्षकों के समान वेतनमान दिया जाना। |
| (4) सं० 4307/15-8-3038/99 दिनांक : 20 दिसम्बर, 2001 | प्रदेश की प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान व प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाना। |

भवदीया,

**(श्रीमती सांत्वना तिवारी)**

सहायक शिक्षा निदेशक (सेवा–2) शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

❑❑❑

## चयन वेतनमान सम्बन्धी विभागीय आदेश

प्रेषक,
संयुक्त शिक्षा निदेशक
प्रथम मंडल मेरठ

सेवा में,
जिला विद्यालय निरीक्षक
गाजियाबाद

पत्रांक/मा–4/विविध/2002–03

लखनऊ : दिनांक : 25 नवम्बर, 2002

**विषय :** अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को चयन वेतन प्राप्त करने के 12 वर्ष उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री नित्यानंद शर्मा मंडलीय मन्त्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ मेरठ मंडल ने अपने पत्र दिनांक 20–11–2001 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद द्वारा प्रोन्नत वेतनमान राजाज्ञा संख्या 4307/15–8–30 38/99 दिनांक 20 दिसम्बर 2001 में निर्धारित प्राविधाननुसार स्वीकृत नहीं किये हैं। उन्होंने शिकायत की है कि आप द्वारा कुछ अध्यापकों को परीक्षाफल के आधार पर 12 वर्ष की समयावधि में एक व दो वर्ष अधिक जोड़कर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये है।

कृपया आप उक्त शासनादेश दिनांक 20–12–2001 की (ख) माध्यमिक शिक्षा (1) व (2) में किये गये प्राविधानानुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करना सुनिश्चित करें।

कृपया आप उक्त शासनादेश दिनांक 20–12–2001 की (ख) माधयिमक शिक्षा (1) व (2) में किये गये प्राविधाननुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
**(अशोक कुमार उपाध्याय)**
संयुक्त शिक्षा निदेशक
प्रथम मंडल मेरठ।

□□□

## एल०टी० प्रोन्नति वेतनमान से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति-वेतन निर्धारण

संख्या– 2183/15–8–06–3017/06

प्रेषक,
एच० एल० गुप्ता
विशेष सचिव, उ०प्र० शासन

सेवा में,
शिक्षा निदेशक (मा०)
उ० प्र० पार्क रोड, लखनऊ।

शिक्षा (8) अनुभाग:

लखनऊ : दिनांक: 18 सितम्बर 2006

**विषय :** केन्द्रीय पंचम वेतन आयोग के अनुरूप अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतनमान में एल० टी० प्रोन्नत वेतनमान से प्रवक्ता के पद पर वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्धशासकीय पंत्राक– शिविर/2703/06–07, दिनांक 14–7–06 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या – 4307/15–8–3083/99,

दिनांक 20–12–2001 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत किसी शिक्षक को प्रोन्नत वेतनमान (रु० 7500–250–12000) स्वीकृत हो जाने के उपरान्त यदि सम्बन्धित शिक्षक की वास्तविक प्रोन्नति चयन वेतनमान (6500–200–10500) के पद पर (प्रोन्नति वेतनमान से भिन्न वेतनमान) होती है तो उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक का कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा। सम्बन्धित शिक्षक यथावत् प्रोन्नति वेतनमान (उच्च वेतनमान) में वेतन प्राप्त करता रहेगा। उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि भी यथावत् रहेगी। सूच्य है कि शासनादेश संख्या–वे०आ०–1270/दस–2004(एम)/99 टी०सी० दिनांक 8–11–2004 की व्यवस्था से यह प्रकरण आच्छादित नहीं है।

**2.** कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

**एच०एल० गुप्ता**

विशेष सचिव।

□□□

## प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षकों को चयन वेतनमान

संख्या– यू०ओ०–14–15–7–2007–7/07

प्रेषक,

एच०एल० गुप्ता

विशेष सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. शिक्षा निदेशक (मा०)
उ०प्र० लखनऊ।
2. निदेशक (बेसिक शिक्षा), उ०प्र० लखनऊ।

शिक्षा (8) अनुभाग

लखनऊः दिनाँक 15 फरवरी, 2007

**विषय :** प्रदेश के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0– 4307/15–8–3038/99, दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त शासनादेश में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर चयन वेतनमान की स्वीकृति की व्यवस्था की गई है। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के चयन वेतनमान में इस आधार पर विसंगति उत्पन्न हो रही है कि उक्त पद पर समान वेतनमान के पद प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पदोन्नति की व्यवस्था रही है, जिससे कुछ मामलों में वरिष्ठ शिक्षक का वेतन कनिष्ठ से कम हो रहा है। उक्त विसंगति के निराकरण के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् व्यवस्था किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

*"चयन वेतनमान की अनुमन्यता हेतु एक पद पर की गई सेवा के आधार पर सेवावधि की गणना की व्यवस्था को देखते हुए, ऐसे सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से प्रोन्नति प्राप्त कर नियुक्त हुए हैं, का वेतन यदि उनसे कनिष्ठ ऐसे प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय जो सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर प्रोन्नत न हुए हों, को पहले चयन वेतनमान स्वीकृत होने के कारण कनिष्ठ की अपेक्षा कम हो रहा है, तो ऐसे वरिष्ठ शिक्षक का वेतन कनिष्ठ से समान उन तिथि से निर्धारित कर दिया जाय जिर तिथि से कनिष्ठ का वेतन अधिक हो रहा हो।"*

**2**-किसी शिक्षक के वरिष्ठ होने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं के आधार पर परीक्षण किया जायेगा:–

(1) वरिष्ठ और कनिष्ठ शिक्षक की सीधी भर्ती का पद एक ही हो तथा वरिष्ठ शिक्षक की सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त कनिष्ठ से पूर्व अथवा समान विधि को की गई हो।

(2) वरिष्ठ शिक्षक की प्रास्थिति सदैव कनिष्ठ की अपेक्षा उच्च अथवा समान रही हो।

(3) वरिष्ठ शिक्षक का वेतन किसी प्रशासनिक निर्णय जैसे दण्डात्मक आदेश इत्यादि के फलस्वरूप कम न किया गया हो।

(4) कनिष्ठ शिक्षक का वेतन किसी अन्य कारण तथा किसी अन्य विभाग में की गई सेवा के आधार पर वेतन संरक्षण या विशिष्ट योग्यता अथवा पुरस्कार आदि के आधार पर स्वीकृत विशेष वेतन वृद्धि आदि के कारण अधिक न हुआ हो।

**3.** यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 ई–11/351/दस–2007, दिनांक 15 फरवरी, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

**(एच0एल0गुप्ता)**

विशेष सचिव।

❑❑❑

## शिक्षणेत्तर कर्मचारी को समयमान वेतनमान की स्वीकृति

संख्या वे० आ०–2–181/दस–97–शिक्षा/97

प्रेषक,

श्री विनोद कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव (वित्त)
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा निदेशक उ०प्र० इलाहाबाद।
2. निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर।
3. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 20 फरवरी, 1997

**विषयः** राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारी को समयमान वेतनमान की रवीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजयपाल महोदय शासनदेश संख्या वे०आ०–1–1763/दस–39 (एम) 89 दिनांक 3 जून, 1989, जहाँ तक इसका सम्बन्ध राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एव प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों जिन पर समता समिति की संरतुतियॉ लागू होती हैं, को समयमान वेतनमान के अंतगर्त सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु एक वेतन वृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान के लाभ से है के प्रस्तर–3(9) तथा प्रस्तर 3 (10) को दिनांक 1 मार्च 1995 से समाप्त करते हुए इसी तिथि अर्थात् 1 मार्च 1995 से ही उक्त कोटि के कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रू० 3500 तक है के संबंध में निम्न व्यवस्था लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1—ऐसे कर्मचारी जिनकी अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष है और जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु० 3500 तक है:—

(क) उक्त कोटि के ऐसे कर्मचारी जो 8 वर्ष की संतोषजनक अनवरत सेवा 1 मार्च 1995 को अथवा उसके बाद आगामी तिथि कों संबंधित पद पर पूर्ण करते हैं सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु उनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को अगले प्रक्रम पर निर्धारित कर दिया जाय। अर्थात् इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी को जिसे यह लाभ अनुमन्य कराया जाय 8 वर्ष की सेवा के पश्चात् एक वेतनवृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में मिलेगा। ऐसे पदधारक जिन्हें पूर्व व्यवस्था के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अंतर्गत देय एक वेतनवृद्धि का लाभ 1 मार्च 1995 से पूर्व प्राप्त हो चुका है। ऐसे मामलों में अब लागू की जा रही व्यवस्था के उपरान्त वेतनवृद्धि के लाभ की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ख) उक्त कोटि के ऐसे कर्मचारी जो सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हैं उनकी जब 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा सेलेक्शन ग्रेड के उक्त लाभ की सेवा को सम्मिलित करते हुये कुल 14 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी हो जाती है, पदोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देते हुए उनका वेतन उस वेतन के अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जाए। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिये पदोन्नति का कोई पद नहीं है उनकी उस वेतनमान जिसमें वे कार्यरत हैं, से अगला वेतनमान देय होगा। वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान देने के लिये सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि की तिथि से 6 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा आवश्यक है। सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की सेवा गणना हेतु पूर्व में इसके अन्तर्गत यदि एक वेतनवृद्धि मिल चुकी है तो उसे वास्तविक दिनांक से गिनी जायेगी।

(ग) उक्त कोटि के प्रत्येक नियमित कर्मचारी जब वह वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रोन्नत/अगले वेतनमान में 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 19 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं, को प्रोन्नत/अगले वेतनमान में वेतन उस तिथि को अगले प्रकम पर निर्धारित कर दिया जाय अर्थात् उसे एक वेतनवृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में अनुमन्य होगा। किन्तु यदि किसी नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नति वेतनमान/अगला वेतनमान पहले मिल चुका है तो 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा की गणना में पूर्व में जिस दिनांक से यह लाभ मिला है उसे संज्ञान में लिया जायेगा। उदाहरणस्वरूप यदि पदधारक को वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान/अगला वेतनमान 1 फरवरी, 1992 को मिल चुका था तो 1 फरवरी, 1997 को उक्त व्यवस्था के अधीन एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी।

(घ) उक्त कोटि के प्रत्येक नियमित कर्मचारी को प्रोन्नत/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि के लाभ की तिथ से 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रोन्नत/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। अर्थात ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध है का प्रोन्नति का अगला वेतनमान देय होगा और ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।

**2.** उपरोक्त कोटि के ऐसे कर्मचारी जिनकी अधिवर्षता आयु 60 वर्ष है और जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु० 3500 तक है—

(क) उक्त कोटि के ऐसे कर्मचारी जो 10 वर्ष की संतोषजनक अनवरत सेवा 1 मार्च, 1995 को अथवा उसके बाद आगामी तिथि को सम्बंधित पद पर पूर्ण करते हैं सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु उनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को अगले प्रकम पर निर्धारित कर दिया जाय। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी को, जिसे यह लाभ अनुमन्य कराया जाय, 10 वर्ष ही सेवा के पश्चात

एक वेतनवृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में मिलेगा। ऐसे पदधारक जिन्हें पूर्व व्यवस्था के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि का लाभ 1 मार्च, 1995 के पूर्व प्राप्त हो चुका है ऐसे मामलों में अब लागू की जा रही व्यवस्था के उपरान्त वेतनवृद्धि के लाभ की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ख) उक्त कोटि के ऐसे कर्मचारी जो सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हैं, उनकी जब 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा सेलेक्शन ग्रेड के उक्त लाभ की सेवा को सम्मिलित करते हुए कुल 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी हो जाती है, पदोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देते हुए उनका वेतन, उस वेतनमान के अगले उच्च प्रकम पर निर्धारित किया जाय। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिये पदोन्नति का कोई पद नहीं है उनको उस वेतनमान जिसमें वे कार्यरत हैं, से अगला वेतनमान देय होगा। वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान देने के लिये सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि की तिथि 6 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा आवश्यक है। सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की सेवा गणना हेतु पूर्व में इसके अन्तर्गत यदि एक वेतनवृद्धि मिल चुकी है तो उस वास्तविक दिनांक से गिनी जायेगी।

(ग) उक्त कोटि का प्रत्येक नियमित कर्मचारी जब वह वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रोन्नत/अगले वेतनमान में 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 21 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं, को प्रोन्नत/ अगले वेतनमान में वेतन उस तिथि को अगले प्रकम पर निर्धारित कर दिया जाय अर्थात उसे एक वेतनवृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में अनुमन्य होगा। किन्तु यदि किसी नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से प्रोन्नति वेतनमान/अगला वेतनमान पहले मिल चुका है तो 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा की गणना में पूर्व में जिस दिनांक से यह लाभ मिला है उसे संज्ञान में लिया जायेगा। उदाहरणस्वरूप यदि पदधारक को वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान/अगला वेतनमान 1 फरवरी, 1992 को मिल चुका था तो 1 फरवरी, 1997 को उक्त व्यवस्था के अधीन एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी।

(घ) उक्त कोटि के प्रत्येक नियमित कर्मचारी को प्रोन्नत/ अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि के लाभ की तिथि से 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 26 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रोन्नति/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। अथात् ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध है, को प्रोन्नति का अगला वेतनमान देय होगा। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए प्रोन्नति का कोई पद नहीं है उनको उस वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।

**3.** उपरोक्त शासनादेश दिनांक 3 जून, 1989 उक्त सीमा तक दिनांक 1 मार्च, 1995 से संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

**विनोद कुमार मित्तल,** प्रमुख सचिव (वित्त)।

□□□

## समयमान वेतनमान की स्वीकृति

संख्या वे०आ०–1-1-166/दस–12(एम)/95

प्रेषक,

विनोद कुमार मित्तल
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 8 मार्च, 1995

**विषय :-** समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या वे०आ०–1-1763/दस–39(एम)/89 दिनांक 3 जून, 1989 जहाँ तक इसका सम्बन्ध में राजकीय कर्मचारियों को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ अनुमन्य कराने हेतु एक वेतन वृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान के लाभ से है, के प्रस्तर–3(9) तथा प्रस्तर–3(10) को दिनांक 1 मार्च, 1995 से समाप्त करते हुये इसी तिथि अर्थात 1-3-95 से ही, ऐसे राजकीय कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु० 3500 तक है के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) ऐसे कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु० 3500 तक है, जो 8 वर्ष की संतोषजनक अनवरत सेवा दिनांक 1 मार्च, 1995 को अथवा उसके बाद आगामी तिथि को सम्बन्धित पद पर पूर्ण करते हैं सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु उनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को अगले प्रकम पर निर्धारित एक वेतन वृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में मिलेगा। ऐसे पदधारक जिन्हें पूर्व व्यवस्था के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड लागू की जा रही व्यवस्था के उपरान्त वेतनवृद्धि के लाभ की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2) ऐसे कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु० 3500 तक है और जो सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हैं, उनकी जब 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा सेलेक्शन ग्रेड का लाभ की तिथि को सम्मिलित करते हुये कुल 14 वर्ष की पूर्ण हो जाती है। प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाय। वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि की 6 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा अनीवार्य है, किन्तु सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की सेवा गणना हेतु पूर्व में इसके अन्तर्गत यदि एक वेतन वृद्धि मिल चुकी है तो उस वास्तविक दिनांक से गिनी जायेगी। उदाहरण के लिये यदि किसी पदधारक को 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा के आधार पर एक वेतन वृद्धि का लाभ 1-4-89 को मिल चुका था और उसकी सेवा इसके बाद संतोषजनक अनवरत रही है और यह नियमित है/हो जाता है तो 1-4-95 को वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान मिलेगा। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिये प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान देय होगा। उदाहरण स्वरूप ऐसा पदधारक जो पुनरीक्षित वेतनमान रु० 1200-2400 में हैं उसे रु० 1350-2200 का पुनरीक्षित वेतनमान वैयक्तिक वेतनमान के रूप में देय होगा।

**3.** ऐसे कर्मचारी, जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु० 3500 तक है जब वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रोन्नत/ अगले वेतनमान में 6 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 20 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं को प्रोन्नति/अगले वेतनमान में वेतन उस तिथि को अगले प्रकम पर निर्धारित कर दिया जाय अर्थात उसे एक वेतन वृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में अनुमन्य होगा। किन्तु यदि किसी नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नत वेतनमान/अगला वेतनमान पहले मिला चुका है तो 6 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा की गणना में पूर्व में जिस दिनांक से यह लाभ मिला है उसे संज्ञान में लिया जायेगा। उदाहरण स्वरूप यदि पदधारक को वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान/अगला वेतनमान 1-2-89 को मिल चुका था तो 1-3-95 को उक्त व्यवस्था के अधीन एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि अनुमन्य होगी।

(4) प्रत्येक नियमित कर्मचारी को प्रोन्नति/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि के लाभ की तिथि से 6 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 26 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रोन्नति/अगला वेतनमान

अनुमन्य होगा। अर्थात ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध है, को प्रोन्नति का अगला वेतनमान देय होगा। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिये प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उसको उस वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा। उदाहरण स्वरूप ऐसा पदधारक जो सेवा अवधि के आधार पर रु० 1350-2200 के वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत हो को रु० 1400-2300 का पुनरीक्षित वेतनमान वैयक्तिक वेतनमान के रूप से देय होगा।

**2.** उपरोक्त शासनादेश दिनांक 3-6-89 उक्त सीमा तक दिनांक 1-3-95 से संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

**विनोद कुमार मित्तल,**

प्रमुख सचिव, (वित्त)।

❏❏❏

## शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समयमान वेतनमान की स्वीकृति

संख्या–वे०आ०-2–981/दस–2001–45(एम)99

प्रेषक,

श्री वी०के०शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा/सचिव, उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा एवं कृषि उ०प्र०शासन।
(2) शिक्षा, निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०,कानपुर।
(4) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 31 मई, 2001

**विषय** : वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उपर्युक्त विषयक शासना देश संख्या–वे०आ०–2–211/दस–45 (एम)/99, दिनांक 06 फरवरी, 2001 के प्रस्तर–5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

"ऐसे पदधारक, जिनके पद का दिनांक 1.1.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान रू० 8000–13500 या उसके अधिक है के लिये समयमान वेतनमान की पूर्व वेतनमानों में लागू व्यवस्था (जिसे दिनांक 1.1.1996 से स्थगित कर दिया गया था) पुनरीक्षित वेतनमानों में दिनांक 30 सितम्बर, 2001 तक लागू रहेगी।"

**2.** उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2001 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

**वी० के० शर्मा,**

सचिव, वित्त।

❏❏❏

## राज्य कर्मचारियों हेतु समयमान वेतनमान की स्वीकृति (संशोधन)

संख्या–वे०आ०–2-1658/दस-2001-45(एम)/99

प्रेषक,

श्री वी० के० मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 03 सितम्बर, 2001

**विषय** :- समयमान वेतनमान की स्वीकृति (संशोधन)।

महोदय,

समयमान वेतनमान की स्वीकृति सम्बन्धी वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–वे०आ०–1-84/दस–12(एम)/95, दिनांक 05 फरवरी, 1997, शासनादेश संख्या–वे०आ०–1–166/दस–12(एम)/95, दिनांक 08 मार्च, 1995 तथा इस अनुभाग के शासनादेश संख्या–वे०आ०–2-560/दस–45(एम)/1999 दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 के साथ पठित शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–604/दस–2001–45(एम)/1999, दिनांक 10 अप्रैल, 2001 द्वारा लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के विषय में राज्य कर्मचारी संगठनों एवं प्रशासकीय विभागों में प्राप्त संदर्भो पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जिसके पद के वेतनमान का अधिकतम रु० 10500/- तक है, के लिए उपर्युक्त शासनादेशों के अनुसार लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था में निम्न प्रकार संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) शासनादेश दिनांक 10 अप्रैल, 2001 के प्रस्तर–2(2) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित कर दिया जाय :–

"जिन पदधारकों को वैयक्तिक प्रोन्नत/अगला वेतनमान दिनांक 1–3–1995 से पूर्व लागू व्यवस्था के अधीन 16 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा के आधार पर अथवा दिनांक 1–3–1995 से संशोधित व्यवस्था के अधीन 14 वर्ष से अधिक की सेवा पर अनुमन्य हुआ हो, उन्हें दिनांक 1–3–1995 से संशोधित समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का लाभ उस वेतनमान में न्यूनतम 3 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य होगा।"

(2)(क) उपर्युक्त श्रेणी के पदधारक जिन्हें 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि तक सीधी भर्ती के पद के सन्दर्भ में दो प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अथवा दो पदोन्नतियाँ अनुमन्य नहीं हुई हों, परन्तु जिन्हें एक पदोन्नति प्राप्त हो चुकी हो और वे सीधी भर्ती के पद पर नियमित हों उनकी 24 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्व करने की तिथि अथवा दिनांक 1–3–2000 जो भी बाद में हो, से सीधी भर्ती के पद के संदर्भ में द्वितीय प्रोन्नति/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य करा दिया जाय।

(2) (ख) उपर्युक्त प्रस्तर–2(क) के अनुसार संशोधित व्यवस्था से लाभान्वित होने के पश्चात् सम्बन्धित कार्मिकों को समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन आगे अन्य कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(3) शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 के प्रस्तर 4(1) में लागू व्यवस्थानुसार अगले वेतनमान की अनुमन्यता के मामलों में वेतनमान रु० 2750–4400 तथा रु० 4500–7000 के लिये अगला वेतनमान क्रमशः रु० 3200–4900 तथा रु० 5000–8000 माना जाय।

**2.** उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 1995, दिनांक 05 फरवरी, 1997, दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 तथा दिनांक 10 अप्रैल, 2001 इस सीमा तक संशोधित समझे जायें। उक्त शासनादेशों की शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,
**वी०के०मित्तल,**
प्रमुख सचिव, वित्त।

❑❑❑

## शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान

संख्या–वे० आ०–2–2018/दस–2001–45(एम) /99 टी०सी०

प्रेषक,
श्री आनन्द मिश्र,
सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
(1) प्रमुख सचिव शिक्षा/सचिव, उच्च शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा एवं कृषि उ०प्र० शासन।
(2) शिक्षा, निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०कानपुर।
(4) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 20 अक्टूबर, 2001

**विषय :** वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–वे० आ0–2–981/दस–45 (एम) /99, दिनांक 31 मई, 2001 के साथ पठित शासनादेश संख्या–2–211/ दस –45 (एम) /99, दिनांक 06 फरवरी, 2001 के प्रस्तर–5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

"ऐसे पदधारक, जिनके पद का दिनांक 1.1.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान रु0 8000–13500 या उससे अधिक है के लिये समयमान वेतनमान की पूर्व वेतनमानों में लागू व्यवस्था (जिसे दिनांक 1.1.1996 से स्थगित कर दिया गया था) पुनरीक्षित वेतनमानों में दिनांक 31 मार्च, 2002 तक लागू रहेगी।"

**2.** उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2001 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय
**आनन्द मिश्र,** सचिव, वित्त

❑❑❑

## शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति

संख्या–वे०आ०–2–1292/दस–2002–45(एम)/99 टी०सी०

प्रेषक,

श्री आनन्द मिश्र,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा एवं कृषि, उ०प्र० शासन।
2– निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
3– निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4– वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 13 अगस्त, 2002

**विषय** :–वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या वे0आ0–2–981/दस–2001–45(एम)/99 दिनांक 31 मई, 2001 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या वे0आ0–2–2018/दस–2001– 45(एम)/99 टी0सी0 दिनांक 20 अक्टूबर, 2001 के साथ पठित शासनादेश संख्या वे0 आ0–2–211/दस–2001–45(एम)/99, दिनांक 06 फरवरी, 2001 के प्रस्तर–5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

"ऐसे पदधारक, जिनके पद का दिनांक 1–1–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान रु0 8000–13500 या उससे अधिक है के लिए समयमान वेतनमान की पूर्व वेतनमानों में लागू व्यवस्था (जिसे दिनांक 1–1–1996 से स्थगित कर दिया गया था) पुनरीक्षित वेतनमानों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 तक लागू रहेगी।"

**2**–उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2001 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय
**आनन्द मिश्र,**
सचिव, वित्त।

□□□

## चयन वेतनमान : वेतन वृद्धि की तिथि

संख्या–वे०आ०–2–1375/दस–2002–45(एम)/99 टी०सी०

प्रेषक,

नवीन चन्द्र बाजपेई,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 28 अगस्त, 2002

**विषय** : समयमान वेतनमान के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड से समान वेतनमान के पद पर वास्तविक पदोन्नति पर अगली वेतनवृद्धि की तिथि।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि समयमान वेतनमान में विसंगतियों के निराकरण से संबंधति शासनादेश संख्या वे0आ0–1–219/ दस–39(एम)/89, दिनांक 23 अगस्त, 1994 के प्रस्तर–4 में निम्न व्यवस्था की गयी थीः–

"ऐसे मामले भी संज्ञान में आये हैं जहाँ किसी कर्मचारी/अधिकारी को समयावधि के आधार पर प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होने अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के पश्चात् उसी वेतनमान में वास्तविक रूप से प्रोन्नति के फलस्वरूप आगामी समय बिन्दु पर उसका वेतन उस वेतन के बराबर या उससे कम हो जाता है जो उसे वास्तविक रूप से प्रोन्नति का वेतनमान अनुमन्य न होने की दशा में मिलता। ऐसे मामलों में यह निर्णय लिया गया है कि जिस समय बिन्दु पर संबंधित कर्मचारी/अधिकारी का वेतन उस वेतन के बराबर अथवा उससे कम हो जाये जो उसे वास्तविक रूप से प्रोन्नति का वेतनमान अनुमन्य न होने की दशा में मिलता, उस समय बिन्दु पर वास्तविक प्रोन्नति वेतनमान में उसका वेतन पुनर्निधारण अगले स्तर पर होगा।"

**2**– विभिन्न कर्मचारी संगठनों तथा प्रशासनिक विभागों से प्राप्त संदर्भों में दिनांक 1–1–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के विषय में भी उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने की मांग की जा रही है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1–1–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में भी उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 1994 के प्रस्तर–4 में जारी व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय

**नवीन चन्द्र बाजपेई,**

प्रमुख सचिव, वित्त।

□□□

## एल०टी० से प्रवक्ता वेतनमान : स्पष्टीकरण

संख्या–वे०आ०–2–257/दस–2004–45(एम)/99

प्रेषक,

श्री मनजीत सिंह,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 20 अगस्त, 2004

**विषयः**– समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित स्पष्टीकरण।

महोदय,

समयमान वेतनमान की स्वीकृति विषयक वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–166/दस–12(एम) /95, दिनांक 08 मार्च, 1995 के साथ पठित शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–84/दस–12(एम)/95, दिनांक 05 फरवरी, 1997 तथा इस अनुभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–560/दस –45 (एम)/1999, दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 के साथ पठित शासनादेश–संख्या– वे0आ0–2–604/दस–2001–45(एम)/1999, दिनांक 10 अप्रैल, 2001 एवं शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1658/दस–2001–45(एम) /99, दिनांक 03–09–2001 द्वारा लागू व्यवस्था के विषय में विभिन्न राज्य कर्मचारी संगठनों एवं प्रशासकीय विभागों से प्राप्त सन्दर्भों के माध्यम से शासन के संज्ञान में यह आया है कि समयमान वेतनमान की स्वीकृति के बारे में निर्गत उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित विभिन्न प्राविधानों के अधीन निर्णय लेने में वेतन निर्धारण/स्वीकर्ता अधिकारियों

के स्तर पर कतिपय कठिनाइयाँ महसूस की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में समयमान वेतनमान की अनुमन्यता के विषय में प्राप्त विभिन्न संदर्भ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण संलग्न करते हुए अधोहस्ताक्षरी को आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सम्बन्धित कर्मचारियों को तदनुसार समयमान वेतनमान की स्वीकृति दी जाय और यदि इस विषय में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,
**(मनजीत सिंह)**
सचिव, वित्त।

**समयमान वेतनमान की स्वीकृति से संम्बन्धित कतिपय प्राविधानों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण**

| सन्दर्भ बिन्दु | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| **1.** शासनादेश दिनांक 03–09–2001 के प्रस्तर–1 (1) के सम्बन्ध में यह जिज्ञासा की गयी है कि ऐसे कर्मचारी जिन्हें दिनांक 01--03–1995 से पूर्व लागू व्यवस्थानुसार प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का 16 वर्षीय लाभ मिल चुका था, यदि उनकी इस लाभ की तिथि से 3 वर्ष की सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा दिनांक 01–03–1995 से पहले ही पूरी हो जाती हो तो उन्हें 19 वर्षीय वेतनवृद्धि, 19 वर्ष की वास्तविक सेवा पूर्ण होने की तिथि से देय होगी अथवा 19 वर्षीय लाभ की व्यवस्था के लागू होने के दिनांक अर्थात् 01–03–1995 से। | 19 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में भी एक वेतनवृद्धि अनुमन्य कराने की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 8 मार्च, 1995 तथा 5 फरवरी, 1997 द्वारा दिनांक 01–03–1995 से प्रभावी की गयी है। अतएव प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में 19 वर्षीय वेतनवृद्धि का लाभ दिनांक 01–03–1995 से पूर्व अनुमन्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। |
| **2.** शासनादेश दिनांक 03–09–2001 के प्रस्तर–2 (क) में सीधी भर्ती के पद के सापेक्ष्य द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 01–03–2000 के पूर्व देय न होने का प्रतिबन्ध लगाया गया है। जिन कार्मिकों को 16 वर्ष की सेवा पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 01–07–88 को अनुमन्य हुआ है और उनकी 24 वर्ष की सेवा 01–07–1996 अथवा 01–03–2000 के पूर्व ही पूर्ण हो जाती है, उन्हें यह लाभ कुल 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की वास्तविक तिथि से दिया जायेगा या नहीं। दिनांक 01–03–2000 के पूर्व क्या यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा? | सन्दर्भगत शासनादेश में द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान सीधी भर्ती के पद पर 24 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा, जिसमें 19 वर्षीय वेतनवृद्धि की तिथि से 5 वर्ष की सेवा भी सम्मिलित है, पर अनुमन्य कराने की व्यवस्था है। क्योंकि 19 वर्षीय वेतनवृद्धि का लाभ दिनांक 01–03–95 के पूर्व देय नहीं है, अतः 24 वर्ष की सेवा के आधार पर द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 01–03–2000 के पूर्व किसी भी दशा में देय नहीं होगा। |
| **3.** समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में 19 वर्षीय | 16/14 वर्ष के आधार पर अनुमन्य प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के अधिकतम् |

वेतनवृद्धि स्वीकृत होने की तिथि से 5 वर्ष की सेवा सहित कुल 24 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य कराने की व्यवस्था है। ऐसे मामलों में जहाँ समयमान वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत 16/14 वर्ष के आधार पर प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने के बाद सम्बन्धित कर्मचारी को उक्त वेतनमान के अधिकतम् स्तर पर पहुँच जाने के कारण 19 वर्षीय वेतनवृद्धि का वास्तविक लाभ अनुमन्य कराया जाना सम्भव नहीं है, द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान किस प्रकार स्वीकृत किया जायेगा? क्या ऐसे मामलों में अन्य शर्तो की पूर्ति के बावजूद 24वर्ष की सेवा पर उसे द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान महज इस आधार पर नहीं दिया जायेगा कि कर्मचारी को 19 वर्षीय वेतनवृद्धि का वास्तविक लाभ नहीं मिल सका है?

पर होने के कारण जिन कार्मिकों को 19 वर्षीय वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिल सका उन्हें सम्बन्धित पद पर 24 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा, जिसमें 19 वर्षीय वेतनवृद्धि के लिए नियमानुसार अर्हता की तिथि से 5 वर्ष की सेवा सम्मिलित है, पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01–03–2000 जो भी बाद में हो से द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराया जा सकता है।

**4.** किसी कर्मचारी/अधिकारी को द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने के उपरान्त उसकी प्रथम पदोन्नति, वैयक्तिक रूप से अनुमन्य वेतनमान से निम्न वेतनमान वाले पद पर होने की दशा में प्रोन्नति के पद पर उसका वेतन निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा?

द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने के उपरान्त यदि कर्मचारी/अधिकारी की पदोन्नति, वैयक्तिक रूप से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान से निम्न वेतनमान वाले पद (प्रथम पदोन्नति के पद) पर होती है तो प्रोन्नति के पद पर वह पूर्व से अनुमन्य अपने द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वैयक्तिक वेतनमान में ही बना रहेगा। क्योंकि सम्बन्धित कर्मचारी द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय /अगला वेतनमान, जो उसके पदोन्नति के पद के वेतनमान से उच्च है, में पहले से ही वेतन पा रहा है, ऐसी दशा में प्रथम प्रोन्नति के पद पर उसका कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा और उसे वही उच्चतर वेतन/वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य रहेगा जो वह अपनी प्रोन्नति के पहले से प्राप्त कर रहा था।

**5.** शासनादेश दिनांक 2–12–2000 के प्रस्तर–1(1) में एक पद पर 8 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा के आधार पर से0ग्रे0 के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य कराने की व्यवस्था है। सम्बन्धित व्यवस्था में एक पद का आशय क्या है? क्या दो विभागों में उपलब्ध समान पदनाम तथा वेतनमान वाले पद यथा चपरासी,

शासनादेश के प्रश्नगत प्रस्तर–1 (1) में उल्लिखित वाक्यांश "एक पद" का आशय किसी एक विभाग के संवर्ग विशेष में स्वीकृत/ उपलब्ध ऐसे पद से है जिस पर सम्बन्धित कार्मिक को उस संवर्ग की सेवा नियमावली के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो। ऐसी स्थिति में

ड्राइवर तथा टंकक आदि को समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु एक पद माना जायेगा? तद्नुसार क्या समान पदनाम तथा वेतनमान वाले पदों पर अलग–अलग विभागों में की गई सेवा को समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु गणना में लिया जायेगा? इसी प्रकार क्या एक ही विभाग में भिन्न–भिन्न पदनामों से उपलब्ध समान वेतनमान वाले पदों यथा सहायक लेखाकार/वरिष्ठ लिपिक तथा लेखाकार/कार्यालय अधीक्षक पर की गई सेवा को समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु गणना में लिया जायेगा?

समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु एक ही पदनाम अथवा समान वेतनमान वाले पद पर दो विभागों में की गई सेवा को गणना में नहीं लिया जायेगा। एक ही विभाग में समान वेतनमान में विभिन्न पदों पर की गई सेवा का जहां तक सम्बन्ध है, यदि ऐसे पद एक ही संवर्ग के है/आपस में स्थानान्तरणीय हैं/वरिष्ठता सूची एक हो, तो सम्बन्धित पदों पर की गई सेवा को समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु गणना में लिया जायेगा अन्यथा एक ही विभाग में समान वेतनमान में भिन्न–भिन्न पदों पर की गई सेवा को गणना में नहीं लिया जायेगा।

**6.** पदोन्नति का पद योग्यता पर आधारित होने पर समयमान वेतनमान की अनुमन्यता कैसे होगी?

समयमान वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान की अनुमन्यता हेतु किसी पदधारक के लिये प्रोन्नतीय पद का आशय उस पद से है जिस पर सेवा नियमावली अथवा कार्यकारी आदेशों के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी की प्रोन्नति वरिष्ठता– कम–उपयुक्तता के आधार पर की जाती हो। ऐसी स्थिति में जिन पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था वरिष्ठता–कम–उपयुक्तता के साथ ही साथ योग्यता/ उच्च अर्हता/ मेरिट के आधार पर हो, वे पद समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु पदोन्नतीय पद नहीं माने जायेंगे। ऐसे मामलों में अन्य शर्तो की पूर्ति की दशा में अगला उच्चतर वेतनमान, जैसा कि शासनादेश दिनांक 2 दिसम्बर, 2000 के प्रस्तर–4 (1) में स्पष्ट किया गया है, देय होगा।

**7.** समयमान वेतनमान के अन्तर्गत से०ग्रे० के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान अनुमन्य होने के उपरान्त वास्तविक पदोन्नति होने पर, प्रोन्नति पर जाने से इन्कार करने वालों को समयमान वेतनमान की अनुमन्यता क्या होगी?

समयमान, वेतनमान की व्यवस्था किसी कर्मचारी को सेवा में वृद्धिरोध (Stagnation) से बचाने के लिए उसे उसकी सम्पूर्ण सेवावधि में निर्धारित शर्तो के अधीन दो पदोन्नतियों के समतुल्य वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमानों का लाभ अनुमन्य कराने के उद्देश्य से की गई है। अतएव वास्तविक पदोन्नति होने पर प्रोन्नति के पद पर जाने से इन्कार करने वाले कर्मचारी के मामले में सेवा में वृद्धिरोध नहीं माना जा सकता है। पदोन्नति पर जाने से इन्कार करने के कारण सम्बन्धित कर्मचारी समयमान वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य

| | |
|---|---|
| | लाभों का पात्र नहीं रह जाता, अतएव समयमान वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व में उसे अनुमन्य कराये गये लाभ पदोन्नति की तिथि से देय नहीं होगें। |
| **8.** सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की **स्थितियों में** पैतृक विभाग के पद के सन्दर्भ में **समयमान वेतनमान** के अन्तर्गत देय लाभ पैतृक **विभाग द्वारा**, पद के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा **स्वीकृत** किया जायेगा अथवा **स्थानान्तरण**/प्रतिनियुक्ति पर धारित पद के अधिष्ठान अधिकारी द्वारा? | सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की स्थिति में पैतृक विभाग के पद के सन्दर्भ में समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ का आदेश पदधारक के पैतृक विभाग के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ही किया जायेगा। |
| **9.** आशुलिपिक के पद (रू० 4000–6000) हेतु विभाग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध न होने पर वैयक्तिक वेतनमान के रूप में, वेतनमान सूची के अनुसार अगला वेतनमान रू० 4500–7000 देय होगा अथवा आशुलिपिक संवर्ग हेतु निर्धारित ढांचे में उपलब्ध अगले पद का वेतनमान रू० 5000–8000 देय होगा। | आशुलिपिक संवर्ग में समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु प्रथम/द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का निर्धारण विभाग में उपलब्ध पदों/सेवा नियमावली की व्यवस्था अथवा वेतनमान सूची में उपलब्ध अगले वेतनमान के आधार पर नहीं किया जाना है। आशुलिपिक संवर्ग के पद पर समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान के रूप में आशुलिपिक संवर्ग के लिए निर्धारित सामान्य ढाँचे में उपलब्ध अगले पद का वेतनमान अनुमन्य होगा। |

□□□

## एल०टी० वेतनमान से प्रवक्ता पद में वेतन निर्धारण : स्पष्टीकरण

संख्या–वे०आ०–2–1270/दस–2004–45(एम)/99 टी०सी०

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 08 नवम्बर, 2004

**विषयः**– समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समयमान वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत. वैयक्तिक प्रोन्नतिय/अगला वेतंनमान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–560/दस–45(एम)–99, दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 के प्रस्तर–4 (1) तथा शासनादेश संख्या वे०–आ०–2–1658/दस–2001–45 (एम)/99, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर–1 (3) में स्थिति स्पष्ट की गयी है। विभिन्न सेवा संवर्गो के पुनर्गठन, सम्बन्धित पदों की सेवा शर्तो में संशोधन

तथा कतिपय वेतनमानों के संविलयन/उच्चीकरण के फलस्वरूप समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों तथा कर्मचारियों संगठनों द्वारा स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जा रही है।

**2.** इस सम्बन्ध में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 के प्रस्तर–4 (1) तथा शासनादेश दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर–1 (3) में दी गई व्यवस्था तथा विभिन्न विभागों एवं कर्मचारी संगठनों से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट करने का निदेश हुआ है :–

1. संवर्गीय पुर्नगठन अथवा सेवा शर्तो में संशोधन के परिणाम स्वरूप पदोन्नतीय पद की प्रास्थिति में परिवर्तन या वेतनमानों के संविलयन/उच्चीकरण से यदि किसी पद के पदोन्नतीय वेतनमान अथवा अगले वेतनमान में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन ऐसे पद पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान भी तदनुसार ही अनुमन्य होगा।

2. उपर्युक्त परिवर्तन/संशोधन के फलस्दरूप यदि किसी पद पर उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान की अनुमन्यता बनती है तो जिन्हें पूर्व की व्यवस्थानुसार वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हैं, उन्हें ऐसे परिवर्तन/संशोधन की तिथि से उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। तदनुसार अनुमन्य उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन मूल नियम–22 के नीचे अंकित सम्परीक्षा अनुदेश–4 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। वेतनमान में उपर्युक्त परिवर्तन/संशोधन की तिथि अथवा उसके बाद अर्ह कार्मिकों को वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान परिवर्तित/संशोधित व्यवस्थानुसार देय होगा और ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 के प्रस्तर–2 (1) की व्यवस्थानुसार होगा।

**3.** उपर्युक्त परिवर्तन/संशोधन के फलस्वरूप यदि किसी पद पर निम्न वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान की अनुमन्यता बनती है तो परिवर्तन/संशोधन की तिथि के पूर्व अर्ह कार्मिकों को अनुमन्य उच्चतर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान यथावत् रहेगा। किन्तु परिवर्तन/संशोधन की तिथि अथवा उसके पश्चात् अर्ह कार्मिकों को परिवर्तित स्थिति के अनुसार निम्न वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा।

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 तथा 03 सितम्बर, 2001 इस सीमा तक संशोधित समझे जायें। इस शासनादेशों की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,
**मनजीत सिंह**
सचिव, वित्त।

❑❑❑

## वरिष्ठ/कनिष्ठ वेतन में अन्तर

संख्या– वे०आ०–2–793/दस–2005–45 (एम)/99 टी०सी०–1

प्रेषक,
मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव–II
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एंव प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) : अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 6 सितम्बर, 2005

**विषय :** समयमान वेतनमान की स्वीकृति–विसंगति का निराकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न स्रोतों से शासन के संज्ञान में यह समस्या लाई गई है कि ऐसे मामलों में जहाँ संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक सम्बन्धित पद पर समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड/वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही वास्तविक रूप से पदोन्नत हो जाता है, जबकि संवर्ग में उससे कनिष्ठ कार्मिक सेलेक्शन ग्रेड/वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान अनुमन्य होने के पश्चात पदोन्नत होता है, वहाँ कतिपय मामलों में उपर्युक्त के फलस्वरूप वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक से कम हो जाता है इस समस्या के निराकरण हेतु सम्यक रूप से विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय निम्न व्यवस्था करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

"ऐसे मामले में जंहाँ संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक सम्बधित पद पर समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड अथवा सेलेक्शन ग्रेड तथा प्रोन्नतीय वेतनमान के लिए अर्ह होने के पूर्व ही पदोन्नत हो गया हो, जबकि कनिष्ठ कार्मिक सम्बन्धित पद पर सेलेक्शन ग्रेड तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान अनुमन्य होने के उपरान्त पदोन्नत हुआ हो और फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक से कम होता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ के समान कर दिया जाये।"

**2**- उपर्युक्त प्रस्तर–1 में की गई व्यवस्था का लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा जबकि वरिष्ठ तथा कानिष्ठ दोनों कार्मिकों की सेवा की परिस्थितियाँ समान एंव तुलनीय रही हों। साथ ही यदि वरिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति न हुई होती तो वह निम्न पद कनिष्ठ कार्मिक को सेलेक्शन ग्रेड/वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि से अथवा उसके पूर्व समयमान वेतनमान के अर्न्तगत सम्बन्धित लाभ की अनुमन्यता हेतु अर्ह होता।

**3**- मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर–1/2 के अनुसार की गई व्यवस्था राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होंगी।

**4**-समयमान वेतनमान की व्यवस्था सम्बन्धी शासनादेश संख्या–वे0 आ0–2–560/दस–45 (एम)/99. दि० 02–12–2000 एंव संख्या–वे०आ०–2–211/दस–45 (एम)/99, दि0 06–02–2001 तथा उसके क्रम में जारी शासनादेश उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

**(मनजीत सिंह)**, प्रमुख सचिव।

□□□

## समयमान वेतनमान की स्वीकृति

संख्या–वे०आ०–2–1255/दस–2005–45(एम)–99–टी०सी०

प्रेषक,

श्री मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव–II
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ०प्र० शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक 20 जनवरी, 2006

**विषयः** वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों, जिनके वेतनमान का अधिकतम रु० 10500/– तक है, के लिए समयमान वेतनमान की व्यवस्था शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–560/दस–45(एम)–99, दिनांक 2 दिसम्बर, 2000 एवं इस क्रम में समय समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों के माध्यम से की गयी है। उक्त शासनादेश के माध्यम से रु० 7450–11500 एवं रु० 7500–12000 के वेतनमान वाले पदों के पदधारकों हेतु समयमान वेतनमान की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

**2.** अतः उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए जिनके वेतनमान का अधिकतम रु० 13500/–से कम है, के लिए शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–560/दस–45(एम)–99, दिनांक 2 दिसम्बर, 2000 एवं इस क्रम में समय समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में जहाँ कहीं 'वेतनमान का अधिकतम रु० 10500/ तक' अंकित है, को वेतनमान का अधिकतम रु० 13500/–से कम प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**3.** उपरोक्त शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–560/दस–45(एम)–99, दिनांक 2 दिसम्बर, 2000 एवं इस क्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेश उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,
**(मनजीत सिंह)**
प्रमुख सचिव--II

□□□

## समयमान वेतनमान

संख्या–वे०आ०–2–1255ए/दस–2005–45(एम)–टी०सी०

प्रेषक,
श्री मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव–II
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ०प्र० शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 20 जनवरी, 2006

**विषय :** वेतन समिति (1997–99)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वेतन समिति (1997–99)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में राज्यपाल महोदय दिनांक 01–01–1996 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमानों में रु० 4500–7250 के वेतनमान वाले ऐसे पद, जिन पर विभागीय सेवा नियमों में निर्धारित व्यवस्थानुसार रु० 4500–7000 के वेतनमान वाले संवर्गीय पद से पदोन्नति की व्यवस्था हो परन्तु जो रु० 5000–8000 के वेतनमान वाले संवर्गीय पद के पोषक संवर्ग में सम्मिलित न हों, पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रु० 4500–7250 के स्थान पर रु0 5000–8000 का वेतनमान तात्कालिक प्रभ से अनुमन्य कराने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**2.** इस सम्बन्ध मे मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जहाँ विभागीय सेवा नियमों में निर्धारित व्यवस्थानुसार रु० 4500–7000 के वेतनमान वाले पदों से सम्बन्धित संवर्ग में रु0 4500–7250 के वेतनमान वाले पद पर प्रथम पदोन्नति तथा रु० 5000–8000 के वेतनमान वाले पद पर द्वितीय पदोन्नति की व्यवस्था हो, वहां सम्बन्धित विभाग द्वारा रु० 4500–7250 तथा रु० 5000–8000 वेतनमान के उपर्युक्त पदों की कार्यात्मक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इन पदों के संविलियन/उच्चीकरण हेतु संवर्गीय पुनर्गठन की कार्यवाही वित्त एवं कार्मिक विभाग के परामर्श से की जाये।

भवदीय,
**(मनजीत सिंह)**
प्रमुख सचिव–II

❏❏❏

## समयमान वेतनमान की स्वीकृति

संख्या–वे०आ०–2–31/दस–2006–45(एम)/99

प्रेषक,
श्री मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव–II
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 14 फरवरी, 2006

**विषयः** राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति (संशोधन)।

महोदय,

समयमान वेतनमान की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या–वे०आ०–181/दस–97–1 शिक्षा/97, दिनांक 20 फरवरी, 1997 तथा वे०आ०–2–211/दस–2001–45(एम)/99 दिनांक 06 फरवरी, 2001 द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश जारी किये गये हैं। उपर्युक्तानुसार लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के विषय में सम्बन्धित कर्मचारी संगठनों तथा प्रशासकीय विभागों द्वारा प्राप्त सन्दर्भो पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों जिनकी अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष है और जिनके वेतनमान का अधिकतम दिनांक 01–01–1986 से लागू वेतनमानों में रु० 3500/– (दिनांक 01–01–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में रु० 10500) तक है, के लिए उपर्युक्त शासनादेशों के अनुसार दिनांक 01–03–1995 से प्रभावी समयमान वेतनमान की व्यवस्था में निम्न प्रकार संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) शासनादेश दिनांक 20–12–1997 के प्रस्तर–1 (ख) तथा 1 (ग) निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जायें:–

**1 (ख)** उपर्युक्त श्रेणी के उन अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्होंने सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से 6 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो और सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हों, को प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराया जाये। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।

उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान देने के लिए सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में देय वेतनवृद्धि की तिथि से 6 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा अनिवार्य है, किन्तु जिन पदधारकों को दिनांक 01–03–1995 से पूर्व लागू व्यवस्था के अधीन दिनांक 01–03–1995 या उसके पूर्व सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि 08 वर्ष से अधिक की अवधि पर स्वीकृति हुई हो तो 01–03–1995 से प्रभावी व्यवस्थानुसार ऐसे मामलों में नियमित पदधारक को प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से न्यूनतम 4 वर्ष की सेवा सहित कुल 14 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पर अनुमन्य किया जायेगा। तदनुसार अनुमन्य वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित कार्मिकों का वेतन पद के साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

**1**(ग) उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो उपर्युक्त प्रस्तर–1 (ख) के अनुसार अनुमन्य प्रथम वैयक्तिक/अगले वेतनमान में 5 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें ऐसे प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान में उक्त सेवा अवधि पूर्ण कर लेने पर एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा किन्तु जिन पदधारकों को दिनांक 01–03–1995 से पूर्व लागू व्यवस्था के अधीन दिनांक 01–03–1995 या उसके पूर्व वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान 14 वर्ष से अधिक की सेवा पर अनुमन्य हुआ हो, उन्हें दिनांक 01–03–1995, से संशोधित समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का लाभ उस वेतनमान में न्यूनतम 3 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य होगा। किन्तु यह लाभ किसी भी दशा में दिनांक 01–03–95 के पूर्व देय नहीं होगा।

**2.** उपर्युक्त प्रस्तर–1 में की गई व्यवस्थाएं सम्बन्धित श्रेणी के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जहाँ पूर्व में समयमान वेतनमान का लाभ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान अनुमन्य था।

**3.** उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 1997 तथा 06 फरवरी, 2001 इस सीमा तक संशोधित समझे जाये। उक्त शासनादेश की शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,
**(मनजीत सिंह)**
प्रमुख सचिव–II

❑❑❑

## चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वेतनमान

संख्या : वे०आ०–2–179/दस–2007–44/2001 टी०सी०

प्रेषक,
मनजीत सिंह
प्रमुख सचिव–II
वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

सेवा में,
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनाँक : 01 फरवरी, 2007

**विषयः**–समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

समयमान वेतनमान की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या वे०आ०–2–1091/ दस–2001–45(एम)/99, नाँक 16 नवम्बर, 2002 तथा शासनादेश संख्या वे०आ०–2– 1658/दस–2001– 45(एम)/99, दिनाँक 3 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर–1 (3) सपठित शासनादेश संख्या

वे०आ०–2–560/दस–45(एम)/99, दिनाँक 2 दिसम्बर, 2000 प्रस्तर–4 (1) के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वेतनमान रु० 2550–3200 में कार्यरत ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनके लिए पदोन्नति का कोई पद उपलब्ध नहीं हो, उनको समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत 14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर रु० 2650–4000 का वेतनमान प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में तथा 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर रु० 3050–4590 का वेतनमान द्वितीय पदोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**2**–उपर्युक्त शासनादेश दिनाँक 16 नवम्बर, 2002, शासनादेश दिनाँक 3 सितम्बर 2001 तथा शासनादेश दिनाँक 2 दिसम्बर, 2000 के सम्बन्धित प्रस्तर इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय

**(मनजीत सिंह)** प्रमुख सचिव–II

❑❑❑

## चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का समयमान वेतनमान–राजाज्ञा

संख्या : वे०आ०–2–208/दस–2007–44/2001 टी०सी०

प्रेषक,

मनजीत सिंह
प्रमुख सचिव–II
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनाँक : 08 फरवरी, 2007

**विषय :**– समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : वे०आ०–2–179/दस–2007–44/2001 टी०सी० दिनाँक 1 फरवरी, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश दिनाँक 01 फरवरी, 2007 के प्रस्तर–1 में की गई व्यवस्था को निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उपर्युक्त व्यवस्था दिनाँक 01 फरवरी 2007 से प्रभावी होगी।

(2) जिन कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अनुसार प्रथम वैयक्तिक अगले वेतनमान के रूप में रु० 2610–3540 तथा द्वितीय वैयक्तिक अगले वेतनमान के रूप में रु० 2750–4400 का वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें संशोधित व्यवस्था के अनुसार अनुमन्य क्रमशः रु0 2650–3540 एवं रु० 3050–4590 के उच्चीकृत समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–22 के उप नियम (क) के खण्ड (दो)(ग) की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

**2**- उपर्युक्त शासनादेश दिनाँक 01 फरवरी, 2007 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय

**मनजीत सिंह**
प्रमुख सचिव–II

❑❑❑

## सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति होने पर सरकारी सेवकों का वेतन-निर्धारण

संख्या–जी–2–1456/दस–302–81

प्रेषक,
जे0 एल0 बजाज,
सचिव,
वित्त (सामान्य) अनुभाग–2

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981

**विषयः**–सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति होने पर सरकारी सेवकों का वेतन–निर्धारण के सम्बन्ध में द्वितीय उत्तर प्रदेश आयोग की संस्तुतियां।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग के प्रतिवेदन के खण्ड–I के अध्याय 10 के प्रस्तर 10, 9(1) में निहित संस्तुति को स्वीकार करते हुए राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन निर्धारण के पश्चात् जब कोई सरकारी सेवक सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्त किया जाय, तो सेलेक्शन ग्रेड से उसका वेतन उस पद के साधारण वेतनमान में प्राप्त/आहरित वेतन के ऊपर अगले उच्चतर प्रक्रम पर निश्चित किया जायेगा। ये आदेश दिनांक 1 जुलाई, 1979 से प्रभावी होंगे।

**2.** नियमों के औपचारिक संशोधन की कार्यवाही पृथक् से की जा रही है।

भवदीय,
**जे०एल० बजाज,**
सचिव।

□□□

## समयमान वेतनमान की स्वीकृति

संख्या–वे०आ०–2–808/दस–83–सं०व्य०(सा०)–82

प्रेषक,
जगमोहन लाल बजाज,
सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 20 अक्टूबर, 1983

**विषयः**–समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–210/दस–83–सं०व्य०(सा०)–82, दिनांक 4 फरवरी, 1983 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कतिपय कार्यालयों द्वारा उक्त शासनादेश के संलग्नक–I में उल्लिखित वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक, लेखा लिपिक तथा सहायक लेखाकार के पदों पर सेलेक्शन ग्रेड की अनुमन्यता के संबंध में यह शंका उठायी गई है कि क्या उक्त पदों के धारकों को संलग्नक–I के स्तम्भ 5 में उल्लिखित साधारण वेतनमान में निर्धारित संतोषजनक सेवा अवधि के उपरान्त सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होगा, अथवा संलग्नक–II के स्तम्भ–2 से 4 में अंकित वेतनमानों में की गई सेवा को भी निर्धारित संतोषजनक सेवा अवधि में सम्मिलित मानते हुए सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त उल्लिखित पदों पर कार्यरत ऐसे धारकों को, जो उक्त शासनादेश दिनांक 4 फरवरी, 1983 के संलग्नक– II के स्तम्भ–2 से 4 में अंकित वेतनमानों में उतने वर्षो की सेवा पूर्ण कर लेते हैं जिसका

उल्लेख संलग्नक–II के स्तम्भ–5 में है, सेलेक्शन ग्रेड निर्धारित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जा सकता है।

**2.** इस संबंध में मुझे यह भी स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 4 फरवरी, 1983 के संलग्नक–1 में उल्लिखित पदनामों से भिन्न पदों पर कार्यरत पदधारकों को शासन के स्पष्ट आदेशों के बिना कोई सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
**जगमोहन लाल बजाज,**
वित्त सचिव।

□□□

## समयमान वेतनमान की स्वीकृति

संख्या–वे०आ०–2–626/दस–84–सं०व्य०(सा०)–82

प्रेषक,
जगमोहन लाल बजाज,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 09 मई, 1984

**विषयः**–समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त विषयक शासनादेश सं०–वे०आ०–2–210/दस–सं०व्य०(सा०)–82, दिनांक 4 फरवरी, 1983 का आंशिक संशोधन करते हुए राज्यपाल महोदय ने आदेश प्रदान किया है कि उसके संलग्नक–I के क्र०सं० 1, 2(1), 2(3), 3, 4(1), 4(3), 5(1), 6(1), 6(3), 7(1), 8, 9(1 से 4) तथा 10 तक उल्लिखित पदों पर मौलिक नियुक्त की दशा में 10 वर्ष की नियमित सेवा के बाद सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होगा। यदि कोई पद पदोन्नति से भरा जाता है तो उस पर यह आदेश लागू नहीं होगा और उस पर शासनादेश दिनांक 4 फरवरी, 1983 की व्यवस्था के अनुसार ही सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होगा। यह संशोधन दिनांक 1 मई, 1984 से प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्ते पूर्ववत् लागू रहेंगी।

भवदीय,
**जगमोहन लाल बजाज,**
वित्त सचिव।

□□□

## समयमान वेतनमान की स्वीकृति

संख्या–वे०आ०–2–850/दस–84–सं०व्य०(सा०)–82

प्रेषक,
डा० जे०पी० सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 11 जुलाई, 1984

**विषयः**–समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं०–वे०आ०–2–626/दस–सं०व्य०(सा०)–82, दिनांक 9 मई, 1984 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने यह आदेश प्रदान किया है कि शासनादेश सं०–वे०आ०–2–210/दस–सं०व्य०(सा०)–82, दिनांक 4 फरवरी, 1983 के सलग्नक–I के क्र०सं० 2(2) और 2(4) पर उल्लिखित पदों पर भी मौलिक नियुक्ति की दशा में 10 वर्ष की नियमित सेवा के बाद सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होगा।

**2.** समयमान वेतनमान की अनुमन्यता के बारे में विभिन्न स्रोतों से कुछ बिन्दु उठाये गये हैं, उनके बारे में स्थिति नीचे स्पष्ट की जा रही है :—

| बिन्दु | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| **1**. जो पद मौलिक नियुक्ति तथा प्रोन्नति दोनों प्रकार से भरे जाते हैं उनके धारकों पर शासनादेश सं०—वे०आ०—2—626/दस—84—सं०व्य०(सा०)—84, दिनांक 9.5.84 के प्रावधान लागू हैं अथवा नहीं। | यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन पदों पर मौलिक नियुक्ति भी होती है और प्रोन्नति से भी नियुक्ति होती है, ऐसे पदों के धारकों को यथा—संशोधित शासनादेश सं०—वे०आ०—2—626/दस—84—सं०व्य० (सा०)—82, दिनांक 9 मई, 1984 के प्रावधानों के अनुसार 10 वर्ष की नियमित सेवा पर सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होगा। |
| **2.** समयमान वेतनमान के संबंध में जारी किये गये शासनादेश सं०—वे०आ०—2—210/दस—83— सं०व्य०(सा०)—82, दिनांक 4.2.83 में यह प्रावधान है कि सेलेक्शन ग्रेड उन्हीं नियमित कर्मचारियों को स्वीकृत किये जायेंगे जिन्होंने अपने पद के साधारण वेतनमान में, जिनका उल्लेख उक्त शासनादेश के संलग्नक—II के स्तम्भ—2 से 4 में है, निर्धारित सेवा पूरी कर ली हो। यह शंका उठायी गई है कि क्या शासनादेश सं०—वे०आ०—2—626/दस—84—सं०व्य०(सा०)—82, दिनांक 9 मई, 1984 के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड की अनुमन्यता के लिए उक्त शर्त लागू रहेगी। | शासनादेश सं०—वे०आ०—2—626/दस—84—सं०व्य०(सा०)—82, दिनांक 9 मई, 1984 के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड की अनुमन्यता के लिए नियमित सेवा की गणना दिनांक 4.2.83 के संलग्नक—II के स्तम्भ—2 से 4 में उल्लिखित वेतनमानों के ही आधार पर की जायेगी। |

भवदीय,
जे०पी० सिंह, सचिव।

□□□

## समयमान वेतनमान की स्वीकृति

संख्या—वे०आ०—2—1360/दस—85—सं०व्य०(सा०)—82

प्रेषक,
डा० जे०पी० सिंह,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2 लखनऊ, दिनांक 17 अक्टूबर, 1985

**विषयः**—समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पार्श्वांकित शासनादेशों को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने उक्त शासनादेश दिनांक 4 फरवरी, 1983 के संलग्नक— के स्तम्भ—2 में उल्लिखित विभिन्न सामान्य कोटि के पदों पर समयमान वेतनमान की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान की है :—

1. सं०—वे०आ०—2—210/दस—83—सं०व्य०(सा०)—82, दिनांक 4 फरवरी, 1983
2. सं०—वे०आ०—2—808/दस—83—सं०व्य०(सा०)—82, दिनांक 20 अक्टूबर, 1983
3. सं०—वे०आ०—2—626/दस—84—सं०व्य०(सा०)—82, दिनांक 9 मई, 1984
4. सं०—वे०आ०—2—850/दस—84—सं०व्य०(सा०)—82, दिनांक 11 जुलाई, 1984

(1) ऐसे सभी पदधारकों को, जो संबंधित पद पर नियमित हो चुके हैं और जिन्होंने उक्त पद पर दस वर्ष की निरन्तर सेवा संतोषजनक रूप से पूरी कर ली हो, उक्त संलग्नक के स्तम्भ—4 में

उल्लिखित सेलेक्शन ग्रेड वैयक्तिक रूप से स्वीकृत कर दिया जाय।

(2) ऐसे पदधारकों को भी, जिन्हें दिनांक 1.7.79 से सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान से उच्च वेतनमान स्वीकृत किया गया है और जिन्हें शासनादेश दिनांक 4.2.1983 के संलग्नक–II के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य नहीं हो सका है, अब उपर्युक्त प्रस्तर 1 के अधीन सेलेक्शन ग्रेड का लाभ दिया जाय। इस प्रकार उक्त शासनादेश दिनांक 4.2.1983 के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड की अनुमन्यता के लिये संलग्नक–II को निष्प्रभावी समझा जायेगा।

(3) ऐसे पदधारकों को, जो संबंधित पद पर नियमित है और जिन्होंने कुल 16 वर्ष की सेवा, जिसमें 6 वर्ष की सेवा सेलेक्शन ग्रेड में अनिवार्य है, संतोषजनक रूप से पूरी कर ली हो, प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से स्वीकृत किया जाय, संबंधित पदधारकों को पदोन्नति का अगला वेतनमान स्वीकृत करने में सावधानी बरती जाय और जिन मामलों में स्थिति स्पष्ट न हो उन्हें आवश्यकतानुसार शासन को संदर्भित कर वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जाय।

(4) उक्त उप प्रस्तर (3) के अधीन ऐसे पदधारकों को जिन्हें संबंधित सेवा संवर्ग में पदोन्नति का पद्र उपलब्ध न हो और जिन्होंने कुल 16 वर्ष की सेवा, जिसमें 6 वर्ष की सेवा सेलेक्शन ग्रेड में अनिवार्य है संतोषजनक रूप से पूरी कर ली हो, उनके साधारण वेतनमान में अगला उच्च वेतनमान स्वीकृत कर दिया जाय। उदाहरणार्थ, ड्राइवर, ट्रैक्टर आपरेटर का साधारण वेतनमान रु० 330–495 है और रु० 405–540 का सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत है, उक्त पदों के धारको को सामान्यतया पदोन्नति के पद उपलब्ध नहीं हैं, अतः उन्हें कुल 16 वर्ष की सेवा, जिसमें 6 वर्ष की सेवा सेलेक्शन ग्रेड में सम्मिलित हो, संतोषजनक रूप से पूरी कर लेने पर रु० 354–550 का अगला उच्च वेतनमान देय होगा।

(5) उपर्युक्त उपप्रस्तर (3) और (4) के प्रयोजन हेतु सेलेक्शन ग्रेड की सेवा अवधि का आगणन दिनांक 1.7.82 अथवा सेलेक्शन ग्रेड में वास्तविक नियुक्ति की तिथि, जो बाद में हो, से किया जाय।

**2.** यह आदेश दिनांक 1 जुलाई, 1985 से प्रभावी होगा तथा पार्श्वांकित शासनादेश उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,
**जे० पी० सिंह**, सचिव।

□□□

## राजकीय कर्मचारियों को समयमान की स्वीकृति

संख्या–वे०आ०–2–1450/दस–85–सं०व्य०(सा०)/82

प्रेषक,
डा० जे०पी० सिंह,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक : 6 नवम्बर, 1985

**विषयः**–राजकीय कर्मचारियों को समयमान की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1360/दस–85–सं०व्य०(सा०)–82, दिनांक 17 अक्टूबर, 1985 में विभिन्न सामान्य कोटि के पदों पर समयमान वेतनमान की स्वीकृति कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है। कतिपय अन्य पदों/संवर्गो में नियुक्त राजकीय कर्मचारियों को भी समयमान वेतनमान के रूप में सेलेक्शन ग्रेड/उच्च वेतनमान की सुविधा प्रदान की जा चुकी है और तद्विषयक आदेश विभिन्न प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से अलग– अलग निर्गत किए गए हैं। इस उद्देश्य से कि सामान्य कोटि से भिन्न अन्य पदों/संवर्गो में नियुक्त राजकीय कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड/उच्च वेतनमान का लाभ समय से उपलब्ध हो, राज्यपाल महोदय ने सामान्य कोटि से भिन्न ऐसे सभी पदों पर, जो संलग्नक–1 के स्तम्भ–2 में उल्लिखित वेतनमानों में स्वीकृत हैं, उनके समक्ष स्तम्भ–3 में अंकित सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति दिनांक 1 जुलाई, 1985 से निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान की है :–

(1) ऐसे सभी पदधारकों को जो संबंधित पद पर नियमित रूप से नियुक्त हो चुके हैं और जिन्होंने उक्त पद पर दस वर्ष की निरन्तर सेवा संतोषजनक रूप से पूरी कर ली हो, उक्त संलग्नक में पद के स्वीकृत वेतनमान के समक्ष उल्लिखित सेलेक्शन ग्रेड वैयक्तिक रूप से स्वीकृत कर दिया जाए।

"नियमित नियुक्ति" का तात्पर्य ऐसी नियुक्ति से है जो समक्ष प्राधिकारी द्वारा सेवा नियमों/शर्तों के अनुसार किए गए चयन के फलस्वरूप की गई हो।

(2) ऐसे पदधारकों को, जिन्हें द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार दिनांक 1 जुलाई, 1979 से अथवा तत्पश्चात् लिये गये निर्णयों के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड/उच्च वेतनमान इस शासनादेश के प्रसारण के पूर्व अनुमन्य हो गया है, इन आदेशों द्वारा स्वीकृत सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य नहीं होगा।

विभिन्न शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/अनुदेशकों पर, जिन्हें 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य हैं, यह आदेश लागू नहीं होगा।

**2.** उपर्युक्त प्रस्तर में स्वीकृत सेलेक्शन ग्रेड में संबंधित कर्मचारियों का वेतन उनके द्वारा साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन के अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

**3.** अर्ह कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति के आदेश संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किए जायेंगे। किन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में, जिनमें नियुक्ति प्राधिकारी जिला स्तरीय अधिकारी से नीचे स्तर के हों, संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति के आदेश जारी किए जाए।

**4.** मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित मामलों में सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नति के अगले वेतनमान की स्वीकृति के आदेश संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जायेंगे—

(1) ऐसे मामलों में, जिनमें पूर्व निर्गत आदेशों के अधीन इस शासनादेश के संलग्नक–I के स्तम्भ–3 में उल्लिखित सेलेक्शन ग्रेड से भिन्न सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य है, संबंधित पद के ऐसे धारकों को, जिन्हें पूर्व में सेलेक्शन ग्रेड नहीं मिल सका है, इस शासनादेश के अधीन सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति।

(2) ऐसे पदधारकों को, जिनके वेतनमानों का उल्लेख इस शासनादेश के संलग्नक–I के स्तम्भ–2 में नहीं है, सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति।

(3) ऐसे पदधारकों को, जो संबंधित पद पर नियमित हैं और जिन्होंने कुल 16 वर्ष की सेवा, जिसमें 6 वर्ष की सेवा सेलेक्शन ग्रेड में अनिवार्य है, संतोषजनक रूप से पूरी कर ली हो, प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्रदान किया जाना।

**5.** मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त प्रस्तर 4 के अधीन सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नति का अगला वेतनमान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा इस शासनादेश के संलग्नक–2 में निर्धारित प्रपत्र में सूचना सहित वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।

भवदीय,
**जे0 पी0 सिंह,** सचिव।

**संलग्नक-1**

| क्रम सं० | साधारण वेतनमान (रु०) | सेलेक्शन ग्रेड (रु०) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 315–440 | 360–8–400–द०रो०–8–480 |
| 2. | 330–495 | 405–9–450–द०रो०–9–540 |
| 3. | 354–550/364–550 | 454–12–514–द०रो०–12–586–14–600 |
| 4. | 400–615 | 510–12–570–द०रो०–15–675 |
| 5. | 430–685 | 450–15–540–द०रो०–16–636–द०रो०–16–700–20–720 |
| 6. | 470–735 | 620–15–650–17–701–द०रो०–17–820 |
| 7. | 515–850 | 680–20–780–द०रो०–20–920 |
| 8. | 550–940 | 740–25–865–द०रो०–25–1040 |
| 9. | 570–1100 | 830–30–980–द०रो०–30–1190 |
| 10. | 625–1240 | 925–35–1065–द०रो०–35–1240–40–1360 |
| 11. | 770–1600 | 1200–50–1300–60–1420–द०रो०–60–1720 |
| 12. | 850–1720 | 1300–60–1420–द०रो०–60–1900. |

संलग्नक–2

राजकीय कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नति का वेतनमान स्वीकृत करने हेतु सूचना से संबंधित प्रपत्र

विभाग का नाम————————

| क्रम संख्या | पदनाम | वेतनमान (रु.) | | | | पदो की संख्या (1.7.85 के अनुसार) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | दि. 1.7.79 से पूर्व | वर्तमान साधारण | सेलेक्शन ग्रेड तथा निर्धारित सेवावधि | सीनियर ग्रेड तथा निर्धारित सेवावधि | साधारण वेतनमान में | सेलेक्शन ग्रेड में | सीनियर ग्रेड में | मौलिक/नियमित नियुकत पदधारकों की संख्या जिन्हें सेलेक्शन ग्रेड/सीनियर ग्रेड 1.7.85 तक नहीं मिल सका है। |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

| ऐसे नियमित पदधारकों की संख्या जो 1.7.85 को 10 वर्ष की निरन्तर सेवा कर चुके हैं | भर्ती की विधि | | | अगली प्रोन्नति के पद (यदि कोई हो) का नाम एवं वेतनमान | नियमित ऐसे पदधारकों की संख्या जिन्होंने 6 वर्ष की सेवा सेलेक्शन ग्रेड में पूरी कर ली हो तथा कुल सेवा 16 वर्ष की हो चुकी हो | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सीधी भर्ती प्रतिशत | प्रोन्नति का प्रतिशत | प्रोन्नति की दशा में नीचे के पदों के नाम एवं वेतनमान | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

प्रशासकीय विभाग के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी–(1) जिन मामलों में समयमान वेतनमान की स्वीकृति विषयक आदेश निर्गत किए जा चुके हैं, उनमें यदि संशोधन आवश्यक हो तो प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जाय।

(2) सामान्य कोटि के पदों के संबंध मे, जिसका उल्लेख शासनादेश दिनाँक 4.2.83 में है, प्रस्ताव प्रेषित न किए जाय।

(3) प्रत्येक मामले में साधारण वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड/सीनियर ग्रेड की स्वीकृति के शासनादेश की प्रति कृपया अनिवार्य रूप से संलग्न की जाय।

(4) स्तम्भ–16 में 6 वर्ष की सेलेक्शन ग्रेड की सेवा का आगणन दिनाँक 1.7.82 अथवा सेलेक्शन ग्रेड में वास्तविक नियुक्ति की तिथि, जो बाद में हो, से किया जायेगा।

(5) अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु यदि कोई हो, तो उसका उल्लेख स्तम्भ–17 में किया जाय।

## समयमान वेतनमान की स्वीकृति

संख्या–वे०आ०–2–2670/दस–सं०व्य०(सा०)/82

प्रेषक,

डा० जे०पी० सिंह,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर, 1986

**विषयः**–समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1360/दस–85–सं०व्य०(सा०)–82, दिनांक 17 अक्टूबर, 1985 के अन्तर्गत विभिन्न सामान्य कोटि के पदों पर समयमान वेतनमान की स्वीकृत कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। उक्त सुविधा रु० 570–1100 के वेतनमान में आशुलिपिक पद के धारकों को अनुमन्य नहीं है। मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने रु० 570–1100 के वेतनमान में कार्यरत ऐसे सभी पदधारकों को, जो संबंधित पद पर नियमित हो चुके हैं और जिन्होंने उक्त पद पर दस वर्ष की निरन्तर सेवा संतोषजनक रूप से पूरी कर ली हो, रु० 830–30–980–द०रो०–30–1190 का सेलेक्शन ग्रेड वैयक्तिक रूप से दिनांक 1.8.1986 से दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। "नियमित नियुक्ति" का तात्पर्य ऐसी नियुक्ति से है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा नियमों/शर्तो के अनुसार किये गये चयन के फलस्वरूप की गयी हो।

**2.** उपर्युक्त प्रस्तर 1 में स्वीकृत सेलेक्शन ग्रेड में कर्मचारियों का वेतन उनके द्वारा साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन के अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

**3.** अर्ह कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति के आदेश संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

भवदीय,
**जे०पी० सिंह,** सचिव।

□□□

## समयमान वेतनमान की स्वीकृति

संख्या–वे०आ०–2–420/दस–सं०व्य०(सा०)/82

प्रेषक,

सोम दत्त त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 25 फरवरी, 1987

**विषयः**–समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1360/दस–85–सं०व्य०(सा०)–82, दिनांक 17 अक्टूबर, 1985 के अन्तर्गत विभिन्न सामान्य कोटि के पदों पर समयमान वेतनमान की स्वीकृत कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। उक्त सुविधा रु० 515–860 के वेतनमान में सहायक लेखाकार पद के धारकों को अनुमन्य नहीं है। मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने रु० 515–860 के वेतनमान में कार्यरत ऐसे सभी पदधारकों को जो संबंधित पद पर नियमित हो चुके हैं और जिन्होंने उक्त पद पर दस वर्ष की निरन्तर सेवा संतोषजनक रूप से पूरी कर ली हो, रु० 680–20–780–द०रो०–20–920 का सेलेक्शन ग्रेड वैयक्तिक रूप से दिनांक 1.1.1987 से दिये

जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। "नियमित नियुक्ति" का तात्पर्य ऐसी नियुक्ति से है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा नियमों/शर्तों के अनुसार किये गये चयन के फलस्वरूप की गयी हो।

**2.** उपर्युक्त प्रस्तर 1 में स्वीकृत सेलेक्शन ग्रेड में कर्मचारियों का वेतन उनके द्वारा साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन के अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

**3.** अर्ह कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति के आदेश संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

**सोम दत्त त्यागी,** विशेष सचिव।

□□□

## "संतोषजनक" सेवा का निर्धारण

सं0 761/कार्मिक–1/1993

प्रेषक,
ओ0पी0 आर्य, सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

**विषय :** "संतोषजनक" सेवा का निर्धारण।

कार्मिक अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 30 जून, 1993

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि सेवा सम्बन्धी प्रकरणों (यथा स्थायीकरण दक्षतारोक पार कराने, समयमान वेतनमान दिये जाने, सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 470 (बी) के तहत पेंशन से कटौती किये जाने आदि मामलों) में सम्बन्धित सरकारी सेवकों की "संतोषजनक" सेवा के निर्धारण हेतु कोई निश्चित मानक निर्धारित न होने के कारण विभिन्न स्तरों पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्वविवेक से अलग–अलग निर्णय लिये जाते हैं, फलस्वरूप इस बात की सम्भावना बनी रहती है कि किसी मामलें में जिन सेवाभिलेखों के आधार पर सेवाओं को सन्तोषजनक माना गया हो, उसी स्तर के सेवाभिलेखों के होते हुए भी किसी दूसरे मामलें में सेवाओं को संतोषजनक न माना जाये।

2. यद्यपि ''संतोषजनक'' सेवा के निर्धारण का विषय नितान्त ''सब्जेक्टिव'' प्रकृति का विषय है और सभी संगत सेवाभिलेखों का उन्हें अभिलिखित किये जाने की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस विषय में समुचित निर्णय लिया जा सकता है, तथापि सक्षम प्राधिकारियों को सहायता हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इस विषय में निम्नलिखित सामान्य मार्गदर्शन सिद्धांत तय किये गये हैं

(1) स्थायीकरण के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए केवल परिवीक्षा काल और जहाँ नियमानुसार परिवीक्षा काल को बढ़ाया गया हों, वहाँ बढ़ाये गये परिवीक्षा काल सहित सम्पूर्ण अवधि के सेवाभिलेखों को ही आधार बनाकर यह निर्णय लिया जाये कि परिवीक्षा काल में सम्बन्धित सरकारी सेवा की सेवायें सन्तोषजनक रही हैं या नही।

(2) दक्षतारोक पार कराने, समयमान वेतनमान स्वीकृत करने तथा सी॰एस॰आर॰ के अनुच्छेद–470 (बी) के तहत पेन्शन की अनुमन्यता आदि अन्य सभी विषयों में संतोषजनक सेवा का निर्धारण करने हेतु निम्नांकित निर्देशों को दृष्टि में रखा जाये–

(अ) संतोषजनक सेवाओं के विषय में निर्णय लेने के दिनांक के पूर्व जिस समय तक के अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित सरकारी सेवक का संतोषजनक सेवा के आधार पर कोई अनुमन्य कराया जा चुका हो अथवा उसे पदोन्नति प्रदान की जा चुकी हो अथवा उसका स्थायीकरण किया जा चुका हो अथवा उसे दक्षतारोक अनुमन्य कराया जा चुका हो, उन सेवाभिलेखों को सेवा विचार में न लिया जाय वरन्

उसके पश्चात के सेवाभिलेखों के आधार पर ही संतोषजनक सेवाओं का निर्धारण किया जाये।

(ब) यदि उस अवधि में, जिसके सेवा अभिलेख उपरोक्तानुसार, विचार क्षेत्र में आते हैं, किसी वर्ष की सत्यनिष्ठा प्रमाणित न की गयी हो, परन्तु अनुवर्ती समस्त वर्षो (जिसकी संख्या कम से कम 5 अवश्य हो) को सत्यनिष्ठा लगातार प्रणाणित की जाती रही हो तो केवल उस एक वर्ष की अप्रभावित सत्यनिष्ठा के आधार पर सेवाओं को असन्तोषजनक न माना जाये।

(स) यदि उस अवधि में, जिसके सेवाभिलेख उपरोक्तानुसार विचार क्षेत्र में आते हो, कोई निन्दा प्रविष्टि विद्यमान हो और उस निन्दा प्रविष्टि से सम्बन्धित घटना की तिथि के बाद से ही अगले पाँच वर्ष की अवधि में कोई अन्य प्रतिकृतता (यथा प्रतिकूल प्रविष्टि, दण्ड आदि) न हो तो उस निन्दा प्रविष्टि को संतोषजनक सेवा के मूल्यांकन हेतु विचार में न लिया जाये अर्थात उसे नजरअन्दाज कर दिया जाये।

(द) यदि सम्बन्धित अवधि में किसी सरकारी सेवक को कोई सुझावात्मक प्रविष्टि या चेतावनी दी गयी हो तो उसे सुझावात्मक प्रविष्टि/चेतावनी को संतोषजनक सेवा के मूल्यांकन हेतु विचार में न किया जाये।

(य) यदि सम्बन्धित अवधि में निन्दा प्रविष्टि से भिन्न कोई अन्य लघु दण्ड या वृहद दण्ड दिया गया हो अथवा एक से अधिक बार पांच वर्ष के अन्तराल से कम अवधि में निन्दा प्रविष्टि दी गयी हो, तो सन्तोषजनक सेवा के मूल्यांकन हेतु सम्बन्धित अवधि के समस्त सेवाभिलेखों के आधार पर सावधानीपूर्वक विचार कर प्राधिकारी द्वारा स्वविवेक से समुचित निर्णय लिया जाये।

(र) यदि सम्बन्धित अवधि में एक से अधिक वर्षों की सत्यनिष्ठा पांच वर्ष के अन्तराल से कम अवधि में अप्रमाणित कर दी गयी हो तो सामान्यता उक्त अवधि की सेवाओं को असन्तोषजनक कहा जावे।

**3.** अनुरोध है कृपया इस विषय पर निर्णय लेते समय उपरोक्त सिद्धान्तों का भली भांति अनुपालन सुनिश्चित करें तथा इन्हें अपने अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों के संज्ञान में भी ला दे, ताकि उनके स्तर पर भी उपरोक्त सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

**4.** उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धानत केवल सक्षम प्राधिकारियों के पथ प्रदर्शनार्थ हैं। ये किसी विषय–विशेष पर इस सम्बन्ध में लागू नियमों को अवक्रमित नहीं करते हैं और न ही इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारियों के विवेकानुसार के विरुद्ध किसी सरकारी सेवा को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्रदान करते है।।

भवदीय,
**जी0पी0आर्य**, सचिव।

❒❒❒

## वेतन निर्धारण के मामलों में टेस्ट चेक के फलस्वरूप पायी गई त्रुटियाँ/कमियाँ

संख्या–वे०आ०–1–358/दस–39(एम)/89

प्रेषक,
आनन्द मिश्र,
सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांक 12 मई, 1997

**विषयः**–पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के मामलों में टेस्ट चेक के फलस्वरूप पायी गई त्रुटियाँ/कमियाँ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों में दिनांक 1.1.86 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण की टेस्ट चेकिग वित्त विभाग के अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो द्वारा की जा रही है, जिसमें सामान्य प्रकार की कुछ गम्भीर त्रुटियां पायी गई हैं। इन सामान्य त्रुटियों के विवरण संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि इनके प्रकाश में कृपया अपने कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के मामलों का पुनरावलोकन करा लें और यदि कोई त्रुटियां पायी जायें तो उनके निराकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप जिन मामलों में कर्मचारियों को अधिक धनराशि का भुगतान किया जा चुका है, उन मामलों में संबंधित

कर्मचारियों से अधिक भुगतान की गई धनराशि की तुरन्त वसूली की जाये।

**2.** समयमान वेतनमान की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या–वे०आ०–1–84/दस–12(एम)–95, दिनांक 5.2.1997 के साथ पठित शासनादेश संख्या–वे०आ०–1–166/दस–12(एम)/95, दिनांक 8.3.1995 के प्रस्तर 1(3) के अनुसार समयावधि के आधार पर कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किये गये प्रोन्नत/अगला वेतनमान में पुनः सेवा अवधि के आधार पर वेतन अगले प्रक्रम पर निर्धारित करने का लाभ अनुमन्य कराने की व्यवस्था की गयी है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त लाभ देने के फलस्वरूप वेतनवृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात् वेतनवृद्धि की तिथि वहीं रहेगी जो उपर्युक्तानुसार लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि न पाने की दशा में होती।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार

भवदीय,

**आनन्द मिश्र,** सचिव, वित्त।

**संलग्नक**

**शासनादेश संख्या–वे०आ०–1–358/दस–39(एम)/89, दिनांक 12.5.1997 का संलग्नक**

| त्रुटि | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| 1. ऐसे कर्मचारी जो उच्च पदों पर अस्थायी रूप से कार्यरत थे उन्हें भी अपने निम्न पद पर प्रत्यावर्तन के पूर्व उस पद का सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया। | 1. संबंधित पदधारक के उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में निम्न पद पर सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि से अनुमन्य होगा। समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेवा अवधि के आधार पर प्रोन्नत/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराने का जहाँ तक प्रश्न है, यदि पदधारक द्वारा धारित उच्च पद का वेतनमान उसे निम्न पद पर वैयक्तिक रूप से सेवावधि के आधार पर देय प्रोन्नति/अगले वेतनमान के समान या उससे उच्च है तो उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में उसे निम्न पद पर उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नत/अगला वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा और यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि को देय होगा। |
| 2. सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नति वेतनमान हेतु अनवरत संतोषजनक सेवा की त्रुटिपूर्ण गणना। | 2. संतोषजनक सेवा निर्धारण के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा मार्गदर्शक व्यवस्था शासनादेश 30.6.93 में जारी की गयी है। अतः समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि, वैयक्तिक रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि, सेलेक्शन ग्रेड तथा उच्च वेतनमान की अनुमन्यता हेतु संतोषजनक सेवा का निर्धारण शासनादेश दिनांक 30.6.93 को दृष्टिगत रखते हुए किया जाये। |
| 3. प्रोन्नति पद पर कार्य–भार ग्रहण करने से इन्कार करने वाले कर्मचारियों को भी वैयक्तिक रूप से सेवावधि के आधार पर प्रोन्नति वेतनमान की त्रुटिपूर्ण स्वीकृति। | 3. किसी कर्मचारी की वास्तविक प्रोन्नति उच्च पद पर होने की दशा में यदि वह प्रोन्नति के पद को ग्रहण नहीं करता है अथवा प्रोन्नति के पद पर जाने से इन्कार करता है तो उसे उस तिथि तथा उसके पश्चात की तिथि से सेवावधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नति/अगला वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में यह भी |

| | स्पष्ट किया जाता है कि सेलेक्शन ग्रेड/सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान/ अगले उच्च वेतनमान संबंधी लाभ कर्मचारियों को प्रोन्नति के अवसर के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान किये गये हैं, अतः वास्तविक प्रोन्नति से इन्कार करने वाले कर्मचारियों के मामलों में सेवा में वृद्धिरोध नहीं माना जा सकता। |
|---|---|

❑❑❑

## राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान की स्वीकृति

संख्या–वे०आ०–2-560/दस-45(एम)-99

प्रेषक,

श्री वी०के० मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 2 दिसम्बर, 2000

**विषय** :- वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए, जिनके पद के वेतनमान का अधिकतम रु० 10500 तक है, समयमान वेतनमान की निम्न व्यवस्था लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

**1. प्रथम वेतनवृद्धि**–(1) उपर्युक्त श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी, जो एक पद पर 8 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा दिनांक 1-1-1996 अथवा उसके बाद की तिथि को पूर्ण करते हैं, उन्हें समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अुमनय कराने हेतु पद के पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को एक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाय।

**(2) प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान**–उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से 6 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा सहित कुल 14 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो और सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हों, को प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाय। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान दैयक्तिक रूप से देय होगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान देने के लिये सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि की तिथि से 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा अनिवार्य हैं, किन्तु यदि किसी कर्मचारी को सेलेक्शन ग्रेड का लाभ पूर्व में 10 वर्ष की सेवा के आधार पर मिला हो तो उंक्त प्रयोजनार्थ सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की अवधि का प्रतिबन्ध 4 वर्ष रखा जायेगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान की

अनुमन्यता हेतु अधिकारी/कर्मचारी का सम्बन्धित पद पर नियमित होना आवश्यक है। अन्य शर्तो की पूर्ति पर भी सम्बन्धित पद पर नियमित न होने की दशा में पदधारक को यह लाभ उस तिथि से ही अनुमन्य होगा, जिस तिथि से सम्बन्धित पद पर वह नियमित किया जायेगा।

**(3) प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में वेतनवृद्धि**—उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो उपर्युक्त प्रस्तर–1(2) के अनुसार वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें ऐसे प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उक्त सेवा अवधि पूर्ण कर लेने पर एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा। किन्तु यदि किसी नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नतीय वेतनमान/अगला वेतनमान पहले मिल चुका हो, तो उसे उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने की तिथि से 4 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त ऐसे वैयक्तिक प्रोन्नति/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी।

**(4) द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान**—प्रत्येक नियमित कर्मचारी को वैयक्तिक प्रोन्नति/अगले वेतनमान में उपर्युक्त प्रस्तर–1(3) के अनुसार एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने की तिथि से 5 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा सहित न्यूनतम 24 वर्ष की सेवा पर वैयक्तिक रूप से द्वितीय प्रोन्नति/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। ऐसा कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है, उनको उस वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।

**2. वेतन निर्धारण/पुनर्निर्धारण**—(1) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में उपर्युक्त प्रस्तर–1 (1) तथा 1(3) के अन्तर्गत वेतनवृद्धि स्वीकृत होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन अनुमन्यता की तिथि को उसी वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(2) उपर्युक्तानुसार प्रथम तथा द्वितीय वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की वेतनवृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् वेतनवृद्धि की तिथि वही रहेगी जो उपर्युक्त लाभ न पाने की दशा में होती।

(3) ऐसे मामलों में जहाँ समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि का लाभ संवर्ग में किसी वरिष्ठ कर्मचारी की दिनांक 1-1-1996 अथवा उसके बाद अनुमन्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी से कम हो जाय तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर निर्धारित कर दिया जाय।

(4) उपर्युक्त प्रस्तर–1(2) के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से स्वीकृत प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(5) उपर्युक्त प्रस्तर–1(4) के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से स्वीकृत द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(6) प्रथत अथवा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में यदि किसी समय बिन्दु पर किसी अधिकारी/कर्मचारी का वेतन उसे क्रमशः पद के साधारण वेतनमान अथवा प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अनुमन्य वेतन स्तर की तुलना में कम या बराबर हो जाय तो क्रमशः प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा दूसरे वैयक्तिक प्रोन्नति/अगले वेतनगान, जैसे भी स्थिति हो, में उसका वेतन ऐसे वेतन स्तर के अगले प्रक्रम पर पुनर्निर्धारित कर दिया जाय। इस प्रकार वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप प्रथम तथा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि,

वेतन पुनर्निर्धारण की तिथि से 12 माह की अर्हकारी सेवा के उपरान्त देय होगी।

(7) यदि किसी पदधारक को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1-1-1996 अथवा अनुवर्ती विकल्प की तिथि तक अनुमन्य हो रहा हो, तो उस दशा में पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन, पद के साधारण पुनरीक्षित वेतनमान तथा पदधारक को अनुमन्य पुनरीक्षित वैयक्तिक प्रोन्नति/अगले वेतनमान में अलग–अलग, निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार वेतन निर्धारित करने पर यदि किसी पदधारक का वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में निर्धारित वेतनमान में निर्धारित वेतन उसके पद के साधारण वेतनमान में निर्धारित वेतन के बराबर अथवा उससे कम हो तो वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उसका वेतन अगले प्रक्रम पर पुनर्निर्धारण कर दिया जाय।

(8) यदि कोई पदधारक पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण की तिथि (दिनांक 1 1-1996 अथवा अनुवर्ती विकल्प की तिथि) से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ के लिये अर्ह होता है, तो उसे यह लाभ वर्तमान अथवा पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त करने का विकल्प रहेगा।

(9) ऐसे मामलों में जहाँ किसी कर्मचारी/अधिकारी की पदोन्नति उसी वेतनमान में होती है, जो उसे दिनांक 1-1-1996 या उसके बाद से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में मिल रहा था, तो ऐसे पद पर उसका वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग--2 से 4 के मूल नियम–22 ए(1) में निहित प्रक्रियानुसार अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित होगा और इसमें मूल नियम 22-बी के प्राविधान लागू नहीं होंगे। शासनादेश संख्या–प०मा०नि०–357/दस–21(एम)-97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर–8(1) तथा प्रस्तर–8(2) निरस्त समझे जायें।

**3. वृद्धिरोध वेतनवृद्धि**–(1) ऐसे पदधारक जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रु० 10500 तक है, जब अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुँच जायें, तो उनके वेतनमान को उसमें अन्तिम वेतन वृद्धि के बराबर तीन वेतन वृद्धियों की धनराशि जोड़ कर बढ़ा दिया जाये। यह वेतन वृद्धियाँ सम्बन्धित पदधारक को वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के पश्चात् वार्षिक आधार पर देय होगी। यह वेतनवृद्धि ऐसे पदधारकों को भी अनुमन्य होगी जिन्हें वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने तक सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतन वृद्धि अनुमन्य हो चुकी हो किन्तु सम्बन्धित पदधारक द्वारा पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के उपरान्त सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के रूप में देय वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

(2) ऐसे पदधारक जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रु० 10500 से अधिक है, उन्हें पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के उपरान्त वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में प्रत्येक 2 वर्ष बाद में एक वेतनवृद्धि दी जाय। ऐसी वेतन वृद्धियों की अधिकतम संख्या 3 होगी।

(3) वृद्धिरोध वेतनवृद्धि का लाभ केवल पद के साधारण वेतनमान में अनुमन्य होगा। यह लाभ वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला उच्च वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान में अनुमनय नहीं होगा।

(4) इस प्रकार अनुमन्य वृद्धिरोध वेतनवृद्धि को सम्बन्धित वेतनमान का भाग माना जायेगा। तथा मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ उसे वेतन का अंग माना जायेगा।

**4. शर्तें एवं प्रतिबन्ध**–(1) उपर्युक्त प्रस्तर–1(2) तथा 1(4) के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान की अनुमन्यता हेतु किसी पदधारक के लिये प्रोन्नति के पद का आशय उस पद से है जिस पर सेवा नियमावली अथवा कार्यवाही आदेशों के आधार पर सम्बन्धित पदधारक द्वारा धारित पद से वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति की प्राविधान हो। यदि किसी पद हेतु वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु दो या अधिक वेतनमानों में पद उपलब्ध हो तो समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक

प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में पदोन्नति हेतु उपलब्ध निम्नतम पद का वेतनमान ही अनुमन्य होगा। किसी अधिकारी/कर्मचारी को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में उसे, वह वेतनमान अनुमन्य होगा जो शासनादेश संख्या–प०मा०नि०–357/दस–21(एम)-97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के संलग्नक–ग पर उपलब्ध सूची के अनुसार अगला वेतनमान हो।

(2) किसी पदधारक के उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में निम्न पद पर सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतन वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि पदधारक द्वारा धारित उच्च पद का वेतनमान उसे निम्न पद पर वैयक्तिक रूप से, सेवा अवधि के आधार पर देय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के समान या उससे उच्च है तो उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में उसे निम्न पद पर समयावधि के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा और यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि को देय होगा।

(3) संतोषजनक सेवा के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा मार्ग–दर्शक व्यवस्था शासनादेश संख्या 761/कार्मिक–1-93, दिनांक 30 जून, 1993 में जारी की गयी है। अतः समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में अतिरिक्त वेतनवृद्धि वैयक्तिक रूप से देय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड तथा उच्च वेतनमान की अनुमन्यता हेतु संतोषजनक सेवा का निर्धारण शासनादेश दिनांक 30-6-1993 को दृष्टिगत रखते हुए किया जाये।

(4) किसी अधिकारी/कर्मचारी की वास्तविक प्रोन्नति होने की दशा में यदि वह प्रोन्नति के पद पर जाने से इंकार करता है तो उसे उस तिथि तथा उसके पश्चात् की तिथि से देय सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेलेक्शन ग्रेड/सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान/अगला उच्च वेतनमान किसी पद/संवर्ग में प्रोन्नति के अवसर के आभाव को दृष्टिगण रखते हुए प्रदान किये गये है, अतः वास्तविक प्रोन्नति से इंकार करने वाले कर्मचारियों के मामले में सेवा में वृद्धिरोध नहीं माना जा सकता है।

(5) जिस कर्मचारी ने दिनांक 1-1-1996 के बाद की किसी तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान चुना है, यदि उस कर्मचारी को सेवा अवधि के आधार पर एक वेतन वृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1-1-1996 तथा उसके विकल्प के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में आने की तिथि के मध्य से देय है, तो यह लाभ उसे वर्तमान वेतनमान में ही देय होगा।

(6) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत अनुमन्य उपर्युक्त चार लाभों में से यदि किसी पदधारक को कोई लाभ दिनांक 1-1-1996 से पूर्व मिल चुका है तो उसे दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वह लाभ पुनः नहीं मिलेगा। उसे तत्पश्चात् देय लाभ, यदि कोई हो, ही अनुमन्य होगा।

(7) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का लाभ देने के लिए सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की संतोषजनक अनवरत सेवा की शर्त के परीक्षण हेतु उसकी चरित्र पंजिका देखना होगा। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी को यह लाभ अनुमन्य होने पर तत्सम्बन्धी आदेश जारी किये जायं। परन्तु जिनके सम्बन्ध में दिनांक 1-1-1996 के बाद आदेश जारी किये जा चुके हैं, उनके लिये पुनरीक्षित आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रोन्नतीय/अगला

वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के नियुक्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी माने जायेंगे।

**5.** ऐसे पदधारक, जिनके पद का दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान रु० 8000-13500 या उससे अधिक है, के लिये समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था पुनरीक्षित वेतनमान में भी दिनांक 31 दिसम्बर, 2000 तक लागू रहेगी। दिनांक 1 जनवरी, 2001 या उसके पश्चात् उपर्युक्त वेतनमान के पदों पर समयमान वेतनमान की व्यवस्था सम्बन्धी आदेश बाद में जारी किये जायेंगे।

**6. अवेशष के भुगतान की प्रक्रिया**—(1) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ स्वीकृत होने के फलस्वरूप अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 1-4-2000 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, जो दिनांक 31-3-2002 तक निकाली नहीं जा सकेगी। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन०एस०सी०) के रूप में दी जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टीफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दे दी जायेगी।

(2) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व समाप्त हो गयी हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 अप्रैल, 2001 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान नकद दिया जायेगा।

**7.** उक्त निर्णय के फलस्वरूप यदि कोई प्रभावित अधिकारी/कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान चुनने के लिए पुनरीक्षित विकल्प प्रस्तुत करना चाहें तो उसे इस शासनादेश के जारी होने अथवा सम्बन्धित पदधारक को उपर्युक्तानुसार लाभ स्वीकृत करने सम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी होने के तिथि, जो भी बाद में हो, के 90 दिन के अन्दर पुनरीक्षित विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

**8.** (1) इस शासनादेश में जारी व्यवस्था शैक्षिक पदों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(2) शासनादेश संख्या—प०मा०नि०—356/दस—22(एम)-97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 का प्रस्तर—4 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(3) इस शासनादेश में जारी व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 एवं उसके साथ पठित अन्य शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायें।

भवदीय,
**वी०के०मित्तल,**
प्रमुख सचिव, वित्त।

□□□

## समयमान वेतनमानों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

संख्या : वे०आ०—2-604/दस-2001-45 (एम)-1999

प्रेषक,

श्री वी० के० मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शास

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
2- समसत विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2 लखनऊ : दिनांक : 10 अप्रैल, 2001

**विषय :** समयमान वेतनमान की स्वीकृति–स्पष्टीकरण

महोदय,

समयमान वेतनमान की स्वीकृति सम्बन्धी वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या वे०आ०–1-84/दस-12(एम)-95, दिनांक 5 फरवरी, 1997 के साथ पठित शासनादेश संख्या वे०आ०–1-166/दस-12(एम)-95, दिनांक 8 मार्च, 1995 तथा इस अनुभाग के शासनादेश संख्या वे०आ०–2-560/दस-45(एम)-99, दिनांक 2 दिसम्बर, 2000 के क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा यह जिज्ञासा की गई है कि दिनांक 1 मार्च, 1995 से प्रभावी समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत जिन कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि 8 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम की अवधि में मिली हो उन्हें तत्पश्चात् प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान का लाभ 6 वर्ष बाद मिलेगा अथवा 4 वर्ष बाद? यह जिज्ञासा भी की गई है कि ऐसे मामलों में जहाँ दिनांक 1 मार्च, 1995 से लागू व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का लाभ सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की सेवा को सम्मिलित करते हुए 14 वर्ष से अधिक किन्तु 16 वर्ष से कम अवधि में स्वीकृत हुआ हो, उर्पयुक्तानुसार स्वीकृत वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का अगला लाभ 5 वर्ष पूर्ण होने पर मिलेगा अथवा 4 वर्ष पूर्ण होने पर।

**2.** इस सम्बन्ध में पुराने वेतनमान में दिनांक 1 मार्च, 1995 से प्रभावी तथा पुनरीक्षित वेतनमानों में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के सम्बन्ध में मुझे निम्न प्रकार से स्थिति स्पष्ट करने का निदेश हुआ है।

(1) ऐसे मामलों में जहाँ दिनांक 1 मार्च, 1995 से प्रभावी समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि 8 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम की अवधि पर दिनांक 1 मार्च, 1995 से स्वीकृति की गई हो, उनमें नियमित पदधारकों को प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान सम्बन्धित पद पर कुल 14 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पर अनुमन्य किया जायेगा।

(2) ऐसे नियमित पदधारक जिन्हें दिनांक 1 मार्च, 1995 से वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान 14 वर्ष से अधिक किन्तु 16 वर्ष से कम अवधि पर मिला हो, उन्हें उस वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का लाभ सम्बन्धित पद पर कुल 20 वर्ष की सेवा पर दिया जायेगा।

**3.** मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या वे०आ०–2-560/दस–45(एम)-99, दिनांक 2 दिसम्बर, 2000 के प्रस्तर 8(1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित समझा जाये :

"इस शासनादेश द्वारा जारी व्यवस्था ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होंगी जहाँ पूर्व में समयमान वेतनमान का लाभ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भांति अनुमन्य था।"

**4.** उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 8 मार्च, 1995, 5 फरवरी, 1997 तथा 2 दिसम्बर, 2000 इसी सीमा तक संशोधित समझे जायें। उक्त शासनादेशों की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

**वी० के० मित्तल,**

प्रमुख सचिव, वित्त।

❑❑❑

## चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान की व्यवस्था

संख्या : वे0 आ0—2—1091/दस—2001—45(एम)/99 टी0सी0—3

प्रेषक,

श्री आनन्द मिश्र,
सचिव वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग अनुभाग—2)

लखनऊ : दिनांक : 16 नवम्बर, 2002

**विषय :** समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान अनुमन्य कराया जाना।

महोदय,

समयमान वेतनमान की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—1858/दस—2001—45(एम)/99, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर—1(3) सपठित शासनादेश संख्या वे0आ0—2—560/दस—45(एम)/99, दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 के प्रस्तर 4(1) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतनमान रु0 2550—3200 में कार्यरत ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनके लिये पदोन्नति का कोई पद उपलब्ध नहीं हो, उनको 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तथा वेतनमान रु0 2610—3540 के पद पर कार्यरत ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिन्होंने उक्त पद पर 14 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत अगला उच्चतर वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराने हेतु वेतनमानों की सूची में उपलब्ध रु0 2650—4000 के वेतनमान को संज्ञान में न लेते हुए (इग्नोर करते हुए) रु0 2750—4400 का वैयक्तिक/अगला वेतनमान अनुमन्य कराये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 03 सितम्बर, 2001 तथा दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 के सम्बन्धित प्रस्तर इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

**आनन्द मिश्र,** वित्त सचिव।

□□□

## राजकीय वाहन चालकों को अगला वेतनमान अनुमन्य कराया जाना

संख्या—वे0आ0—2-252/दस—2003—45(एम)/99 टी0सी0—3

प्रेषक,

श्री आनन्द मिश्र
सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2

लखनऊः दिनांकः 11 मार्च, 2003

**विषय :** समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन राजकीय वाहन चालकों को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान अनुमन्य कराया जाना।

महोदय,

समयमान वेतनमान की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—1658/दस—2001—45(एम)/99, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर—1 (3) सपठित शासनादेश संख्या—वे0आ—2—560/दस—45(एम)/99, दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 के प्रस्तर—4(1) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय वाहन चालकों को 14 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा के पश्चात रु0 4000—6000 का प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान एवं 24 वर्ष

की सन्तोषजनक सेवा पर रु0 4500–7000 का द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**2.** शासनादेश दिनांक 03 सितम्बर, 2001 तथा दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 में समयमान वेतनमान के विषय में दी गयी अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे। उपर्युक्त शासनादेशों के सम्बन्धित प्रस्तर इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय

**आनन्द मिश्र,**

सचिव, वित्त।

□□□

## पुनर्गठन के फलस्वरूप समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु सेवा अवधि की गणना

संख्या–2567/77–2–04–32(2)पीएस/98–टी0सी01

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 20 अक्टूबर, 2004

**विषयः-** शासनादेश सं0–304पी0एस0/18–8–32(2)पी0एस0/89टी0सी0–II, दिनांक 31.7.96 तथा शासनादेश सं0–1890 पी0एस0/18–8–32(2)पी0एस0/89टी0सी0–II, दिनांक 18.6.1997 के माध्यम से राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय के विभिन्न पदों के संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु सेवा अवधि की गणना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 31.7.1996 द्वारा राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय के विभिन्न पदों के पुनर्गठन के क्रम में कतिपय पदों के पदनाम तथा वेतनमान परिवर्तित हो गए है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में इस बिन्दु पर शासन के परामर्श/मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है कि संबंधित पदों पर समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभों की अनुमन्यता हेतु पद के पूर्व पदनाम/वेतनमान में की गई सेवा को गणना में लिया जायेगा अथवा नहीं। इस विषय पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्णित स्थिति में पुनर्गठन के उपरान्त धारित पद पर पुनर्गठन के पूर्व इस पद के पदनाम/वेतनमान में की गई सेवा को समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु निर्धारित सेवा अवधि के आगणन के प्रयोजनार्थ गणना में लिया जायेगा।

**2.** यह आदेश वित्त वेतन आयोग अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू0ओ0–वे0आ0–2/1000/2004, दिनांक 19–10–2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

**3.** कृपया प्रसंगत विषय में तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से **शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।**

भवदीय,

**(सुभाष चन्द्र शर्मा),**

विशेष सचिव।

## माध्यमिक शिक्षकों की उच्चीकृत वेतनमानों की स्वीकृति

संख्या–310/15–8–2009–3011/2009

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सचिव, उ०प्र० शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उ०प्र० लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभागः

लखनऊ : दिनांक : 24 फरवरी, 2009

**विषय :** प्रदेश के शिक्षा विभाग की माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को वेतन समिति 2008 के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयों के क्रम में वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि वेतन समिति उत्तर प्रदेश(2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्रविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू०जी०सी० ए०आई०सी०टी०ई० तथा आई०सी०ए०आर० के वेतन मानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1315/दस–59(एम)2008 दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के माध्यम से तथा उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1316/दस–59(एम) 2008,दिनांक 08 दिसम्बर,2008 द्वारा की गयी थी।

**2-** वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत शासकीय संकल्प संख्या–वे०आ०–2–225/दस–2009–54(एम)/2008 टी०सी०, दिनांक 02 फरवरी 2009 के अनुसार राज्य के शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के साधारण वेतनमान,चयन वेतन एवं पदोन्नति वेतनमान के शिक्षकों को केन्द्र सरकार के शैक्षणिक पदों के समान क्रमशः ग्रेड–III, ग्रेड–II एवं ग्रेड–I की श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी 2008 से प्रकल्पित आधार पर स्वीकृत करते हुए वास्तविक लाभ/नकद भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से अनुमन्य किया जायेगा।

**3-** अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के माध्यमिक शिक्षकों के लिए संलग्न तालिका के स्तम्भ–3 में उल्लिखित वर्तमान वेतनमानों को स्तम्भ–4 में उल्लिखित ग्रेड/वेतनमानों के सादृश्य स्तम्भ–5 में उल्लिखित वेतन बेण्ड तथा स्तम्भ–6 में उल्लिखित ग्रेड वेतन ऐसे पदधारक, जो दिनांक 01–12–2008 को सेवा में थे अथवा उसके पश्चात् सेवा में आये हों को अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

**4-** उक्तानुसार उच्चीकृत वेतनमानों के सादृश्य वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक का वेतन काल्पनिक रूप से शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1318/दस–59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित करते हुए वास्तविक लाभ/नकद भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से दिया जायेगा।

**5-** साधारण वेतनमान के शिक्षक को ग्रेड–III (उदाहरण स्वरूप एल०टी० के साधारण वेतन मान के शिक्षक को एल०टी०ग्रेड–III) तथा समयमान वेतन की व्यवस्था के अन्तर्गत चयन वेतन मान प्राप्त शिक्षक कों ग्रेड–II एवं पदोन्नति वेतनमान प्राप्त शिक्षकं को ग्रेड–I पदनाम दिया जायेगा। चयन वेतनमान अथवा पदोन्नति वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित शिक्षक कों वर्तमान में मिल रहे बैण्ड वेतन(वेतन बेण्ड में वेतन) के साथ चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन अनुमन्य कराते हुए वेतन निर्धारित किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-199/दस-2008,दिनांक 21 फरवरी 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक- यथोक्त

(जितेन्द्र कुमार), सचिव।

**शासनादेश संख्या-310/15-8-2009-3011/2009, दिनांक 24 फरवरी, 2009 का संलग्नक**

| क्र. सं. | अध्यापक | वर्तमान वेतनमान/ग्रेड | संशोधित ग्रेड | सादृश्य वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वेतन बैण्ड | ग्रेड वेतन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | माध्यमिक शिक्षा | | | | |
| | **1- एल०टी० शिक्षक** (क) साधारण वेतनमान | 5500-9000 | ग्रेड-III 7450-11500 | वेतन बैण्ड-2 9300-34800 | 4600 |
| | (ख) चयन वेतनमान (साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर) | 6500-10500 | ग्रेड-II 7500-12000 | वेतन बैण्ड-2 9300-34800 | 4800 |
| | (ग) प्रोन्नत वेतनमान (चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर) | 7500-12000 | ग्रेड-I 8000-13500 | वेतन बैण्ड-2 9300-34800 | 5400 |
| | **2- प्रवक्ता** (क) साधारण वेतनमान | 6500-10500 | ग्रेड-III 7500-12000 | वेतन बैण्ड-2 9300-34800 | 4800 |
| | (ख) चयन वेतनमान (साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर) | 7500-12000 | ग्रेड-II 8000-13500 | वेतन बैण्ड-3 15600-39100 | 5400 |
| | (ग) प्रोन्नत वेतनमान (चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर) | 8000-13500 | ग्रेड-I 10000-15200 | वेतन बैण्ड-2 15600-39100 | 6600 |
| | **3- प्रधानाध्यापक हाईस्कूल** (क) साधारण वेतनमान | 7500-12000 | ग्रेड-II 8000-13500 | वेतन बैण्ड-3 15600-39100 | 5400 |
| | (ख) चयन वेतनमान (साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक | 8000-13500 | ग्रेड-II 10000-15200 | वेतन बैण्ड-3 15600-39100 | 6600 |

| सेवा पर) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4- प्रधानाचार्य | 10000-15200 | 12000-16500 | वेतन बैण्ड–3 15600-39100 | 7600 |

□□□

## प्राथमिक/बेसिक शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना

संख्या : 684/79–5–2009–50/08

प्रेषक,
अनूप चन्द्र पाण्डेय
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–5

लखनऊ : दिनांक : 24 फरवरी, 2009

**विषय :** वेतन समिति 2008 के चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमेक विद्यालयों तथा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू०जी०सी०, ए०आई०सी०टी०ई० तथा आई०सी०ए०आर० के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1315/दस–59(एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के माध्यम से तथा उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित वेतन बैण्ड तथा ग्रेड़ वेतन मे वेतन निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1318/दस–59(एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर 2008 द्वारा की गयी थी।

**2**- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत शासकीय संकल्प संख्या–वे०आ०–2–225/दस–2008–54(एम)/2008 टी०सी० दिनांक 02 फरवरी 2009 के अनुसार राज्य के शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के साधारण वेतनमान चयन वेतनमान एवं पदोन्नति वेतनमान के शिक्षकों को केन्द्र सरकार के शैक्षिक पदों के समान क्रमशः ग्रेड–III, ग्रेड–II एवं ग्रेड–I की श्रेणियाँ में वर्गीकृत करते हुए उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य वेतन बेण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी 2006 से प्रकल्पित आधार पर स्वीकृत करते हुए वास्तविक लाभ/नकद भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर 2006 से अनुमन्य किया जायेगा।

**3**- अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय बेसिक शिक्षा विभाग के उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए संलग्न तालिका के स्तम्भ–3 में उल्लिखित ग्रेड/वेतनमानों के सादृश्य स्तम्भ–5 में उल्लिखित वेतन बैण्ड तथा स्तम्भ–6 में उल्लिखित ग्रेड वेतन ऐसे पदधारण, जो दिनांक 01.12.2006 को सेवा में थे अथवा उसके पश्चात सेवा में आये हो। को अनुनन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**4.** उक्तानुसार उच्चीकृत वेतनमानों के सादृश्य वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक का वेतन काल्पनिक रूप से शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1318/दस–58(एम) 2008 दिनांक 06 दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित करते हुए वास्तविक लाभ/नकद भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से दिया जायेगा।

**5.** साधारण वेतनमान के शिक्षक को ग्रेड–III (उदाहरणस्वरूप प्राथमिक शिक्षक के साधारण वेतनमान के शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक ग्रेड–III) तथा समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त शिक्षक को ग्रेड– II एवं पदोन्नति वेतनमान प्राप्त शिक्षक को ग्रेड–I पदनाम दिया जायेगा। चयन वेतनमान अथवा पदोन्नति वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित शिक्षक की वर्तमान में मिल रहे बैण्ड वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन) के साथ चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन अनुमन्य कराते हुए वेतन निर्धारित किया जायेगा।

**6.** यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– वे०आ०–2–204/दस–2009 , दिनांक 21 फरवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

**संलग्नक–यथोक्त।**

भवदीय

**(अनूप चन्द्र पाण्डेय)**

सचिव।

| क्र०सं० | अध्यापक | वर्तमान वेतनमान/ग्रेड | संशोधित वेतनमान/ग्रेड | सादृश्य वेतनमान बैंड तथा ग्रेड वेतन | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वेतन बैण्ड | ग्रेड वेतन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | **बेसिक शिक्षा** **प्राथमिक शिक्षक** | | | | |
| | (क) साधारण वेतनमान | 4500–7000 | ग्रेड–III 6500–10500 | वेतन बैण्ड–2 9300–34800 | 4200 |
| | (ख) चयन वेतनमान | 5000–8000 | ग्रेड–II 7400–11500 | वेतन बैण्ड–2 9300–34800 | 4600 |
| | (ग) प्रोन्नत वेतनमान | 5500–9000 | ग्रेड–I 7500–12000 | वेतन बैण्ड–2 9300–34800 | 4800 |
| 2 | **प्रधानाध्यापक प्राइमरी/ अध्यापक उच्च प्राथमिक** | | | | |
| | (क) साधारण वेतनमान | 5500–9000 | ग्रेड–III 7450–11500 | वेतन बैण्ड–2 9300–34800 | 4600 |
| | (ख) चयन वेतनमान | 6500–10500 | ग्रेड–II 7500–12000 | वेतन बैण्ड–2 9300–34800 | 4800 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ग्रेड–I | वेतन बैण्ड–2 | |
| | (ग) प्रोन्नत वेतनमान | 7500–12000 | 8000–13500 | 9300–34800 | 5400 |
| 3 | प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक | | | | |
| | | | ग्रेड–III | वेतन बैण्ड–2 | |
| | (क) साधारण वेतनमान | 6500–10500 | 7650–12000 | 9300–34800 | 4800 |
| | | | ग्रेड–II | वेतन बैण्ड–3 | |
| | (ख) चयन वेतनमान | 7500–12000 | 8000–13500 | 15600–39100 | 5400 |
| | | | ग्रेड–I | वेतन बैण्ड–3 | |
| | (ग) प्रोन्नत वेतनमान | 8000–13500 | 10000–15200 | 15600–39100 | 6600 |

**इन्द्रराज सिंह**
अनुसचिव।

❑❑❑

## बेसिक शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण विषयक फिटमेंट तालिका

संख्या – वे०आ०–2-1272/दस–59(एम)/2009

प्रेषक,
श्री मनजीत सिंह
प्रमुख सचिव वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
(1) प्रमुख सचिव/सचिव बेसिक, शिक्षा उ०प्र० शासन।
(2) निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 07 सितम्बर, 2009

**विषय :** वेतन समिति उ०प्र० (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्या–684/79–5–09–50/08, दिनांक 24 फरवरी, 2009 की व्यवस्थानुसार फिटमेंट तालिकाओं का निर्गत किया जाना।

महोदय,

वेतन समिति उ०प्र० (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–684/79–5–09–50/08, दिनांक 24 फरवरी, 2009 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन स्वीकृत करने की व्यवस्था की गयी। उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक रूप से शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1318–दस–59 (एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारित करते हुए वास्तविक रूप से भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से किये जाने की व्यवस्था की गयी। शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारित किये जाने से कतिपय मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व से नियुक्त शिक्षकों का वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2008 के उपरान्त नियुक्त शिक्षकों के वेतन से कम होने की स्थिति उत्पन्न हो गयी।

उपर्युक्त विसंगति के निराकरण हेतु सम्यक विचारोपरान्त बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों का

वेतन निर्धारण फिटमेंट तालिकाओं के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक रूप से किए जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं उक्तानुसार निर्धारित वेतन का नकद भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से शासनादेश संख्या–684/79–5–09–50/08 दिनांक 24 फरवरी 2009 में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

भवदीय
**(मनजीत सिंह)**
प्रमुख सचिव।

❑❑❑

## माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमानों पुनरीक्षण विषयक फिटमेन्ट तालिका

संख्या–वे०आ०–2–1273/दस–59(एम)/2009

प्रेषक,
श्री मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1. प्रमुख सचिव/सचिव माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 07 सितम्बर, 2009

**विषय:** वेतन समिति, उ०प्र० (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्या–310/15–8–2009–3011/2009, दिनांक 24 फरवरी, 2009 की व्यवस्थानुसार फिटमेंट तालिकाओं का निर्गत किया जाना।

महोदय,

वेतन समिति, उ०प्र० (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बंध में शासनादेश संख्या–310/15–8–2009–3011/2009, दिनांक 24 फरवरी, 2009 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन स्वीकृत करने की व्यवस्था की गयी, उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित वेतन बैण्ड ग्रेड वेतन में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक रूप से शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1318–दस–59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारित करते हुए वास्तविक रूप से भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से किये जाने की व्यवस्था की गयी। शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारित किये जाने से कतिपय मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व से नियुक्त शिक्षकों का वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 के उपरान्त नियुक्त शिक्षकों के वेतन से कम होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

**2-** उपर्युक्त विसंगति के निराकरण हेतु सम्यक विचारोपरांत माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों का वेतन निर्धारण संलग्न फिटमेंट तालिकाओं के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक रूप से किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्तानुसार निर्धारित वेतन का नगद भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से शासनादेश संख्या–310/15–8–2009–3011/2009, दिनांक 24 फरवरी, 2009 में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

भवदीय,
**(मनजीत सिंह),**
प्रमुख सचिव।

❑❑❑

## राजाज्ञा 24.2.2009 के सापेक्ष शिक्षकों को बंचिग लाभ के सम्बन्ध में

संख्या–874/15–8–10–3011/2009

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक (मा०),उ०प्र०, लखनऊ
(2) वित्त नियंत्रक,
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०
इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 8 नवम्बर, 2011

**विषयः-** केन्द्र के समान उच्चीकृत वेतनमानों से सम्बन्धित राजाज्ञा दिनांक 24–2–2009 के सापेक्ष मांध्यमिक शिक्षकों को बंचिग का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक (मा०) शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद के पत्रांक–आडिट(1)/1040/2010–11, दि० 23.06.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

**2**– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में वित्त (वेतन आयोग) का मार्गदर्शन प्राप्त किया गया जिसके अनुसार शासनादेश संख्या–310/ 15–8–2009–3011/2009, दि० 24.2.2009 के माध्यम से माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को वेतन समिति 2008 के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के अनुसार स्वीकृत वेतनमानों में वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1272/दस–59(एम)/2009, दि० 07.09.2009 में संलग्न तालिकाओं के अनुसार किया जाएगा। उक्तानुसार निर्धारित वेतन में दो या दो से अधिक क्रमिक स्तरों पर एक समान वेतन निर्धारित होने के बावजूद उपर्युक्त तालिकाओं से हटकर वेतन निर्धारण नहीं होगा। विभाग द्वारा यदि कहीं भी उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 07 सितम्बर, 2009 की व्यवस्था से हटकर वेतन निर्धारण किया गया है तो ऐसा वेतन निर्धारण करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाए और उक्त निर्धारित वेतन को यथावश्यक संशोधित किया जाए।

**3**– उक्त के अतिरिक्त प्रकरण में वित्त विभाग द्वारा यह भी परामर्श दिया गया है कि पूर्व वेतनमान रु० 6500–10500 के शिक्षकों को शासनादेश दि० 24 फरवरी, 2009 के माध्यम से उच्चीकृत ग्रेड वेतन रु0 4800 स्वीकृत किया गया है। राजकीय कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों को वेतनमान रु० 6500–10500 के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4600 का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान शासनादेश दिनांक 16.03.2010 के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। शिक्षकों का वेतन निर्धारण उक्त शासनादेश दिनांक 24 फरवरी, 2009 के अनुसार ही किया जायेगा तथा वास्तविक लाभ/भुगतान शासनादेश दि० 24.2.2009 के अनुसार ही किया जायेगा।

भवदीय,

**(जितेन्द्र कुमार)**

सचिव।

❑❑❑

## चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समयमान वेतनमान

संख्या–वे०आ०–2–444/दस–2007–44–2001 टी०सी०

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव–II
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ०प्र० शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 20 अप्रैल, 2007

**विषयः**- समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–208/दस–2007–44–2001 टी०सी०, दिनांक 8 फरवरी, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 8 फरवरी, 2007 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–2 में इंगित वेतनमान में हुई टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

"(2) जिन कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अनुसार प्रथम वैयक्तिक अगले वेतनमान के रूप में रू0 2610–3540 तथा द्वितीय वैयक्तिक अगले वेतनमान के रूप में 2750–4400 का वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें संशोधित व्यवस्था के अनुसार अनुमन्य क्रमशः रू0 2650–4000 एवं रू0 3050–4590 के उच्चीकृत समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम–22 के उप नियम (क) के खण्ड (दो) (ग) की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।"

**2.** उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 8 फरवरी, 2007 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
**(मनजीत सिंह)**
प्रमुख सचिव–II

❑❑❑

## राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान की स्वीकृति

संख्या–वे०आ०–2–627/दस–2007–44/2001 टी०सी०

प्रेषक,

श्री डी० दीप्तिविलास,
प्रमुख सचिव, वित्त–II
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ०प्र० शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 21 जून, 2007

**विषयः**–वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–560/

दस–45(एम)/99, दिनांक 2 दिसम्बर, 2000 के प्रस्तर–1(2) तथा 1(4) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

**"प्रस्तर–1(2)**

उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने सेलेक्शन ग्रेड का लाभ की तिथि से 6 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा सहित कुल 14 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो और सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हों, को प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाय।

ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा। परन्तु किसी संवर्ग/पद का वेतनमान डाऊन ग्रेड होने के फलस्वरूप यदि सम्बन्धित पद पर पूर्व से कार्यरत कार्मिकों को पद का पूर्व उच्च वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया गया हो तो उन्हें तद्नुसार अनुमन्य उच्च वैयक्तिक वेतनमान का अगला वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से देय होगा।

उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान देने के लिए सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि की तिथि 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा अनिवार्य है, किन्तु यदि किसी कर्मचारी को सेलेक्शन ग्रेड का लाभ पूर्व में 10 वर्ष की सेवा के आधार पर मिला हो तो उक्त प्रयोजनार्थ सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की अवधि का प्रतिबंध 4 वर्ष रखा जायेगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान की अनुमन्यता हेतु अधिकारी/कर्मचारी का सम्बन्धित पद पर नियमित होना आवश्यक है। अन्य शर्तों की पूर्ति पर भी सम्बन्धित पद पर नियमित न होने की दशा में पदधारक को यह लाभ उस तिथि से ही अनुमन्य होगा, जिस तिथि से सम्बन्धित पद पर वह नियमित किया जायेगा।"

**"प्रस्तर–1(4)**

प्रत्येक नियमित कर्मचारी को प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उपर्युक्त प्रस्तर–1(3) के अनुसार एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने की तिथि से 5 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा सहित न्यूनतम 24 वर्ष की सेवा पर वैयक्तिक रूप से द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान से अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।"

**2.** उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 तद्नुसार इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

**(डी0 दीप्तिविलास)**

प्रमुख सचिव, वित्त–II

❑❑❑

## शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति (संशोधन)

संख्या : वे०–आ०–2–1086 (क)/दस–2007–45(एम/99 टी0सी0–II

प्रेषक,

श्री डी० दीप्तिविलास
प्रमुख सचिव –II
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ०प्र० शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 24 अक्टूबर, 2007

**विषयः** वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति। (संशोधन)

महोदय,

समयमान वेतनमान की स्वीकृति संबंधी शासनादेश संख्या संख्या–वे0आ0–2–181/दस–97–1 शिक्षा/97, दिनांक 20 फरवरी, 1997; वे0आ0–2–211/ दस–2001–45(एम)/99 दिनांक 06 फरवरी 2001; वे०आ०–2–31/ दस–2003–45 (एम)/99 दिनांक 14 फरवरी 2006 तथा वे०आ० –2–1086/दस 2007–45 (एम)/99 टी0सी0–II दिनांक 24 अक्टूबर 2007 द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किये गये हैं। उपर्युक्तानुसार लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के विषय में संबंधित कर्मचारी संगठनों तथा प्रशास्कीय विभागों द्वारा प्राप्त संदर्भों पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनके पद के वेतनमान दा अधिकतम दिनांक 01 जनवरी, 1986 से लागू वेतनमानों में रु० 3500/– तक परन्तु दिनांक 01 जनवरी 1996 से लागू वेतनमानों में रु0 13500/– से कम है के लिए उपर्युक्त शासनादेशों के अनुसार लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के क्रम में निम्नानुसार व्यवस्था करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शिक्षणेत्तर पद, जिनके वेतनमान का अधिकतम दिनांक 01 जनवरी, 1986 से लागू वेतनमानों में रु० 3500 तक परन्तु दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में रु० 13500 से कम है, के ऐसे पदधारक,

(क) जिनकी अधिवर्षता आयु 58 वर्ष अथवा राज्य कर्मचारियों के समान वृद्धि उपरान्त 60 वर्ष है तथा जिन्हें 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि तक सीधी भर्ती के पद के संदर्भ में दो प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अथवा दो पदोन्नतियां अनुमन्य नहीं हुई हों, परन्तु जिन्हें एक पदोन्नति प्राप्त हो चुकी हो और वे सीधी भर्ती के पद पर नियमित हों उनको 24 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 मार्च, 2000, जो भी बाद में हो, से सीधी भर्ती के पद के संदर्भ में द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य करा दिया जायें।

(ख) उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे पदधारक जिनकी अधिवर्षता आयु 60 वर्ष अथवा वृद्धि उपरान्त 62 वर्ष हो तथा जिन्हें 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि तक सीधी भर्ती के पद के संदर्भ में दो प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अथवा दो पदोन्नतियां अनुमन्य नहीं हुई हों, परन्तु जिन्हें एक पदोन्नति प्राप्त हो चुकी हो और वे सीधी भर्ती के पद पर नियमित हों उनको 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 मार्च, 2000 जो भी बाद में हो, से सीधी भर्ती के पद के संदर्भ में द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य करा दिया जाये।

(ग) उपर्युक्त प्रस्तर 1(1) (क) तथा 1 (1) (ख) के अनुसार की गयी व्यवस्था से लाभान्वित होने के उपरान्त संबंधित कार्मिकों को समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन आगे अन्य कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(घ) उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2001 के प्रस्तर–4(1) में लागू व्यवस्थानुसार अगले वेतनमान की अनुमन्यता के मामलों में दिनांक 01 जनवरी,1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में रु0 2750–4400 तथा 4500–7000 के लिए अगला वेतनमान क्रमशः रु0 3200–4900 तथा रु0 5000–8000 माना जाये।

(ङ) दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनमान रु० 2550–3200 तथा 2610–3540 में कार्यरत ऐसे कार्मिक जिनके लिए पदोन्नति का कोई पद उपलब्ध न हो, उन्हें

क्रमशः द्वितीय वैयक्तिक अगला वेतनमान तथा प्रथम वैयक्तिक अगला वेतनमान अनुमन्य कराने हेतु शासनादेश संख्या–प०म०नि०–357/ दस–21(एम)–97 दिनांक 31 दिसम्बर 1997 के संलग्नक–ग पर उपलब्ध वेतनमानों की सूची में उपलब्ध रु० 2650–4000 के वेतनमान को संज्ञान में न लेते हुए (इग्नोर करते हुए) रु० 2750–4400 का वैयक्तिक अगला वेतनमान अनुमन्य कराया जाये।

(2) ऐसे मामलों में जहां किसी कर्मचारी/अधिकारी को समयावधि के आधार पर प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होने अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के पश्चात उसी वेतनमान में वास्तविक रूप से प्रोन्नति के फलस्वरूप यदि किसी समय बिन्दु पर संबंधित कार्मिक का वेतन उस वेतन के बराबर या उससे कम हो जाता है जो उसे वास्तविक रूप से प्रोन्नति न होने की दशा में मिलता तो ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी/अधिकारी का वेतन उस समय बिन्दु पर वास्तविक प्रोन्नति वेतनमान में अगले स्तर पर पुनर्निर्धारित कर दिया जाये। इस प्रकार वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप प्रोन्नति के पद पर संबंधित कार्मिक को अगली वेतनवृद्धि वेतन पुनर्निर्धारण की तिथि से 12 माह की अर्हकारी सेवा के उपरान्त देय होगी।

(3) संवर्गीय पुनर्गठन अथवा सेवा शर्तों में संशोधन के परिणामस्वरूप पदोन्नतीय पद की प्रास्थिति में परिवर्तन या वेतनमानों के संविलयन/उच्चीकरण से यदि किसी पद के पदोन्नतीय वेतनमान अथवा अगले वेतनमान में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है तो समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन ऐसे पद पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान भी तदनुसार ही अनुमन्य होगा।

(4) (I) उपर्युक्त प्रस्तर –1(3) में उल्लिखित परिवर्तन/संशोधन के फलस्वरूप यदि किसी पद पर उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान की अनुमन्यता बनती है तो जिन्हें पूर्व की व्यवस्थानुसार वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका है, उन्हें ऐसे परिवर्तन/संशोधन की तिथि से उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। तदनुसार अनुमन्य उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा:–

(क) वैयक्तिक वेतनमान दिनांक 25 सितम्बर, 2006 के पूर्व की तिथि 24 सितम्बर, 2006 तक उच्चीकृत होने पर वेतन निर्धारण मूल नियम –22 के नीचे अंकित सम्परीक्षा अनुदेश–4 के अनुसार किया जायेगा।

(ख) वैयक्तिक वेतनमान दिनांक 25 सितम्बर, 2006 अथवा उसके बाद की तिथि से उच्चीकृत होने पर उच्चीकृत वेतनमान में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन मूल नियम–22 के उप नियम (क) के खण्ड (दो) (ग) के अन्तर्गत निर्धारित किया जायेगा।

(II) उपर्युक्त परिवर्तन/संशोधन की तिथि अथवा उसके बाद अर्ह कार्मिकों को वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान परिवर्तित/संशोधन व्यवस्थानुसार देय होगा और ऐसे मामलों में वेतन शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–560/दस–45(एम)–99, दिनांक 06 फरवरी, 2001 के प्रस्तर –2(4)/2(5) की व्यवस्थानुसार निर्धारित किया जायेगा।

5– उपर्युक्त प्रस्तर 1(3) में उल्लिखित परिवर्तन/संशोधन के फलस्वरूप यदि किसी पद पर निम्न वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान की अनुमन्यता बनती हैं तो परिवर्तन/संशोधन की तिथि के पूर्व अर्ह कार्मिकों को अनुमन्य उच्चतर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान यथावत् रहेगा किन्तु परिवर्तन/संशोधन की तिथि अथवा उसके पश्चात् अर्ह कार्मिकों को परिवर्तित स्थिति के अनुसार निम्न वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अनुमन्य होगा।

**2**– उपर्युक्तानुसार प्रस्तावित व्यवस्थायें ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जहां पूर्व में समयमान वेतनमान का लाभ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान अनुमन्य था।

**3**– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 1997, दिनांक 06 फरवरी, 2001 तथा दिनांक 14 फरवरी, 2006 इस सीमा तक संशोधित समझे जायें। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय
**डी0 दीप्तिविलास**
प्रमुख सचिव –II

❑❑❑

## सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान

संख्या–वे०आ०–2–1086/दस–2007–45(एम)/99 टी०सी०–II

प्रेषक,
श्री डी० दीप्तिविलास,
प्रमुख सचिव–II
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
(1) समस्त, प्रमुख सचिव/सचिव, उ० प्र० शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊः दिनांक 24 अक्टूबर, 2007

**विषयः** वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/अधिकारियों, जिनके वेतनमान का अधिकतम रु0 10500/– तक है के लिए समयमान वेतनमान के संबंध में विस्तृत व्यवस्था शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–211/दस–2001–45(एम)/99, दिनांक 06 फरवरी, 2001 के माध्यम से की गई है। उक्त शासनादेश में रु0 7450–11500 एवं रु0 7500–12000 के वेतनमान वाले पदो के पदधारकों हेतु समयमान वेतनमान की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

**2**- अतः उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों , जिनके वेतनमान का अधिकतम रु0 13500/–से कम है, के लिए उपर्युक्त शासनादेश, दिनांक 06 फरवरी, 2001 एवं इस क्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में जहाँ कहीं ''वेतमान का अधिकतम् रु0 10500/– तक'' अंकित है, को ''वेतनमान का अधिकतम रु0 13500 से कम '' प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**3**- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2001 एवं इस क्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,
**डी0 दीप्तिविलास**
प्रमुख सचिव–II

❑❑❑

## शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान–राजाज्ञा

संख्या–वे०आ०–2–891/दस–45(एम)/99

प्रेषक,
श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,

सेवा में,
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।

उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 16 सितम्बर, 2010

**विषय** : वेतन समिति (2008) के आठवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समयमान वेतनमान की स्वीकृति संबंधी शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–181/दस–97–1 शिक्षा/97, दिनांक 20 फरवरी, 1997, वे०आ०–2–211/दस–2001–45(एम)/99, दिनांक 06 फरवरी 2001, वे०आ०–2–31/दस–2006–45(एम)/99, दिनांक 14 फरवरी, 2006, वे०आ०–2–1086/दस–2007–45(एम)/99 टी०सी०–II, दिनांक 24 अक्टूबर, 2007 तथा वे०आ०–2–1086(क)/दस–2007 45(एम)/99 टी०सी०–II, दिनांक 24 अक्टूबर, 2007 द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश जारी किये गये; उपर्युक्त कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार कर संस्तुति देने हेतु प्रस्ताव विशिष्ट संदर्भ के रूप में वेतन समिति (2008) को संदर्भित किया गया। इस सम्बंध में वेतन समिति (2008) द्वारा आठवें प्रतिवेदन में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय राजकीय कर्मचारियों के लिये समयमान वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित निम्नलिखित शासनादेशों की व्यवस्थाएं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर भी लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

| | |
|---|---|
| (1) | शा० सं:–वे०आ०–2–252/दस–2003–45(एम)/1999 टी०सी०–3, दिनांक 11 मार्च, 2003 |
| (2) | शा० सं:–वे०आ०–2–179/दस–2007–44/2001 टी०सी०, दिनांक 01 फरवरी, 2007 |
| (3) | शा० सं:–वे०आ०–2–208/दस–2007–44/2001 टी०सी०, दिनांक 08 फरवरी, 2007 |
| (4) | शा० सं०–वे०आ०–2–187/दस–2007–44/2001 टी०सी०, दिनांक 01 फरवरी, 2007 |
| (5) | शा० सं०–वे०आ०–2–444/दस–2007–44/2001 टी०सी०, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 |
| (6) | शा० सं०–वे०आ०–2–627/दस–2007–44/2001 टी०सी०ए दिनांक 21 जून, 2007 |
| (7) | शा० सं०–वे०आ०–2–869/दस–2007–44/2001 टी०सी०, दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 |

**3**–उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 1997, दिनांक 08 फरवरी, 2001 दिनांक 14 फरवरी, 2006 तथा दिनांक 24 अक्टूबर, 2007 इस सीमा तक संशोधित समझे जायें। उक्त शासनादेशों की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

(अनूप मिश्र),

प्रमुख सचिव।

❑❑❑

## शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था

संख्याः—वे०आ०—2—3282/दस—62(एम)/2008

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2010

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2

**विषयः**—वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के समस्त श्रेणी के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए वर्तमान में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर दिनांक, 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की नई व्यवस्था निम्नवत् लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः—

(1) उक्त नई व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी होगी। दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में सभी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पदधारकों हेतु समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था ही लागू रहेगी। परिणामस्वरूप, दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू वेतनमानों में रु० 8000—13500 या उससे उच्च वेतनमान के पदधारकों के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान की दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक ही प्रभावी पूर्व व्यवस्था अब दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समझी जायेगी। शासनादेश संख्या—वे०आ०—2—1315/दस—59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 का प्रस्तर—5 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(2) (i) ए०सी०पी० के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 18 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा के आधार पर, तीन वित्तीय स्तरोन्नयन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगेः—

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा निरन्तर संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु;

किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात् प्राप्त हो जाती है तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा। सम्बन्धित पद पर रहते हुए उक्तानुसार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होगा।

(ii) उपर्युक्तानुसार देय तीन स्तरोन्नयन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही अनुमन्य होंगे।

(iii) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा। अर्थात अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना पूर्व वित्तीय स्तरोन्नयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।

(iv) ए०सी०पी० की व्यवस्था लागू होने के पश्चात सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर पदोन्नति हुई है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा।

परन्तु,

उक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन ए०सी०पी० की व्यवस्था से लाभान्वित किसी कनिष्ठ कार्मिक से कम होने की दशा में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के बराबर कर दिया जायेगा।

(v) प्रदेश के अन्य सहायक प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में लिया जायेगा, परन्तु ऐसे मामलों में ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय किसी लाभ हेतु नये विभाग के पद पर परिवीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा एवं सम्बन्धित लाभ देय तिथि से ही अनुमन्य कराया जायेगा।

(vi) ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु नियमित संतोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा।

(vii) केन्द्र सरकार/राजकीय विभागों/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम में की गयी पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।

(3) निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन, शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस–59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक "अ" पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ–6 के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से, अगला ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में संबंधित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है।

ऐसे मामलों में संबंधित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा।

(4) वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु मूल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं सेवा–नैवृत्तिक तथा अन्य लाभ सम्बन्धित कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होंगे।

(5) यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए०सी०पी० की व्यवस्था के अंतर्गत स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से शासित होगी जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य प्रोन्नति की व्यवस्था शामिल होती है। अतः ऐसे मामले उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के सुसंगत प्रावधानों एवं तद्क्रम में जारी निर्देशों से विनियमित होंगे।

(6) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतयः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मांग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।

(7) यदि कोई कार्मिक किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस कार्मिक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन वापस नहीं लिया जायेगा, तथापि ऐसे कार्मिक को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता हेतु समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(8) ऐसे कार्मिक जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च, पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा परन्तु सम्बन्धित कार्मिक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता की तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो सम्बन्धित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

(9) प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत कार्मिकों को ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए०सी०पी० के अन्तर्गत देय वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन, जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

(10) पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था तथा ए०सी०पी० की उपर्युक्त नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये समयमान वेतनमान/ वित्तीय स्तरोन्नयन में सम्भावित किसी अन्तर को विसंगति नहीं माना जायेगा।

**2**– समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा की गयी व्यवस्था एवं जारी निर्देश दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी यथावत

लागू रहेंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जायेंगे:—

(1) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08/10 वर्ष एवं 19/21 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना सम्बन्धित पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (बैण्ड वेतन + ग्रेड वेतन) के 3 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि को अगले 10 रु० में पूर्णांकित करते हुए की जायेगी। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(2) (i) 14/16 वर्ष एवं 24/26 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को सम्बन्धित कार्मिक का वेतन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैण्ड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित पदधारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ii) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक को अगली वेतन वृद्धि न्यूनतम छः माह की अवधि के उपरान्त पड़ने वाली पहली जुलाई को ही देय होगी।

परन्तु,

प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में अगली पहली जुलाई को किसी अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन उसे यथा स्थिति पद के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में निर्धारित मूल वेतन की तुलना में कम या बराबर हो जाये, तो यथा स्थिति प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हुए मूल वेतन पुनर्निर्धारित किया जायेगा।

(iii) वेतन बैण्ड रु० 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400/–तथा उससे उच्च वेतन बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन के पदों पर समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर पूर्व उस प्रस्तर–2(i) तथा 2(ii) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(iv) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी की पदोन्नति उक्तानुसार प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद पर होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण 3 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुए किया जायेगा। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(3) संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(4) ऐसे मामलों में जहाँ किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नतीय/अगले

वेतनमान भी तद्नुसार परिवर्तित रूप में ही अनुमन्य होगा।

परन्तु;

उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का संशोधन भी तद्नुसार किया जायेगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन यथावत् अनुमन्य होगा।

**टिप्पणीः**—उक्त व्यवस्था से सम्बन्धित कतिपय उदाहरण संलग्नक—1 पर उपलब्ध हैं।

**3**— पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) के अन्तर्गत देय लाभों की अनुमन्यता निम्नवत् होगीः—

(1) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) लागू किये जाने की तिथि दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के साधारण वेतनमान में है और उसे सम्बन्धित पद पर समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ हो, तो ए०सी०पी० की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी के उक्त धारित पद के सन्दर्भ में की जायेगी और ए०सी०पी० के अन्तर्गत देय सभी लाभ उक्त आधार पर देय होंगे।

(2) ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई समयमान वेतनमान/लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे कर्मचारियों को ए०सी०पी० की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी को अनुमन्य समयमान वेतनमान/लाभ जिस पद के सन्दर्भ में अनुमन्य किया गया है उस पद के सन्दर्भ में की जायेगी। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को ए०सी०पी० की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त निम्नानुसार अनुमन्य होंगेः—

(i) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08/10 वर्ष तथा 19/21 वर्ष के आधार पर, जैसी भी स्थिति हो, अनुमन्य क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए०सी०पी० के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

(ii) जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 04 वर्ष की सेवा सहित कुल 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

जिन्हे प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान 16 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य कराने की व्यवस्था के अन्तर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(iii) जिन्हें 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य कराने की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित लाभ अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने

की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

जिन्हें द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान 26 वर्ष की सेवा के आधार पर अनुमन्य कराने की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा। परन्तु,

दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित पद के साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए०सी०पी० की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

**4**– वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक–2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और संबंधित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

**5**– (1) वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके सम्बन्ध में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी–ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।

(2) स्क्रीनिंग कमेटी की प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी तथा जुलाई में सामान्यतः दो बैठकें आयोजित की जायेंगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह दिसम्बर तक के मामलों पर विचार किया जायेगा तथा माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह जून तक के मामलों पर विचार किया जायेगा।

(3) उक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियाँ बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में सम्बन्धित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी/वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी।

(4) समस्त विभागों में सम्बन्धित संवर्ग नियंत्रक अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2009 के क्रम में यदि स्क्रीनिंग कमेटी का गठन अभी तक नहीं किया गया है तो इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर लिया जायेगा।

(5) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

**6**– सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान

वेतनमान की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या–वे०आ०–2– 211/दस–2001–45(एम)/99 दिनांक 06 फरवरी, 2001 तथा तत्क्रम में जारी अन्य शासनादेशों द्वारा निर्धारित समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में सभी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू रहेगी, जिन पर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था अनुमन्य रही है। साथ ही ऐसे शैक्षिक पद जिन पर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था अनुमन्य रही है, उन पर ए0सी0पी0 की व्यवस्था भी लागू होगी।

**7**– ए०सी०पी० की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1318/दस–59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1632/दस–59(एम)/2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,
**(अनूप मिश्र)**
प्रमुख सचिव।

**संलग्नक-1**

**शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-3282/दस-62(एम)/2008,**

**दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 का संलग्नक**

**उदाहरण–1**

वेतनमान रु० 4000–6000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/–) के पद पर कार्यरत कार्मिक को 14 वर्ष की सेवा के आधार पर उपर्युक्त पद हेतु उपलब्ध पदोन्नति के पद का वेतनमान रु० 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/–) अनुमन्य हुआ। तदोपरान्त पदोन्नति के पद का वेतनमान संशोधित करते हुए रु० 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–) का संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराया गया। फलस्वरूप उपर्युक्त कार्मिक को पूर्व से स्वीकृत प्रोन्नतीय वेतनमान रु० 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/–) के स्थान पर, पदोन्नतीय पद के वेतनमान में संशोधन/उच्चीकरण के दिनांक से संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान रु० 5000–8000(पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–) वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

**उदाहरण–2(I):–**

वेतनमान रु० 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–) के लिए पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 14 वर्ष के आधार पर प्रथम वैयक्तिक अगले वेतनमान के रूप में रु० 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–) अनुमन्य हुआ। इस प्रकार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पद के वेतनमान तथा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से अनुमन्य वेतनमान के लिए समान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप सम्बन्धित पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 14 वर्ष के आधार पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में पद हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/– से अगला वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4600/– अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को

पूर्व से प्रथम अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य रु० 5500 -9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4600/–अनुमन्य होगा।

**उदाहरण–2(II):–**

इसी प्रकार वेतनमान रु० 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–) के उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 24 वर्ष के आधार पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में रु० 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4600/–) अनुमन्य हुआ। दिनांक 01 जनवरी, 2006 से उपर्युक्त पद पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू० 4600/–अनुमन्य है। उक्त स्थिति में सम्बन्धित पद पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4600/– से अगला वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4800/– अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य रु० 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4600/–) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अगला वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4800/–अनुमन्य होगा।

उक्तानुसार अनुमन्य उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या–वे०आ०–2– 1318/दस–59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा तत्क्रम में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

## संलग्नक–2

## शासनादेश संख्या–वे०आ०-2-3282/दस-62(एम)/2008, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 का संलग्नक

## पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू ए०सी०पी० के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए०सी०पी० की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर सम्बन्धित कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम 22 बी(1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। सम्बन्धित सरकारी कार्मिक को ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम–23(1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगाः–

(1) यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात 01 जुलाई को वेतन पुनर्निर्धारित होगा। इस तिथि को सम्बन्धित सेवक को दो वेतनवृद्धियाँ एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी वेतनवृद्धि वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरण स्वरूप, यदि वित्तीय स्तरोन्नयन के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन रु० 100.00 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की गणना रु० 103.00 पर की जायेगी।

(2) यदि सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगाः—

वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तद्नुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। जहाँ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो वहाँ भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी जहाँ वेतन बैण्ड में आगणित वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तद्नुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

**नोटः**—यदि सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। उदाहरण—किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जुलाई, 2009 से 01 जनवरी, 2010 तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

यदि वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी। उदाहरण—किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

□□□

## राज्य कर्मचारियों हेतु कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था (संशोधन)

संख्या—वे०आ०—2—561/दस—62(एम)/2008

प्रेषक,
मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2 लखनऊ : दिनांक : 04 मई, 2010

**विषयः**—वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—वे०आ०—2—1632/दस—62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2009 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, समस्त श्रेणी के राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए वर्तमान में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की नई व्यवस्था निम्नवत् लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(1) उक्त नई व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी होगी। दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में सभी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पदधारकों हेतु समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था ही लागू रहेगी। परिणामस्वरूप, दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू वेतनमानों में रु० 8000—13500 या उससे उच्च वेतनमान के पदधारकों के सम्बन्ध में

समयमान वेतनमान की दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक ही प्रभावी पूर्व व्यवस्था अब दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समझी जायेगी। शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1314/दस–59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 का प्रस्तर–4 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(2) (i) ए०सी०पी० के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 18 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा के आधार पर, तीन वित्तीय स्तरोन्नयन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगे–

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा निरन्तर सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु, किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवाधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु, यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात् प्राप्त हो जाती है तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा। सम्बन्धित पद पर रहते हुए उक्तानुसार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होगा।

(ii) किसी पद पर नान फंक्शन वेतनमान/ग्रेड वेतन मिलने पर ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभों की अनुमन्यता हेतु नान फंक्शन वेतनमान/ग्रेड वेतन को वित्तीय स्तरोन्नयन माना जायेगा। ए०सी०पी० के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नान फंक्शन वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(iii) उपर्युक्तानुसार देय तीन स्तरोन्नयन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही अनुमन्य होंगे।

(iv) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा। अर्थात अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना पूर्व वित्तीय स्तरोन्नयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।

(v) ए०सी०पी० की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी स्तरोन्नयन प्राप्त होने की तिथि के पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन

संरचना में एक ही संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर पदोन्नति हुई है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा।

परन्तु, उक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन ए0सी0पी0 की व्यवस्था से लाभान्वित किसी कनिष्ठ कार्मिक से कम होने की दशा में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के बराबर कर दिया जायेगा।

(vi) प्रदेश के अन्य राजकीय विभागों में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में लिया जायेगा, परन्तु ऐसे मामलों में ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय किसी लाभ हेतु नये विभाग के पद पर परिवीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा एवं सम्बन्धित लाभ देय तिथि से ही अनुमन्य कराया जायेगा।

(vii) ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु नियमित सन्तोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा।

(viii) केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम में की गयी पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।

(3) निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन, शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1318/दस–59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक "अ" पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ–5 के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में सम्बन्धित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा।

(4) यदि किसी संवर्ग/पद के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था शासनादेशों अथवा सेवा नियमावली के माध्यम से लागू हो तो उस व्यवस्था को भविष्य में बनाये रखने अथवा उसके स्थान पर ए०सी०पी० की उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में संवर्ग नियंत्रक प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाये। किसी भी संवर्ग/पद हेतु समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था तथा ए०सी०पी० की व्यवस्था दोनों एक साथ लागू नहीं होगी।

(5) वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु मूल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं सेवा–नैवृत्तिक तथा अन्य लाभ सम्बन्धित कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होंगे।

(6) यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से शासित होगी जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य प्रोन्नति की व्यवस्था शासित होती है। अतः ऐसे मामले उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के सुसंगत प्रावधानों एवं तत्क्रम में जारी निर्देशों से विनियमित होंगे।

(7) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतयः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मांग नहीं कर सकेगा

कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।

(8) यदि कोई सरकारी सेवक किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता हैं तो उस सरकारी सेवक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित सरकारी सेवक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन वापस नहीं लिया जायेगा, तथापि ऐसे सरकारी सेवक को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता हेतु समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(9) ऐसे सरकारी सेवक जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा परन्तु सम्बन्धित सरकारी सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता की तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो सम्बन्धित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

(10) प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत सरकारी सेवकों को ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए०सी०पी० के अन्तर्गत देय वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन, जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

(11) पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था तथा ए०सी०पी० की उपर्युक्त नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन में सम्भावित किसी अन्तर को विसंगति नहीं माना जायेगा।

**2**- समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा की गयी व्यवस्था एवं जारी निर्देश दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी यथावत् लागू रहेंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जायेंगे:–

(1) 08 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना सम्बन्धित पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (बैण्ड वेतन+ग्रेड वेतन) के 3 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि को अगले 10 रुपये में पूर्णांकित करते हुए की जायेगी। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(2) (i) 14 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को सम्बन्धित कार्मिक का वेतन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैण्ड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित पद धारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ii) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक को अगली वेतन वृद्धि न्यूनतम छः माह की अवधि के उपरान्त पड़ने वाली पहली जुलाई को ही देय होगी।

परन्तु, प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में अगली पहली जुलाई को किसी अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन उसे यथा स्थिति पद के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में निर्धारित मूल वेतन की तुलना में कम या बराबर हो जाये, तो यथा स्थिति प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हुए मूल वेतन पुनर्निर्धारित किया जायेगा।

(iii) वेतन बैण्ड रु० 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400/– तथा उससे उच्च वेतन बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन के पदों पर समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर पूर्व उप प्रस्तर–2(i) तथा 2(ii) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(iv) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी की पदोन्नति। उक्तानुसार प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद पर होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण 3 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुए किया जायेगा। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहलीं जुलाई को देय होगी।

(3) संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(4) ऐसे मामलों में जहाँ किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तद्नुसार परिवर्तित रूप में ही अनुमन्य होगा।

परन्तु, उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का संशोधन भी तद्नुसार किया जायेगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन यथावत अनुमन्य रहेगा।

**टिप्पणी:**–उक्त व्यवस्था से सम्बन्धित कतिपय उदाहरण संलग्नक–1 पर उपलब्ध है।

**3**- पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) लागू किये जाने की तिथि दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के साधारण वेतनमान में है और उसे सम्बन्धित पद पर समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ हो, तो ए०सी०पी० की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी के उक्त धारित पद के सन्दर्भ में की जायेगी और ए०सी०पी० के अन्तर्गत देय सभी लाभ उक्त आधार पर देय होंगे।

ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को समयमान वेतनमान पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई समयमान वेतनमान/लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे कर्मचारियों को ए०सी०पी०

की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी को अनुमन्य समयमान वेतनमान/लाभ जिस पद के सन्दर्भ में अनुमन्य किया गया है उस पद के सन्दर्भ में की जायेगी। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को ए०सी०पी० की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त निम्नानुसार अनुमन्य होंगे:—

(1) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष तथा 19 वर्ष के आधार पर अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए०सी०पी० के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। किसी पद पर नान फंक्शनल वेतनमान मिलने पर ए०सी०पी० की सेवा अवधि की गणना हेतु पूर्व आदेशों के अनुसार नान फंक्शनल वेतनमान इगनोर किया जायेगा। ए०सी०पी० के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नान फंक्शनल वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(2) जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 04 वर्ष की सेवा सहित कुल 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(3) जिन्हें 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

परन्तु, दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित पद के साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए०सी०पी० की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

**4**— वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक—2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और सम्बन्धित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

**5**— (1) वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यतता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक स्क्रीरिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा। जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके सम्बन्ध में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी—ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन वेतन से कम नहीं होगा।

स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से
कम एक स्तर उच्च होगा।
(2) स्क्रीनिंग कमेटी की प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी तथा जुलाई में सामान्यतः दो बैठकें आयोजित
की जायेंगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह दिसम्बर तक के मामलों पर विचार किया
जायेगा तथा माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह जून तक के मामलों पर विचार किया जायेगा।
(3) उक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियाँ बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में सम्बन्धित
पदों के नियुक्ति प्राधिकारी/वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।
(4) समस्त विभागों में सम्बन्धित संवर्ग नियंत्रक अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05
नवम्बर, 2009 के क्रम में यदि स्क्रीनिंग कमेटी का गठन अभी तक नहीं किया गया है तो इस शासनादेश
के जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर लिया जायेगा।
(5) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता
अधिकारी द्वारा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।
**6**— ए०सी०पी० की व्यवस्था राजकीय संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जिन पर
राज्य कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था अनुमन्य रही है।
**7**— ए०सी०पी० की उक्त व्यवस्था राजकीय न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।
**8**—ए०सी०पी० की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या—वे०आ०—2—1318/
दस—59 एम/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा शासनादेश संख्या—वे०आ०—2—1632/
दस—59(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2009 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के सम्बन्ध
में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन
के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

**(मनजीत सिंह)**, प्रमुख सचिव।

### संलग्नक-1

### शा० संख्या-वे0आ0-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनांक 04 मई, 2010 का संलग्नक

### उदाहरण—1

वेतनमान रु० 4000—6000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड—1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/—) के पद पर कार्यरत कार्मिक को 14 वर्ष की सेवा के आधार पर, उपर्युक्त पद हेतु उपलब्ध पदोन्नति के पद का वेतनमान रु० 4500—7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड—1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/—) अनुमन्य हुआ। तदोपरान्त पदोन्नति के पद का वेतनमान संशोधित करते हुए रु० 5000—8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड—2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/—) का संशोधित/ उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराया गया। फलस्वरूप उपर्युक्त कार्मिक को पूर्व से स्वीकृत प्रोन्नतीय वेतनमान रु० 4500—7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड—1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/—) के स्थान पर, पदोन्नतीय पद के वेतनमान में संशोधन/उच्चीकरण के दिनांक से संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान रु० 5000—8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड—2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/—) वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

**उदाहरण-2(I)**:—वेतनमान रु० 5000—8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड—2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/—) के लिए पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 14 वर्ष के आधार पर प्रथम वैयक्तिक अगले वेतनमान के रूप में रु० 5500—9000

(पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–) अनुमन्य हुआ। इस प्रकार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पद के वेतनमान तथा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से अनुमन्य वेतनमान के लिए समान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने की स्थिति बन रही हैं। फलस्वरूप सम्बन्धित पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 14 वर्ष के आधार पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में पद हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–से अगला वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4600/– अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से प्रथम अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य रु० 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4600/– अनुमन्य होगा।

**उदाहरण-2(II)**:–इसी प्रकार वेतनमान रु० 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–) के उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 24 वर्ष के आधार पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में रु० 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4600/–) अनुमन्य हुआ। दिनांक 01 जनवरी, 2006 से उपर्युक्त पद पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4600/–अनुमन्य है। उक्त स्थिति में सम्बन्धित पद पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4600/–से अगला वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/– अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य रु० 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4600/–) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4800/– अनुमन्य होगा।

उक्तानुसार अनुमन्य उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1318/दस–59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा तत्क्रम में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

**संलग्नक-2**

**शा० संख्या-वे0आ0-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनांक 04 मई, 2010 का संलग्नक**

**पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू ए०सी०पी० के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया**

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए०सी०पी० की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर सम्बन्धित कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम 22बी(1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। सम्बन्धित सरकारी कार्मिक को ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम–23(1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:–

(1) यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि का वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात 01 जुलाई को वेतन पुर्ननिर्धारित होगा, इस तिथि को सम्बन्धित सेवक को दो वेतनवृद्धियाँ, एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी वेतनवृद्धि वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्व ा देय होगी। इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरण स्वरूप, यदि

वित्तीय स्तरोन्नयन के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन रु0 100.00 था, तो प्रथम वेतन वृद्धि की गणना रु० 100.00 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की गणना रु० 103.00 पर की जायेगी।

(2) यदि सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगाः—

वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तद्नुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। जहाँ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो वहाँ भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी जहाँ वेतन बैण्ड में आगणित वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तद्नुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

**नोटः**—यदि सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। **उदाहरण**—किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जुलाई, 2009 से 01 जनवरी, 2010 तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

यदि वित्तीय स्तरोन्नय किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी। **उदाहरण**—किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नय यदि 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

❑❑❑

## वाहन चालकों को ए०सी०पी०

संख्या—वे०आ०—2—800/दस—2010—44(एम)/2001—टी०सी०

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख, सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सचिव/प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2

लखनऊः दिनांकः 16 जुलाई, 2010

**विषय :** प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के पदधारकों के लिये समयमान वेतनमान/ए०सी०सी० की व्यवस्था के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (1997—99)/मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर प्रदेश के राजकीय विभागों के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढाँचें का पुनर्गठन एवं वर्तमान पदधारकों के पुनर्गठित ढाँचे में समायोजन की

व्यवस्था शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–433/दस–2005–44/2001 टी०सी० दिनांक 11 मई, 2006 एवं शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–624/दस–2007–44/2001 टी०सी० दिनांक 21 जून, 2007 द्वारा की गयी थी। उक्त निर्णयों का प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1244/दस–2009–44/2001 टी०सी० दिनांक 16 सितम्बर, 2009 एवं शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1597/दस–2009–44/2001 टी०सी० दिनांक 10 नवम्बर, 2009 निर्गत किये गये हैं।

**2.** उपर्युक्त निर्णयों के क्रम में वाहन चालक संवर्ग के पदों का पुनर्गठन करते हुए पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध पदों के सापेक्ष वर्तमान पदधारकों को समायोजन का लाभ अनुमन्य कराये जाने के फलस्वरूप कतिपय विभागों में उक्त संवर्ग के पदधारकों को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 एवं इस क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों के माध्यम से लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अनुमन्य नहीं कराये जा रहे हैं, की स्थिति संज्ञान में लायी गयी है।

**3.** उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करने की मुझसे अपेक्षा की गयी है कि उपर्युक्त निर्णयों के क्रम में वाहन चालक संवर्ग के पदों का पुनर्गठन करते हुए पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध पदों के सापेक्ष वर्तमान पदधारकों को समायोजन किये जाने से वाहन चालक संवर्ग के लिय समयमान वेतनमान दिनांक 30 नवम्बर 2008 तक लागू रही व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ यथावत अनुमन्य रहेंगे। इसके उपरान्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 की व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

भवदीय

**(अनूप मिश्र)**

प्रमुख सचिव।

❑❑❑

## स्थानीय निकायों हेतु सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना

संख्या–2244/9–1–10–21सा/2009

प्रेषक,
आलोक रंजन
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ.प्र.,
आठवाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक 26 जुलाई, 2010

**विषय :** वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०पी०सी०) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वेतन समिति, 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन के माध्यम से की गयी संस्तुतियों के अनुरूप नगरीय स्थानीय निकायो/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना एवं अन्य भत्ते एवं अन्य सुविधाओं का लाभ अनुमन्य किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–609/9.1. 08 21सा/09 दिनांक 27.02.2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

**2.** इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 27.02.2009 के प्रस्तर–7 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) की नई व्यवस्था निम्नवत लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

(1) उक्त नई व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 दिसम्बर,2008 से प्रभावी होगी दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था ही लागू रहेगी। परिणामस्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू वेतनमानों में रु. 8000–13500 या उससे उच्च वेतनमान के पदधारकों के संबंध में समयमान वेतनमान की दिनांक 31 दिसम्बर 2005 तक प्रभावी पूर्व व्यवस्था दिनांक 30 नवम्बर 2008 तक लागू समझी जायेगी।

(2)(I) ए०पी०सी० के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 18 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा के आधार पर तीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन इस प्रतिबंध के साथ दिये जायेंगे कि सम्बंधित कार्मिक को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लेने पर प्रथम वित्तीय स्तरोपरान्त के ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पर द्वितीय स्तरोन्नयन एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। निर्धारित सेवा अवधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाले ग्रेड वेतन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे.आ.–2–1318/दस–59(एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के साथ संलग्न तालिका के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कतिपय मामलों में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन तथा उसे पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है।

(II) उपर्युक्तानुसार देय तीन स्तरोन्नयन दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही अनुमन्य होगे।

(III) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा अर्थात् अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना वित्तीय स्तरोन्नयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।

(IV) ए०सी०पी० की व्यवस्था लागू होने के पश्चात सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरांत केवल द्वितीय एवं तृतीय स्तरोन्नयन तथा वित्तीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरांत तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर पदोन्नति हुयी है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा।

(V) प्रदेश के अन्य स्थानीय निकायों में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा की वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में लिया जायेगा परन्तु उसे मामलों नें ए.सी.पी. की व्यवस्था के अन्तर्गत देय किसी लाभ हेतु नये विभाग के पद पर परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के पूर्व विचार नहीं किया जायेगा एवं संबंधित लाभ देय तिथि से ही अनुमन्य कराया जायेगा।

(VIII) पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था तथा ए.सी.पी. की नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये लाभ में सम्भावित किसी अन्तर को विसंगति नहीं माना जायेगा।

**3.** स्थानीय निकाय/जल संस्थान के कार्मिकों के लिए समय–समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार देय लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में निम्नानुसार अनुमन्य कराये जायेंगे:–

(I) सम्बंधित शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित सेवा अवधि की पूर्ति पर पद के साधारण वेतनमान अथवा प्रथम पदोन्नतीय वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का लाभ देय होने पर वेतनवृद्धि की धनराशि

की गणना पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन) के 3 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि को अगले 10 रुपये में पूर्णांकित करते हुए अनुमन्य करायी जायेगी तथा अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(II) प्रथम/द्वितीय पदोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को सम्बंधित कार्मिक का वेतन, प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य कराते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैण्ड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन से कम होता है जो सम्बन्धित पदधारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(III) प्रथम/द्वितीय पदोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बंधित पदधारक को अगली वेतनवृद्धि न्यूनतम छः माह की अवधि के उपरांत पड़ने वाली पहली जुलाई को ही देय होगी, परन्तु प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य अगले वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में अगली पहली जुलाई को किसी अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन उसे यथास्थिति पद के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में निर्धारित मूल वेतन की तुलना में कम अथवा बराबर हो जाय, तो यथास्थिति प्रथम प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतनबैण्ड एवं ग्रेड वेतन में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत करते हुए मूल वेतन पुनर्निर्धारित किया जायेगा।

(IV) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिक की पदोन्नति उक्तानुसार प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/ सेलेक्शन ग्रेड के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद पर होने की स्थिति में सम्बंधित कार्मिक का वेतन निर्धारण 3 प्रतिशत की वेतनवृद्धि देते हुए किया जायेगा तथा अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(V) संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अनुसार देय लाभ अपुनरीक्षित वेतनमान में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वहीं लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(VI) ऐसे मामलों में जहाँ किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तद्नुसार परिवर्तित रूप में अनुमन्य होंगे।

**4.** पुनरीक्षित वेतन संरचना में ए०सी०पी० लागू किये जाने की तिथि दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के साधारण वेतनमान में है और उसे सम्बंधित पद पर समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ है तो ए.सी.सी. की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बंधित कर्मचारी के उक्त धारित पद के संदर्भ में की जायेगी और ए.सी.पी. के अन्तर्गत देय सभी लाभ उक्त आधार पर देय होगी।

ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे कर्मचारियों को ए.सी.पी. को नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बंधित कर्मचारी को अनुमन्य समयमान वेतनमान/लाभ जिस पद के संदर्भ में अनुमन्य किया गया है उस पद के संदर्भ में की जायेगी। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को ए०सी०पी० की नई व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से अथवा उसके उपरान्त निम्नानुसार अनुमन्य होंगेः—

(I) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित सेवा अवधि के आधार पर अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए.सी.पी. के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

(II) जिन्हें निर्धारित अवधि के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुक है, उन्हें उपर्युक्त लाभ 18 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय नित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बंधित कार्मिक को पूर्व में अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(III) जिन्हें निर्धारित अवधि के आधार पर द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका है, उन्हें उपर्युक्त लाभ 26 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बंधित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

**5.** वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हैं, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और सम्बंधित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

**6.** वित्तीय स्तरोन्नयन के प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जैसा कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के प्रस्तर–5 में इंगित है।

**7.** सम्बंधित पदधारकों द्वारा संशोधित विकल्प शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

**8.** नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों/अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में उक्त सुविधा का लाभ दिये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त सहायता नहीं दी जायेगी और इसे वहन करने का उत्तरदायित्व निकाय/संस्था का होगा।

**9.** राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को सक्रमण के माध्यम से कराई जाने वाली धनराशि में से कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि को आरक्षित करते हुए शेष बची धनराशि तथा अन्य स्रोतों से हुई आय की धनराशि से संबंधित निकाय अपनी अन्य विकास संबंधी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे। सक्रमण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि से कम होने की स्थिति में अपने श्रोतों से एकत्र धनराशि में से कमी की पूर्ति किये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि का उपयोग विकास कार्यो हेतु किया जायेगा। उक्त के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को संबंधित निकाय द्वारा ही वहन किया जायेगा।

**10.** यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–905/दस–09 दिनांक 20.07.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**(आलोक रंजन)**

प्रमुख सचिव।

□□□

## सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के सम्बंध में स्पष्टीकरण

संख्या–वे०आ०–2–3012/दस–62(एम)/2008

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 29 सितम्बर, 2010

**विषय :** वेतन समिति (2008) के संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था, शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–561/दस–2(एम)/2008 दिनांक 04 मई 2010 द्वारा की गयी है। उक्त शासनादेश द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य कराये जाने में स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर अनुभव की जा रही कठिनाइयों के सम्बंध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गयी है।

**2**–उक्त संदर्भ में समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राप्त संदर्भ बिन्दुओं पर निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सम्बंधित कार्मिकों को तद्नुसार समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ की स्वीकृति दी जाय और यदि इस विषय में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायः–

| संदर्भित बिन्दु | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| 1. शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 द्वारा लागू ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर 18 वर्ष एवं 26 वर्ष की सेवा पर देय लाभ की अनुमन्यता एक ही तिथि को होने की स्थिति में संबंधित पदधारक को दोनों लाभ उसी तिथि को दिये जा सकते हैं अथवा नहीं? | समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत यदि सम्बन्धित पदधारक को प्रथम और द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ एक ही तिथि को देय होता है तो यह मानते हुए कि उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन काल्पनिक रूप से प्राप्त हो चुका है और उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही अनुमन्यता की तिथि को देय होगा।<br>इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ एक ही तिथि को देय होने पर सम्बंधित पदधारक को यह मानते हुए कि द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन काल्पनिक रूप से प्राप्त हो चुका है और उसे केवल तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही अनुमन्यता की तिथि को देय होगा। |
| 2. द्वितीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पद पर कार्यरत कतिपय कार्मिकों को 26 वर्ष की | ए०सी०पी० की व्यवस्था विषयक शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 के प्रस्तर–1(7) के परन्तुक |

| | |
|---|---|
| अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप उन्हें वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम श्रेणी के पद पर कार्यरत अधिकारियों से उच्च ग्रेड वेतन की देयता बनती है। इस प्रकार वरिष्ठ अधिकारियों से कनिष्ठ अधिकारियों का ग्रेड वेतन उच्च हो सकता है अथवा नहीं ? | में यह प्राविधान उल्लिखित है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतयः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च ग्रेड वेतन प्राप्त करता है तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च ग्रेड वेतन की मांग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार सेवावधि पर देय ए०सी०पी० का लाभ का कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। |
| 3. शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 द्वारा की गयी ए.सी.पी. की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत देय लाभों के साथ वेतन बैण्ड परिवर्तित हो सकता है अथवा नहीं? | शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 द्वारा की गयी ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य कराया गया अगला ग्रेड वेतन (अथवा दिनांक 01 जनवरी 2006 एवं दिनांक 01 दिसम्बर 2008 के पूर्व की अवधि में अनुमन्य कराये गये पदोन्नति पद के वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन) यदि उसी वेतन बैण्ड में प्राविधनित है तो वेतन बैण्ड अपरिवर्तित रहेगा।<br>परन्तु उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत यदि अनुमन्य कराया गया अगला ग्रेड वेतन (अथवा दिनांक 01 जनवरी 2006 एवं दिनांक 01 दिसम्बर 2008 के पूर्व की अवधि में अनुमन्य कराये गये पदोन्नति पद के वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन) अगले वेतन बैण्ड का है, तो वेतन बैण्ड परिवर्तित होगा। |
| 4. नियमित सेवा के साथ ही साथ निरन्तर की गयी तदर्थ सेवाओं को वित्तीय स्तरोन्नयन की गणना में लिया जायेगा अथवा नहीं ? | यदि सम्बन्धित कार्मिक दिनांक 01 दिसम्बर 2008 को धारित पद के सापेक्ष समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त लाभ के कारण वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत है तो पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यतता हेतु जिन निरन्तर संतोषजनक सेवाओं को गणना में लिया जा चुका है, ए०सी०पी० की व्यवस्था में आगे वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता हेतु ऐसी सेवाओं को गणना में लिया जायेगा। |

भवदीय,

(अनूप मिश्र), प्रमुख सचिव।

□□□

## सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (A.C.P.) की व्यवस्था : स्पष्टीकरण

संख्या–वे०आ०–2–253/दस–62(एम)/2008 टी०सी०

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 17 फरवरी, 2011

**विषयः** वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) से सम्बन्धित विस्तृत व्यवस्था शासनादेश संख्या : वे०आ०–2–561/दस–62(एम)/2008, दिनांक 04 मई, 2010 द्वारा की गयी। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–2(1)(क) के परन्तुक में निम्न व्यवस्था उपलब्ध है :–

*"किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवा अवधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।"*

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 में ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन उच्चीकृत होने पर तत्क्रम में वेतनमान/ग्रेड वेतन की अनुमन्यता से सम्बन्धित स्पष्ट व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। विभिन्न स्रोतों से उक्त बिन्दु पर स्पष्ट व्यवस्था किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

**2**– उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–2(1)(क) के परन्तुक के नीचे निम्न परन्तुक जोड़े जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

किसी पद पर ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त यदि पद का वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन उच्चीकृत/संशोधित होता है तो ऐसे उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से सम्बन्धित पद पर ए०सी०पी० के अन्तर्गत पूर्व से अनुमन्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन के स्थान पर, सम्बन्धित पद पर अनुमन्य उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन के आलोक में, उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

**टिप्पणी :** उक्त व्यवस्था से सम्बन्धित कतिपय उदाहरण संलग्नक–(1) पर उपलब्ध है।

**3**– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 तथा तत्क्रम में जारी शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
**(अनूप मिश्र)**, प्रमुख सचिव।

**शा०सं० : वे०आ०-2-253/दस-62(एम)/2008 टी०सी०, दिनांक 17 फरवरी, 2011 का संलग्नक**

**उदाहरण–1**

ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त समूह "घ" (अनुसेवक) के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड रु० 4440–7440 एवं ग्रेड वेतन रु० 1300/–के स्थान पर दिनांक 08

सितम्बर, 2010 से संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड रु० 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 1800/–अनुमन्य होने के फलस्वरूप पूर्व में अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की अनुमन्यता निम्नानुसार होगी:–

| | |
|---|---|
| 1– समूह "घ" (अनुसेवक) के पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 4440–7440 एवं रु० 1300/ |
| 2– दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को अनुसेवक "ए" को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 4440–7440 एवं रु० 1300/ |
| 3– समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व | |
| (i) अनुसेवक "बी" को प्रथम वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 4440–7440 एवं रु०1650/ |
| (ii) अनुसेवक "सी" को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के के रूप में अनुमन्य वेतन ब्रैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 5200–20200 एवं रु० 1900/ |
| 4– ए०सी०पी० के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से | |
| (i) अनुसेवक "ए" को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 4400–7440 एवं रु०1400/ |
| (ii) अनुसेवक "बी" को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 5200–20200 एवं रु० 1800/ |
| (iii) अनुसेवक "सी" को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 5200–20200 एवं रु० 2000/ |
| 5– दिनांक 08 सितम्बर, 2010 को समूह "घ" अनुसेवक के पद पर अनुमन्य संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 5200–20200 एवं रु० 1800 |
| 6– समूह "घ" अनुसेवक के पद का वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन संशोधित/उच्चीकृत होने के फलस्वरूप दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से | |
| (i) अनुसेवक "ए" को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं एवं ग्रेड वेतन | रु० 5200–20200 रु० 1900/ |
| (ii) अनुसेवक "बी" को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 5200–20200 एवं रु० 2000/ |
| (iii) अनुसेवक "सी" को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 5200–20200 एवं रु० 2400/ |

**उदाहरण–2**

ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड रु० 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/–के स्थान पर दिनांक 27 नवम्बर, 2009 से संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड रु० 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–अनुमन्य होने के फलस्वरूप पूर्व में अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की अनुमन्यता निम्नानुसार होगी:–

| | |
|---|---|
| 1– सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 01 जनवरी 2006 को निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 5200–20200 एवं रु० 2800/– |

| | |
|---|---|
| 2– दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को सहायक समीक्षा अधिकारी "क" को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (पद हेतु निर्धारित) | रु० 5200–20200 एवं रु० 2800/– |
| 3– समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व | |
| (i) सहायक समीक्षा अधिकारी "ख" को प्रथम वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 9300–34800 एवं रु० 4600/ |
| (ii) सहायक समीक्षा अधिकारी "ग" को प्रथम वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 9300–34800 एवं रु० 4800/ |
| 4– ए०सी०पी० व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को सहायक समीक्षा अधिकारी के पदधारक | |
| (i) "क" को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य अगला वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 9300–34800 एवं रु० 4200/ |
| (ii) "ख" को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 9300–34800 एवं रु० 4800/ |
| (iii) "ग" को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 9300–34800 एवं रु० 5400/ |
| 5– दिनांक 27 नवम्बर, 2009 को समीक्षा अधिकारी के पद पर अनुमन्य संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 9300–34800 एवं रु० 4200/– |
| 6– समीक्षा अधिकारी के पद का वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन संशोधित/उच्चीकृत होने के फलस्वरूप दिनांक 27 नवम्बर, 2009 को समीक्षा अधिकारी | |
| (i) "क" को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य अगला वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 9300–34800 एवं रु० 4600/ |
| (ii) "ख" को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 9300–34800 एवं रु० 4800/ |
| (iii) "ग" को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 9300–34800 एवं रु० 5400/ |

□□□

## शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु ए०सी०पी० की व्यवस्था

संख्या–वे०आ०–2–254/दस–62(एम)/2008 टी०सी०

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 17 फरवरी, 2011

**विषय** : वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) से सम्बन्धित विस्तृत व्यवस्था शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–3282/दस–62(एम)/2008, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 द्वारा की गयी। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–2(1)(क) के परन्तुक में निम्न व्यवस्था उपलब्ध है:–

*"किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवा अवधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।"*

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 में ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन उच्चीकृत होने पर तत्क्रम में वेतनमान/ग्रेड वेतन की अनुमन्यता से सम्बन्धित स्पष्ट व्यवस्था उपलब्ध नही है। विभिन्न श्रोतों से उक्त बिन्दु पर स्पष्ट व्यवस्था किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

**2**– उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–2(1)(क) के परन्तुक के नीचे निम्न परन्तुक जोड़े जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

किसी पद पर ए०सी०पीं० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त यदि पद का वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन उच्चीकृत/संशोधित होता है तो ऐसे उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से सम्बन्धित पद पर ए०सी०पी० के अन्तर्गत पूर्व से अनुमन्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन के स्थान पर, सम्बन्धित पद पर अनुमन्य उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन के आलोक में, उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

**टिप्पणी** : उक्त व्यवस्था से सम्बन्धित उदाहरण संलग्नक–(1) पर उपलब्ध है।

**3**– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

**(अनूप मिश्र)**

प्रमुख सचिव।

**शा०सं०-वे०आ०-2-254/दस-(एम)2008 टी०सी०, दिनांक 17 फरवरी, 2011 का संलग्नक**

**उदाहरण-1**

ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त समूह "घ" (अनुसेवक) के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड रु० 4440–7440 एवं ग्रेड वेतन रु० 1300/–के स्थान पर दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड रु० 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 1800/–अनुमन्य होने के फलस्वरूप पूर्व में अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की अनुमन्यता निम्नानुसार होगी:–

| | | |
|---|---|---|
| 1– | समूह "घ" (अनुसेवक) के पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 4440–7440 एवं रु0 1300/– |
| 2– | दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को अनुसेवक "ए" को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 4440–7440 एवं रु० 1300/– |

| | | |
|---|---|---|
| 3– | समयामान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व<br>(i) अनुसेवक "बी" को प्रथम वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन<br>(ii) अनुसेवक "सी" को द्वितीय वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 4440–7440 एवं रु० 1650/–<br>रु० 5200–20200 एवं रु० 1900/– |
| 4– | ए०सी०पी० के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से<br>(i) अनुसेवक "ए" को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन<br>(ii) अनुसेवक "बी" को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन<br>(iii) अनुसेवक "सी" को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 4440–7440 एवं रु० 1400/–<br>रु० 5200–20200 एवं रु० 1800/–<br>रु० 5200–20200 एवं रु० 2000/– |
| 5– | दिनांक 08 सितम्बर, 2010 को समूह "घ" अनुसेवक के पद पर अनुमन्य संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 5200–20200 एवं रु० 1800/– |
| 6– | समूह "घ" अनुसेवक के पद का वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन संशोधित/उच्चीकृत होने के फलस्वरूप दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से<br>(i) अनुसेवक "ए" को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन<br>(ii) अनुसेवक "बी" को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन<br>(iii) अनुसेवक "सी" को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 5200–20200 एवं रु० 1900/–<br>रु० 5200–20200 एवं रु० 2000/–<br>रु० 5200–20200 एवं रु० 2400/– |

❑❑❑

## सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

संख्या–वे०आ०–2–798/दस–62(एम)/2008

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांकः 30 मई, 2011

**विषय :** वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था, शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–561/दस–62 (एम)/2008 दिनांक 04 मई, 2010 द्वारा लागू की गयी है। उक्त शासनादेश की व्यवस्थानुसार ए०सी०पी स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–3012/दस–62(एम)/2008 दिनांक 29 सितम्बर, 2010 द्वारा प्रथम स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के प्रस्तर–1(2)(i)(ख) की व्यवस्था के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में प्राप्त संदर्भो के आधार पर निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नलिखित स्पष्टीकरण के आधार पर सम्बन्धित कार्मिकों को ए०सी०पी० की सुविधा अनुमन्य की जाए और यदि इस विषय में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके निराकरण की कार्यवाही की जायः–

| स्पष्टीकरण का बिन्दु | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| ऐसे पदधारक जिन्हें दिनांक 01–12–2008 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन 18 वर्ष या अधिक की सेवा पर अनुमन्य होता है, उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ कब अनुमन्य होगा। | ऐसे पदधारक जिन्हें दिनांक 01–12–2008 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन 18 वर्ष या अधिक की सेवा पर अनुमन्य होता है, उन्हें द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन में 08 वर्ष की सेवा अथवा 26 वर्ष की कुल सेवा, जो भी पहले हो, पूर्ण करने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय होगा। 26 वर्ष की कुल सेवा की गणना दिनांक 01–12–2008 को धारित उस पद से की जायेगी जिस पद के सन्दर्भ में उसे समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम पदोन्नतीय/अगला वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य हुआ है। |

भवदीय,
**(वृन्दा सरूप)**
प्रमुख सचिव।

❑❑❑

## अवर अभियन्ता के पद पर ए०सी०पी० की विशिष्ट सुविधा अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में

संख्या : वे०आ०–2–796/इस–62(एम)/2008 टी०सी०

प्रेषक,
वृन्दा सरुप,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक : 31 मई, 2011

**विषय** : वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार अवर अभियन्ता के पद पर ए०सी०पी० की विशिष्ट सुविधा अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयनुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–561/दस –62 (एम)/2008 दिनांक 04 मई, 2010 के माध्यम से दिनांक 01.12.2008 से लागू की गयी है। राजकीय विभागों के अवर अभियन्ता पदों के लिए ए०सी०पी० की वर्तमान व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) अवर अभियन्ता वेतन बैण्ड–2 ग्रेड वेतन रु० 4200/– के पद पर 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में ग्रेड वेतन रु० 4600/– के स्थान पर ग्रेड वेतन रु० 4800/– अनुमन्य होगा।

(2) अवर अभियता के लिए ए०सी०पी० के अर्न्तगत द्वितीय वित्तीय स्तनोन्नयन 18 वर्ष के स्थान पर 16 वर्ष पर अनुमन्य होगा।

(3) द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में ग्रेड वेतन रु० 5400/– प्राप्त करने वाले अवर अभियन्ता को राजपत्रित प्रास्थिति प्रदान कर दी जायेगी।

**2**– शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–561/दस–62(एम)/2008 दिनांक 04 मई, 2010 की व्यवस्था अवर अभियन्ता पद के सन्दर्भ में उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी तथा शासनादेश की शेष व्यवस्थाएं यथावत् प्रभावी होंगी।

भवदीय,<br>
(वृन्दा सरुप)<br>
प्रमुख सचिव।

❑❑❑

## ए०सी०पी० की व्यवस्था के संशोधन/स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में

संख्या–वे०आ०–2–2104/दस–62 (एम) 2008 टी०सी०

प्रेषक,<br>
वृन्दा सरूप,<br>
प्रमुख सचिव,<br>
उ०प्र० शासन।

सेवा में,<br>
(1)समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।<br>
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं<br>
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2011

**विषय** :– वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राज्य कर्मचारियों के लिए लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के संशोधन/स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था का प्राविधान शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–561/दस–62(एम)/2008, दिनांक 04 मई, 2010 द्वारा किया गया था। उक्त व्यवस्था को लागू किये जाने में इंगित कठिनाइयों के निराकरण हेतु स्पष्टीकरण शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–3012/दस–62(एम)/2008, दिनांक 29 सितम्बर, 2010 एवं शासनादेश संख्या वे०आ०–2–798/दस–62(एम)/2008, दिनांक 30 मई, 2011 निर्गत किये गये हैं।

**2.** उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कार्मिकों के लिये उपरोक्तानुसार लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) राजकीय कर्मचारियों को ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत 10, 18 तथा 26 वर्ष की सेवा पर वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने की लागू व्यवस्था के स्थान पर क्रमशः 10, 16 तथा 26 वर्ष की सेवा पर प्रथम द्वितीय तथा तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ अनुमन्य कराये जायेंगे।

उक्त निर्णय के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के प्रस्तर–1(2)(i)(ख) एवं प्रस्तर–3 (2) निम्नानुसार संशोधित माने जायेगें:–

(i) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 06 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।
परन्तु यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा पश्चात प्राप्त होती है तो प्रोन्नति की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर प्रोन्नति के पद के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

(ii) ऐसे कार्मिक, जिन्हें 14 वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य हो चुका है, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से 02 वर्ष की सेवा अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम प्रोन्नतीय पद/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(2) ए०सी०पी० की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु० 1900 के उपरान्त उपलब्ध ग्रेड वेतन रु० 2000 को इग्नोर किया जायेगा, फलस्वरूप प्रथम/द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन रु० 1900 का अगला ग्रेड वेतन रु० 2400 माना जायेगा। उक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 का प्रस्तर–1(3) इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

(3) ए०सी०पी० की अनुमन्यता हेतु नॉन फंक्शनल वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन को इग्नोर किया जायेगा। अतः शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के प्रस्तर–1 (2) (ii) को विलुप्त माना जायेगा।

**3.** उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 एवं इस क्रम में निर्गत अन्य शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा उक्त शासनादेशों की शेष व्यवस्थायें यथावत् प्रभावी रहेंगी।

भवदीया,
**(वृन्दा सरूप)**
प्रमुख सचिव।

❑❑❑

## ए०सी०पी० की व्यवस्था के सम्बन्ध में संशोधन स्पष्टीकरण

संख्या–वे०आ०–2–2118/दस–62(एम)/2008

प्रेषक,
वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2011

**विषय :**– वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था, शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–561/दस–62(एम) 2008 दिनांक 04 मई, 2010 द्वारा करते हुए कतिपय बिन्दुओं

को स्पष्ट करने हेतु शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–3012/दस–62(एम)/2008, दिनांक 29 सितम्बर, 2010 एवं शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–798/दस–62(एम)/2008, दिनांक 30 मई, 2011 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेशों द्वारा की गई व्यवस्था में ऐसे कार्मिक जो समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं, उनमें से पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु० 5400 से निम्न ग्रेड वेतन वाले पदों के पदधारकों (अपुनरीक्षित वेतनमान रु० 8000–13500 से निम्न वेतनमान) को मिल चुके लाभ को समायोजित करते हुए ए०सी०पी० की नई व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त देय लाभ की अनुमन्यता के समबन्ध में स्पष्ट प्रावधान शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के प्रस्तर–3 में इंगित है, परन्तु ग्रेड वेतन रु० 5400 एवं इससे उच्च ग्रेड वेतन के पदों के पदधारकों के लिये स्पष्ट व्यवस्था/प्रावधानों का उल्लेख न होने के कारण स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा इनके लिए ए०सी०पी० की नई व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर 2008 अथवा उसके उपरान्त देय लाभ की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की अपेक्षा की जा रही है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त संवर्ग में वरिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नति पर प्राप्त होने वाला वित्तीय स्तरोन्नयन ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत किसी कनिष्ठ कर्मचारी को प्राप्त हो रहे वित्तीय स्तरोन्ननपय से निम्न होने की स्थिति में, वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ के समान वित्तीय स्तरोन्ननय कनिष्ठ को देय तिथि से अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था किये जाने हेतु स्पष्टीकरण निर्गत किया जाना है।

**2.** उक्त संदर्भ में ऐसे पद/संवर्ग, जिनके लिये समयमान वेतनमान की सामान्य अथवा कोई विशिष्ट व्यवस्था लागू रही हो, के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु० 5400 एवं इससे उच्च ग्रेड वेतन वाले पदों के पदधारकों को ए०सी०पी० की नई व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त देय लाभ की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही है :–

(क) पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के साधारण वेतनमान में है (चाहे वह सीधी भर्ती द्वारा अथवा एक या एक से अधिक पदोन्नतियाँ प्राप्त कर उक्त धारित पद पर नियुक्त हुआ हो अथवा उच्च वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त करने के उपरान्त उसी वेतनमान के पद पर पदोन्नत होकर तैनात हो), को ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत अर्हकारी सेवा की गणना उक्त पद धारित करने की तिथि से करते हुए शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के प्रस्तर–1 की यथासंशोधित व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ अनुमन्य होंगे।

(ख) ऐसे पदधारक, जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत धारित पद से उच्च वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत हैं, उन्हें निम्नानुसार ए०सी०पी० के लाभ देय होंगे:–

(1) पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु० 5400 अथवा इससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (08 वर्ष/अभियन्त्रण एवं कतिपय विशिष्ट संवर्ग के लिये 05 वर्ष/कतिपय मामलों में 06 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें वैयक्तिक रूप से अनुमन्य ग्रेड वेतन में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित कार्मिक अनुमन्यता की तिथि तक वास्तविक रूप से धारित पद से किसी पद पर पदोन्नत न हुआ हो। सेवा अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी,

जिस पद के संदर्भ में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था।

(2) पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु० 5400 अथवा इससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित समयावधि (14 वर्ष/अभियन्त्रण एवं कतिपय विशिष्ट संवर्गो के लिये 12/16/18 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें कुल 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित कार्मिक अनुमन्यता की तिथि तक उस धारित पद से किसी पद पर पदोन्नत न हुआ हो, जिस पर रहते हुए उसे द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हुआ हो। सेवा अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी, जिस पद के संदर्भ में द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था।

(ग) ए०सी०पी० की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से तीन वित्तीय स्तरोन्नयन अथवा तीन पदोन्नतियाँ प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी दशा में आगे वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय नहीं हैं। उक्त व्यवस्था के दृष्टिगत पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400 से प्रारम्भ होने वाली सेवाओ के ऐसे पदधारक जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 15 प्रतिशत पदों के सापेक्ष सेलेक्शन ग्रेड के रूप में ग्रेड वेतन रु० 8700 वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हो चुका है, उन्हे सेवा में प्रवेश के पद से तीन वित्तीय स्तरोन्नयन के समतुल्य लाभ अनुमन्य हो जाने के कारण ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत आगे कोई लाभ देय नहीं होगा।

**3.** किसी संवर्ग में वरिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति के फलस्वरूप अनुमन्य ग्रेड वेतन, कनिष्ठ कर्मचारी को ए०सी०पी० की व्यवस्था में प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन से निम्न होने की स्थिति का निराकरण किये जाने हेतु सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को निम्नानुसार लाभ अनुमन्य कराया जायेगा :—

"संवर्ग में किसी कर्मचारी को पदोन्नति पर प्राप्त होने वाला वित्तीय स्तरोन्नयन ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत किसी कनिष्ठ कर्मचारी को प्राप्त हो रहे वित्तीय स्तरोन्नयन, कनिष्ठ को देय तिथि से अनुमन्य कराया जायेगा। उपर्युक्त लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा, जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्ते समान हो तथा यह भी कि वरिष्ठ कार्मिक की यदि पदोन्नति न हुई होती तो वह निम्न पद पर कनिष्ठ कार्मिक को ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्य की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन के लिये अर्ह होता।"

**4.** उपर्युक्त के सम्बन्ध में आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के प्रस्तर–1 (7) एवं स्पष्टीकरण शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 2010 की तालिका के बिन्दु–2 की व्यवस्था को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित मानते हुए सम्बन्धित कार्मिकों को समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन की स्वीकृति दी जाये और यदि पूर्व में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता में कोई त्रुटि हुई हो, तो उसके निराकरण की कार्यवाही तदनुसार सुनिश्चित की जाये।

भवदीया,

**(वृन्दा सरूप)**, प्रमुख सचिव।

❑❑❑

## सम्बद्ध प्राइमरी ग्रेड-पे संशोधन—राजाज्ञा

संख्या–150/79–6–2010-1189/09

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
सचिव, उ०प्र० शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा०)
उ०प्र० लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊ : दिनांक : 8 अप्रैल, 2010

**विषय**—वेतन समिति–2008 की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं वेतन ग्रेड की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008), की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध ऐसे प्राथमिक विद्यालयों जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त हैं, के ऐसे शिक्षकों जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को सेवा में थे, को संलग्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित वेतनमानों के स्थान पर स्तम्भ–3 में उल्लिखित उच्चीकृत वेतनमानों के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्तम्भ–4 व 5 के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी 2006 से/दिनांक 1 जनवरी 2006 से 30 नवम्बर, 2008 के मध्य सेवा में प्रवेश/नियुक्त होने की दशा में सेवा में प्रवेश/नियुक्ति की तिथि से प्रकल्पित आधार पर स्वीकृत करते हुए उसका वास्तविक लाभ/नकद भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संस्थाओं के एक शिक्षक जो दिनांक 01 दिसम्बर 2008 या उसके पश्चात् सेवा में आये हों, उन्हें सम्बन्धित पद के सम्मुख शासनादेश के साथ तालिका में उल्लिखित संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान का लाभ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अनुमन्य होगा।

**2**— उक्तानुसार उच्चीकृत वेतनमानों के सादृश्य वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक का वेतन काल्पनिक रूप से शासनादेश स०–वे०आ०–2–1318/दस–59(एम)/08 टी०सी० दिनांक 8 दिसम्बर, 08 की व्यवस्थानुसार, निर्धारित करते हुए वास्तविक लाभ/नगद भुगतान दिनांक 1 दिसम्बर, 08 से दिया जायेगा।

**3**— साधारण वेतनमान के शिक्षक को ग्रेड–III(उदाहरण स्वरूप सम्बद्ध प्राथमिक शिक्षक के साधारण वेतनमान के शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक ग्रेड–III) तथा समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत चयन वेतनमान प्राप्त शिक्षक को ग्रेड–II एवं पदोन्नति वेतनमान प्राप्त शिक्षक को ग्रेड–I पदनाम दिया जायेगा। चयन वेतनमान अथवा पदोन्नति वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित को वर्तमान में मिल रहे बैण्ड वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन) के साथ चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन अनुमन्य कराते हुए वेतन निर्धारित किया जायेगा।

**4**— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे०आ०–2–339/दस–2010 दिनांक 7–4–10 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
**(जितेन्द्र कुमार)**
सचिव।

**शासनादेश संख्या-150/79-6-2010-1189/09 दिनांक 8 अप्रैल, 2010 का संलग्न**

| अध्यापक | वर्तमान वेतनमान /ग्रेड | संशोधित वेतनमान /ग्रेड | सादृश्य वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन | |
|---|---|---|---|---|
| | | | वेतन बैण्ड | ग्रेड वेतन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| माध्यमिक शिक्षा सम्बद्ध प्राथमिक शिक्षक (क) साधारण वेतनमान | 4500–7000 | ग्रेड–III 6500–10500 | वेतन बैण्ड–2 (रु० 9300–34800) | 4200 |
| (ख) चयन वेतनमान | ग्रेड–II 5000–8000 | 7450–11500 | –तदैव– | 4600 |
| (ग) प्रोन्नत वेतनमान | ग्रेड–I 5500–9000 | 7500–12000 | –तदैव– | 4800 |

(एफ० एन० प्रधान),
संयुक्त सचिव।

□□□

## सम्बद्ध प्राइमरी पुनरीक्षित वेतनमान-राजाज्ञा

संख्या–717/79–6–2010

प्रेषक,

एफ०एन० प्रधान
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा०)
उ०प्र० लखनऊ।

शिक्षा (6) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 18 जून, 2010

**विषयः** वेतन समिति, 2008, संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं वेतन ग्रेड की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–150/79–6–2010, दिनांक 08.04.2010 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को उच्चीकृत साधारण वेतनमान/चयन वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य कराये जाने एवं उच्चीकृत वेतनमानों में वेतन निर्धारण की वही व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है जैसा कि बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अनुमन्य है। उक्त शासनादेश में वेतन निर्धारण

में सुविधा हेतु फिटमेन्ट तालिका संलग्न न होने के कारण विभिन्न स्रोतों से उक्त फिटमेन्ट तालिका संलग्न किये जाने का अनुरोध किया गया है।

**2.** इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि शासनादेश संख्या–150/79–6–2010, दिनांक 08.04.2010 में की गयी व्यवस्थानुसार सहायता प्राप्त माध्यमिक विधालयों के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन निर्धारण हेतु अलग से फिटमेन्ट तालिका निर्गत किये जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उक्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण में सुविधा हेतु वही फिटमेन्ट तालिका उपयोग में लायी जा सकती है जो बेसिक शिक्षा विभाग के लिए शासनादेश दिनांक 07.09.2009 के माध्यम से निर्गत की गयी है। कृपया उक्त व्यवस्थानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(एफ०एन० प्रधान)**

विशेष सचिव।

❑❑❑

## एस॰सी॰पी॰ की व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रेड-पे के सम्बन्ध में

संख्या–750/आठ–2–12–3 एच॰बी॰(195)/08

प्रेषक,

एच॰पी॰ सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ॰प्र॰ आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 दिनांक 11 अप्रैल, 2012

**विषयः**–एस॰सी॰पी॰ की व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रेड–पे के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आवास विकास परिषद के पत्र संख्या–172/प्रशा॰–एक, दिनांक 18–11–2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

**2.** उ॰प्र॰ आवास एवं विकास परिषद् में ए॰सी॰पी॰ अनुमन्य कराये जाने हेतु ग्रेड वेतन रु॰ 4600 के बाद अगला ग्रेड वेतन रु॰ 4800 होगा अथवा रु॰ 5400 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। जिसमें यह अवगत कराया गया है कि शासनादेश दिनांक 4–5–2010 की व्यवस्थानुसार ए॰सी॰पी॰ अनुमन्य किये जाने की स्थिति में शासनादेश संख्या–वे॰आ॰–2–1318/दस–59(एम)/2008, दिनांक 8–12–2008 के संलग्नक 'अ' पर उपलब्ध तालिका के अनुसार ग्रेड वेतन रु॰ 4600 के लिए अगला ग्रेड वेतन रु॰ 4800 ही होगा। ए॰सी॰पी॰ की अनुमन्यता हेतु सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1105/44–1–2009–77–2009, दिनांक 16–10–2009 में उल्लिखित वेतनमानो की तालिका का उपयोग नहीं किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच. पी. सिंह)

उप सचिव।

❑❑❑

## वाहन चालकों को A.C.P. (संशोधन)

संख्या–वे०आ०–2–467/दस–2010–44(एम)/2001 टी०सी०

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 12 सितम्बर, 2012

**विषय**–प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के पदधारकों को समयामान वेतनमान/ए०सी०पी० की सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के पदों के पुनर्गठन एवं वर्तमान पदधारकों के पुनर्गठित ढॉचे में उपलब्ध पदों पर समायोजन के उपरान्त समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था में लाभ दिये जाने में इंगित की गयी जिज्ञासाओं की पूर्ति हेतु स्पष्टीकरण शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–800/दस–2010–44(एम)/2001 टी०सी०, दिनांक 16 जुलाई, 2010 निर्गत करते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि वाहन चालक के पदधारकों का समायोजन पुनर्गठित ढांचे में उपलब्ध पदों के सापेक्ष किये जाने से समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था जो दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक प्रभावी रही है एवं शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 द्वारा लागू की गयी ए०सी०पी० की व्यवस्था, जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से लागू है, के अन्तर्गत देय लाभ भी नियमानुसार देय रहेंगे।

**2**– उपर्युक्त के सम्बन्ध में पुनः स्पष्ट किया ज़ाता है कि प्रदेश के वाहन चालकों को दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था एवं दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से लागू ए०सी०पी० की व्यवस्था का लाभ सुसंगत शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार देय है। अतः वाहन चालक के पदधारकों को समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० का लाभ सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों की पूर्ति पर शासनादेश 16 जुलाई, 2010 के स्पष्टीकरण के अनुरुप नियमानुसार अनुमन्य किया जाये।

भवदीय

आनन्द मिश्र

प्रमुख सचिव।

## पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था में संशोधन

संख्या–वे०आ०–2–180/दस–59(एम)/2008 टी०सी०

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊः दिनांक 01 मई 2012

**विषय :** पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1318/दस–59(एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–8 में बिन्दु संख्या–(5) के रूप में निम्नवत व्यवस्था जोड़े जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

जिन सरकारी सेवकों को अपुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतन वृद्धि माह फरवरी 2006 से माह जून 2006 तक देय थी, का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण, दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करते हुए, किया जाएगा तथा अगली वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2006 को देय होगी। ऐसे कर्मचारी जो उक्त से आच्छादित होंगे के वेतन का पुनर्निधारण तद्नुसार किया जायेगा।

**2–** शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1318/दस–59(एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

**भवदीया,**
**(वृन्दा सरूप)**
**प्रमुख सचिव,**

❑❑❑

## पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था में संशोधन

संख्या–वे०आ०–2–521/दस–54(एम)/2008 टी०सी०

प्रेषक,

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव
माध्यमिक/बेसिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक 26 सितम्बर, 2012

**विषय**–पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था में संशोधन।

महोदय,

राजकीय कर्मियों के लिये शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–180/दस–59(एम)/2008 टी०सी० दिनांक 1 मई 2012 द्वारा निम्न व्यवस्था की गयी है।

"जिन सरकारी सेवकों को अपुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतन वृद्धि माह फरवरी 2006 से माह जून 2006 तक देय थी, का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण, दिनांक 01 जनवरी 2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान करते हुए किया जायेगा तथा अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2006 को देय होगी। ऐसे कर्मचारी जो उक्त से आच्छादित होगे के वेतन का पुर्ननिर्धारण तद्नुसार किया जायेगा।"

राजकीय कर्मियों के लिये प्राविधानित उक्त व्यवस्था को शैक्षिक पदों (यू०जी०सी०, ए०आई०सी०टी०ई० एवं आई०सी०ए०आर० के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के लिये लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया शैक्षिक पदों ((यू०जी०सी०, ए०आई०सी०टी०ई० एवं आई०सी०ए०आर० के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के लिये उक्तानुसार वेतन निर्धारण का लाभ दिये जाने हेतु विभागीय आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

**(अजय अग्रवाल)**

सचिव, वित्त।

□□□

## उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक संवर्ग के कार्मिकों को ए॰सी॰पी॰ का लाभ

संख्याः 15/10/94(2)–का–4–2013

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–4

लखनऊ : दिनांक : 13 फरवरी, 2013

**विषयः** उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ सहायक संवर्ग के कार्मिकों को ए॰सी॰पी॰ का लाभ अनुमन्य कराया जाना।

महोदय,

समसंख्यक शासनादेश दिनांक 3–7–2008 में यह प्राविधान किये गये थे कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21–2–2007 के प्राविधानानुसार उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ लिपिक के पद पर 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिक के उर्दू अनुवादक–सह–वरिष्ठ लिपिक के पद पर उच्चीकृत हो जाने के उपरान्त समयमान वेतनमान के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों की गणना उर्दू अनुवादक–सह–वरिष्ठ लिपिक के पद के संदर्भ में की जायेगी।

**2.** कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.11.2011 के द्वारा उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ सहायक का संवर्गीय पुनर्गठन कर दिये जाने के उपरान्त विभिन्न स्रोतों से की जा रही जिज्ञासाओं के संदर्भ में आपको यह अवगत कराने का मुझे निर्देश हुआ है कि उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ सहायक संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों को ए॰सी॰पी॰ की व्यवस्था का लाभ सुसंगत शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार देय है, अतः उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ सहायक संवर्ग के पदधारकों को ए॰सी॰पी॰ का लाभ भी सुसंगत

शासनादेशों में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों की पूर्ति पर नियमानुसार अनुमन्य किया जाय।

**3.** उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे॰आ॰–2–101/दस–2013, दिनांक 01–02–2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

**राजीव कुमार**

प्रमुख सचिव।

❑❑❑

## लिपिकीय संवर्ग में दी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन

संख्याः आडिट–1310/दस–2012–322(5)/12

प्रेषक,

अरविन्द नारायण मिश्र,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उ०प्र०
नवॉ तल, लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2013

**विषय :** वेतन समिति (2008) द्वारा राजकीय विभागों के सचिवालय से इतर लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के राजकीय विभागों के सचिवालय से इतर लिपिकीय संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–401/दस–54(एम)/2008 टी०सी०, दिनांक 18–3–2011 तथा संख्या–वे०आ०–2–2105/दस–54(एम)/2008 टी०सी०, दिनांक 22–12–2011 के क्रम में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ०प्र० लखनऊ के लिपिकीय संवर्ग में उपलब्ध विभिन्ना पदों को इस शासनादेश से संलग्न तालिका के अनुसार निम्नवत् पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) इस शासनादेश से संलग्न तालिका के स्तम्भ–1 में उल्लिखित क्रमशः वर्तमान पदनाम/पदों की संख्या/पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन एवं स्तम्भ–२ में उल्लिखित भर्ती की प्रक्रिया के स्थान पर दिनांक 18 मार्च, 2011 से स्तम्भ–3 एवं 4 के अनुसार क्रमशः पदनाम/पदों की संख्या/पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता निर्धारित की जाये।

(2) उक्तानुसार तालिका के स्तम्भ–3 एवं 4 में दिनांक 18 मार्च, 2011 से निर्धारित व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से स्तम्भ–3 एवं 6 के अनुसार क्रमशः पदनाम/पदों की संख्या/पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता निर्धारित की जाये।

**2.** उपर्युक्तानुसार पुनर्गठन के फलस्वरूप उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–841/दस– 59(एम)/2008 दिनांक 24–12–2008 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या वे०आ०–2-577/दस–59(एम)/2008

टी०सी०, दिनांक 29–6–2010 में किये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

**3.** कार्यालय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ०प्र० लखनऊ के लिपिकीय संवर्ग के पदों पर उपर्युक्त प्रस्तर–1 के अनुसार अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु विभागीय नियमावली में संशोधन की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जाये।

**4.** यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–वे०आ०–1–883/दस–2012, दिनांक 29–11–2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

**शा० संख्या-आडिट-1310/दस-2012-322(5)/2012, दिनांक 22 मार्च, 2013 का संलग्नक**

| क्र० सं० | वर्तमान व्यवस्था | | पुनर्गठन (दिनांक 18 मार्च, 2011 से प्रभावी) के अनुसार निर्धारित व्यवस्था | | पुनर्गठन (दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से प्रभावी) के अनुसार निर्धारित व्यवस्था | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पदनाम (पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रु० में) पद संख्या | भर्ती की प्रक्रिया एवं अर्हता | पदनाम (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रु० में)/ पद संख्या | भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/ प्रक्रिया | पदनाम/पद संख्या (पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रु० में) | भर्ती की प्रक्रिया/ अनुसार |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | कनिष्ठ लिपिक/ (वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु० 1900/-) 122 पद | अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती/ समूह–'घ' के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा | कनिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-) 122 पद | (1) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा अर्हता–इण्टर मीडिएट के साथ–साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी०सी० सी०" प्रमाण पत्र अथवा "सरकार द्वारा मान्यता | स्तम्भ–4 के अनुसार | स्तम्भ–5 के अनुसार |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाणपत्र तथा हिन्दी/ अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। | | |
| | | | | (2) राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार 15 प्रतिशत पदों को चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों। 05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों। | | |
| 2. | वरिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2400/– 144 पद | स्थायी कनिष्ठ लिपिक/टंकक पदधारकों से जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए | वरिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/–) 144 पद | शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से। | स्तम्भ–4 के अनुसार | स्तम्भ–5 के अनुसार |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ज्येष्ठता के आधार पर शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा। | | | | |
| 3. | वरिष्ठ सहायक (मुख्यालय) 09 पद/मुख्य लिपिक (जनपद) 31 पद (वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन 2800/–) कुल 40 पद | पदोन्नति द्वारा। | वरिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/–) 40 पद | शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से। | प्रधान सहायक/ (वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4200/–) 40 पद | शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से। |
| 4 | कार्यालय अधीक्षक 06 पद/मुख्य लिपिक (सम्भाग) 12 पद (वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–) कुल 18 पद | स्थायी वरिष्ठ सहायक, मुख्यालय/क्षेत्रीय पद–धारकों से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा | प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–) 19 पद | शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से। | प्रशासनिक अधिकारी/ 19 पद (वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4600/–) | शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से। |
| 5 | प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–) 01 पद | स्थायी कार्यालय अधीक्षकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। | | | | |
| | कुल पदों का योग–325 | | पदों का कुल योग–325 | | पदों का कुल योग–325 | |



□□□

## शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग तथा अन्य संवर्ग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन (माध्यमिक शिक्षा)

संख्या–वे०आ०–2–665(II)/दस–54(एम) 2008 टी०सी०

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 26 सितम्बर, 2013

**विषय :** वेतन समिति (2008) के ग्याहरवें प्रतिवेदन के माध्यम से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग तथा अन्य संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के ग्यारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्राप्त संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजे जा रहे हैं।

**2**–आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय
**(अजय अग्रवाल)**
सचिव, वित्त।

**शा० सं०-वे०आ०-2-665(II)/दस-54(एम)/2008 टी०सी० दिनांक 26-09-2013 का संलग्नक**

(क) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के सामान्य कोटि के शिक्षणेत्तर पद/संवर्ग।

### लेखा कर्मचारी संवर्ग

(1) सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के लेखा संवर्ग में सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्त ऐसे वर्तमान पदधारक जो राजकीय विभागों में सहायक लेखाकार के पद हेतु कम्प्यूटर की अर्हता को छोड़कर निर्धारित अर्हता रखते हों उन्हें ही वेतनमान रु० 4500–7000 का सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/–तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा। उक्त अर्हता न रखने की स्थिति में सम्बन्धित पदधारक को वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा।

भविष्य में उक्त संस्थाओं में लेखा संवर्ग में सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्त ऐसे पदधारक जो राजकीय विभागों के सहायक लेखाकार के पद हेतु निर्धारित अर्हता रखते हों, को ही वेतनमान रु० 4500–7000 का सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/–अनुमन्य होगा। उक्त अर्हता न रखने की स्थिति में सम्बन्धित पदधारक को ग्रेड वेतन रु० 2800/–से निम्न ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा।

(2) ऐसी संस्थाएं जहां लेखाकार के पद एकल स्वरूप में हैं और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, वहां वर्तमान पदधारकों के बने रहने तक उन पदों को लेखाकार के रूप में बनाये रखा जाय। भविष्य में पद रिक्त होने पर लेखाकार का पद सहायक लेखाकार में परवर्तित हो जाएगा तथा सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्त होने वाले पदधारक उपरोक्त उप प्रस्तर–1 के अनुसार ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(3) ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं जहां सहायक लेखाधिकारी संस्था द्वारा नियुक्त हैं उन्हें राजकीय विभागों के सहायक लेखाधिकारी के समान वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4800/–तत्काल प्रभाव से वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाए तथा भविष्य में सहायक लेखाधिकारी के पद को लेखाकार से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाए।

(4) लेखा लिपिक वेतनमान 4000–6000 सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/–के पदधारकों को तत्काल प्रभाव से सहायक लेखाकार के पदों में संविलीन करते हुए वेतनमान रु० 4500–7000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/–तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाए।

(5) जिन संस्थाओं में कनिष्ठ लेखा लिपिक, लेखा लिपिक, कैशियर (लेखा संवर्ग की अर्हता निर्धारित होने की स्थिति में), लेखा सहायक आदि पदनामों से वेतनमान रु० 3050–4590 अथवा 3200–4900 के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में पद उपलब्ध हैं उन पदों को मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाए। इन पदों के पदधारकों को इण्टर कामर्स की अर्हता सहित 07 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर सहायक लेखाकार के रिक्त पद उपलब्ध होने पर पदोन्नत किया जाए। जब तक ऐसे पदधारक प्रोन्नति हेतु उपलब्ध रहें, तब तक सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती न की जाए।

(6) ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें लेखा संवर्ग के पद उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख समिति के प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा, समान कन्सिडरेशन के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के परामर्श/सहमति के उपरान्त मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया जाय।

(7) उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के निम्नीकृत होने की स्थिति आती है तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा।

**लिपिकीय कर्मचारी संवर्ग**

(1) विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के लिपिकीय संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में निम्नवत व्यवस्था की जायें:—

(i) लिपिकीय संवर्ग के प्रथम स्तर का पद जो वर्तमान में विभिन्न पदनामों यथा कनिष्ठ लिपिक, टंकक, कनिष्ठ सहायक, नैत्यिक लिपिक आदि पदनामों से हैं, के लिये राजकीय विभागों की भांति कनिष्ठ सहायक पदनाम व पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1, रु० 5200–20200 व ग्रेड वेतन रु० 2000/–तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाये। कनिष्ठ सहायक पद हेतु शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट, हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट, तथा अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति एवं कम्प्यूटर में "कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण पत्र" अनिवार्य अर्हता के रूप में रखा जाये।

(ii) द्वितीय स्तर के पद जो विभिन्न पदनामों यथा वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ आलेखक प्रालेखक, वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक आदि पदनामों तथा तृतीय स्तर के पद जो विभिन्न पदनामों यथा वरिष्ठ सहायक, सहायक कार्यालय अधीक्षक, वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक आदि पदनामों से पूर्व वेतनमान रु० 3200–4900, रु० 4000–6000, रु० 4500–7000 में हैं, को संविलीन कर वरिष्ठ सहायक पदनाम व वेतनमान रु० 4500–7000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रु० 5200–20200, ग्रेड वेतन रु० 2800/–तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाये। वरिष्ठ सहायक के पदों को 5 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदधारकों से शत प्रतिशत पदोन्नति के आधार पर भरा जाये।

(iii) तृतीय स्तर के पद जो वर्तमान में पूर्व वेतनमान रु० 5000–8000 सादृश्य वेतन बैण्ड–2 ग्रेड वेतन रु० 4200/–में विभिन्न पदनामों यथा कार्यालय अधीक्षक, प्रधान सहायक, हैड असिस्टेंट आदि में है, का वेतनमान यथावत रखते हुए पदनाम प्रधान सहायक किया जाये। भविष्य में प्रधान सहायक का पद 5 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदधारकों से शत प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था की जाये।

(iv) उपर्युक्त के फलस्वरूप लिपिकीय संवर्ग का ढ़ांचा निम्नानुसार हो जायेगा:–

| क्र० सं० | पदनाम | पुनरीक्षित संरचना में | | भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/प्रक्रिया |
|---|---|---|---|---|
| | | वेतन बैण्ड (रु०) | ग्रेड वेतन (रु०) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कनिष्ठ सहायक | 5200–20200 | 2000 | 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ–साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी०सी०सी० प्रमाण पत्र" तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।<br>15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों।<br>05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारी से पदोन्नति द्वारा जो इण्टर–मीडिएट हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों। |
| 2 | वरिष्ठ सहायक | 5200–20200 | 2800 | शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से। |
| 3 | प्रधान सहायक | 9300–34800 | 4200 | शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से। |

निर्धारित ढ़ॉचे के आधार पर वरिष्ठ सहायक तथा प्रधान सहायक के उच्च स्तर के पदों का निर्धारण/सृजन सम्बन्धित संस्था की कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(v) ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं जिनमें लिपिकीय संवर्ग के पद उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख समिति के प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा, समान कन्सिडरेशन के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के परामर्श/सहमति के उपरांत मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया जाय।

(vi) उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के निम्नीकृत होने की स्थिति आती है तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगें। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा।

**पुस्तकालय कर्मचारी/अधिकारी संवर्ग**

(1) राज्य विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों की विशिष्ट स्थिति को देखते हुए वर्तमान ढ़ाँचे को यथावत् बनाये रखा जाय।

(2) राज्य विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के पुस्तकालय लिपिक/काउन्टर सहायक के पद वर्तमान वेतनमान रु० 3050–4590 के सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रु० 5200–20200 ग्रेड वेतन रु० 1900 के स्थान पर वेतन बैण्ड–1 रु० 5200–20200 ग्रेड वेतन रु० 2000 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय तथा पदनाम "पुस्तकालय सहायक" कर दिया जाय। पुस्तकालय सहायक के पदों के लिये इण्टरमीडिएट तथा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में 06 माह का प्रमाण पत्र एवं डोयक (DOEACC) से "सी०सी०सी०" लेवल का प्रमाण पत्र की अर्हता निर्धारित की जाय।

(3) राज्य विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में जहां कहीं पुस्तकालय लिपिक से पदोन्नति का पद वेतनमान रु० 4000–6000 में उपलब्ध है वहां उक्त पद को लिपिकीय संवर्ग की भांति वेतन बैण्ड–1 रु० 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/–तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय और पदनाम वरिष्ठ पुस्तकालय सहायक कर दिया जाय। वरिष्ठ पुस्तकालया सहायक के पदों पर, ऐसे पुस्तकालय सहायक जिन्होंने भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में 06 माह का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हों, की पदोन्नति की जाय।

(4) प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयाध्यक्षों के पद पर राजकीय विभागों के श्रेणी–4 के पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों की भांति शैक्षिक अर्हता व भर्ती की विधि निर्धारित की जाय एवं वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–3 रु. 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400/–को यथावत बनाये रखा जाय। उप पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर भी राजकीय विभागों की भांति वेतनमान क्रमशः 7450–11500 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रु० 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु. 4600/–एवं वेतन बैण्ड–2 रु. 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–अनुमन्य किया जाय। उप पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर सीधी भर्ती की अर्हता भी राजकीय विभागों की भांति रखी जाय। पुस्तकालयों का ढ़ांचा राजकीय विभागों के श्रेणी–4 के पुस्तकालयों के समान ढांचा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत रखा जा सकता है।

(5) कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए राजकीय विभागों के श्रेणी–4 के पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं भर्ती की विधि के समान निर्धारित की जाय।

(6) कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के अन्य अधीनस्थ पद राजकीय विभागों के श्रेणी–4 के पुस्तकालयों के समान कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत रखे जाय।

(7) पशुपालन विभाग के अधीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ. अनुसंधान संस्थान, मथुरा के पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष को राजकीय विभागों के श्रेणी–3 के पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के समान वेतन बैण्ड–2 रु० 9300–34800 व ग्रेड वेतन रु. 4600/–को यथावत रखते हुए अन्य पदों को राजकीय विभागों की भांति कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत रखा जाय। राजकीय विभागों के श्रेणी–3 के पुस्तकालयों की भांति ढांचा रखे जाने में किसी पद का वेतनमान कम होने की स्थिति में वर्तमान पदधारकों को मिल रहा वेतनमान यथावत मिलता रहेगा। किसी भी कारण से पद रिक्त होने की स्थिति में उक्त पद राजकीय विभागों की श्रेणी–3 के पुस्तकालयों के ढांचे में आ जायेंगे।

(8) उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त शैक्षिक/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, जिनका उल्लेख उपर्युक्त में नहीं आ सका है, के पुस्तकालयों के पदों पर समान (consideration) के आधार पर राजकीय विभागों के पुस्तकालयों की भांति श्रेणीकरण करते हुए पदनाम व वेतनमान तथा शैक्षिक अर्हता एवं भर्ती की विधि का निर्धारण किया जाय।

(9) उच्च शिक्षा विभाग के राज्य विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरी संवर्ग के पदों की संख्या तथा विभिन्न श्रेणी के पदों के स्तर को कम किये जाने हेतु सचिव उच्च शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित कर उसकी संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही की जाए।

(10) ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें पुस्तकालय संवर्ग के पद उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख समिति के प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा, समान कन्सिडरेशन के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के परामर्श/सहमति के उपरान्त मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया जाय।

(11) उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के निम्नीकृत होने की स्थिति आती है तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा।

**लेखा परीक्षा संवर्ग**

(1) सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में लेखा परीक्षा संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त ऐसे वर्तमान पदधारक जो राजकीय विभागों के लेखा परीक्षक के पद हेतु कम्प्यूटर की अर्हता को छोड़कर, निर्धारित अर्हता रखते हों, उन्हें ही वेतनमान रु० 4500–7000 का **सादृश्य वेतन** बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु. **2800/**–तत्काल प्रभाव से **अनुमन्य** होगा। उक्त अर्हता न रखने **की स्थिति में** सम्बन्धित वर्तमान पदधारक **को वर्तमान में प्राप्त** हो रहे वेतनमानों के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं **ग्रेड वेतन ही** अनुमन्य होगा।

भविष्य में उक्त संस्थाओं में लेखा परीक्षा संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त ऐसे पदधारक जो राजकीय विभागों के लेखा परीक्षक पद हेतु निर्धारित अर्हता रखते हों उन्हें ही वेतनमान रु० 4500–7000 का सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/–अनुमन्य होगा। उक्त अर्हता न रखने की स्थिति में सम्बन्धित पदधारक को वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतनमानों के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा।

(2) वेतन समिति की निम्न संस्तुति के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा आवश्यक परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग के परामर्श से तैयार प्रस्ताव पर मा० मुख्यमंत्री जी का आदेश प्राप्त करते हुए निर्णय लिया जाय:–

ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं जहाँ आन्तरिक सम्परीक्षक (वरिष्ठ लेखा परीक्षक) के पद एकल स्वरूप में हैं और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं उन संस्थाओं में वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पदों को लेखा परीक्षक के पदों से शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाएं। ऐसी संस्थाएं जहां वरिष्ठ सम्परीक्षक के पद एकल स्वरूप में हैं वहां वर्तमान पदधारकों के बने रहने तक उन पदों को वरिष्ठ लेखा सम्परीक्षक के रूप में बनाये रखा जाए तथा भविष्य में पद रिक्त होने पर वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद लेखा परीक्षक के पद में परिवर्तित हो जाएगा तथा लेखा परीक्षक के लिए संस्तुत अर्हता के अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

(3) ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें लेखा परीक्षा संवर्ग के पद उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख समिति के प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा, समान कन्सिडरेशन के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के परामर्श/सहमति के उपरान्त मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया जाय।

(4) उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के निम्नीकृत होने की स्थिति आती है तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा।

❑❑❑

## शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग तथा अन्य संवर्ग की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन (बेसिक शिक्षा)

संख्या–वे०आ०–2–665(III)/दस–54(एम) 2008 टी०सी०

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव
बेसिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 26 सितम्बर, 2013

**विषय :** वेतन समिति (2008) के ग्याहरवें प्रतिवेदन के माध्यम से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग तथा अन्य संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के ग्यारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्राप्त संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजे जा रहे हैं।

**2**—आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

**(अजय अग्रवाल)**

सचिव, वित्त।

**शा० सं०-वे०आ०-2-665(III)/दस-54(एम)/2008 टी०सी० दिनांक 26-09-2013 का संलग्नक**

(क) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के सामान्य कोटि के शिक्षणेत्तर पद/संवर्ग।

**लेखा कर्मचारी संवर्ग**

(1) सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के लेखा संवर्ग में सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्त ऐसे वर्तमान पदधारक जो राजकीय विभागों में सहायक लेखाकार के पद हेतु कम्प्यूटर की अर्हता को छोड़कर निर्धारित अर्हता रखते हों उन्हें ही वेतनमान रु० 4500–7000 का सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/–तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा। उक्त अर्हता न रखने की स्थिति में सम्बन्धित पदधारक को वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा।

भविष्य में उक्त संस्थाओं में लेखा संवर्ग में सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्त ऐसे पदधारक जो राजकीय विभागों के सहायक लेखाकार के पद हेतु निर्धारित अर्हता रखते हों, को ही वेतनमान रु० 4500–7000 का सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/–अनुमन्य होगा। उक्त अर्हता न रखने की स्थिति में सम्बन्धित पदधारक को ग्रेड वेतन रु० 2800/–से निम्न ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा।

(2) ऐसी संस्थाएं जहां लेखाकार के पद एकल स्वरूप में हैं और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, वहां वर्तमान पदधारकों के बने रहने तक उन पदों को लेखाकार के रूप में बनाये रखा जाय। भविष्य में पद रिक्त होने पर लेखाकार का पद सहायक लेखाकार में परवर्तित हो जाएगा तथा सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्त होने वाले पदधारक उपरोक्त उप प्रस्तर–1 के अनुसार ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(3) ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं जहां सहायक लेखाधिकारी संस्था द्वारा नियुक्त हैं उन्हें राजकीय विभागों के सहायक लेखाधिकारी के समान वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4800/–तत्काल प्रभाव से वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाए तथा भविष्य में सहायक लेखाधिकारी के पद को लेखाकार से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाए।

(4) लेखा लिपिक वेतनमान 4000–6000 सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/–के पदधारकों को तत्काल प्रभाव से सहायक लेखाकार के पदों में संविलीन करते हुए वेतनमान रु० 4500–7000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/–तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाए।

(5) जिन संस्थाओं में कनिष्ठ लेखा लिपिक, लेखा लिपिक, कैशियर (लेखा संवर्ग की अर्हता

निर्धारित होने की स्थिति में), लेखा सहायक आदि पदनामों से वेतनमान रु० 3050–4590 अथवा 3200–4900 के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में पद उपलब्ध हैं उन पदों को मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाए। इन पदों के पदधारकों को इण्टर कामर्स की अर्हता सहित 07 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर सहायक लेखाकार के रिक्त पद उपलब्ध होने पर पदोन्नत किया जाए। जब तक ऐसे पदधारक प्रोन्नति हेतु उपलब्ध रहें, तब तक सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती न की जाए।

(6) ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें लेखा संवर्ग के पद उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख समिति के प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा, समान कन्सिडरेशन के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के परामर्श/सहमति के उपरान्त मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया जाय।

(7) उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के निम्नीकृत होने की स्थिति आती है तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा।

**लिपिकीय कर्मचारी संवर्ग**

(1) विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के लिपिकीय संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में निम्नवत व्यवस्था की जायें:—

(i) लिपिकीय संवर्ग के प्रथम स्तर का पद जो वर्तमान में विभिन्न पदनामों यथा कनिष्ठ लिपिक, टंकक, कनिष्ठ सहायक, नैत्यिक लिपिक आदि पदनामों से हैं, के लिये राजकीय विभागों की भांति कनिष्ठ सहायक पदनाम व पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1, रु० 5200–20200 व ग्रेड वेतन रु० 2000/–तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाये। कनिष्ठ सहायक पद हेतु शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट, हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट, तथा अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति एवं कम्प्यूटर में "कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण पत्र" अनिवार्य अर्हता के रूप में रखा जाये।

(ii) द्वितीय स्तर के पद जो विभिन्न पदनामों यथा वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ आलेखक प्रालेखक, वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक आदि पदनामों तथा तृतीय स्तर के पद जो विभिन्न पदनामों यथा वरिष्ठ सहायक, सहायक कार्यालय अधीक्षक, वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक आदि पदनामों से पूर्व वेतनमान रु० 3200–4900, रु० 4000–6000, रु० 4500–7000 में हैं, को संविलीन कर वरिष्ठ सहायक पदनाम व वेतनमान रु० 4500–7000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रु० 5200–20200, ग्रेड वेतन रु० 2800/–तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाये। वरिष्ठ सहायक के पदों को 5 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदधारकों से शत प्रतिशत पदोन्नति के आधार पर भरा जाये।

(iii) तृतीय स्तर के पद जो वर्तमान में पूर्व वेतनमान रु० 5000–8000 सादृश्य वेतन बैण्ड–2 ग्रेड वेतन रु० 4200/–में विभिन्न पदनामों यथा कार्यालय अधीक्षक, प्रधान सहायक, हैड असिस्टेंट आदि में है, का वेतनमान यथावत रखते हुए पदनाम प्रधान सहायक किया जाये। भविष्य में प्रधान सहायक का पद 5 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदधारकों से शत प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था की जाये।

(iv) उपर्युक्त के फलस्वरूप लिपिकीय संवर्ग का ढांचा निम्नानुसार हो जायेगाः—

| क्र० सं० | पदनाम | पुनरीक्षित वेतन संरचना में | | भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/प्रक्रिया |
|---|---|---|---|---|
| | | वेतन बैण्ड (रु०) | ग्रेड वेतन (रु०) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कनिष्ठ सहायक | 5200–20200 | 2000 | 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ–साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी०सी०सी० प्रमाण पत्र" तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।<br>15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों।<br>05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारी से पदोन्नति द्वारा जो इण्टर–मीडिएट हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों। |
| 2 | वरिष्ठ सहायक | 5200–20200 | 2800 | शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से। |
| 3 | प्रधान सहायक | 9300–34800 | 4200 | शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से। |

निर्धारित ढाँचे के आधार पर वरिष्ठ सहायक तथा प्रधान सहायक के उच्च स्तर के पदों का निर्धारण/सृजन सम्बन्धित संस्था की कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(v) ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं जिनमें लिपिकीय संवर्ग के पद उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख समिति के प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा, समान कन्सिडरेशन के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के परामर्श/सहमति के उपरांत मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया जाय।

(vi) उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के निम्नीकृत होने की स्थिति आती है तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगें। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा।

**लेखा परीक्षा संवर्ग**

(1) सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में लेखा परीक्षा संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त ऐसे वर्तमान पदधारक जो राजकीय विभागों के लेखा परीक्षक के पद हेतु कम्प्यूटर की अर्हता को छोड़कर, निर्धारित अर्हता रखते हों, उन्हें ही वेतनमान रु० 4500–7000 का सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु. 2800/–तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा। उक्त अर्हता न रखने की स्थिति में सम्बन्धित वर्तमान पदधारक को वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतनमानों के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा।

भविष्य में उक्त संस्थाओं में लेखा परीक्षा संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त ऐसे पदधारक जो राजकीय विभागों के लेखा परीक्षक पद हेतु निर्धारित अर्हता रखते हों उन्हें ही वेतनमान रु० 4500–7000 का सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/–अनुमन्य होगा। उक्त अर्हता न रखने की स्थिति में सम्बन्धित पदधारक को वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतनमानों के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा।

(2) वेतन समिति की निम्न संस्तुति के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा आवश्यक परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग के परामर्श से तैयार प्रस्ताव पर मा. मुख्यमंत्री जी का आदेश प्राप्त करते हुए निर्णय लिया जायः–

ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं जहाँ आन्तरिक सम्परीक्षक (वरिष्ठ लेखा परीक्षक) के पद एकल स्वरूप में हैं और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं उन संस्थाओं में वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पदों को लेखा परीक्षक के पदों से शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाएं। ऐसी संस्थाएं जहां वरिष्ठ सम्परीक्षक के पद एकल स्वरूप में हैं वहां वर्तमान पदधारकों के बने रहने तक उन पदों को वरिष्ठ लेखा सम्परीक्षक के रूप में बनाये रखा जाए तथा भविष्य में पद रिक्त होने पर वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद लेखा परीक्षक के पद में परिवर्तित हो जाएगा तथा लेखा परीक्षक के लिए संस्तुत अर्हता के अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

(3) ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनमें लेखा परीक्षा संवर्ग के पद उपलब्ध हैं परन्तु विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण जिनका उल्लेख समिति के प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा, समान कन्सिडरेशन के आधार पर परीक्षणोपरान्त तैयार किये गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग के परामर्श/सहमति के उपरान्त मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया जाय।

(4) उपर्युक्तानुसार संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि किसी पद के वेतनमान के निम्नीकृत होने की स्थिति आती है तो ऐसे पदों के पदधारक वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्राप्त करते रहेंगे। भविष्य में ऐसे पदों पर नियुक्त होने वाले पदधारकों को निम्नीकृत वेतनमान ही अनुमन्य होगा।

❑❑❑

## शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 10, 16 तथा 26 वर्ष की सेवा पर स्तरोन्नयन लाभ अनुमन्य

संख्या–वे०आ०–861/दस–62(एम)/2008 टी०सी०

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

(1)समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनाँक 16 दिसम्बर, 2013

**विषय :** वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था का प्राविधान शासनादेश संख्या–वे०आ०–3282/दस–62(एम)/2008 दिनाँक 23 दिसम्बर, 2010 एवं शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–254/दस–62(एम)/2008, टी०सी०, दिनाँक 17 फरवरी, 2011 द्वारा किया गया था।

**2.** उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिये लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत 10, 18 तथा 26 वर्ष की सेवा पर वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने की लागू व्यवस्था के स्थान पर क्रमशः 10, 16 तथा 26 वर्ष की सेवा पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ अनुमन्य कराये जायेंगे।

उक्त निर्णय के फलस्वरूप शासनादेश दिनाँक 23 दिसम्बर, 2010 के प्रस्तर–1(2)(i)(ख) एवं प्रस्तर–3(2) (ii) निम्नानुसार संशोधित माने जायेंगे:–

(i) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 06 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा पश्चात् प्राप्त होती है तो प्रोन्नति की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर प्रोन्नति के पद के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

(ii) ऐसे कार्मिक, जिन्हें 14 वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य हो चुका है, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से 02 वर्ष की सेवा अथवा दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम प्रोन्नतीय पद/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

जिन्हें प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान 16 वर्ष की सेवा के आधार पर अनुमन्य कराने के पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें दिनाँक 01 दिसम्बर 2008, से द्वितीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

**2**– ए०सी०पी० की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु० 1900 के उपरान्त उपलब्ध ग्रेड वेतन रु० 2000 को इग्नोर किया जायेगा। फलस्वरूप प्रथम/द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन रु० 1900 अगला ग्रेड वेतन रु० 2400 माना जायेगा। उक्त शासनादेश दिनाँक 23 दिसम्बर, 2010 का प्रस्तर–1(3) इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

**3**– उपर्युक्त शासनादेश दिनाँक 23 दिसम्बर, 2010 एवं तत्क्रम में नियम अन्य शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगें। उक्त शासनादेश की शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

भवदीय

**आनन्द मिश्र,** प्रमुख सचिव।

❑❑❑

## शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ए०सी०पी० की व्यवस्था : स्पष्टीकरण

संख्या–वे०आ०–2–879/दस–62(एम)/2008

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनाँक : 30 दिसम्बर, 2013

**विषय :** वेतन समिति, (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था, शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–3282/दस–62(एम)/2008 टी०सी०, दिनाँक 23 दिसम्बर, 2010 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या –वे०आ०–2–254/दस–62(एम)/2008 टी०सी०, दिनाँक 17 फरवरी, 2011 तथा शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–861/दस–62 (एम)/2008टी०सी०, दिनाँक 16 दिसम्बर, 2013 द्वारा की गयी है। उक्त शासनादेश द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य कराये जाने में स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर अनुभव की जा रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गयी है।

**2**–उक्त सन्दर्भ में समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राप्त सन्दर्भ बिन्दुओं पर निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सम्बन्धित कार्मिकों को तद्नुसार समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ की स्वीकृति दी जाय और यदि इस विषय में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायः–

| क्र० सं० | सन्दर्भित बिन्दु | स्पष्टीकरण |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–3282/ दस–62(एम)/2008, दिनाँक 23 दिसम्बर, | समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत यदि सम्बन्धित पदधारक को प्रथम |

| | | |
|---|---|---|
| | 2010 द्वारा लागू ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर 18 वर्ष एवं 26 वर्ष की सेवा पर देय लाभ की अनुमन्यता एक ही तिथि को होने की स्थिति में सम्बन्धित पदधारक को दोनों लाभ उसी तिथि को दिये जा सकते हैं अथवा नहीं? | और द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ एक ही तिथि को देय होता है तो यह मानते हुए कि उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन काल्पनिक रूप से प्राप्त हो चुका है और उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही अनुमन्यता की तिथि को देय होगा।<br>इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ एक ही तिथि को देय होने पर सम्बन्धित पदधारक को यह मानते हुए कि द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन काल्पनिक रूप से प्राप्त हो चुका है और उसे केवल तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही अनुमन्यता की तिथि को देय होगा। |
| 2. | द्वितीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पद पर कार्यरत कतिपय कार्मिकों को 26 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप उन्हें वित्तीय रतरोन्नयन के रूप में प्रथम श्रेणी के पद पर कार्यरत अधिकारियों से उच्च ग्रेड वेतन की देयता बनती है। इस प्रकार वरिष्ठ अधिकारियों से कनिष्ठ अधिकारियों का ग्रेड वेतन उच्च हो सकता है अथवा नहीं? | ए०सी०पी० की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–3282/दस–62(एम)/2008, दिनाँक 23 दिसम्बर, 2010 के प्रस्तर–1(6) में यह प्राविधान उल्लिखित है कि इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतयः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च ग्रेड वेतन प्राप्त करता है तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च ग्रेड वेतन की माँग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार सेवावधि पर देय ए०सी०पी० का लाभ का कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। |
| 3. | शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–3282/दस–62(एम)/2008, दिनाँक 23 दिसम्बर, 2010 द्वारा की गयी ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत देय लाभों के साथ वेतन बैण्ड परिवर्तित हो सकता है अथवा नहीं? | शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–3282/दस–62(एम)/2008, दिनाँक 23 दिसम्बर, 2010 द्वारा की गयी ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य कराया गया अगला ग्रेड वेतन (अथवा दिनाँक 01 जनवरी, 2006 एवं दिनाँक 01 दिसम्बर 2008 के पूर्व की अवधि में अनुमन्य कराये गये पदोन्नति पद के वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन) यदि उसी वेतन बैण्ड में प्राविधानित है तो वेतन बैण्ड अपरिवर्तित रहेगा।<br>परन्तु उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत यदि अनुमन्य कराया गया अगला ग्रेड वेतन (अथवा दिनाँक 01 जनवरी, 2006 एवं दिनाँक 01 दिसम्बर 2008 के पूर्व की अवधि में अनुमन्य कराये गये पदोन्नति पद के वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन) अगले वेतन बैण्ड का है, तो वेतन बैण्ड परिवर्तित होगा। |

| | |
|---|---|
| 4. नियमित सेवा के साथ ही साथ निरन्तर की गयी तदर्थ सेवाओं को वित्तीय स्तरोन्नयन की गणना में लिया जायेगा अथवा नहीं? | यदि सम्बन्धित कार्मिक दिनाँक 01 दिसम्बर 2008 को धारित पद के सापेक्ष समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त लाभ के कारण वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत है तो पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता हेतु जिन निरंतर संतोषजनक सेवाओं को गणना में लिया जा चुका है, ए०सी०पी० की व्यवस्था में आगे वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता हेतु ऐसी सेवाओं को गणना में लिया जायेगा। |
| 5. ऐसे पदधारक जिन्हें दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन 18 वर्ष या अधिक की सेवा पर अनुमन्य होता है, उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ कब अनुमन्य होगा। | ऐसे पदधारक जिन्हें दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन 18 वर्ष या अधिक की सेवा पर अनुमन्य होता है, उन्हें द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन में 08 वर्ष की सेवा अथवा 26 वर्ष की कुल सेवा, जो भी पहले हो, पूर्ण करने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय होगा। 26 वर्ष की कुल सेवा की गणना दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 को धारित उस पद से की जोयगी जिस पद के सन्दर्भ में उसे समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम पदोन्नतीय/अगला वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य हुआ है। |

भवदीय

(अजय अग्रवाल), सचिव।

❑❑❑

## सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

संख्याः वे०आ०–2–880/दस–62 (एम)/2008

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊ : दिनाँक 30 दिसम्बर, 2013

**विषय :** वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था, शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–3282/दस–62(एम)/2008, दिनाँक 23 दिसम्बर, 2010 तथा शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–861/दस–62(एम)/2008 टी०सी०, दिनाँक 16 दिसम्बर, 2013 द्वारा करते हुए कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करने हेतु शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–879/दस–62(एम)/2008 टी०सी०, दिनाँक 30 दिसम्बर, 2013 निर्गत किया गया। उक्त शासनादेशों की व्यवस्था में ऐसे कार्मिक

जो समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं, उनमें से पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु० 5400 से निम्न ग्रेड वेतन वाले पदों के पदधारकों (अपुनरीक्षित वेतनमान रु० 8000–13500 से निम्न वेतनमान) को मिल चुके लाभ को समायोजित करते हुए ए०सी०पी० की नई व्यवस्था के अन्तर्गत दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त देय लाभ की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान शासनादेश दिनाँक 23 दिसम्बर, 2010 के प्रस्तर–3 में इंगित है, परन्तु ग्रेड वेतन रु० 5400 एवं इससे उच्च ग्रेड वेतन के पदों के पदधारकों के लिये स्पष्ट व्यवस्था/प्रावधानों का उल्लेख न होने के कारण स्वीकर्त्ता अधिकारियों द्वारा इनके लिए ए०सी०पी० की नई व्यवस्था के अन्तर्गत दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त देय लाभ की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की अपेक्षा की जा रही है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त संवर्ग में वरिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नति पर प्राप्त होने वाला वित्तीय स्तरोन्नयन ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत किसी कनिष्ठ कर्मचारी को प्राप्त हो रहे वित्तीय स्तरोन्नयन से निम्न होने की स्थिति में, वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ के समान वित्तीय स्तरोन्नयन कनिष्ठ को देय तिथि से अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था किये जाने हेतु स्पष्टीकरण निर्गत किया जाना है।

**2.** उक्त सन्दर्भ में ऐसे पद/संवर्ग, जिनके लिये समयमान वेतनमान की सामान्य अथवा कोई विशिष्ट व्यवस्था लागू रही हों, के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु० 5400 एवं इससे उच्च ग्रेड वेतन वाले पदों के पदधारकों को ए०सी०पी० की नई व्यवस्था के अन्तर्गत दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त देय लाभ की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही हैः–

(क) पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के साधारण वेतनमान में है (चाहे वह सीधी भर्ती द्वारा अथवा एक या एक से अधिक पदोन्नतियाँ प्राप्त कर उक्त धारित पद पर नियुक्त हुआ हो अथवा उच्च वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त करने के उपरान्त उसी वेतनमान के पद पर पदोन्नत होकर तैनात हो), को ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत अर्हकारी सेवा की गणना उक्त पद धारित करने की तिथि से करते हुए शासनादेश दिनाँक 23 दिसम्बर, 2010 के प्रस्तर–1 की यथासंशोधित व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ अनुमन्य होंगे।

(ख) ऐसे पदधारक, जो दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत धारित पद से उच्च वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत हैं, उन्हें निम्नानुसार ए०सी०पी० के लाभ देय होंगेः–

(1) पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु० 5400 अथवा इससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (08 वर्ष/10 वर्ष) की सेवा पर दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें वैयक्तिक रूप से अनुमन्य ग्रेड वेतन में न्यूनतम 06/04 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित कार्मिक अनुमन्यता की तिथि तक वास्तविक रूप से धारित पद से किसी पद पर पदोन्नत न हुआ हो। सेवा अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी, जिस पद के सन्दर्भ में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था।

(2) पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु0 5400 अथवा इससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (14 वर्ष/16 वर्ष) की सेवा पर दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें कुल 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित कार्मिक अनुमन्यता की तिथि तक उस धारित पद से किसी पद पर पदोन्नत न हुआ हो, जिस पर रहते हुए उसे द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान

अनुमन्य हुआ हों सेवा अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी, जिस पद के सन्दर्भ में द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था।

(ग) ए०सी०पी० की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से तीन वित्तीय स्तरोन्नयन अथवा तीन पदोन्नतियाँ प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी दशा में आगे वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय नहीं है। उक्त व्यवस्था के दृष्टिगत पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400 से प्रारम्भ होने वाली सेवाओं के ऐसे पदधारक जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 15 प्रतिशत पदों के सापेक्ष सेलेक्शन ग्रेड के रूप में ग्रेड वेतन रु० 8700 वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हो चुका है, उन्हें सेवा में प्रवेश के पद से तीन वित्तीय स्तरोन्नयन के समतुल्य लाभ अनुमन्य हो जाने के कारण ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत आगे कोई लाभ देय नहीं होगा।

**3.** किसी संवर्ग में वरिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति के फलस्वरूप अनुमन्य ग्रेड वेतन कनिष्ठ कर्मचारी को ए०सी०पी० की व्यवस्था में प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन से निम्न होने की स्थिति का निराकरण किये जाने हेतु सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को निम्नानुसार लाभ अनुमन्य कराया जायेगाः—

"संवर्ग में किसी कर्मचारी को पदोन्नति पर प्राप्त होने वाला वित्तीय स्तरोन्नयन ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत किसी कनिष्ठ कर्मचारी को प्राप्त हो रहे वित्तीय स्तरोन्नयन से निम्न होने की स्थिति में, वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ के समान वित्तीय स्तरोन्नयन, कनिष्ठ को देय तिथि से अनुमन्य कराया जायेगा। उपर्युक्त लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा, जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्तें समान हों तथा यह भी कि वरिष्ठ कार्मिक की यदि पदोन्नति न हुई होती तो वह निम्न पद पर कनिष्ठ कार्मिक को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन के लिये अर्ह होता।"

**4.** उपर्युक्त के सम्बन्ध में आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त शासनादेश दिनाँक 23 दिसम्बर, 2010 के प्रस्तर–1(6) एवं स्पष्टीकरण शासनादेश दिनाँक 30 दिसम्बर, 2013 की तालिका के बिन्दु–2 की व्यवस्था को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित मानते हुए सम्बन्धित कार्मिकों को समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता में कोई त्रुटि हुई हो, तो उसे निराकरण की कार्यवाही तद्नुसार सुनिश्चित की जाय।

भवदीय

**अजय अग्रवाल,** सचिव।

❑❑❑

## एल०टी० वेतनक्रम से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति होने पर एक वेतनवृद्धि का लाभ

प्रेषक,

वित्त नियंत्रक,
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०।
इलाहाबाद।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : आडिट (1)/ /2013–14

दिनांक 03 जनवरी, 2014

**विषय :** एल०टी० वेतनक्रम से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति होने पर एक वेतनवृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी माननीय सदस्य विधान परिषद ने अपने पत्र दिनांक 30–12–2013 के द्वारा अवगत कराया है कि राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षकों को सादृश्य ग्रेड–पे में पदोन्नति होने के उपरान्त शासनादेश दिनांक 18–11–2011 के अनुपालन में एक वेतनवृद्धि का लाभ जनपदीय अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया जा रहा हैं

उपरोक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि शासन ने अपने आदेश संख्या–1390/15–8–11–

3014/10 दिनांक 18 नवम्बर, 2011 द्वारा राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को शासनादेश दिनांक 12 जनवरी, 2010 के आधार पर उसी ग्रेड पे में पदोन्नति होने पर एक वेतनवृद्धि दिये जाने का आदेश दिया है। राजाज्ञा सं० वे०आ०–2–1946/दस–62(एम)/2009 टी०सी० दिनांक 12 जनवरी, 2010 के प्रस्तर–2 में स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे पदधारक जो समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय पदोन्नतीय वेतनमान के रूप में वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त कर रहे थे और उनकी वास्तविक पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसी वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन के पद पर होती है तो सम्बन्धित पदधारक की पदोन्नति की तिथि को एक वेतनवृद्धि का लाभ देते हुए उसका वेतन पुनर्निधारित किया जायेगा तथा आगामी वेतनवृद्धि उसे पूर्व की भांति देय रहेगी।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में दी गई व्यवस्थानुसार राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षकों का वेतन निर्धारित करने का कष्ट करें

भवदीय
**(आर०बी०सिंह)**
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, इलाहाबाद।

**सन्दर्भित शासनादेश**

संख्या–वे०आ०–2–1946/दस–62(एम)/2009 टी०सी०

प्रेषक,
मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 12 जनवरी, 2010

**विषय :** पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वेतन समिति–2008 की संस्तुतियों पर राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान की पूर्व से लागू व्यवस्था को दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक बनाये रखने तथा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से नई समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1632/ दस–62(एम)/2008 दिनांक 05 नवम्बर, 2009 द्वारा लिया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 में नई समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने पर सम्बन्धित पदधारक के वेतन निर्धारण एवं वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन के पद पर वास्तविक पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण न किये जाने की व्यवस्था वर्णित है, परन्तु ऐसे कार्मिक जिन्हें पूर्व से लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान अनुमन्य हुआ है और पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनकी वास्तविक पदोन्नति अनुमन्य वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन के पद पर होती है, तो उसका वेतन किस प्रकार निर्धारित होगा, के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण की व्यवस्था को स्पष्ट किये जाने हेतु प्रकरण संदर्भित किये गये हैं।

**2**– उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "ऐसे पदधारक जो समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय पदोन्नतीय वेतनमान के रूप में वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त कर रहे थे और उनकी वास्तविक पदोन्नति पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसी वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन के पद पर होती है तो सम्बन्धित पदधारक की पदोन्नति की तिथि को एक वेतनवृद्धि का

लाभ देते हुए उसका वेतन पुनर्निर्धारित किया जायेगा तथा आगामी वेतनवृद्धि उसे पूर्व की भाँति देय रहेगी।"

भवदीय

**मनजीत सिंह** प्रमुख सचिव।

**सन्दर्भित शासनादेश**

संख्या–1390/15–8–11–3014/10

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र०, लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०। इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग लखनऊ : दिनाँक 18 नवम्बर, 2011

**विषय**–राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को शासनादेश दिनाँक 12.01.2010 के आधार पर उसी ग्रेड पे में पदोन्नति होने पर एक वेतनवृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–आडिट(1)/1046/2011–12 दिनाँक 28.06.2011 एवं पत्रांक–आडिट (1)/1047/2011–12, दिनाँक 28.6.2011 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

**2.** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में वित्त (वेतन आयोग) का मार्गदर्शन प्राप्त किया गया जिसके अनुसार चूँकि शिक्षकों के लिए पूर्ण व्यवस्था को ही पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी रखा गया है अतः उसी व्यवस्था के अनुसार वेतन निर्धारित किया जायेगा। यदि इसको लागू किये जाने में कोई कठिनाई हो तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित शासनादेश की प्रति सहित प्रकरण पूर्ण विवरण के साथ शासन को संदर्भित कर वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त शिक्षकों की पदोन्नति उसी ग्रेड वेतन में होने पर वेतन निर्धारण में होने वाली विसंगति के सम्बन्ध में परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

भवदीय

**(जितेन्द्र कुमार)**

सचिव

□□□

## सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था में संशोधन/स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में

संख्याः 700/9–1–2014–21सा/09

प्रेषक,

श्री प्रकाश सिंह,
संचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाँक 07 फरवरी, 2014

**विषयः** वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था में संशोधन/स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) व्यवस्था अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2244/नौ–1–10–21सा/2009, दिनाँक 26 जुलाई, 2010 निर्गत किया गया है। इस सम्बन्ध में (वित्त वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–2104/दस–62(एम)/2008 टी०सी०, दिनाँक 22.12.2011 द्वारा

सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था का संशोधन/स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है।

**2.** उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये उपरोक्तानुसार लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः—

(1) नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत 10, 18 तथा 26 वर्ष की सेवा पर वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने की लागू व्यवस्था के स्थान पर क्रमशः 10, 16 तथा 26 वर्ष की सेवा पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ अनुमन्य कराये जायेंगे।

**3.** उक्त निर्णय के फलस्वरूप उपर्युक्त शासनादेश दिनाँक 26 जुलाई, 2010 के प्रस्तर–2(2) (1) निम्नानुसार संशोधित माने जायेंगेः—

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 06 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय स्तरोन्नयन एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा पश्चात् प्राप्त होती है तो प्रोन्नति की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर प्रोन्नति के पद के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

(ख) ऐसे कार्मिक, जिन्हें 14 वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य हो चुका है, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने के तिथि से 02 वर्ष की सेवा अथवा दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम प्रोन्नतीय पद/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ग) ए०सी०पी० की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड रु० 1900 के उपरान्त उपलब्ध ग्रेड वेतन रु० 2000 को इग्नोर किया जायेगा, फलस्वरूप प्रथम/द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन रु० 1900 का अगला ग्रेड वेतन रु० 2400 माना जायेगा।

**4.** शासनादेश संख्या–2244/नौ–1–10–21सा/2009, दिनाँक 26 जुलाई, 2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त शासनादेश की शेष व्यवस्थायें यथावत प्रभावी रहेंगी।

**5.** यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे०आ०–2–90/दस–2013, दिनाँक 30 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहे हैं।

भवदीय,<br>
**श्री प्रकाश सिंह,**<br>
सचिव।

□□□

## सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था का संशोधन

संख्या : वे०आ०–2–130/दस–62(एम)/2008

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,<br>
सचिव, वित्त,<br>
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनाँक 21 फरवरी, 2014

**विषयः** वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राज्य कर्मचारियों के लिए लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ए०सी०पी० की व्यवस्था से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–वे०आ०–2104/दस–62(एम)/2008, टी०सी०, दिनाँक 22 दिसम्बर, 2011 सपठित संख्या–वे०आ०–2–561/दस–62(एम)/2008, दिनाँक 04 मई, 2010 के प्रस्तर–1(2) i (ख) के परन्तुक के नीचे निम्नानुसार परन्तुक–2 का समावेश किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

"परन्तुक–2

परन्तु यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के उपरान्त समान ग्रेड वेतन में प्रोन्नति प्राप्त होती है तो उस प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगला ग्रेड वेतन वेतन अनुमन्य होगा।"

**2.** उपर्युक्त शासनादेश दिनाँक 22 दिसम्बर, 2011 तथा 04 मई, 2010 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय

**अजय अग्रवाल,** सचिव।

❑❑❑

## ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत नॉन फंक्शनल वेतनमान को इग्नोर किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

संख्याः वे०आ०–2–326(1)/दस–62(एम)/2008 टी०सी०

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनाँक : 6 जून, 2014

**विषय :** ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत नॉन फंक्शनल वेतनमान को इग्नोर किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से समकक्षता के आधार पर प्रदेश के अग्रलिखित पदों यथा–उ०प्र० सचिवालय एवं समकक्षता प्राप्त विभागों के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव श्रेणी–1, राजकीय विभागों के सांख्यिकीय संवर्ग के अन्वेषक ग्रेड–3 एवं अन्वेषक ग्रेड–1 तथा फार्मासिस्ट के पदों पर निर्धारित सेवा अवधि की पूर्णता पर नॉन फंक्शनल वेतनमान अनुमन्य कराये जाने की विशिष्ट व्यवस्था लागू की गयी थी। उ०प्र० सचिवालय/समकक्षता प्राप्त विभागों के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव श्रेणी–1 तथा सांख्यिकीय संवर्ग के अन्वेषक ग्रेड–3 एवं अन्वेषक ग्रेड–1 के पदों के लिये प्रावधानित नॉन फंक्शनल वेतनमान पुनरीक्षित वेतन संरचना में अब समाप्त हो गये हैं। इस प्रकार प्रदेश में अब केवल फॉर्मासिस्ट पदों पर नॉन फंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था ही प्रभावी रह गयी है।

**2.** ए०सी०पी० की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–561/दस–62(एम)/2008, दिनाँक **4 मई,** 2010 द्वारा निर्धारित समयावधि पर तीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में (शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1318/दस–59(एम)/2008 दिनाँक 8 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक–2(अ) की

तालिका के ग्रेड वेतन की श्रृंखला के अनुसार) पदधारक को प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर -(...) (ii) में यह प्रावधान है कि किसी पद पर नॉन फंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन मिलने पर ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभों की अनुमन्यता हेतु इसे वित्तीय स्तरोन्नयन माना जायेगा। बाद में शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–2104/दस–62(एम)/2008 टी०सी०, दिनाँक 22 दिसम्बर, 2011 के प्रस्तर–2(3) द्वारा ए०सी०पी० की अनुमन्यता हेतु नॉन फंक्शनल वेतनमान के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन को इग्नोर किये जाने का निर्णय लिया गया।

**3.** शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय विभागों द्वारा ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में सेवा संवर्ग के ढाँचे में जो ग्रेड वेतन उपलब्ध नहीं था, उसे नॉन फंक्शनल ग्रेड वेतन मानकर तथा उसे इग्नोर कर उससे अलगा अर्थात् पदोन्नति पद का ग्रेड वेतन सम्बन्धित कार्मिक को अनुमन्य करा दिया गया है अथवा कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु नॉन फंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन को स्पष्ट किये जाने की माँग भी की जा रही है।

**4.** उक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में प्रदेश में फार्मासिस्ट संवर्ग को छोड़कर अन्य किसी संवर्ग/सेवा में नॉन फंक्शनल वेतनमान अनुमन्य नहीं है। अतः फार्मासिस्ट पद को छोड़कर (जिस पर देय नॉन फंक्शनल वेतनमान इग्नोर किया जायेगा) राज्य में अन्य संवर्ग/सेवाओं के अर्ह पदधारकों को ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत किसी ग्रेड वेतन (ग्रेड वेतन रु० 2000 को छोड़कर) को इग्नोर नहीं किया जायेगा और ए०सी०पी० की व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या वे०आ०–2–1318/ दस–59(एम)/2008, दिनाँक 8 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक–2(अ) की तालिका में इंगित ग्रेड वेतन की श्रृंखला के अनुसार ही पदधारक को प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन ही वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में देय होगा।

**5.** शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–2104/दस–62(एम)/2008 टी०सी०, दिनाँक 22 दिसम्बर, 2011 के प्रस्तर–2(3) की व्यवस्थानुसार ए०सी०पी० की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन रु० 2000 को इग्नोर किये जाने की सामान्य व्यवस्था पूर्ववत् लागू रहेगी।

भवदीय,
**अजय अग्रवाल,** सचिव।

❑❑❑

## स्थानीय निकाय के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये ए०सी०पी० की व्यवस्था में संशोधन/स्पष्टीकरण

संख्या : 9–1–2014/2804–21सा/09

प्रेषक,
श्री प्रकाश सिंह,
सचिव, उ०प्र० शासन।

सेवा में,
निदेशक,
स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 11 जुलाई, 2014

**विषय :** वेतन समिति–2008 की संस्तृतियों पर लिये गये निर्णयानुसार नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था में संशोधन/स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में

महोदय,

वेतन समिति, 2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार नगरीय **स्थानीय निकायों/जल** संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर **प्रोन्नयन (ए०सी०सी०)** व्यवस्था अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 **के शासनादेश**

संख्या–वे०आ०–2–561/दस–62(एम)/2008 टी०सी० दिनांक 4.05.2010 के क्रम में शासनादेश संख्या–2244/नौ–1–10–21सा/2009, दिनांक 26 जुलाई, 2010 निर्गत किया गया है जिसमें वित्त विभाग के शासनादेश 4.05.2010 की कतिपय व्यवस्थाओं का समावेश नहीं हो पाया है।

**2.** अतः मुझे कहने का निदेश हुआ है शासनादेश संख्या–2244/नौ–1–10–21सा/2009, दिनांक 26 जुलाई, 2010 को निरनत करते हुए वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–वे०आ०– 2–561/दस–62(एम)/2008 टी०सी० दिनांक 4.05.2010 की समस्त व्यवस्थाओं को नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**3.** यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे०आ०–2–783/दस–2014, दिनांक 9 जुलाई, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहे हैं।

भवदीय

**श्री प्रकाश सिंह**, सचिव।

□□□

## उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक संवर्ग के कार्मिकों को ए०सी०पी० का लाभ

संख्या–1/3/2011–का–4–2014

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–4

लखनऊ : दिनाँक 4 अगस्त, 2014

**विषय** : उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ सहायक संवर्ग के कार्मिकों को ए०सी०पी० का लाभ अनुमन्य कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश संख्या–15/10/94(2)–का–4–2013, दिनाँक 13–02–2013 के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से की गयी जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में निम्न स्थिति/स्पष्टीकरण से आपको अवगत कराने का मुझे निर्देश हुआ है–

(1) शासनादेश संख्या–15/10/94(2)–का–4–2013, दिनाँक 13.2.2013 के माध्यम से की गयी व्यवस्था में उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ सहायक को 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रुपये–2400.00 अनुमन्य होगा।

(2) उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ सहायक को प्रथम पदोन्नति के रूप में 15 वर्ष की सेवा पर पद सहित उर्दू अनुवादक–सह–वरिष्ठ सहायक पदनाम, वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रुपये–2800.00 अनुमन्य होगा। यह उसके लिए प्रथम पदोन्नति की भांति होगा और उक्त पद पर उसका वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–561/दस–62(एम)/2008, दिनाँक 04.05.2010 के प्रस्तर–4 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(3) उर्दू अनुवादक–सह–वरिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त कार्मिक, एक पदोन्नति प्राप्त कार्मिक की भांति होगा और उसे उर्दू अनुवादक–सह–वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की तिथि से 6 वर्ष की सेवा पर द्वितीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा।

**2.** उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–वे०आ०–2–796/दस–2014, दिनाँक 18 जुलाई, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(राजीव कुमार), प्रमुख सचिव।



□□□

## राज्य कर्मचारियों हेतु ए०सी०पी० नई व्यवस्था : उदाहरण सहित

संख्या–वे०आ०–2–773/दस–62(एम)/2008

प्रेषक,
राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनाँक 5 नवम्बर, 2014

**विषय :** वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह आया है कि सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के अन्तर्गत समय–समय पर निर्गत किये गये कई शासनादेशों/स्पष्टीकरणों के बावजूद ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत करने में कठिनाई बतायी जा रही है जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिकों को उक्त लाभ अनुमन्य होने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। अतः उक्त कठिनाइयों के निराकरण करने के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के अन्तर्गत समय–समय पर जारी शासनादेशों/स्पष्टीकरणों (शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–561/दस–62(एम)/2008, दिनाँक 4 मई, 2010, स्पष्टीकरण संख्या–वे०आ०–2–3012/दस– 62(एम)/2008, दिनाँक 29 सितम्बर, 2010, स्पष्टीकरण संख्या–वे०आ०—2–798/दस–62(एम)/2008 दिनांक 30 मई, 2011 शासनादेश संख्या वे०आ०–2–253/दस–62(एम)/2008 टी०सी० दिनांक 17 फरवरी, 2011, शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–2104/दस–62(एम)/2008, दिनाँक 22 दिसम्बर, 2011, स्पष्टीकरण संख्या–वे०आ०–2–2118/दस–62(एम)/2008, दिनाँक 22 दिसम्बर, 2011, शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–130/दस–62(एम)/2008, दिनाँक 21 फरवरी, 2014, शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–323/दस–62(एम)/2008 टी०सी०, दिनाँक 11 जून, 2014 तथा शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–377/दस–62(एम)/2008 टी०सी०, दिनाँक 5 अगस्त, 2014) को एतद्द्वारा अवक्रमित कर उनमें दी गयी व्यवस्थाओं को समेकित कर अनुभव की जा रही विसंगतियों का निराकरण करने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था दिनाँक 1 दिसम्बर, 2008 से लागू होगी।

(2) वेतनमान रु० 8000–13500 से निम्न वेतनमान के पदों पर लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनाँक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू रहेगी। इसी प्रकार वेतनमान रु० 8000–13500 अथवा उच्च वेतनमान के पदों पर दिनाँक 31 दिसम्बर, 2005 तक लागू व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनाँक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू रहेगी। शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1314/दस–59(एम)/2008, दिनाँक 8 दिसम्बर, 2008 का प्रस्तर–4 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

### ए०सी०पी० की व्यवस्था

(3) पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) लागू किये जाने के दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 को यदि कोई पदधारक सीधी भर्ती/एक अथवा एक से अधिक पदोन्नति प्राप्त कर पद के साधारण वेतनमान में है और उसे उस पद पर समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ हैं तो उसे सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान में अनुमन्य हो रहे ग्रेड वेतन से अगले ग्रेड वेतन के रूप में कुल तीन वित्तीय स्तरोन्नयन क्रमशः 10 वर्ष, 16 वर्ष एवं 26 वर्ष की सेवा पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जायेंगे।

(क) उपर्युक्त श्रेणी के कार्मिकों को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन उक्त पद पर 10 वर्ष की नियमित एवं निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर देय होगा।

(ख) उपर्युक्त श्रेणी के कार्मिकों को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 6 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा परन्तु जिन्हें प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन 10 वर्ष से अधिक की सेवा पर दिनाँक 1 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य हुआ है, उन्हें द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन उक्त पद पर कुल 16 वर्ष की सेवा पर देय होगा। भले ही दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 के बाद सम्बन्धित कार्मिक की सेवाएं 6 वर्ष पूर्ण न हुयी हों अथवा समान ग्रेड वेतन में पदोन्नत हो चुका हो।

परन्तु यदि उक्त पदधारक की प्रोन्नति प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के पूर्व दिनाँक 1 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् होती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन प्रोन्नति की तिथि से 6 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय होगी, किन्तु यदि उसकी प्रोन्नति प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के पश्चात होती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के दिनाँक से 6 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पर देय होगा।

**उदाहरण–1** किसी कार्मिक की सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति 2 जनवरी, 1995 को हुयी। समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत उसे पदोन्नति/अगला वेतनमान अनुमन्य नहीं हुआ। ए०सी०पी० की व्यवस्था में उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन 10 वर्ष से अधिक की संतोषजनक सेवा पर दिनाँक 1 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य हुआ। उसकी 16 वर्ष की कुल सेवा दिनाँक 2 जनवरी, 2011 को पूर्ण हो रही हैं। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार उसे 2 जनवरी, 2011 से अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की स्थिति में द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा, यद्यपि दिनाँक 2 जनवरी, 2011 को उसकी सेवाएं प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के दिनाँक 1 दिसम्बर, 2008 से 6 वर्ष पूर्ण नहीं हो रही है।

**उदाहरण–2** किसी कार्मिक की सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति 5 मार्च, 2000 का हुयी। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पूर्व एवं दिनाँक 1 दिसम्बर, 2008 के उपरान्त उसकी प्रथम पदोन्नति दिनाँक 5 फरवरी, 2009 को हो जाती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन दिनाँक 5 फरवरी, 2009 से 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के दिनाँक 5 फरवरी, 2015 से देय होगा।

**उदाहरण–3**—किसी कार्मिक की सीधी भर्ती में नियमित नियुक्ति 5 मार्च, 2000 को हुयी। 10 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के दिनाँक 5 मार्च, 2010 से प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किया गया। इसके उपरान्त उसकी प्रथम पदोन्नति दिनाँक 2 जून, 2012 को हो जाती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन दिनाँक 5 मार्च, 2010 से 6 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के दिनाँक 5 मार्च, 2016 से देय होगा।

(ग) उपर्युक्त श्रेणी के कार्मिकों को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन, द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा अथवा उक्त पद के सन्दर्भ में कुल 26 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

सम्बन्धित पदधारक को यदि प्रथम और द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन एक ही दिनाँक को देय होता है, तो यह मानते हुए कि उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन काल्पनिक रूप से प्राप्त हो चुका है, सीधे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्यता के दिनाँक को देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन एक ही दिनांक को देय होने पर यह मानते हुए कि उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन काल्पनिक रूप से प्राप्त हो चुका है, सीधे तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्यता के दिनाँक को देय होगा। काल्पनिक अनुमन्यता में वेतन निर्धारण का लाभ देय न होगा।

**उदाहरण–1** कोई कार्मिक किसी राजकीय विभाग से ग्रेड वेतन रु० 4200/–(अथवा समकक्ष वेतनमान) के किसी पद से दूसरे राजकीय विभाग में ग्रेड वेतन रु० 4200/–(अथवा समकक्ष वेतनमान) के किसी पद पर नियुक्त हुआ। समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में दो विभागों की सेवाएं न जुड़ने से उसे समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ए०सी०पी० की व्यवस्था में दिनाँक 1 दिसम्बर, 2008 को उसकी सेवाएं 16 वर्ष से अधिक हो रही हैं। ए०सी०पी० की व्यवस्था में समान वेतनमान की दो विभागों की सेवाएं जोड़े जाने की व्यवस्था के दृष्टिगत उसे दिनाँक 1 दिसम्बर, 2008 को प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता बन रही है। ऐसी स्थिति में उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन काल्पनिक रूप से मिला हुआ मानते हुए दिनाँक 1 दिसम्बर, 2008 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किया जायेगा।

**उदाहरण–2** किसी अधिकारी की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति वेतनमान रु० 2200–4000 में दिनाँक 2 फरवरी, 1982 को हुयी। वेतनमान रु० 2200–4000 (दिनाँक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित रु० 8000–13500) में उसे 8 वर्ष की संजोषजनक सेवा पर वेतनमान रु० 10000–15200 दिनाँक 2 फरवरी, 1990 से प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त उसे कोई लाभ समयमान वेतनमान में नहीं मिला। ए०सी०पी० की देयता हेतु दिनाँक 1 दिसम्बर, 2008 को उसकी सेवाएँ 26 वर्ष से अधिक की हो रही हैं। ए०सी०पी० की व्यवस्था में उसे दिनाँक 1 दिसम्बर, 2008 को ही द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता की स्थिति बन रही है। इस दशा में उसे दिनाँक 1 दिसम्बर, 2008 से सीधे तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत कर दिया जायेगा।

**शर्तें एवं प्रतिबन्ध**

(4) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले सभी वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा। अर्थात अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना में उतनी अवधि बढ़ा दी जायेगी जितनी अवधि पूर्व वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने की गणना में नहीं ली गयी हैं।

(5) कतिपय संवर्गो/पदों पर निर्धारित सेवावधि पर अनुमन्य किये गये नान फंक्शनल वैयक्तिक वेतनमान को इग्नोर करते हुए ए०सी०पी० का लाभ देय होगा। राज्य में उत्तर प्रदेश सचिवालय एवं समकक्षता प्राप्त विभागों के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव ग्रेड–1 एवं फार्मासिस्ट पदों पर नान फक्शनल वेतनमान अनुमन्य कराये गये थे। कालान्तर में उत्तर प्रदेश सचिवालय एवं समकक्षता प्राप्त विभागों के अनुभाग अधिकारी तथा निजी सचिव ग्रेड–1 के पदों का नान फंक्शनल वेतनमान दिनाँक 22 दिसम्बर, 2011 से समाप्त हो गया। अब प्रदेश में केवल फार्मासिस्ट के पद पर नान फंक्शनल वेतनमान देय हैं। अतः अन्य किसी सेवा संवर्ग/पद पर नान फंक्शनल वेतनमान देय न होने के कारण उसे इग्नोर किये जाने की स्थिति नहीं बनेगी। फार्मासिस्ट ग्रेड वेतन रु० 2800/–के पद पर दो वर्ष की सेवा पर ग्रेड वेतन रु० 4200/–नान फंक्शनल वेतनमान के रूप में देय है। फार्मासिस्ट के पद पर 10 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में (ग्रेड वेतन रु० 4200/–जो उसे नान फंक्शनल वेतनमान के रूप में प्राप्त हुआ है, को इग्नोर करते हुए ग्रेड वेतन रु० 4600/–देय होगा।

(6) किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त यदि उस पद (जिसके सन्दर्भ में उसे उक्त वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य हुआ हैं) का वेतन बैण्ड–ग्रेड वेतन उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त कार्मिक का वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन भी तदनुसार उच्चीकृत हो जायेगा।

परन्तु किसी पद का ग्रेड वेतन निम्नीकृत (Down Grade) होने के फलस्वरूप यदि सम्बन्धित पद पर पूर्व से कार्यरत कार्मिकों को पद का पूर्व उच्च ग्रेड वेतन वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया गया हो तो उन्हें ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उक्तानुसार वैयक्तिक रूप से अनुमन्य ग्रेड वेतन का अगला ग्रेड वेतन वैयक्तिक रूप से देय होगा।

ऐसे पद पर पूर्व से कार्यरत कार्मिक को यदि कोई वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य हो चुका है तो उसे प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन को निम्नीकृत नहीं किया जायेगा।

इसके उपरान्त अगला वित्तीय स्तरोन्नयन देय होने पर उसे प्राप्त हो रहे वैयक्तिक ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

**उदाहरण–1** दिनाँक 1 जनवरी, 2006 से सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद का ग्रेड वेतन रु० 4600/–था। ए०सी०पी० की व्यवस्था में 10 वर्ष की सेवा पर समीक्षा अधिकारी के पद पर

प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रु० 4800/–देय था। दिनाँक 22 दिसम्बर, 2011 से समीक्षा अधिकारी के पद का ग्रेड वेतन उच्चीकृत होकर रु० 4800/–हो गया। समीक्षा अधिकारी पद के ऐसे पदधारक जिन्हें दिनाँक 22 दिसम्बर, 2011 के पूर्व प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रु० 4800/–अनुमन्य हो चुका था उन्हें दिनाँक 22 दिसम्बर, 2011 से ग्रेड वेतन रु० 5400/–में उच्चीकृत कर दिया जायेगा। इस उच्चीकरण के फलस्वरूप वेतन निर्धारण में केवल उच्चीकृत ग्रेड वेतन का लाभ देय होगा, वेतनवृद्धि देय नहीं होगी, क्योंकि वेतनवृद्धि का लाभ प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रु० 4800/–अनुमन्य होने पर दिया जा चुका है।

**उदाहरण–2**ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त समूह "घ" (अनुसेवक) के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड रु० 4440–7440 एवं ग्रेड वेतन रु० 1300/–के स्थान पर दिनाँक 8 सितम्बर, 2010 से संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 1800/–अनुमन्य किया गया। इस उच्चीकरण के फलस्वरूप समूह "घ" के तीन कर्मचारियों क्रमशः ए, बी तथा सी को मिल रहे वेतनमान/समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन के क्रम में संशोधित वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता निम्नानुसार होगी–

| | | |
|---|---|---|
| 1– | समूह "घ" (अनुसेवक) के पद पर दिनाँक 1 जनवरी, 2006 को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 4440–7440 एवं रु० 1300/– |
| 2– | दिनाँक 1 दिसम्बर, 2008 को अनुसेवक "ए" को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 4440–7440 एवं रु० 1300/– |
| 3– | समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत दिनाँक 1 दिसम्बर, 2008 पूर्व<br>(i) अनुसेवक "बी" को प्रथम वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन।<br>(ii) अनुसेवक "सी" को द्वितीय वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन। | <br>रु० 4440–7440 एवं रु० 1650/–<br>रु० 5200–20200 एवं रु० 1900/– |
| 4– | ए०सी०पी० के अन्तर्गत दिनाँक 1 दिसम्बर, 2008 से<br>(i) अनुसेवक "ए" को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन।<br>(ii) अनुसेवक "बी" को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन।<br>(iii) अनुसेवक "सी" को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन। | <br>रु० 4440–7440 एवं रु० 1400/–<br>रु० 5200–20200 एवं रु० 1800/–<br>रु० 5200–20200 एवं रु० 2400/– |
| 5– | दिनाँक 8 सितम्बर, 2010 को समूह "घ" अनुसेवक के पद पर अनुमन्य संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | रु० 5200–20200 एवं रु० 1800/– |
| 6– | समूह "घ" अनुसेवक के पद पर वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन संशोधित/उच्चीकृत होने के फलस्वरूप दिनाँक 1 दिसम्बर, 2008 से काल्पनिक तथा दिनाँक 8 सितम्बर, 2010 से वास्तविक रूप से निम्नानुसार देय होगा– | |
| | (i) अनुसेवक "ए" को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन।<br>(ii) अनुसेवक "बी" को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन। | रु० 5200–20200 एवं रु० 1900/–<br>रु० 5200–20200 एवं रु० 2400/– |

| | |
|---|---|
| (iii) अनुसेवक "सी" को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन। **नोट**—उच्चीकृत के मामलों में वेतन निर्धारण में उच्चीकृत ग्रेड वेतन ही देय होगा, वेतनवृद्धि नहीं। | रु० 5200–20200 एवं रु० 2800/– |

**उदाहरण—3** कोई पद वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4600/–का था। इस पद के पदधारकों में से किसी एक पदधारक को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयनों के रूप में ग्रेड वेतन रु० 4800/–स्वीकृत हुआ था तथा अन्य कोई एक पदधारक पद के साधारण वेतनमान में था। इसके उपरान्त पद का ग्रेड वेतन रु० 4600/– से निम्नीकृत कर रु० 4200/–इस प्रतिबन्ध के साथ किया गया कि इस पद के वर्तमान पदधारकों को ग्रेड वेतन रु० 4600/–वैयक्तिक रूप से देय रहेगा।

ऐसे मामले में ए०सी०पी० की व्यवस्था के लाभ निम्नानुसार देय होंगे—

(क) पद का ग्रेड वेतन निम्नीकृत होने के उपरान्त नियुक्त होने वाले कार्मिक को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में पद के ग्रेड वेतन रु० 4200/–से अगला ग्रेड वेतन रु० 4600/–देय होगा।

(ख) ऐसे पदधारक जो पद के ग्रेड–वेतन रु० 4600/–में था उसे ग्रेड वेतन रु० 4600/–वैयक्तिक रूप से मिलता रहेगा और ए०सी०पी० में निर्धारित सेवावधि पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रु० 4800/–देय होगा।

(ग) ऐसे पदधारक जिसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड–वेतन रु० 4800/– प्राप्त हो चुका था, उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रु० 5400/– प्राप्त होगा।

(7) ए०सी०पी० की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त पदधारक की सीधी भर्ती के पद से प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा।

(8) पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में समान ग्रेड वाले पद पर पदोन्नति होने पर उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन माना जायेगा।

**उदाहरण**—तहसीलदार के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड–3, रु० 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400/–में कार्यरत पदधारक की पदोन्नति उप जिलाधिकारी वेतन बैण्ड–3, रु० 15600/–39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400/–के पद पर होने की स्थिति में उसे वित्तीय स्तरोन्नयन माना जायेगा।

परन्तु उक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन ए०सी०पी० की व्यवस्था से लाभान्वित समान पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त किसी कनिष्ठ कर्मचारी से कम होने की दशा में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के समान वेतन तभी अनुमन्य होगा जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्तें समान हों।

**उदाहरण**—वरिष्ठ कार्मिक तहसीलदार के पद पर कार्यरत है और उसकी पदोन्नति उप जिलाधिकारी के समान वेतनमान के पद पर हो जाती है, किन्तु कनिष्ठ कार्मिक के बराबर कर दिया जायेगा। उपर्युक्तानुसार वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ कार्मिक तहसीलदार के पद पर ही कार्यरत है, और उसे निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन बैण्ड–3, रु० 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 6600/–अनुमन्य हो जाता है और उसका वेतन वरिष्ठ की तुलना में अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ के बराबर उस दिनाँक से कर दिया जायेगा जिस दिनाँक से उसका वेतन कनिष्ठ से कम हुआ है।

(9) किसी कार्मिक द्वारा प्रदेश के अन्य राजकीय विभागों में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में लिया जायेगा, परन्तु ऐसे मामलों में ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय किसी लाभ हेतु नये विभाग के पद पर परिवीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा एवं सम्बन्धित लाभ देय तिथि से ही अनुमन्य कराया जायेगा।

(10) केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम में की गयी पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।

(11) ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु नियमित संतोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/वाहय सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा। ए०सी०पी० की अनुमन्यता हेतु रोजगार अवकाश की अवधि को सेवाकाल की गणना में नहीं लिया जायेगा।

(12) यदि किसी संवर्ग/पद के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था शासनादेशों अथवा सेवा–नियमावली के माध्यम से लागू हो तो उस व्यवस्था को भविष्य में बनाये रखने अथवा उसके स्थान पर ए०सी०पी० की उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में संवर्ग नियंत्रक प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाये। किसी भी संवर्ग/पद हेतु समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था तथा ए०सी०पी० की व्यवस्था एक साथ लागू नहीं होगी।

(13) वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप अनुमन्य मूल वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन तथा ग्रेड वेतन का योग) के आधार पर सेवा–नैवृत्तिक तथा अन्य लाभ सम्बन्धित कार्मिक को अनुमन्य होंगे।

(14) यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तृरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता अन्तिम रूप से निर्णय होने तक स्थगित रहेगी। अन्तिम निर्णय के उपरान्त निर्दोष पाये जाने की दशा में अनुमन्यता के दिनाँक से वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय होगा परन्तु दोषी पाये जाने की दशा में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कार्मिक को दिये गये दण्ड पर विचारोपरान्त देयता के सम्बन्ध में संस्तुति की जायेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(15) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतयः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, जो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की माँग नहीं करेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।

(16) यदि कोई सरकारी सेवक किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस सरकारी सेवक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने के पश्चात सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित सरकारी सेवक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन वापस नहीं लिया जायेगा तथापि ऐसे सरकारी सेवक को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन को देयता हेतु समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(17) ऐसे सरकारी सेवक जो उच्च पदों पर कार्यरत है और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न हैं, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा परन्तु सम्बन्धित सरकारी सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता की तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है, तो सम्बन्धित ग्त्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से उक्त उच्च पद पर ही अनुमन्य होगा।

(18) प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत सरकारी सेवकों को ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए०सी०पी० के अन्तर्गत देय वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन, जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

(19) किसी संवर्ग में वरिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति के फलस्वरूप अनुमन्य ग्रेड वेतन कनिष्ठ कर्मचारी को ए०सी०पी० की व्यवस्था में अनुमन्य ग्रेड वेतन से निम्न होने की स्थिति से उत्पन्न विसंगति का निराकरण किये जाने हेतु सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को निम्नानुसार लाभ अनुमन्य कराया जायेगा।

"संवर्ग में किसी कर्मचारी को पदोन्नति पर प्राप्त ग्रेड वेतन अथवा इसके उपरान्त ए०सी०पी० की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन में प्राप्त ग्रेड वेतन किसी कनिष्ठ कार्मिक को प्राप्त हो रहे वित्तीय स्तरोन्नयन में अनुमन्य ग्रेड वेतन से निम्न होने की स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ के समान वित्तीय स्तरोन्नयन कनिष्ठ को देये तिथि से अनुमन्य कराया जायेगा। उपर्युक्त लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा, जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्तें समान हो तथा यह भी कि वरिष्ठ कार्मिक की यदि पदोन्नति न हुयी होती तो वह निम्न पद पर कनिष्ठ कार्मिक को ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से समान वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए अर्ह होता। उपर्युक्तानुसार कनिष्ठ के दिनाँक से वरिष्ठ को वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य किये जाने की स्थिति में यदि उसका वेतन कनिष्ठ से कम होता है तो उसे कनिष्ठ के बराबर किया जायेगा किन्तु यदि उसका वेतन कनिष्ठ से अधिक होता है तो उसे कम नहीं किया जायेगा।"

**उदाहरण**—वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान में प्रथम पदोन्नति वेतनमान दिसम्बर, 2004 में प्राप्त हुआ और उसकी पदोन्नति दिसम्बर, 2005 में समयमान वेतनमान के रूप में प्राप्त कर रहे वेतनमान में ही हो जाती है और वह दिनाँक 1 दिसम्बर, 2008 को धारित पद के साधारण वेतनमान में आ जाता है। फलस्वरूप उसे उस पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन सीधी भर्ती की भाँति अगले 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा अर्थात दिसम्बर, 2015 में अनुमन्य होगा। कनिष्ठ कर्मचारी जिसे 14 वर्ष की सेवा पर समयमान वेतनमान दिसम्बर, 2005 में प्राप्त हुआ और उसकी पदोन्नति नहीं हुयी। ऐसी कनिष्ठ कर्मचारी को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनाँक 1 दिसम्बर, 2008 को ही उसे वर्तमान में मिल रहे ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन प्राप्त हो जायेगा। वरिष्ठ कर्मचारी की यदि पदोन्नति न हुयी होती तो उसे भी कनिष्ठ की तिथि अथवा उसके पूर्व ही कनिष्ठ को अनुमन्य हुआ वेतनमान द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त हो जाता। ऐसे मामले में वरिष्ठ को भी कनिष्ठ की अनुमन्यता की तिथि से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में कनिष्ठ के समान ग्रेड वेतन अनुमन्य कर दिया जायेगा और भविष्य में तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन भी कनिष्ठ की भाँति सेवा मानते हुए देय होगा।

**2. ए०सी०पी० की व्यवस्था में अगले ग्रेड वेतन का निर्धारण**—निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन शासनादेश संख्या—वे०आ०—2—1318/दस—59(एम)/2008, दिनाँक 8 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक—2अ पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ—6 के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन होगा। उक्त तालिका के अनुसार वेतनमान रु० 22400—24500 के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड—4, रु० 37400—67000 एवं ग्रेड वेतन रु० 12000/—तक देय है। शासनादेश संख्या—वे०आ०—2—287/दस—59(एम)/08, दिनाँक 16 मार्च, 2010 के द्वारा राजकीय कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में पूर्व वेतनमान रु० 22400—24500 के लिए दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना सादृश्य वेतन बैण्ड—रु० 37400—67000 एवं ग्रेड वेतन रु० 12000 के स्थान पर वेतनमान रु० 6700/- वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से रु० 79000 दिनांक 01 जनवरी, 2006 से स्वीकृत किया गया है। उक्त संशोधन के फलस्वरूप ए०सी०पी० की अनुमन्यता वेतनमान रु० 67000—वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से 79000 तक होगी। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाले ग्रेड वेतन का उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी यह सम्भव हो सकता है कि कहीं—कहीं पर ए०सी०पी० में प्राप्त ग्रेड वेतन एवं पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन एक समान हो और कहीं—कहीं पर एक समान नहीं भी हो सकता है।

**उदाहरण**—कनिष्ठ सहायक के पद का ग्रेड वेतन रु० 2000/—है और उसके प्रथम पदोन्नति का पद वरिष्ठ सहायक ग्रेड वेतन रु० 2800/—में है। कनिष्ठ सहायक के पद पर 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में शासनादेश 8 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक—2अ की तालिका के

अनुसार ग्रेड वेतन रु० 2000/–के उपरान्त ग्रेड वेतन रु० 2400/– है। अतः कनिष्ठ सहायक के पद पर 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रु० 2400/– अनुमन्य होगा।

परन्तु ए०सी०पी० की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन जी अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु० 1900/– के उपरान्त उपलब्ध ग्रेड वेतन रु० 2000/– को इग्नोर किया जायेगा फलस्वयप प्रथम/द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नन की अनुमन्रुता हेतु ग्रेड वेतन रु० 1900/– से अगला ग्रेड वेतन रु० 2400/– माना जायेगा।

**उदाहरण**–वाहन चालक के पद का ग्रेड वेतन रु० 1900/– है। 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर उसे प्रथम ए०सी०पी० के रूप में शासनादेश 8 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक–2अ की तालिका में उपलब्ध ग्रेड वेतन रु० 1900/–से अगला ग्रेड वेतन रु० 2000/–के बजाए इसे इग्नोर करते हुए ग्रेड वेतन रु० 2400/–देय होगा।

**3. पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से 30 नवम्बर, 2008 तक समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था को लागू किया जाना**–समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनाँक 30 नवम्बर, 2008 तक यथावत लागू है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनाँक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जायेंगे।

(1) 8 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना सम्बन्धित पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (बैण्ड वेतन–ग्रेड वेतन) के 3 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि को अगले 10 रु० में पूर्णांकित करते हुए की जायेगी। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(2) 14 एवं 24 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को सम्बन्धित कार्मिक का वेतन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य कराते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैण्ड वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन) अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैण्ड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित पदधारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(3) वेतन बैण्ड रु० 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400/– तथा उससे उच्च वेतन बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन के पदों पर समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर पूर्व उप प्रस्तर–2 एवं 3 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।

(4) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत समयावधि के आधार पर उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य होने के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी की उसी वैयक्तिक वेतनमान में वास्तविक रूप से पदोन्नति/नियुक्ति प्राप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण 3 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुए किया जायेगा। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(5) संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता हैं तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(6) ऐसे मामलों में जहाँ किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन अनुमन्य हो चुके प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तद्नुसार परिवर्तित हो जायेंगे। अर्थात् उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन यथावत बना रहेगा। **उपलब्ध हैं।**

**4. ऐसे पदधारक जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में लाभ मिल चुके हैं, को ए०सी०पी० का स्वीकृत किया जाना**—ऐसे कार्मिक जो दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं अथवा उक्त लाभ प्राप्त करने के उपरान्त उनकी वास्तविक पदोन्नति निम्न वेतनमान में होती है अथवा दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् उसी वेतनमान/उच्च वेतनमान में होती है तो ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ दिनाँक 1 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त निम्नानुसार अनुमन्य होंगे।

(i) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 8 वर्ष तथा 19 वर्ष के आधार पर अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए०सी०पी० के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

(ii) जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में 05/08/14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम वैयक्तिक उच्च वेतनमान प्राप्त हो रहा हैं उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। ऐसे पदधारक जिनकी पदोन्नति उपर्युक्तानुसार समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् समान/उच्च वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) में हो जाती है तो द्वितीय ए०सी०पी० की अनुमन्यता हेतु ऐसी पदोन्नति का संज्ञान नहीं लिया जायेगा और द्वितीय ए०सी०पी० के रूप में वर्तमान में प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(iii) जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में 14/16/18/24 वर्ष की सेवा के आधार पर द्वितीय वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त हो रहा है उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। ऐसे पदधारक जिनकी पदोन्नति उपर्युक्त लाभ प्राप्त करने के उपरान्त निम्न वेतनमान में अथवा दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् समान/उच्च वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) में हो जाती हैं तो तृतीय ए०सी०पी० की अनुमन्यता हेतु ऐसी पदोन्नति का संज्ञान नहीं लिया जायेगा और उसे अनुमन्यता की तिथि को प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

परन्तु,

दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अर्न्तगत अनुमन्य प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित पद के साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा पदोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए०सी०पी० की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा और उसकी कुल सेवावधि को सम्बन्धित पद पर की गयी सेवा मानते हुए ए०सी०पी० का लाभ देय होगा।

(iv) वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में प्रथम/द्वितीय वैयतिक पदोन्नति/अगला वेतनमान अनुमन्य होने और कनिष्ठ कार्मिक को ए०सी०पी० के रूप में प्रथम/द्वितीय ए०सी०पी० अनुमन्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ का वेतन, कनिष्ठ के सापेक्ष कम होने से उत्पन्न विसंगति के निराकरण हेतु वरिष्ठ का वेतन भी कनिष्ठ के समान विसंगति के दिनाँक से कर दिया जायेगा। उपर्युक्त लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्तें समान हों।

(v) यदि सम्बन्धित कार्मिक दिनाँक 01 दिसम्बर, 2008 को धारित पद के सापेक्ष समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत है तो पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता हेतु जिन तदर्थ सेवाओं को गणना में लिया जा चुका है, ए०सी०पी० की व्यवस्था में आगे वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु गणना में लिया जायेगा। जिन कार्मिकों को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में 8 वर्ष की सेवा के आधार पर वेतनवृद्धि दिये जाने हेतु तदर्थ सेवाओं को जोड़ा गया हैं, उन्हें ए०सी०पी० का लाभ दिये जाने हेतु भी तदर्थ सेवाओं को

जोड़ा जायेगा।

**5. वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता पर वेतन निर्धारण**—ए०सी०पी० की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक–2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और सम्बन्धित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा किन्तु यदि ऐसी पदोन्नति में वेतन बैण्ड भी परिवर्तित होता है, और उपर्युक्तानुसार वेतन निर्धारित किये जाने पर सम्बन्धित पदधारक का वेतन बैण्ड में वेतन उक्त वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित वेतन बैण्ड में वेतन से कम होता है तो उसे उक्त सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

**6. वित्तीय स्तरोन्नयन की स्वीकृति की प्रक्रिया का निर्धारण**—(1) वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके सम्बन्ध में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी–ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।

(2) स्क्रीनिंग कमेटी की प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी तथा जुलाई में सामान्यता दो बैठकों आयोजित की जायेंगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह दिसम्बर तक के मामलों पर विचार किया जायेगा तथा माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह जून तक के मामलों पर विचार किया जायेगा।

(3) उक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियाँ बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में सम्बन्धित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी/वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) समस्त विभागों में सम्बन्धित संवर्ग नियंत्रक अधिकारियों द्वारा यथावश्यकता स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जा सकेगा।

(5) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

**7.** ए०सी०पी० की व्यवस्था राजकीय संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जिन पद राज्य कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था अनुमन्य रही है।

**8.** ए०सी०पी० की उक्त व्यवस्था राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

**9. वेतन निर्धारण हेतु विकल्प की सुविधा**—समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में दिनाँक 1 जनवरी, 2006 से 30 नवम्बर, 2008 तक वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य होने के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु निम्नानुसार विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

"समयमान वेतनमान की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–561/दस–62(एम)/2008, दिनाँक 4 मई, 2010 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर सम्बन्धित पदधारक द्वारा संशोधित विकल्प समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने विषयक विभागीय आदेश के जारी होने की दिनाँक से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा

सकेगा। साथ ही ऐसे मामलों जिनमें समयमान वेतनमान पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है, उनमें विकल्प परिवर्तन इस शासनादेश के निर्गत होने के 90 दिन की अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।"

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

**राहुल भटनागर**,प्रमुख सचिव।

**संलग्नक-1**

**शा० संख्या-वे0आ0-2-773(1)/दस-62(एम)/2008, दिनाँक 5 नवम्बर, 2014 का संलग्नक**

**उदाहरण–1**

वेतनमान रु० 4000–6000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृय वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/–) के पद पर कार्यरत कार्मिक को 14 वर्ष की सेवा के आधार पर उपर्युक्त पद हेतु उपलब्ध पदोन्नति के पद का वेतनमान रु० 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–)का संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराया गया। फलस्वरूप उपर्युक्त कार्मिक को पूर्व से स्वीकृत प्रोन्नतीय वेतनमान रु० 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/–) के स्थान पर, पदोन्नतीय पद के वेतनमान में संशोधन/उच्चीकरण के दिनाँक से संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान रु० 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–) वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

**उदाहरण–2(i)**

वेतनमान रु० 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–) के लिए पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 14 वर्ष के आधार पर प्रथम वैयक्तिक अगले वेतनमान के रूप में रु० 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड.वेतन रु0 4200/–) अनुमन्य हुआ। इस प्रकार दिनाँक 1 जनवरी, 2006 से पद के वेतनमान तथा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से अनुमन्य वेतनमान के लिए समान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप सम्बन्धित पद पर दिनाँक 1 जनवरी, 2006 से 14 वर्ष के आधार पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में पद हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–से अगला वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4600/–अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से प्रथम अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य रु० 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–) के स्थान पर दिनाँक 1 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/–अनुमन्य होगा।

**उदाहरण–2(ii)**

इसी प्रकार वेतनमान रु० 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200/–) के उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 24 वर्ष के आधार पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में रु० 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4600/–) अनुमन्य हुआ। दिनाँक 1 जनवरी, 2006 से उपर्युक्त पद पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4600/–से अगला वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4800/–अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य रु० 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु० 4600/– अनुमन्य होगा।

उक्तानुसार अनुमन्य उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1318/दस–59(एम)/2008, दिनाँक 8 दिसम्बर, 2008 तथा ततक्रम में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

## संलग्नक-2

### शा० संख्या-वे०आ०-2-773(1)/दस-62(एम)/2008, दिनाँक 5 नवम्बर, 2014 का संलग्नक पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू ए०सी०पी० के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए०सी०पी० की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर सम्बन्धित कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम 22बी(1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। सम्बन्धित सरकारी कार्मिक को ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम 23(1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा–

(1) यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि को वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात 1 जुलाई को वेतन पुनर्निधारित होगा। इस तिथि को सम्बन्धित सेवक को दो वेतनवृद्धियाँ, एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी वेतन वृद्धि वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वयप देय होगी। इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी।

उदाहरण स्वरूप यदि वित्तीय स्तरोन्नयन के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन रु० 100 था, तो प्रथम वेतन वृद्धि की गणना रु० 100 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की गणना रु० 103 पर की जायेगी।

(2) यदि सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा।

वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 3 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तदनुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। जहाँ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो वहाँ भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी जहाँ वेतन बैण्ड में आगणित वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तदनुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

**नोट**–यदि सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में दिनाँक 2 जुलाई से 1 जनवरी तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 1 जुलाई को देय होगी।

**उदाहरण**–किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जुलाई, 2009 से 01 जनवरी, 2010 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतन वृद्धि 02 जुलाई, 2010 को देय होगी।

यदि वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में 2 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी।

**उदाहरण**–किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

□□□